

विकलांगों के लिए रोजगार

य विकलांग कर्मचारी अत्यंत परिश्रमी और शासनप्रिय होते हैं । बढ़ते तकनीकी विकास जहाँ विभिन्न कार्यों में शारीरिक श्रम की वश्यकता को कम किया है वहीं विकलांगों कार्यक्षमता को नए-नए सहायक उपकरणों से बेहतर कृत्रिम उपकरणों के जरिए लगाता र गया है और आगे इसका और विस्तार होगा ।

लते आर्थिक परिवेश में विकलांगों के लिए रोजगार संभावनाओं की विशेष रूप से निजी में तलाश आवश्यक है । इसके लिए उद्योग त्, राष्ट्रीय संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों और गलांग युवक-युवतियों को एक जगह आना । और इस तरह प्रयास करना होगा ताकि गलांग व्यक्ति बड़ी संख्या में रोजगार पा सकें समाज को अपनी योग्यता का लाभ दें ।

त पुस्तक इन सभी के लिए उत्कृष्ट संदर्भ व इस दिशा में एक मील के पत्थर का कार्य ती ।

लक्ष्मण प्रसाद

आविष्कारक व उद्योगपति

ISBN—81-88122-15-7

मूल्य रु० 175 00

। एकेडेमी, पुस्तकालय
इलाहाबाद

.....
.....
१३९६५
.....

विकलांगों के लिए

रोज़गार

विनोद कुमार मिश्र

“राज्ञी र र दैत्रा गगन न नमस्तदय प्रसिद्धिः”
दो-महाकाव्य, १९७१, पृ. १२५

भारतीय प्रकाशन संस्थान
नयी दिल्ली

विक्र

वकलां

सनप्रिय

विभि

कता व

र्यक्षमत

रतर वृ

है और

आर्थि

गार सं

तलाश

राष्ट्रीय

ग युव

नौर इर

ग व्यर्

माज व

मुस्तक

स दि

ISBN—81-88122-15-7

© विनोद कुमार मिश्र

प्रकाशक

भारतीय प्रकाशन मस्थान

24/4855, असागि रोड, दरियागज

नयी दिल्ली-110002

मंस्करण

2003

आवरण

गजीव शर्मा

मूल्य

एक सौ पचहत्तर रुपये

मुद्रक

एम०एन० प्रिंटेर्स

नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032

VIKLANGON KE LIYE ROZGAAR (Hindi)

by Vinod Kumar Mishra

Price Rs 175 00

पूज्य पिताजी
स्व० श्री लक्ष्मी चरण मिश्र
को
सादर समर्पित

विषय सूची

भूमिका	7
अपनी बात	9
विकलांगों के लिए रोजगार अत्यावश्यक	13
विकलांगों के रोजगार के लिए किए गए उपाय	20
विदेशों में किए गए प्रयास	32
विकलांगों के लिए रोजगारपरक प्रशिक्षण	36
शिक्षित और उच्च शिक्षित विकलांगों के लिए उपयुक्त रोजगार	51
अल्पशिक्षित और अशिक्षित विकलांगों के लिए रोजगार के अवसर	75
विकलांगों के लिए स्वरोजगार	89
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के विशेष अवसर	120

ध्वनीय और जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार
का सभावनाएँ

आम
अनुश
ने ज
आव
की व
और
बढ़ार

स्वरोजगार हेतु आवश्यक सुझाव

स्वरोजगार हेतु पूँजी

विकलांग व्यक्ति हर काम कर सकते हैं

विकलांगता के क्षेत्र में रोजगार

बदल
नई रं
क्षेत्र
जगत
विक
होगा
विक
और

परिशिष्ट

प्रस्तु

।
क्षेत्र

भूमिका

विकलांग व्यक्ति के लिए रोजगार की व्यवस्था उसके पुनर्वास का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हालाँकि इस दिशा में कुछ प्रयास हुए हैं, पर योजनाबद्ध तरीके से बड़े पैमाने पर प्रयास अभी बाकी है।

आजादी के बाद हुए तकनीकी विकास के कारण विकलांगों की स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ है। आज विकलांगों के लिए बेहतर बैसाखियाँ, कैलीपर, मुड़कर बंद हो सकने वाली व्हीलचेयर, उम्दा श्रवण यंत्र, नेत्रहीनों के लिए कंप्यूटर से जुड़ा वायस सिंथेसाइजर, बुक स्कैनर उपलब्ध हैं। मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के प्रशिक्षण के लिए भी बेहतर उपकरण उपलब्ध हैं। इन सबसे विकलांगों की कार्यक्षमता में निश्चित सुधार आया है।

दूसरी ओर कार्यप्रणालियों में भी परिवर्तन आया है। हाथ से काम करने की जगह अब ज्यादातर स्थानों पर स्वचालित और अर्धस्वचालित मशीनों का प्रयोग होने लगा है। इन पर काम करना विकलांगों के लिए आसान है। ऑफिस से लेकर औद्योगिक परिसर तक में बढ़ते कंप्यूटरीकरण के कारण हर प्रकार के विकलांगों के लिए काम करना सुगम होता जा रहा है।

इन घटनाक्रमों के मद्देनजर विकलांगों के लिए रोजगार हेतु एक नई सोच की आवश्यकता है। यह आवश्यकता इसलिए भी बढ़ रही है कि आर्थिक उदारीकरण के दौर में सरकारी नौकरियों की तादाद में कमी आ रही है और निजी क्षेत्र में प्रतियोगिता बढ़ रही है। अतः विकलांगों के लिए समुचित शिक्षा प्राप्त करके उचित रोजगार में लगना और बिना सहारे के रोजगार करते रहना आवश्यक हो गया है।

विकलांगों के लिए बने राष्ट्रीय संस्थानों ने इस दिशा में काफी कार्य किया है। स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी सराहनीय भूमिका निभाई है। आने वाले समय में कॉरपोरेट सेक्टर से भी काफी अपेक्षाएँ हैं। यदि ये तीनों मिलकर विकलांगों के लिए रोजगार सभावनाओं के सृजन हेतु कार्य करे तो इस दिशा में काफी कार्य हो

सकता है।

यह हर्ष का विषय है कि प्रस्तुत पुस्तक इन तीनों के भावी समन्वय हेतु उपयोगी दस्तावेज के रूप में काम करेगी। इस पुस्तक में विभिन्न प्रकार की सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों की कार्य-प्रणाली की विवेचना करते हुए विकलांगों के लिए सुगम नौकरियों का वर्णन किया गया है। शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और पर्वतीय तथा जनजातीय क्षेत्र में कौन-कौन से स्वरोजगार के अवसर विकलांगों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं, इसका भी विशद वर्णन किया गया है। विकलांग व्यक्ति विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण कहाँ-कहाँ हासिल कर सकते हैं, यह भी बताया गया है।

लेखक जो स्वयं पोलियोग्रस्त हैं, मगर इसके बावजूद उन्होंने रुढ़की विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और एम०बी०ए० किया, ने अपने 18 वर्ष के औद्योगिक अनुभव का पूरा उपयोग इस पुस्तक को लिखने में किया है। उन्होंने व्यवसाय करने में बरती जाने वाली सावधानियों और पूँजी का इंतजाम आदि का वर्णन भी बड़ी कुशलता से किया है ताकि इस पुस्तक को पढ़कर विकलांग किशोर अपने भावी जीवन की दिशा निर्धारित कर सकें।

भारतीय पुनर्वास परिषद इस पुस्तक के सफल होने की कामना करती है।

— डा० जे०पी० सिंह

सदस्य सचिव

भारतीय पुनर्वास परिषद

अपनी बात

जब भी किसी परिवार में विकलांग बच्चे का जन्म होता है या कोई व्यक्ति अचानक किसी बीमारी या दुर्घटना का शिकार होकर विकलांग हो जाता है, तो परिवारजनों को चिंता होने लगती है कि वह क्या करेगा? कैसे उसका भरण-पोषण होगा? आम धारणा यह है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार की संभावनाएँ अत्यंत सीमित हैं।

मुझे स्वयं भी याद है कि बचपन में मेरे अनेक रिश्तेदार और शुभचिंतक मेरे माता-पिता को सलाह देते थे कि मेरे नाम पर कोई जायदाद खरीद दें या बड़ी धनराशि फिक्स्ड डिपोजिट में जमा कर दें ताकि मेरा भविष्य सुरक्षित हो सके।

जब मैं पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने लगा तो स्कूल के एक-दो अध्यापकों ने टिप्पणी की कि यदि यह लड़का सामान्य होता तो अपने जीवन में बहुत कुछ कर देता।

1976 में जब मैंने हाई स्कूल की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और इजीनियरिंग का पेशा चुनने का निर्णय किया तो अनेक लोगों ने विपरीत राय दी। मेरे माता-पिता को भी भरोसा नहीं था कि उनका विकलांग पुत्र इस कठिन व्यवसाय में लंबे समय तक ठहर पाएगा। वे मेरे लिए अपेक्षाकृत आसान नौकरी, जैसे बैंक में नौकरी की कल्पना कर रहे थे।

1978 में मैंने रुड़की विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण कर ली। उस समय मेरा इंटरमीडिएट का परीक्षा-परिणाम भी नहीं आया था। अंततः भरे मन और अनेक आशंकाओं से ग्रस्त मेरे पिता मुझे रुड़की छोड़ने आए, जो राँची, जहाँ मेरे पिता वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में नियुक्त थे, से लगभग 1200 किलोमीटर दूर था।

पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद में नौकरी प्रारंभ की। पिछले 18 वर्ष के सेवाकाल में अनेक गतिविधियों के अलावा मैंने रेलवे हेतु एक संचार संयंत्र विकसित करने में भी भाग लिया जिसके लिए

मुझे उत्तरप्रदेश, हरियाणा और पंजाब के लगभग 20 रेलवे स्टेशनों, जो ज्यादातर छोटे थे, पर घूमना और काम करना पड़ा। मैंने अपने विभाग की ओर से प्रतिष्ठित सस्थाओं आई० आई० टी०, कानपुर (तीन वर्ष), आई० आई० टी०, दिल्ली (चार माह) और सी०डोट, बंगलौर में भी काम किया।

आज जब विकलांग व्यक्ति भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर काम कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी खोजे कर रहे हैं, साहित्य, संगीत, खेल की दुनिया में झंड़े गाड़ रहे हैं, तब भी आम धारणा यह बनी हुई है कि विकलांग व्यक्ति सिर्फ हलके-फुलके काम ही कर सकते हैं, और यदि किसी संगठन में अधिक संख्या में विकलांग व्यक्तियों को काम पर लगाया गया तो वह संगठन आर्थिक उदारीकरण की दौड़ में पिछड़ जाएगा।

जबकि अब तक किए गए शोध और अनुभवों के आधार पर यह स्थापित हो चुका है कि आम तौर पर विकलांग व्यक्ति सामान्य कर्मचारियों से बेहतर प्रदर्शन कर लेते हैं। वे पूरी ईमानदारी, लगन और कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करते हैं। कई बार वे अपना स्थान बनाए रखने के लिए उत्कृष्ट कार्य कर जाते हैं। विकलांग कर्मचारियों में गैरहाजिरी बहुत कम पाई जाती है। उनकी कम गतिशीलता कई बार लाभकारी सिद्ध होती है और वे ज्यादातर समय मन लगाकर काम करते रहते हैं।

इन सब कारणों के अलावा लगातार हो रहे तकनीकी विकास ने भी उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाया है। आज उनके लिए हलकी और बेहतर बैसाखियाँ, कैलीपर, मुड़कर बंद हो जाने वाली पहिएदार कुर्सियाँ, हलके श्रवण यंत्र, जो रीचार्जबल बैटरी से चलते हैं आदि उपलब्ध हैं। कंप्यूटर ने हर प्रकार के विकलांगों का जीवन आसान किया है। नेत्रहीनों को तो कंप्यूटर ने नई दृष्टि दी है। आज नेत्रहीन व्यक्ति जो कुछ भी कंप्यूटर के की-बोर्ड द्वारा इसकी मेमोरी में डालता है, उसे साथ में लगे वायस सिंथेसाइजर द्वारा सुन भी लेता है। बुक स्कैनर की सहायता से नेत्रहीन व्यक्ति सामान्य किताबें भी पढ़ सकता है। आज विज्ञान ने अस्थि विकलांगों को कृत्रिम गतिशीलता, श्रवणहीनों को कृत्रिम श्रवणशक्ति, जन्म से मूक को कृत्रिम वाक्शक्ति और नेत्रहीनों को काफी हद तक कृत्रिम दृष्टि-क्षमता भी दी है। वैज्ञानिक यह भी प्रयत्न कर रहे हैं कि मंदबुद्धि बच्चे और बड़े अपनी बची हुई मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके अपना जीवन काफी हद तक और उपयोगी बना लेंगे आज विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है

कि कृत्रिम मस्तिष्क वाला रोबोट दिल का ऑपरेशन कर लेता है। अतः वह दिन दूर नहीं जब हर प्रकार का विकलांग व्यक्ति हर प्रकार का काम कर लेगा।

वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक प्रगति ने मानव-जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव डाला है। पहले हर काम हाथ से होता था जबकि अब स्वचालित और अर्धस्वचालित मशीनें विभिन्न कार्यों के लिए उपलब्ध हैं। ये मशीनें कार्यालयों, फेक्टरियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपलब्ध हैं। अब गाँवों में भी इन मशीनों की माँग धीरे-धीरे बढ़ रही है।

इस मशीनीकरण ने उन लोगों की कार्यक्षमता को विशेष रूप से बढ़ाया है, जिनके एक या अधिक अंग कमजोर या निष्क्रिय हैं। आज कंप्यूटर का प्रयोग बहुत बढ़ रहा है। कंप्यूटर पर काम करना न सिर्फ अस्थि विकलांगों व मूक-बधिरों व रन् दृष्टिहीनों के लिए भी काफी हद तक सुगम हो चुका है। आज नेत्रहीन व्यक्ति फ्लॉपी और सीडी० में स्थित सामग्री को वायस सिंथेसाइजर से बड़ी आसानी से सुन सकता है।

इन सब घटनाक्रमों ने हमें नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि हम न सिर्फ उच्चशिक्षित विकलांगों के रोजगार के बारे में सोचें, वरन् अल्पशिक्षित विकलांगों की रोजगार संभावनाओं पर भी विचार करें। शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ तक कि पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्र में भी विकलांगों के लिए अपार रोजगार संभावनाएँ हैं। आज हम थोड़े-से प्रयास करके बड़ी तादाद में विकलांगों को रोजगार में लगा सकते हैं, जो उनके पुनर्वास का प्रमुख अंग हैं।

प्रस्तुत पुस्तक इस दिशा में एक विनम्र प्रयास है। इस पुस्तक के जरिए मैंने पाठकों को यह बताने की चेष्टा की है कि सरकारी और निजी क्षेत्र की तमाम नौकरियों में विभिन्न प्रकार के विकलांग व्यक्ति आसानी से और कुशलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार अनेक प्रकार के स्वरोजगार ऐसे हैं, जिन्हें अपनाकर विकलांग व्यक्ति न सिर्फ अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकते हैं वरन् दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। भारतवर्ष और विदेशों में अब तक क्या-क्या प्रयास किए गए हैं, विकलांग किशोर कहाँ-कहाँ रोजगारपरक प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं, यह भी जानकारी देने का प्रयास किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में क्या-क्या रोजगार संभावनाएँ हैं और ये संभावनाएँ किस प्रकार बढ़ सकती हैं, इस पर भी प्रकाश डाला गया है।

इस पुस्तक की रचना में मेरे मित्र और राष्ट्रीय सहारा में पत्रकार अनामिशरण

बब्बल और अमेरिकी पत्रिका *स्पान* के कापी एडिटर ए० वेंकट नारायण ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा हेमंत कुमार दुबे ने पूरी पांडुलिपि पढ़ने और इसमें सुधार करने में काफी परिश्रम किया है। मैं इन सबका आभारी हूँ।

इसके अलावा इस लेखन-कार्य के लिए अनुकूल माहौल बनाने में मेरी पत्नी वीना और दोनों पुत्रों वरुण और विशाल ने योगदान किया। इनके कारण ही यह पुस्तक अत्यंत कम समय में तैयार हो गई। इसके लिए मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में इस पुस्तक की खूबसूरत कंपोजिंग करने के लिए यशपाल सिंह तेवतिया का धन्यवाद करता हूँ।

सी-1, सेल अपार्टमेंट
बी-14, वसुंधरा एम्ब्लेव
दिल्ली-110096

— विनोद कुमार मिश्र

विकलांगों के लिए रोजगार अत्यावश्यक

रोजगार हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। रोजगार उसे पैसा तथा आर्थिक स्वतंत्रता तो प्रदान करता ही है, साथ में आत्मसम्मान भी बढ़ाता है। पहले विकलांगों के लिए रोजगार असंभव माना जाता था और लोग उन्हें खैरात के रूप में कभी-कभार कुछ दे दिया करते थे। नई सोच के अनुसार, विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार आम आदमी की अपेक्षा ज्यादा जरूरी माना जाता है। इसका कारण है, आम तौर पर अभिशाप मानी जाने वाली विकलांगता के कारण व्यक्ति की कार्यक्षमता का तो कम हास होता है, उसके आत्मसम्मान और उसकी सामाजिक स्वीकार्यता का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। नए सामाजिक चिंतन के अनुसार रोजगार इसलिए भी आवश्यक है कि ये लोग समाज पर बोझ बनने के बजाय समाज के लिए अपना आर्थिक व अन्य प्रकार का योगदान कर सकें। लक्ष्य यह होना चाहिए कि ये लोग समाज से दयास्वरूप आर्थिक या अन्य प्रकार की सहायता पाने के बजाय करदाता बनें और समाज को आर्थिक व अन्य प्रकार का सहयोग दें। दरअसल रोजगार न कर पाने के कारण विकलांगों को आर्थिक नुकसान तो होता ही है, उनका आत्मसम्मान भी आहत होता है। समाज उनकी छिपी हुई क्षमता का उपयोग करने से वंचित हो जाता है। एक ओर विकलांग व्यक्ति के परिवार-जन, संबंधी और मित्र अपने संसाधन उस पर लगाते हैं, दूसरी ओर सरकार भी पेंशन व अन्य राहत के रूप में खर्च करती है।

इन बातों के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 1995 में हुए अपने महासम्मेलन में तय किया कि विकलांगों के लिए लगातार और सुनियोजित ढंग से पुनर्वास कार्यक्रम चलाया जाए, जिसके तहत उन्हें आवश्यक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके प्राथमिकता के आधार पर रोजगार प्रदान किया जाए। ये प्रयास इस प्रकार किए जाएँ ताकि वे उपयुक्त रोजगार में लगकर भविष्य में अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस महासम्मेलन में विकलांग व्यक्तियों की परिभाषा भी स्पष्ट की गई और विकलांग उसे माना गया, जो शारीरिक या मानसिक विकलांगता के कारण इतना

पीड़ित हो कि उसकी अपने आप उपयुक्त रोजगार पाने की क्षमता काफी कम हो गई हो।

इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि उपयुक्त वातावरण मिलने पर विकलांगों की छिपी हुई प्रतिभा उभरकर सामने आती है और वे विकलांगता से ऊपर उठकर समाज में सम्मानजनक स्थान पा लेते हैं। इनमें से अनेक लोग विभिन्न क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। कई बार वे अपनी प्रतिभा से उन क्षेत्रों ने भी स्थान बना लेते हैं, जो आम तौर पर विकलांगों के लिए अकल्पनीय माने जाते हैं।

अतः यह एक निर्विवाद सत्य है कि विकलांगों को उपयुक्त प्रशिक्षण देकर न उन्हें रोजगार में लगाना उनके पुनर्वास का एक आवश्यक अंग है बल्कि इस कार्य को सुचारु रूप से करने के लिए विकलांगता के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन आवश्यक है।

विकलांगता की परिभाषा

अलग-अलग देशों में विकलांगता की परिभाषा अलग-अलग है। भारत में भी पहले अलग-अलग उद्देश्यों के लिए विकलांगता की परिभाषा अलग-अलग थी। 1995 में पारित विकलांग कानून, 1995 [The persons with disability (Equal opportunities, Protection of Right and Full Participation) Act 1995] के पहले अध्याय के अनुसार, अब एक सर्वमान्य परिभाषा तैयार की गई है, जिसके तहत निम्न व्यक्ति विकलांग माने जाएँगे :

- (1) नेत्रहीन व्यक्ति
- (2) अल्प दृष्टिवान व्यक्ति
- (3) कुष्ठ रोग के उपचार के पश्चात् विकलांग व्यक्ति
- (4) श्रवणबाधित व्यक्ति
- (5) अस्थि विकलांग व्यक्ति
- (6) मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति
- (7) मानसिक रोगी

इसी कानून के पहले अध्याय की दूसरी धारा में उपरोक्त भिन्न-भिन्न प्रकार की विकलांगताओं को अलग-अलग परिभाषा भी स्पष्ट रूप से दी गई है।

नेत्रहीनता - कोई व्यक्ति नेत्रहीन तब माना जाएगा जब -

(क) उसकी दृष्टि-क्षमता बिल्कुल न हो।

(ख) उसकी बेहतर आँख में दृष्टि-क्षमता 6/60 या 20/200 से कम हो।

(ग) उसकी दृष्टि अत्यंत सीमित हो और वह 20° से ज्यादा अपनी आँख की पुतली न घुमा पाता हो।

अल्प दृष्टिवान : अल्प दृष्टिवान व्यक्ति वह माना जाएगा, जिसकी दृष्टि-क्षमता अत्यंत बाधित हो और चश्मा लगाकर भी दृष्टि अत्यंत सीमित हो। ऐसे व्यक्ति यदि सहायक उपकरण लगाकर अपना कान कर पाते हों तो उन्हें अल्प दृष्टिवान माना जाएगा।

कुष्ठ रोग के उपचार के पश्चात् विकलांग व्यक्ति : वे व्यक्ति, जो पहले कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और उनका उपचार किया गया, पर इस उपचार के पश्चात् भी .

(क) उनके हाथों-पैरों की संवेदनशीलता नष्ट हो गई हो और आँखों व पलकों की भी संवेदनशीलता खत्म हो गई हो, पर विकृति या कमजोरी न आई हो।

(ख) उनके अंगों में विकृति या कमजोरी तो आई हो, पर उनके हाथ-पैर गतिशील हों और वे सामान्य आर्थिक गतिविधि कर सकें।

(ग) उनके अंगों में बहुत ज्यादा विकृति आ गई हो, उमर भी ज्यादा हो, जिस कारण से वे रोजगार आदि करने में अक्षम हो गए हों। इस श्रेणी में माने जाएँगे।

श्रवणबाधित व्यक्ति : श्रवणबाधित या बधिर व्यक्ति उसे माना जाएगा जिसके बेहतर कान में बातचीत करने वाली फ्रीक्वेंसियों में सुनने की क्षमता 60 डेसीबल से कम हो गई हो।

अस्थि विकलांगता : यदि व्यक्ति की हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों में इतनी कमजोरी या विकृति आ गई हो कि उसके अंगों का घूमना कठिन हो गया हो, तो उसे अस्थि विकलांग माना जाएगा। यदि यह कमजोरी या विकृति सेरेब्रल पाल्सी अर्थात् मानसिक आघात के कारण आई हो तो भी उसे अस्थि विकलांग ही माना जाएगा।

मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति : मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति उसे माना जाएगा, जिसके मस्तिष्क में अवरोध हो और उसका सामान्य रूप से विकास न हो पाया हो इस कारण उसके मस्तिष्क की सीमित

हो गई हो और उसका आई०क्यू० स्तर कम हो गया हो।

मानसिक रोगी : जो व्यक्ति किसी मानसिक रोग से ग्रस्त हो, उसे मानसिक रोगी माना जाएगा।

उपरोक्त प्रकार की विकलांगता की जाँच करके सत्यापित करने और प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार सरकार द्वारा निर्धारित अस्पतालों और संस्थानों को होगा। ऐसे अस्पतालों के डॉक्टरों का बोर्ड जाँच करके प्रमाण-पत्र जारी करेगा और इस प्रमाण-पत्र में विकलांगता का प्रतिशत लिखा होगा। 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता होने पर व्यक्ति विकलांग माना जाएगा। 80 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता का शिकार व्यक्ति अत्यंत विकलांग माना जाएगा।

विकलांगता के कारण होने वाली हानि : विकलांगता के कारण दो प्रकार की क्षति होती है :

- (1) शारीरिक क्षति
- (2) मनोवैज्ञानिक क्षति

शारीरिक क्षति : विकलांगता की परिभाषा से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकलांगता के कारण मनुष्य के शरीर में कितनी क्षति होती है और उसकी शारीरिक क्षमता किस कदर बाधित होती है।

नेत्रहीन व्यक्ति देख नहीं पाता है, यदि उसकी बेहतर आँख में दृष्टि 6/60 से कम होगी तो वह नहीं के बराबर देख पाएगा। ज्यादा से ज्यादा वह अंधकार या प्रकाश में फर्क महसूस कर पाएगा या यदि कोई व्यक्ति उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा तो उसको एक छाया-सी दिखाई देगी। इसके अतिरिक्त कभी-कभी ऑपरेशन के बाद या दुर्घटनावश दृष्टि सीमित भी हो जाती है और वह अपनी पुतली नहीं घुमा पाता है। उसका दृष्टि-क्षेत्र अत्यंत सीमित हो जाता है। अल्प दृष्टिवान व्यक्ति विशालक यंत्र लगाकर थोड़ा-बहुत पढ़ पाता है। वह कोई वाहन वगैरह नहीं चला पाता। सड़क पर चलते समय दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा काफी होता है।

कुष्ठ रोग के कारण अंग टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं। अंग गल भी जाते हैं। ज्यादातर रोगियों के अंग इलाज के बाद भी सुन्न हो जाते हैं और उनमें संवेदनशीलता लगभग समाप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को चोट लगती है तो पता नहीं चलता है और बाद में बड़ा घाव हो जाता है। कुष्ठ रोगियों के अंग अक्सर जकड़ जाते हैं और घूम नहीं पाते हैं।

बधिर व्यक्ति सुन नहीं पाते हैं। यदि बाल्यावस्था में ही बधिरता आ जाए तो बच्चा बोलना नहीं सीख पाता है। उसको बोलना सिखाने के लिए विशेष पद्धति अपनानी पड़ती है, जो लंबी और कष्टदायक होती है। इसमें बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है।

अस्थि विकलांग व्यक्ति के हाथ या पैर कटे होते हैं। पोलियोग्रस्त व्यक्ति के हाथ या पैर, जिनमें पोलियो का असर होता है, अत्यंत कमजोर होते हैं। कई बार अंग दिखाई तो ठीक देते हैं, पर वे धूम नहीं पाते हैं। बहुत ज्यादा आघात होने पर व्यक्ति का हिलना-डुलना असंभव होता है। ऐसे व्यक्ति व्हीलचेयर का सहारा लेकर चलते हैं।

कई बार अस्थि विकलांगता मानसिक आघात के कारण आती है। ऐसे व्यक्ति देखने में तो ठीक लगते हैं, पर अपने अंगों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता है। उनके अंग हिलते रहते हैं। वे न तो कोई चीज ठीक से पकड़ पाते हैं और न ही अपने अंग अपनी इच्छानुसार हिला-डुला पाते हैं। आघात जितना गहरा होता है अंगों की कार्यक्षमता उतनी ही कम हो जाती है।

मानसिक अविकसितता के कारण व्यक्ति का शरीर तो विकसित होता जाता है पर उसका मस्तिष्क छोटे बच्चों की तरह ही बना रहता है। ऐसा व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तरह काम नहीं कर पाता है और उसकी देखभाल की निरंतर आवश्यकता बनी रहती है।

मानसिक रोगी रोग के कारण अजीबोगरीब व्यवहार करने लगते हैं। उनका अपने व्यवहार और अपने आप पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता और कई बार वे हिंसक भी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत बार इलाज के द्वारा ठीक हो जाते हैं, पर उनमें से कई का रोग कुछ दिनों बाद लौट आता है।

विकलांगता के कारण व्यक्ति की काफी शारीरिक क्षति होती है। उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है।

मनोवैज्ञानिक क्षति : विकलांगता के कारण व्यक्ति की जितनी शारीरिक क्षति होती है, उससे कहीं ज्यादा मनोवैज्ञानिक क्षति होती है। दरअसल विकलांगता का पता चलने पर व्यक्ति को गहरा सदमा लगता है। पीड़ित व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि उसका जीवन बिलकुल खाली हो गया है और आगे जीना बिलकुल व्यर्थ है। नेत्रहीन व्यक्ति को भावी जीवन अंधकारमय लगने लगता है और जाम्बू विकलांग व्यक्ति को जीवन अपने सामने एक पहाड़ सा दिखाई देता

है जिसको वह कभी पार नहीं कर पाएगा। बधिर व्यक्ति को जीवन एक सुनसान जंगल-सा लगने लगता है, जिसका कोई ओर-छोर नहीं है।

उपर्युक्त परिस्थितियाँ उसके सोचने और समझने की शक्ति को बुरी तरह प्रभावित कर देती हैं। ऐसे में अगर कोई उसे समझाने की कोशिश करता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और हताशा और बढ़ जाती है।

सौभाग्यवश मानव-प्रकृति ऐसी है कि सदमे की स्थिति ज्यादा दिन नहीं रहती और आम तौर पर व्यक्ति एक हफ्ते से लेकर एक महीने के अंदर इस स्थिति से बाहर निकल आता है। इसके बाद उसे काफी गुस्सा आता है। वह अपनी विकलांगता के कारण के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को काफी कोसता है। उसे अपने परिवार और भगवान् पर भी काफी गुस्सा आता है।

पहले सदमे और फिर क्रोध के दौरान विकलांग व्यक्ति के अंदर की ज्वाला कान्ती हृद तक शांत हो जाती है। अब उसे अपनी छोटी-छोटी जरूरतों की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे उसके मन में हताशा की भावना आ जाती है। ऐसे में परिवार-जनों की अहम भूमिका होती है। यदि वे उसे सहारा तो दें, पर यह न जताएँ कि सहारा दे रहे हैं तो काफी लाभ होता है। उचित मार्गदर्शन मिलने पर हताशा की स्थिति बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। व्यक्ति अपनी परिस्थिति के सम्मुख अपने आप को समर्पित कर देता है और धारा के अनुकूल बहने के लिए खुद को छोड़ देता है। वह अपने पक्ष में तर्क भी विकसित कर लेता है। धीरे-धीरे वह परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है और अपनी सीमाओं को पहचान लेता है। अब वह यह जान जाता है कि वह क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। धीरे-धीरे उसकी अपने बारे में धारणा सकारात्मक हो जाती है। उसकी जीवन-शैली, सोचने का ढंग, व्यवहार आदि बदल जाता है।

अपनी मनोवैज्ञानिक क्षति से वह उबरने की कोशिश करता है। वह यह मानने लगता है कि उसका जो नुकसान हुआ है, वह चाहे कितना भी ज्यादा क्यों न हो, सबकुछ नहीं है और अभी भी अनेक संभावनाएँ शेष हैं। उसे लगने लगता है कि बेशक विकलांगता ने उसके जीवन के सामने समस्याओं का समुद्र खड़ा कर दिया है, पर इस समुद्र के उस पार जाकर नई दुनिया बसाई जा सकती है। इस परिस्थिति में वह अपने जैसे विकलांगों के उदाहरण से सबक सीखता है।

इसी प्रक्रिया के दूसरे चरण में वह अपने आप को इस प्रकार परिवर्तित करता है ताकि नई परिस्थिति में सुचारु रूप से काम कर सके। इस समय उसे

समुचित शिक्षा, प्रशिक्षण आदि की आवश्यकता होती है।

उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि यदि सामान्य व्यक्ति किसी चीज को गिरने हुए देखता है तो उसे वहाँ से उठाकर अपनी जगह पर वापस रख देता है। दूसरो ओर नेत्रहीन व्यक्ति के हाथ से अगर कोई चीज गिर जाती है तो वह या तो किसी दूसरे व्यक्ति को उसे उठाकर देने के लिए आवाज देगा या जमीन पर स्वयं टटोलने की कोशिश करेगा। नए नेत्रहीन को अपनी आदतें बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार पुनर्गठित करनी पड़ती हैं।

इस प्रक्रिया के तीसरे चरण में व्यक्ति अपनी खोई हुई क्षमता को पुनः पाने की चेष्टा करता है। वह अपने कटे हुए पैरों के स्थान पर हाथ से काम करने लगता है। वह सहायक उपकरण इस्तेमाल करके अपना काम चलाता है। नेत्रहीन व्यक्ति ब्रेल सीखता है। भारत की प्रथम नेत्रहीन महिला वकील अंजलि अरोड़ा 11 साल की उम्र में नेत्रहीन हो गई थीं। उन्होंने मात्र एक महीने में ब्रेल सीख ली। श्रवणहीन व्यक्ति इशारों की भाषा सीखता है।

यहाँ एक बात दीगर है। शरीर के सभी अंग अपना-अपना काम स्वतंत्र रूप से करते हैं, पर यदि एक अंग खराब हो जाए तो कई बार उसके दूसरे अंगों पर भी नुक़्त पड़ता है। कई बार बीमारी से आँखें तो खराब हो ही जाती हैं, कानों पर भी कुछ दुष्प्रभाव पड़ जाता है। इसी प्रकार एक अंग की खराबी का दूसरे अंग के काम करने में मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर नेत्रहीन व्यक्ति के पैर दुरुस्त होते हैं, पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण वह लड़खड़ाकर चलता है।

विकलांगों का प्रशिक्षण तभी उचित और पूर्ण माना जाएगा जब उनके खराब अंगों की छाया उनके सही अंगों पर न पड़े और सही अंग इतने विकसित हो जाएँ कि अपने काम के साथ खराब अंग का भी काम करने लगेँ ताकि विकलांगता के कारण हुई शारीरिक व मनोवैज्ञानिक क्षति ज्यादा से ज्यादा पूरी हो सके।

विकलांगों के रोजगार के लिए किए गए उपाय

भारतीय संविधान-निर्माताओं ने समाज के कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने के लिए नौकरियों में आरक्षण को प्रमुख उपाय माना था और इसी के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों को नौकरियों में भर्ती और बाद में पदोन्नति आदि में भी आरक्षण के स्पष्ट प्रावधान किए। बाद में अनेक राज्य सरकारों ने पिछड़ी जातियों के लिए भी नौकरियों में आरक्षण लागू किया। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने के साथ ही केंद्रीय व राज्य सरकारों की लगभग सभी प्रकार की नौकरियों में हर प्रकार के पदों पर निर्धारित प्रतिशत आरक्षण पिछड़े वर्गों को दे दिया गया।

इसी सोच के तहत 1977 में भारत सरकार ने अपने शासनादेश द्वारा सरकारी और मार्वजनिक उपक्रमों की नौकरियों में 'सी' और 'डी' श्रेणी के सिर्फ निर्धारित पदों पर तीन प्रतिशत आरक्षण विकलांगों को दिया। इन तीन प्रतिशत नौकरियों में एक-एक प्रतिशत पद नेत्रहीन, श्रवणहीन और अस्थि विकलांगों के बीच बराबर बाँट दिए गए। इसके अतिरिक्त नौकरी के लिए अधिकतम आयुसीमा में दस वर्ष की छूट दे दी गई। यदि विकलांग व्यक्ति शैक्षिक और अन्य प्रकार की योग्यता रखता है तो उसे शारीरिक मानदंडों में भी छूट दे दी गई। राज्य सरकारों ने भी इसी प्रकार की छूट अपने राज्यों में दी और आरक्षण का लाभ विकलांगों को दिया। टाइपिंग की गति में भी छूट प्रदान की गई।

'सी' और 'डी' श्रेणी के लगभग 1100 प्रकार के पद छाँटे गए जिन पर विकलांगों का कार्य करना संभव था और आरक्षण इन पदों पर ही सीमित कर दिया गया। 'समाज कल्याण मंत्रालय', जिसका नाम 'अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय' कर दिया गया है, को इन आदेशों के अनुपालन का दायित्व दिया गया।

उपर्युक्त शासनादेशों का सहारा लेकर अनेक विकलांग व्यक्ति विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी पाने में सफल हो गए। इससे पूर्व बिरले ही विकलांग

व्यक्ति सरकारी नौकरी पाने में सफल हो पाते थे। जब 1981 में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष मनाया गया तो हजारों विकलांग व्यक्ति सरकारी नौकरियों में भर्ती हुए। इनमें से अधिकांश अपना दायित्व पूरी कुशलता से निभा रहे हैं।

पर उपर्युक्त व्यवस्था में निम्न खामियाँ थी :

(1) आरक्षण सिर्फ 1100 प्रकार के निर्धारित पदों पर था, जो कुल पदों का लगभग एक-तिहाई है। अतः व्यावहारिक तौर पर विकलांगों को आरक्षण एक प्रतिशत ही मिला, जो इस वर्ष की बड़ी आबादी, जो कुल आबादी का 8-10 प्रतिशत है, को देखते हुए नगण्य है।

(2) ये नौकरियाँ विभिन्न विभागों की कुल नौकरियों के आधार पर विकलांगों के लिए आरक्षित की गईं। अधिकांश विभागों में कुल रिक्तियाँ बहुत कम होती हैं और निर्धारित पदों पर तीन प्रतिशत आरक्षण इतना कम बनता है कि एक पद भी नहीं बन पाता है।

(3) विकलांगों के लिए पद आरक्षित करने की प्रक्रिया भी दोषपूर्ण पाई गई।

रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार संबंधी सूचना विभाग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जा सकने वाले पदों का चयन किया। जहाँ एक ओर अनेक पदों के बारे में गहराई से चिंतन नहीं किया गया, वहीं अनेक ऐसे पद छोड़ दिए गए। जिन पर विकलांग व्यक्ति बगैर आरक्षण के आसानी से भर्ती हो गए और अपना दायित्व सालों से निभा रहे थे। अनेक ऐसे पद, जिन पर विकलांगों के लिए काम करना कष्टकर है, इस सूची में डाल दिए गए।

आज समाज तेजी से बदल रहा है। नवीन तकनीकों, विशेष रूप से कंप्यूटरीकरण और कार्यालयों में स्वचालित मशीनों के प्रयोग के कारण कार्य प्रणाली बहुत तेजी से बदल रही है। अतः विकलांगों के लिए आरक्षित किए जा सकने वाले पदों की पहचान का काम समय-समय पर किया जाना चाहिए। जबकि यह काम लगभग एक दशक से भी अधिक समय पूर्व हुआ था। वास्तव में विकलांग व्यक्ति कुछ पदों पर बखूबी काम कर सकते हैं। कुछ पदों पर सामान्य रूप से या सामान्य से कम काम कर सकते हैं। कुछ पदों पर उनका काम करना अत्यंत कठिन या लगभग असंभव होता है। इसलिए सभी सरकारी विभागों और उद्यमों को स्पष्ट निर्देश होना चाहिए कि कुल पदों में 3 प्रतिशत

आरक्षण विकलांगों को मिले। उच्चाधिकारी स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि किन नदों पर विकलांगों के लिए काम करना आसान है। उन पदों पर ज्यादा विकलांगों की भर्ती कर ली जाए और शेष पद अनारक्षित छोड़ दिए जाएँ ताकि विभाग में कम से कम तीन प्रतिशत कर्मचारी विकलांग हों। इसके अलावा विभागों को इस बारे में समय-समय पर दिशा-निर्देश और नवीनतम जानकारियाँ दी जा सकती हैं। विकलांगों के लिए बने राष्ट्रीय संस्थान भी इसमें प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। वे समय-समय पर नवीनतम सहायक उपकरणों की जानकारी दे सकते हैं, जिनके इस्तेमाल से विकलांग व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा किस्म के काम भलीभाँति कर सकता है।

उदाहरण के तौर पर श्रवणहीन व्यक्ति उन स्थानों पर बेहतर काम कर सकते हैं, जहाँ शोर-शराबा ज्यादा होता है। कपड़ा मिलों, हवाई अड्डों आदि पर इनके लिए काम करना आम आदमी की अपेक्षा सुगम होता है। अस्थि विकलांगों के लिए उन स्थानों पर काम करना आसान होता है, जहाँ चलना-फिरना कम हो या एक हाथ या एक पैर से काम चल जाए। नेत्रहीन व्यक्ति डार्करूम जैसी जगह में बेहतर काम कर सकते हैं। नवीन तकनीकों के इस्तेमाल से नेत्रहीनों की कार्य-क्षमता बढ़ रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड ने मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए कुछ पद छाँटे हैं, जहाँ वे संतोषजनक रूप से काम कर सकते हैं।

‘ए’ और ‘बी’ श्रेणी के पदों पर आरक्षण

1977 के शासनादेश के तहत सिर्फ ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी की नौकरियों में आरक्षण दिया गया। इसके साथ ही यह प्रश्न भी उठा कि जब विकलांग व्यक्ति ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी के पदों पर काम कर सकते हैं तो ‘ए’ और ‘बी’ श्रेणी के पदों पर क्यों नहीं काम कर सकते? इसी बीच अनेक विकलांग व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करके प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने लगे। वहाँ पर परीक्षा में सफल होने पर उन्हें शारीरिक मानदंडों के आधार पर रोका जाने लगा। दूसरी ओर भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया, जिसने सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों की ‘ए’ और ‘बी’ श्रेणी की 416 प्रकार की नौकरियाँ छाँटीं, जिन पर विकलांग व्यक्ति आसानी से काम कर सकें। 25 नवंबर, 1986 को कार्मिक, जनशिकायत और पेंशन विभाग ने एक शासनादेश जारी किया जिसके तहत ए और बी

श्रेणी की इन नौकरियों में भर्ती के समय विकलांगों को स्पष्ट वरीयता दी जाएगी। इसमें यह भी कहा गया कि कार्मिक विभाग शीघ्र ही इस विषय पर एक आदेश रूपा विभागों को जारी करेगा। पर इस पर अमल बिलकुल नहीं हुआ।

जब नेत्रहीनों को सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठने से रोका गया तो नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड ने संविधान की धारा 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इस याचिका में अदालत से प्रार्थना की गई कि नेत्रहीनों को सिविल सर्विस की परीक्षा में या तो ब्रेल लिपि में लिखने की अनुमति दी जाए या एक लेखक की सहायता से लिखने की इजाजत दी जाए। फेडरेशन ने अदालत से यह भी प्रार्थना की कि अदालत 'ए' और 'बी' श्रेणी की नौकरियों में वरीयता/आरक्षण के मामले में सरकार को निर्देश दे। इस मुकदमे की एक विशेष बात यह थी कि नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की ओर से मुकदमे की पैरवी प्रख्यात नेत्रहीन वकील एस० के० रूंगटा ने की।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 23 मार्च, 1993 के फैसले में नेत्रहीनों को ब्रेल लिपि में लिखने या एक लेखक की सहायता से परीक्षा देने की अनुमति दे दी। इस आशय का आदेश केंद्रीय लोकसेवा आयोग को देते हुए न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि वह 'ए' और 'बी' श्रेणी के पदों पर विकलांगों के लिए आरक्षण/वरीयता के मामले में शीघ्रनिर्णय ले। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि भारत सरकार द्वारा गठित समिति ने 'ए' और 'बी' श्रेणी के अनेक पदों पर विकलांगों द्वारा कार्य करना संभव बनाता है। समिति ने नेत्रहीनों के लिए भी अनेक पद उपयुक्त बताए हैं। इसलिए इन पदों पर भर्ती के दौरान केंद्रीय लोकसेवा आयोग या अन्य किसी विभाग द्वारा नेत्रहीनों या अन्य विकलांगों को रोकना न्यायसंगत नहीं है। अतः जब तक आरक्षण का मामला तय नहीं हो जाता तब तक कम से कम उन्हें अपनी निजी योग्यता के आधार पर सामान्य उम्मीदवारों से मुकाबला करने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए।

अदालत ने इस मुकदमे की पैरवी कर रहे वकील एस० के० रूंगटा की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि विद्वान् वकील श्री रूंगटा ने नेत्रहीनता के बावजूद पूरी सफाई से जिरह की। वे अपनी याचिका के सभी पहलुओं से पूरी तरह से वाकिफ थे और मोटी-मोटी किताबों से संबंधित पन्नों को आसानी से निकालकर दिखा देते थे। पूरे मुकदमे में कभी ऐसा नहीं लगा कि जिरह कर रहा वकील नेत्रहीन है। श्री रूंगटा की क्षमता को देखकर यह साबित हो गया कि विकलांग व्यक्ति भी

अपने काम को समान कुशलता से कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी के बाद विकलांगों को 'ए' और 'बी' श्रेणी की नौकरी में आरक्षण देने के खिलाफ कोई तर्क नहीं बचता है।

अब तक जितने प्रावधान विकलांगों के लिए किए गए, यदि वे पूरी तरह अमल हो जाते तो भी विकलांगों को काफी राहत मिल जाती। दरअसल थोड़ा बहुत लाभ अस्थि विकलांगों को मिला। नेत्रहीनों को तो बहुत कम लाभ हुआ। गंभीर विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों को बिल्कुल लाभ नहीं हुआ।

जहाँ समाज के अन्य कमजोर वर्गों, जैसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण का काफी लाभ मिला, वहीं विकलांग लोग पीछे रह गए। कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति भी उसका कारण रही। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए विशेष अभियान समय-समय पर चलाए गए और वे हर बार काफी सफल रहे; पर जब इसी प्रकार का एक अभियान विकलांगों के लिए चलाया गया तो उसमें मुश्किल से एक हजार लोगों को रोजगार मिल पाया। इस असफलता का एक अन्य कारण यह था कि शासनादेश की अवहेलना करने वालों के लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं था।

विकलांग कानून, '95 के पारित होने के बाद स्थिति बेहतर हुई है। इस कानून के रोजगार संबंधी अध्याय में प्रावधान इस प्रकार है।

विकलांग कानून, '95 में विकलांगों के रोजगार के लिए प्रावधान : इस कानून के छठे अध्याय के अंतर्गत सरकार अपने सभी प्रतिष्ठानों और विभागों में उन पदों की पहचान करेगी, जिन्हें विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है। वह इन आरक्षित किए जा सकने वाले पदों की सूची की हर तीन वर्ष (उससे पहले भी की जा सकती है) में समीक्षा करेगी और बढ़ते तकनीकी विकास के मद्देनजर उस सूची में आवश्यक वृद्धि करेगी।

केंद्र व राज्य सरकारें अपने सभी विभागों में कम से कम तीन प्रतिशत (आवश्यकतानुसार प्रतिशत बढ़ाया भी जा सकता है) पद, जो उपरोक्त सूची में हैं, विकलांगों के लिए सुरक्षित करेंगी और इन पदों पर विकलांगों की भर्ती करेंगी। इसमें से नेत्रहीन व अल्पदृष्टिमान व्यक्तियों के लिए एक प्रतिशत, श्रवण-बाधित व्यक्तियों के लिए एक प्रतिशत और अस्थि विकलांगों जिनमें सेरेब्रल पाल्सी भी शामिल हैं, के लिए एक प्रतिशत पद आरक्षित करेगी।

अगर किसी विभाग में इस प्रकार का काम है जहाँ विकलांगों के लिए काम

करना कतई संभव नहीं है तो सरकार उस विभाग को इस धारा के प्रावधान को लागू करने से मुक्त कर देगी।

सरकार अधिसूचना जारी करके सभी प्रतिष्ठानों और विभागों के निदेशनाओं के लिए यह आवश्यक कर देगी कि वे अपने यहाँ विकलांगों के लिए चिह्नित पदों पर होने वाली भर्ती और खाली पदों के बारे में पूरी सूचना विशेष रोजगार केंद्र को दे। इस सूचना को एक निर्धारित प्रपत्र में दिया जाएगा ताकि विशेष रोजगार केंद्र को खाली पदों की संख्या और प्रकार आदि की पूरी जानकारी उपलब्ध हो सके। यह निर्धारित प्रपत्र इन विभागों द्वारा निर्धारित अवधि के बाद भरा जाएगा।

विशेष रोजगार केंद्र द्वारा अधिकृत अधिकारी किसी भी प्रतिष्ठान में जाकर वहाँ के नियुक्ति संबंधी दस्तावेजों की जाँच भी कर सकता है और आवश्यक कागजातों की प्रतियाँ भी ले सकता है। वह सूचना-प्राप्ति हेतु सवाल-जवाब भी कर सकता है।

यदि किसी वर्ष विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद पर भर्ती करने के लिए उपयुक्त विकलांग व्यक्ति नहीं मिलता है तो वह पद अगले वर्ष के लिए खाली रखा जाएगा। यदि अगले वर्ष भी उस प्रकार की विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति नहीं मिलता है तो अन्य प्रकार की विकलांगता से पीड़ित उम्मीदवार ढूँढ़ा जाएगा और भर्ती की जाएगी। यदि दूसरे प्रकार के विकलांग उम्मीदवार भी न मिले तो फिर वह पद सामान्य उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगा। यहाँ पर यह भी प्रावधान है कि अगर किसी विभाग में काम का तरीका इस प्रकार है कि किसी एक प्रकार की विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति काम नहीं कर सकता है तो आरक्षित पद पूर्व अनुमति लेकर दूसरे प्रकार की विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा भरे जा सकते हैं।

हर प्रतिष्ठान या विभाग के नियुक्त, अपने विभाग में नियुक्त विकलांग कर्मचारियों का पूरा ब्योरे निर्धारित प्रपत्र में रखेगे। इस ब्योरे की जाँच समय-समय पर सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी।

सरकार और स्थानीय प्रशासन समय-समय पर अधिसूचना जारी करके विकलांगों के रोजगार की संभावनाएँ बढ़ाने के लिए निम्न प्रकार के उपाय करेंगे:

- (1) विकलांगों के प्रशिक्षण व कल्याण कार्यक्रम।
- (2) विकलांग प्रत्याशियों की ऊपरी आयुसीमा में छूट।
- (3) विकलांगों के रोजगार की देखरेख

(4) जहाँ विकलांग कर्मचारी काम करने हों वहाँ स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपाय करना और ऐसा वातावरण बनाना ताकि दुर्घटना की संभावना कम से कम हो।

(5) ऐसे उपयुक्त व्यक्ति तलाश करना और ऐसा तरीका विकसित करना जिससे इन योजनाओं की लागत कम से कम हो।

(6) उपरोक्त योजनाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त करना।

सभी सरकारी शिक्षण-संस्थान और दूसरे शिक्षण-संस्थान, जो सरकार से सहायता प्राप्त करते हैं, विकलांगों के लिए कम से कम तीन प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखेंगे। सरकार व स्थानीय प्रशासन गरीबी निवारण कार्यक्रमों में तीन प्रतिशत कार्यक्रम/धनराशि/हिस्सा विकलांगों के लिए सुरक्षित रखेंगे। इन कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों में तीन प्रतिशत विकलांग होने चाहिए।

सरकार और स्थानीय प्रशासन अपनी आर्थिक सीमा के अंदर और विकास को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि वे अपने यहाँ कुल कर्मचारियों में कम से कम 5 प्रतिशत विकलांग कर्मचारी रखें, तभी उन्हें आवश्यक कर-रियायत आदि दी जाएगी।

विकलांगों के लिए रोजगार हेतु किए गए अन्य उपाय

विकलांगों के लिए रोजगार हेतु और उपाय भी किए गए हैं, जिनमें निम्न प्रमुख हैं :

विकलांगों के लिए विशेष रोजगार केंद्र : विकलांगों को रोजगार केंद्रों में सुविधाजनक तरीके से पंजीकृत कराने और उन्हें उनकी योग्यता और आवश्यकता के अनुरूप रोजगार प्रदान करने के लिए श्रम मंत्रालय ने राज्य सरकारों को विशेष रोजगार केंद्र खोलने के लिए सहायता दी। 1959 से ऐसे केंद्र खुलने प्रारंभ हो गए और लगभग सभी बड़े शहरों में ऐसे केंद्र खुल गए। इनके अतिरिक्त दूसरी जगहों पर सामान्य रोजगार केंद्रों में भी विकलांगों के लिए विशेष प्लेन खोले गए। 1991 तक लगभग तीन लाख बेरोजगार विकलांग इन केंद्रों पर पंजीकृत हो चुके थे। प्रतिवर्ष रोजगार पाने वालों की संख्या 4-5 हजार से ज्यादा नहीं थी।

बड़ी विचित्र बात है कि जब 1981 में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष मनाया गया तो 12 500 विकलांगों को रोजगार दिया गया। 1985 में रोजगार पाने वाले विकलांगों

की संख्या घटकर 5,800 रह गई। यह संख्या निरंतर घटती जा रही है। यह गहरी चिन्ता का विषय है कि रोजगार केंद्र पर पंजीकरण करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और रोजगार पाने वालों की संख्या घटती जा रही है।

विकलांगों को प्रेरित करने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार : भारत सरकार 1969 से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के क्षेत्र में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कर रही है। इन पुरस्कारों के उत्साहवर्धक परिणाम निकले हैं। इससे जहाँ विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए सरकारी और गैरसरकारी नियोक्ताओं को प्रोत्साहन मिला है वहीं दूसरी ओर विकलांग कर्मचारियों और विकलांगों के लिए नवीनतम तकनीक विकसित करने वालों का भी हौसला बढ़ा है। पहले बहुत थोड़े पुरस्कार दिए जाते थे, पर अब विकलांग व्यक्तियों के नियोक्ताओं और स्वयं रोजगार में लगे विकलांग व्यक्तियों, विकलांग कर्मचारियों, विकलांगों के आर्थिक पुनर्वास हेतु किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों को प्रेरित करने के लिए इस योजना के क्षेत्र का पिछले कई सालों में काफी विस्तार किया गया है।

विकलांगों के नियोक्ताओं को पुरस्कार : इसके तीन अलग-अलग क्षेत्रों में पाँच प्रकार के विकलांगों को रोजगार देने वाले उत्कृष्ट नियोक्ताओं को अलग-अलग पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं :

(1) सरकारी क्षेत्र : इसमें केंद्रीय मंत्रालय, विभाग तथा अधीनस्थ कार्यालय, राज्य सरकारें तथा स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र : इसमें केंद्रीय व राज्य सरकारों की कंपनियाँ और निगम शामिल हैं।

(3) निजी क्षेत्र : इसमें निजी उद्योग व स्वरोजगारप्राप्त विकलांग व्यक्ति शामिल हैं।

उपर्युक्त प्रत्येक क्षेत्र में नेत्रहीन, मूक व श्रवणहीन, अस्थि विकलांग, मानसिक रूप से मंद तथा कुष्ठ रोग से उपचारोपरांत स्वस्थ व्यक्तियों के नियोक्ताओं को एक-एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में एक शील्ड, एक प्रशस्ति-पत्र और एक प्रमाण-पत्र शामिल होता है।

विकलांग कर्मचारियों को पुरस्कार : उपर्युक्त तीनों क्षेत्रों में नेत्रहीन, मूक व श्रवणहीन, अस्थि विकलांग, मानसिक विकलांग और कुष्ठ रोग से उपचारोपरांत कर्मचारियों को पुरस्कार दिए जाते हैं। इस पुरस्कार में दस हजार रुपये नकद, एक प्रमाण पत्र एक प्रशस्ति पत्र और एक पदक दिया जाता है।

इसी प्रकार विकलांगों को रोजगार दिलाने वाले उत्कृष्ट 'नियोजन अधिकारियों' को भी पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें एक शील्ड, एक प्रमाण-पत्र और एक प्रशस्ति-पत्र शामिल है।

भारत में विकलांगों के कल्याण और पुनर्वास कार्यक्रमों में स्वयंसेवी संस्थाओं और स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं की प्रमुख भूमिका रही है। इस बात के मद्देनजर भारत सरकार भी उत्कृष्ट संस्थाओं और उत्कृष्ट स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं को हर साल राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करती है। इस पुरस्कार में एक लाख रुपया नकद, एक प्रशस्ति-पत्र और प्रमाण-पत्र होता है।

भारत सरकार अस्थि विकलांगों, नेत्रहीनों व श्रवणहीनों के कल्याण हेतु 'राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी पुरस्कार' प्रदान करती है। सरकार ने इसी प्रकार 'सृजन-क्षमता रखने वाले विकलांगों' को भी पुरस्कार देना प्रारंभ किया है। इस प्रकार के पुरस्कार में एक लाख रुपया, प्रशस्ति-पत्र और एक प्रमाण-पत्र होता है।

हालाँकि भारत सरकार का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले विकलांगों और उनके लिए कार्य कर रहे व्यक्तियों व संस्थाओं का उत्साहवर्धन है, पर अनेक बार यह देखा गया है कि अनेक ऐसे व्यक्ति भी पुरस्कार पा गए हैं, जिनकी कुशलता सदिग्ध है। अनेक बार पुरस्कार खाली चले जाते हैं और एक भी उम्मीदवार नहीं मिलता है।

ज्यों-ज्यों विकलांग व्यक्तियों को ज्यादा रोजगार मिलेगा त्यों-त्यों पुरस्कार पाने के इच्छुक व्यक्तियों में मुकाबला कड़ा होता चला जाएगा। इन पुरस्कारों को बाँटने की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनाई जानी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार

भारत सरकार ने ग्रामीण परियोजनाओं, जैसे इटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में कुछ प्रतिशत आरक्षण विकलांगों के लिए किया है। इस योजना के तहत सरकार 50 प्रतिशत सहायता (अधिकतम 5,000 रुपए) भी देती है। इसके लिए विकलांगों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है और अनेक स्वयंसेवी संस्थाएँ इस दिशा में कार्य कर रही हैं। सी० बी० आर० प्रोजेक्ट के तहत बहुत बड़ी संख्या में विकलांगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इन योजनाओं का प्रचार करना भी आवश्यक है। सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं को भी विकलांगों को प्रशिक्षित करने और रोजगार में लगाने के

लिए प्रेरित करती हैं तथा उन्हें 90 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता देती हैं। यद्यपि अनेक संस्थाएँ बहुत अच्छा कार्य भी कर रही हैं, पर इन पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी संस्थाओं को विकसित करने की आवश्यकता है।

सरकार ने टेलीफोन बूथों, पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों, कियोस्क आदि के आवंटन में विकलांगों को प्राथमिकता देने की नीति बनाई है पर चंद विकलांग व्यक्ति ही इनका लाभ उठा पा रहे हैं। बहुत जगह इनका दुरुपयोग हो रहा है।

निजी क्षेत्र में विकलांगों के लिए रोजगार

आर्थिक उदारीकरण के इस दौर में सरकारी नौकरियाँ बहुत कम निकल रही हैं। कई सरकारी विभाग ऐसे हैं, जहाँ एक दशक से अधिक समय पूर्व अंतिम नियुक्ति हुई थी। सरकारी अमले का आकार हर जगह घटाया जा रहा है। ऐसे में सरकारी नौकरियों के सहारे विकलांगों का कल्याण नहीं किया जा सकता।

भारत में निजी क्षेत्र ने समय-समय पर विकलांगों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के प्रति उदारता का प्रदर्शन तो किया है, पर इस क्षेत्र ने विकलांगों को रोजगार देने के मामले में खासी बेरुखी दिखाई है। संभवतः निजी क्षेत्र विकलांगों को दया का पात्र तो समझता है, पर उसके दिमाग में यह बात नहीं बैठती है कि ये लोग रोजगार में लगकर उन्हें मुनाफा भी कमाकर दे सकते हैं। इस वर्ग के लिए कार्य कर रही संस्थाओं और विकलांगों के लिए बनी राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच तालमेल बहुत कम रहा है और इन दोनों तथा बड़े उद्योगों के बीच तालमेल भी नहीं के बराबर है। यदाकदा स्वयंसेवी संस्थाओं ने जब उद्योग जगत् से सहायता ली और विकलांगों को रोजगार में लगाया तो आशाजनक परिणाम निकले।

आम तौर पर निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के मन में एक बात बैठी हुई है कि यदि विकलांग कर्मचारी काम पर लगाया गया तो उत्पादकता कम हो जाएगी और हो सकता है, हो रहा मुनाफा घाटे में तब्दील हो जाए। इस धारणा को गलत साबित करने के लिए निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के लिए करों में रियायत देने की आवश्यकता है। 1981-82 में आयकर कानून के तहत विकलांगों को रोजगार देने वाले नियोक्ताओं को सुविधा दी गई थी कि विकलांग कर्मचारियों को दिए जाने वाले कुल वेतन का 133 प्रतिशत उनकी कर-योग्य आय में से निकाल दिया जाएगा।

दु 984 में यह रियायत मात्र इस के कारण कि इसका दुरुपयोग

हो सकता है, वापस ले ली गई। इस रियायत को पुनः लाना अत्यावश्यक है। इससे निजी क्षेत्र में विकलांगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा।

निजी क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है कि यदि वे एक सीमा से अधिक विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दें तो उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद पर एक्साइज ड्यूटी व सेल्स टैक्स बिलकुल माफ कर दिया जाए। इससे उनके उत्पाद अन्य निर्माताओं की अपेक्षा सस्ते हो जाएँगे और विकलांगों को रोजगार देने का चलन बढ़ेगा।

इसके अतिरिक्त यदि कोई नियोक्ता अपने परिसर में विकलांगों को आसानी से काम करने के लिए नया ढाँचा बनाता है या कोई नई मशीन लगाता है तो सरकार को इस कार्य में सहायता देनी चाहिए तथा सस्ते ब्याज और आसान शर्तों पर कर्ज भी उपलब्ध कराना चाहिए। इससे विकलांगों को न सिर्फ बेहतर रोजगार मिलेगा वरन् उनके कार्य करने का वातावरण बेहतर होगा और वे दुर्घटनारहित वातावरण में काम कर पाएँगे।

उपर्युक्त प्रावधान उन लोगों के लिए उपयोगी हैं जो थोड़ा-बहुत काम कर सकते हैं। ऐसे लोग सरकारी और निजी क्षेत्र में लग सकते हैं। पर समाज में ऐसे भी लोग हैं, जो गंभीर विकलांगता के शिकार हैं और उनके लिए कार्य करना कतई संभव नहीं है। आम तौर पर 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के शिकार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति इस श्रेणी में आते हैं। यदि इन लोगों को घर पर बैठकर खिलाया जाएगा तो खर्च तो आएगा ही, परिवार जन भी एक सीमा के बाद ऊब जाएँगे। विकलांग व्यक्ति खुद भी अपने आपको समाज पर बोझ समझने लगेगा और धीरे-धीरे चिड़चिड़ा हो जाएगा। पारिवारिक शांति भंग हो जाएगी और अन्य लोग भी अपना काम सुचारु रूप से नहीं कर पाएँगे।

ऐसे लोगों को काम में लगाने के लिए अनेक जगहों पर संरक्षित कार्यशालाएँ चलाई जा रही हैं। इन कार्यशालाओं में गंभीर विकलांगता के शिकार व्यक्तियों को आसान काम दिया जाता है। ये लोग यहाँ पर अपने हुनर के अनुसार काम करते हैं और तैयार माल बेचा जाता है। आम तौर पर तैयार माल बिकने में परेशानी होती है और जितनी लागत लगती है कई बार उसका थोड़ा हिस्सा ही वापस आ पाता है, पर इससे विकलांग व्यक्तियों में काफी आत्मविश्वास आ जाता है। इनमें से अनेक का लगातार हुनर बढ़ता चला जाता है और वे ज्यादा लाभदायक काम करने लगते हैं जिनका हुनर नहीं बढ़ पाता है वे ठसी प्रकार के काम

करते चले जाते हैं।

यदि ऐसी संरक्षित कार्यशालाओं में बना माल प्राथमिकता के आधार पर खरीदा जाए तो ये कार्यशालाएँ बेहतर ढंग से चल सकती हैं। इनमें जितने मूल्य का सामान तैयार हो उसको उर्सा अनुपात में सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाना चाहिए। कार्यशालाओं की अन्य जरूरतें भी सरकार द्वारा पूरी की जानी चाहिए।

ऐसी ही एक कार्यशाला, दिल्ली के ओखला नामक इलाके में 'चेसायर होम' नामक बहुराष्ट्रीय संस्था द्वारा चलाई जा रही है। यहाँ पर 100 गंभीर विकलांगता के शिकार पुरुष और स्त्रियाँ पूर्ण सज्जित आवास में रहते हैं। उनके खाने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। इन्हें लिफाफा बनाने, कपड़े के सदा कुर्ती-पाजामा सिलाने और अन्य छोटे-बड़े काम दिए जाते हैं। ये लोग इन कामों को बड़ी खुशी से करते हैं। अब धीरे-धीरे इनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। गंभीर विकलांगता के शिकार ये व्यक्ति कई बार असाधारण योग्यता विकसित कर लेते हैं। कुछ बहुत बढ़िया चित्रकारी कर लेते हैं। उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स 'चेसायर होम' में भी लगी हैं। उनको देखकर मुग्ध हो गए लोग अच्छी कीमत देकर उन्हें खरीदकर भी ले गए। अनेक ने संगीत में महारत हासिल कर ली है। एक लड़के ने, जो थोड़ा पढ़ा-लिखा है, पुस्तकालय की जिम्मेदारी संभाल ली है अब यहाँ के पुस्तकालय का धीरे-धीरे विकास होता जा रहा है।

जो लोग पहले ददं से कराड़ते रहते थे या ईश्वर को कोसते रहते थे, वे इस सुंदर होम में न सिर्फ काम कर रहे हैं वरन् समय-समय पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेते रहते हैं। इस प्रकार के काफी होम देश के अनेक हिस्सों में चल रहे हैं। इन्हें देखकर अन्य संस्थाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए।



विदेशों में किए गए प्रयास

बीसवी सदी में विकलांगों को रोजगार-अवसर दिलाने हेतु अलग-अलग देशों में अलग-अलग प्रकार के प्रयास किए गए। दिलचस्प बात यह रही कि विकसित देशों में, जहाँ विकलांगता की समस्या उतनी गंभीर नहीं है, अधिक प्रयास हुए और विकलांगों की स्थिति में पर्याप्त सुधार आया। दूसरी ओर विकासशील देशों में विकलांगों की स्थिति खासी गंभीर रही और संसाधनों की कमी तथा अन्य कारणों से अपेक्षित प्रयास नहीं हो पाए। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न देशों में आज विकलांगों के लिए रोजगार के अवसर कहीं बहुत कम हैं तो कहीं आवश्यकतानुसार हैं।

अमेरिका : अमेरिका में विकलांगों के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया बीसवीं सदी के प्रारम्भ से ही शुरू हो गई थी। एक के बाद एक कानून बने और हर बार कानून बनाते समय पिछले कानून के अनुभव के आधार पर सुधार किए गए।

इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी विकलांग कानून, 1990 लागू है, जिसके अनुसार 25 से अधिक कर्मचारियों के नियोक्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह विकलांगों के लिए अपनी कार्यप्रणाली में इस प्रकार का परिवर्तन करे ताकि विकलांग व्यक्तियों को नौकरी करने में परेशानी न हो।

इस कानून के अनुसार विकलांग आवेदक को नौकरी के लिए आवश्यक शैक्षिक और अनुभव संबंधी योग्यता अवश्य हासिल करनी होगी। उनके कार्य के मूल्यांकन में विकलांगता के कारण किसी किस्म का भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही विकलांग व्यक्ति की उन्नति में विकलांगता के कारण कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी।

कुल मिलाकर अमेरिका में विकलांगों के लिए रोजगार के अवसर काफी हैं। यहाँ सरकारी व गैरसरकारी दोनों स्तर पर काफी प्रयास किए गए हैं। अमेरिका के विकलांग व्यक्ति और उनके लिए कार्य कर रहे संगठन काफी जागरूक हैं और इससे अमेरिकी कानून तथा अन्य प्रावधानों को लागू करने में काफी आसानी

हुई है।

जापान : जापान में भी स्पष्ट कानून बनाया गया है, जिसके अनुसार सभी सरकारी और गैरसरकारी संगठनों में निश्चित प्रतिशत पद विकलांगों के लिए आरक्षित किए जाते हैं। इस कानून का पूरी सख्ती से पालन किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जो संगठन निश्चित प्रतिशत से अधिक विकलांग कर्मचारी रखते हैं उन्हें अनुदान दिया जाता है और जो संगठन कम कर्मचारी रख पाते हैं उन्हें 'जुर्माना' जमा करना होता है।

जापान में विकलांगों को रोजगार देने के लिए छोटे (एंसीलरी) उद्योग बड़े पैमाने पर खोले गए हैं। बड़ी कंपनियाँ इन उद्योगों से माल खरीदती हैं और इन एंसीलरी उद्योगों के ज्यादातर कर्मचारी विकलांग होते हैं।

ब्रिटेन : ब्रिटेन में भी विकलांगों को रोजगार प्रदान करने के काम में काफी जागरूकता आ चुकी है। यहाँ पर किए जाने वाले अनेक प्रयासों में एक प्रयास यह भी है कि जब विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने हेतु किसी नियोक्ता को अतिरिक्त उपकरण खरीदने पड़ते हैं या कार्यप्रणाली में परिवर्तन करना पड़ता है तो इसमें होने वाले अतिरिक्त खर्च को सरकार वहन करती है।

चीन : साम्यवादी चीन ने विकलांगों को रोजगार प्रदान करने हेतु एक अन्वृत्ति योजना लंबे समय से चलाई है। चीन सरकार ने 1987 तक 1600 कल्याण फैक्ट्रियाँ स्थापित कर दी थीं, जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी विकलांग हैं। इन फैक्ट्रियों को सुचारु रूप से चलाने के लिए चीन सरकार ने निम्न प्रावधान किए :

(1) जिस फैक्ट्री में 35 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी विकलांग हों उसे व्यावसायिक आयकर से मुक्त कर दिया गया।

(2) जिस फैक्ट्री में 50 प्रतिशत से अधिक विकलांग कर्मचारी हों उसे हर प्रकार के कर से मुक्त कर दिया गया।

(3) यदि कोई विकलांग व्यक्ति कोई अपना व्यवसाय चलाता है तो उसे भी कर से मुक्ति मिलती है।

उपर्युक्त प्रशंसनीय प्रावधानों से विकलांगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिला। 70 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति, जो रोजगार कर सकते थे, काम में लग गए। अल्प विकलांगता के शिकार व्यक्ति व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सफलतापूर्वक नौकरी करने लगे। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कल्याण फैक्ट्रियों में हर प्रकार की विकलांगता के शिकार व्यक्ति काम करने लगे। कल्याण फैक्ट्रियों का प्रबंध

स्थानीय नागरिक जिला प्रशासनिक कार्यालय तथा सरकारी प्रतिष्ठानों के पदाधिकारी मिलकर करते हैं। चीन सरकार के उपायों से प्रेरित होकर अनेक विकलांगों ने सहकारी आधार पर उद्योग स्थापित कर लिए।

एक भारतीय दल 1987 में चीन के दौरे पर गया और उसने एक कल्याण फैक्टरी 'ट्राई ड्यू ड्रॉप फैक्टरी' देखी। इस फैक्टरी की स्थापना घरेलू उत्पादों के निर्माण के लिए की गई थी। बाद में यह कंपनी प्रसाधन सामग्री बनाने लगी और इसके लिए इसने बुसेल्स की यूरेका कंपनी के साथ तालमेल कर लिया और अपने यहाँ आधुनिक उपकरण लगाए।

इस कंपनी में उस समय 1500 कर्मचारी कार्य कर रहे थे, जिनमें 47 प्रतिशत विकलांग थे। इनमें से लगभग 100 नेत्रहीन, 50 अस्थि विकलांग तथा 500 मूक-बधिर थे। इस फैक्टरी में विकलांग कर्मचारियों को सामान्य कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जाता है, हालाँकि विकलांग कर्मचारी कम काम कर पाते थे और उन्हें उनकी विकलांगता के अनुरूप काम दिया जाता था। ऐसी व्यवस्था की गई थी ताकि आवश्यकतानुसार विकलांग कर्मचारी सामान्य कर्मचारी की मदद ले सकें। फैक्टरी की बस कर्मचारियों को लाती व ले जाती थी। सरकार द्वारा दी गई कर-रियायतों के कारण फैक्टरी मामूली लाभ भी कमा रही थी।

भारतीय दल ने यह भी पाया कि चीन सरकार ने अपनी पंचवर्षीय योजना (1988-92) में तय किया था कि विकलांगों के लिए निश्चित किए गए प्रावधानों को पूरी कड़ाई से लागू किया जाए। कल्याण फैक्टरियों को हर प्रकार की कर रियायत, व्यापार कर व कृषि कर में विकलांगों को छूट आदि के नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन किया जाए।

चीन सरकार के प्रयास तीसरी दुनिया के देशों के लिए अनुकरणीय हैं एशियाई और अफ्रीकी देशों में विकलांगों के रोजगार की दशा बहुत खराब है सार्क देशों में भी विकलांगों की दशा बहुत खराब है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने सदस्य देशों के लिए विकलांग कल्याण हेतु नियम संहिता तैयार की है। इन नियमों में रोजगार संबंधी नियम इस प्रकार हैं :

संयुक्त राष्ट्र संघ अपेक्षा करता है कि विकलांग व्यक्तियों को अपने मानव-अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त किया जाना चाहिए ताकि वे ग्रामीण व शहरी दोनों ही इलाकों में उपयोगी व लाभप्रद रोजगार में लग सकें। इसके लिए रोजगार के क्षेत्र में नियम कानून इस प्रकार हाने चाहिए जिनसे

विकलांगों को रोजगार मिलने में किसी प्रकार की बाधा न हो सके। जहाँ तक हो सके, विकलांग व्यक्तियों को सामान्य लोगों के साथ ही रोजगार दिया जाना चाहिए। इसके लिए उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरक्षण, अपना व्यवसाय लगाने के लिए, कर्ज व अनुदान, ठेके पर काम, प्राथमिकता पर उत्पादन करने के अवसर, करों में रियायत, अन्य प्रकार की तकनीकी व आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। जहाँ उद्यम विकलांगों को रोजगार दे रहे हैं उन्हें भी तकनीकी व आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए ताकि वे प्रोत्साहित होकर विकलांगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे सकें।

कार्यक्षेत्र इस प्रकार तैयार किए जाने चाहिए ताकि विकलांग व्यक्ति वहाँ तक आसानी से पहुँच सके। नई-नई तकनीकों का इस्तेमाल, सहायक उपकरणों का विकास व उत्पादन व इनको विकलांग व्यक्तियों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया इस प्रकार होनी चाहिए ताकि विकलांग व्यक्ति इनको इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा रोजगार पा सकें और रोजगार के दौरान ज्यादा से ज्यादा उपयोगी काम कर सकें। इसके लिए उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण, स्थानांतरण व सहायक सेवाएँ भी आवश्यकतानुसार प्रदान की जानी चाहिए।

विकलांगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु समाज में इस प्रकार जाग्रति पैदा करनी चाहिए ताकि समाज में उनके प्रति नकारात्मक धारणा समाप्त हो सके और सरकारों को स्वयं भी अपने द्वारा चलाए गए सार्वजनिक उद्यमों में रोजगार देकर और अन्य सुविधाएँ देकर एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए।

सरकार, कर्मचारियों के संगठन और नियोक्ताओं को मिलकर विकलांगों को रोजगार देने की प्रक्रिया, काम करने का वातावरण, वेतन, काम करते समय दुर्घटना रोकने के उपाय आदि करने चाहिए और यदि कोई कर्मचारी काम करते समय घायल हो जाए तो उसके पुनर्वास का भी इंतजाम करना चाहिए।

निजी क्षेत्र में विकलांगों को रोजगार प्रदान करने के उपाय किए जाने चाहिए। साथ में विकलांगों की जरूरतों के मुताबिक काम के कम घंटे, अंशकालिक रोजगार, मिल-बाँटकर काम करने की सुविधा, स्वरोजगार, आवश्यकतानुसार सहायक रखने का प्रावधान आदि का भी मुकम्मल इंतजाम किया जाना चाहिए।

यदि हर देश अपने यहाँ विकलांगों के रोजगार हेतु इस नियम के आधार पर योजनाबद्ध प्रयास करे तो विकलांगों की स्थिति काफी हद तक सुधर सकती है। इस कार्य हेतु सदस्य देशों में आपसी - ५ - है

विकलांगों के लिए रोजगारपरक प्रशिक्षण

विकलांगों के लिए रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करने में निम्न राष्ट्रीय संस्थानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है :

1. राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान (National Institute for Visually Handicapped) : यह संस्थान 50 वर्षों से भी अधिक समय से विभिन्न रूपों में नेत्रहीनों की सेवा कर रहा है। जहाँ आज यह नेत्रहीनों की शिक्षा व पुनर्वास संबंधी हर विषय पर अपने यहाँ शोध कराने, शोध कराने वाली संस्थानों को आर्थिक व अन्य प्रकार की सहायता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, वही नवीनतम सहायक उपकरण विकसित करने, चिकित्सकीय व शल्य चिकित्सकीय विधियों विकसित करने, उपकरण बनाने आदि में भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त यह नेत्रहीनों के पुनर्वास प्रशिक्षण और समय-समय पर उनका मूल्यांकन करने का भी कार्य कर रहा है। यह नेत्रहीनों के लिए उपयुक्त शिक्षक, नियुक्ति अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों और व्यावसायिक प्रशिक्षकों को स्वयं भी प्रशिक्षित करता है तथा इस प्रकार का कार्य कर रही संस्थाओं में भी समन्वय स्थापित करता है।

इस संस्थान में नेत्रहीनों के लिए एक मॉडल स्कूल है। इसमें हर साल जुलाई माह में 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। इसमें नेत्रहीन लड़के व लड़कियाँ प्री-नर्सरी से लेकर बारहवीं तक पढ़ते हैं। इसमें बहुविकलांगता से पीड़ित बच्चों तथा अल्पदृष्टि बच्चों के लिए भी इंतजाम है, साथ ही सभी के लिए भोजन और आवास भी निःशुल्क है।

इसके अलावा यहाँ पर प्रौढ़ नेत्रहीन पुरुष व महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र भी है। इसमें हर साल 18 से 40 वर्ष तक की आयु के पुरुष व महिला नेत्रहीनों को प्रवेश दिया जाता है। इसमें छोटे-मोटे इंजीनियरिंग कार्यों, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर चलाना, टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में कार्य करना आदि सिखाया जाता है। इसके अलावा कुर्सी बुनाई ऊन बुनाई अन्य प्रकार की

बुनाइयाँ, टाइपिंग, ब्रेल शॉर्टहैंड आदि भी सिखाया जाता है।

अचानक नेत्रहीन हो गए व्यक्ति को चलना सिखाना, अपने आसपास की स्थिति का आकलन करना, ब्रेल व घर का कामकाज सिखाने जैसे कार्य भी किए जाते हैं। इन पाठ्यक्रमों की अवधि एक वर्ष से लेकर डेढ़ वर्ष है। इसमें एक समय में 80 पुरुषों और 20 महिलाओं को प्रवेश दिया जाता है, साथ ही सभी के लिए भोजन और आवास भी मुफ्त उपलब्ध है।

उपर्युक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेने वालों को सरकारी/सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलते हैं। उनका नाम दृष्टिहीनो के लिए विशेष सेवायोजन कार्यालय (Special Employment Exchange) में दर्ज हो जाता है।

इसके अतिरिक्त इस संस्थान में दृष्टिबाधितों तथा उनके माता-पिता को समय-समय पर परामर्श भी दिया जाता है। नवदृष्टिहीनों के लिए सेमिनार आदि भी आयोजित किए जाते हैं। यहाँ नेत्रहीनो के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय भी है, जो नेत्रहीनों और उनके लिए कार्य कर रही संस्थाओं को ब्रेल में मुद्रित पाठ्य-सामग्री पूरे देश में उपलब्ध कराता है। इसमें 55,000 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। साथ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ब्रेल पत्र-पत्रिकाएँ भी उपलब्ध हैं। इस पुस्तकालय के सदस्य इसका पूरा लाभ उठाते हैं।

ब्रेल पुस्तकालय के अलावा बोलता पुस्तकालय भी उपलब्ध है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत व अन्य भारतीय भाषाओं में पुस्तकों के ऑडियो कैसेट उपलब्ध हैं। यहाँ 2000 से अधिक शोर्षको पर पुस्तकें ऑडियो कैसेट के रूप में उपलब्ध हैं। पूरे देश में तमाम पाठक क्लब सहित हजारों नेत्रहीन इसका लाभ उठा रहे हैं। यहाँ नेत्रहीन छात्रों के लिए पाठ्यपुस्तकें व पत्रिकाएँ भी तैयार होती हैं, जिनसे नेत्रहीन व्यक्ति नवीनतम जानकारी हासिल करते हैं। यहाँ से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र 'ब्रेल टाइम्स', मासिक पत्र 'नयन रश्मि', द्विमासिक पत्रिका 'ब्रेल डाइजेस्ट' अत्यंत लोकप्रिय हैं।

इस संस्थान में नेत्रहीनों के लिए सहायक सामग्री बड़े पैमाने पर तैयार की जाती है। इनमें ब्रेल स्लेट, गणित स्लेट, ज्यामितीय किट, पॉकेट क्रेम, ब्रेल स्केल, ब्रेल डायग्राम बोर्ड, ब्रेल आशुलिपि मशीन आदि प्रमुख हैं।

नेत्रहीनों के मनोरंजन हेतु ड्राफ्ट बोर्ड, ताश, पेग बोर्ड, शतरंज बोर्ड, पजल गम आदि भी कराए जाते हैं। एक ओर चलने में लची व मुडने

वाली छड़ी उपलब्ध कराई जाती है तो दूसरी ओर सिलाई में काम आने वाले मापन टेप, सुई-धागा आदि भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

यह संस्थान सिर्फ देहरादून में ही अपनी सेवा उपलब्ध नहीं कराता, वरन् इसके क्षेत्रीय चैंप्टर कलकत्ता और सिक्ंदराबाद में भी हैं। चेन्नई में एक क्षेत्रीय केन्द्र भी है। इसके अलावा यह स्थानीय संस्थाओं के साथ मिलकर सयुक्त शिविर भी आयोजित करता है तथा समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम (CBR) में भी अहम भूमिका निभाता है।

इस संस्थान में नेत्रहीनों के विकास के लिए आवश्यक मानव संसाधन भी तैयार किए जाते हैं। नेत्रहीनों को माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए अध्यापक तैयार करने हेतु डिप्लोमा पाठ्यक्रम, देहरादून के अलावा, दिल्ली, अहमदाबाद और नरेंद्रपुर (पश्चिम बंगाल) में भी उपलब्ध हैं। हर जगह लगभग 25-25 विशेष अध्यापक तैयार हो रहे हैं। यदि प्रशिक्षण लेने वाला इच्छुक व्यक्ति स्नातक है और किसी नेत्रहीन विद्यालय में पढ़ा रहा है तो वह हर साल जुलाई में प्रारंभ होने वाले इस पाठ्यक्रम में आवेदन कर सकता है। यह पाठ्यक्रम दस माह का है। इसी प्रकार नेत्रहीनों को प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने हेतु डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी हैदराबाद, पटना, त्रिवेंद्रम, श्रीगंगानगर (राजस्थान), भुवनेश्वर, पूनामल्ली (तमिलनाडु), अमरावती, अहमदाबाद, पुणे में आयोजित किए जाते हैं। हर स्थान पर 25-25 विशेष अध्यापक तैयार किए जाते हैं। जो व्यक्ति 10+2 पास हैं और किसी नेत्रहीन विद्यालय में पढ़ा रहे हैं वे प्रतिवर्ष जुलाई में प्रारंभ होने वाले इस दस माह के पाठ्यक्रम के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं। नव नेत्रहीनों को चलना व अन्य कार्य करना सिखाने हेतु प्रशिक्षक तैयार करने का 6 महीने का पाठ्यक्रम है, जिसमें 12 सीटें हैं और यह हर साल जनवरी और जुलाई से प्रारंभ होता है। इसमें दसवीं पास तथा इस क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों को प्रवेश मिलता है। इन सबके अतिरिक्त अनेक अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी समय-समय पर होते हैं।

विकलांगों के लिए ये आदर्श पाठ्यक्रम हैं। इनमें प्रशिक्षण लेकर न सिर्फ उन्हें रोजगार मिलता है वरन् नेत्रहीनों की सेवा का अवसर भी मिलता है। इस संस्थान की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी संस्थान द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका 'इनसाइट' से प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस पते पर भी लिखा जा सकता है

निदेशक
राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान
116, राजपुर रोड
देहरादून, उत्तर प्रदेश

2. श्रवणहीनों के लिए राष्ट्रीय संस्थान : नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि हियरिंग हैंडीकैप्ड, जिम्मे 'अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि हियरिंग हैंडीकैप्ड' (Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped) के नाम से भी जाना जाता है, की विधिवत् स्थापना 1983 में हुई थी। यह संस्थान श्रवणहीनों के लिए शिक्षा व रोजगार से संबंधित विषयों पर शोध अपने यहाँ भी करा रहा है और अन्य संस्थाओं में भी आयोजित करवा रहा है। यहाँ पर बधिरों के लिए जैव चिकित्सकीय इंजीनियरिंग द्वारा तैयार किए जाने वाले चिकित्सकीय और शल्य चिकित्सकीय उपकरणों के मूल्यांकन, शोध करने जैसे कार्य तथा शोध करने वाली संस्था को आर्थिक व अन्य प्रकार की सहायता करने जैसे कार्य भी किए जाते हैं।

इस संस्थान के चार क्षेत्रीय केंद्र कलकत्ता, हैदराबाद, नई दिल्ली और भुवनेश्वर में भी बखूबी कार्य कर रहे हैं। संस्थान में बधिरों के प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ तैयार किए जाते हैं। इस कार्य के लिए यहाँ पर बधिरों के लिए शिक्षा हेतु स्नातक पाठ्यक्रम उपलब्ध है, जिसे पूरा करने के बाद शिक्षक बधिरों को कुशलतापूर्वक पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ऑडियोलॉजी और स्पीच पैथॉलॉजी में भी स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम उपलब्ध है।

प्राथमिक शिक्षकों (बधिरों के लिए) के प्रशिक्षण के लिए सर्टिफिकेट स्तर का पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है। बातचीत में होने वाली मुश्किलों के हल के लिए भी प्रशिक्षक तैयार करने हेतु सर्टिफिकेट स्तर का पाठ्यक्रम चलाया जाता है।

श्रवण यंत्र बनाने और मरम्मत करने हेतु समय-समय पर अल्पकालिक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। जो लोग बधिरों को शिक्षा देने का काम पहले से कर रहे हैं उनके ज्ञान को नवीनीकृत करने हेतु पाठ्यक्रम भी समय-समय पर चलाए जाते हैं।

यहाँ पर कान की बीमारियों
व अन्य सुविधाएँ आसानी से

ओं से संबंधित हर किस्म की जानकारी
हैं श्रवण व वाक् से

संबंधित तमाम पुस्तकें यहाँ के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। देश-विदेश के तमाम जर्नल व पत्रिकाएँ यहाँ आते हैं। संस्थान ने श्रवण विकलांगता के संबंध में जरूरी जानकारी देने के लिए स्वयं भी अनेक लघु पुस्तिकाएँ प्रकाशित की हैं। संस्थान द्वारा तैयार की गई अनेक लघु फिल्में मुंबई दूरदर्शन तथा अन्य केंद्रों पर प्रसारित की जा चुकी हैं। संस्थान द्वारा प्रायोजित और प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक गुलजार द्वारा तैयार की गई फिल्म 'सुनिए' खासी लोकप्रिय हुई है। संस्थान 'निनाद' नामक पत्रिका भी प्रकाशित करता है।

इस संस्थान की पूरी जानकारी निम्न पते पर पत्र लिखकर प्राप्त की जा सकती है :

निदेशक

नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि हियरिंग हैंडीकैप्ड

बांद्रा (पश्चिम)

मुंबई, महाराष्ट्र

3. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड (National Institute for Orthopaedic Handicapped) : अस्थि विकलांगों के लिए इस राष्ट्रीय संस्थान का गठन अस्थि विकलांग बच्चों और ऐसे वयस्कों, जो ऐसी विकलांगता से पीड़ित हों जो उनके चलने-फिरने, मांसपेशियों के घूमने आदि में बाधा बनती हो, के लिए 1978 में किया गया था। 1982 में इसे स्वशासित संस्थान का दर्जा दे दिया गया। यह पूरे देश के अस्थि विकलांगों के लिए कार्य कर रही संस्थाओं के लिए अपेक्स स्तर का संस्थान है और अस्थि विकलांगों के स्वास्थ्य संबंधी, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, व्यावसायिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास आदि के लिए व्यापक रूप से कार्य करता है।

इस बहुदेशीय संस्थान के निम्न उद्देश्य हैं :

(1) अस्थि विकलांगों को विभिन्न प्रकार की सेवा देने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना।

(2) अस्थि विकलांगों के पुनर्वास के लिए शोध-कार्य संस्थान में करना और अन्य जगहों पर चल रहे कार्यों को आर्थिक व अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना।

(3) अस्थि विकलांगों के काम आने वाले सहायक उपकरणों का मानिकी-करण करना और उनके निर्माण और वितरण को बढ़ावा देना

(4) अस्थि विकलांगता की विकलांगता को दूर करने के लिए की जाने वाली शल्य चिकित्सा, सहायक उपकरण और व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु नई-नई विधियों और सेवाओं को विकसित करना।

(5) अस्थि विकलांगता के लिए सूचनाएँ और दस्तावेजों के लिए मुख्य केंद्र के रूप में काम करना।

(6) अस्थि विकलांगता के लिए कार्य कर रही राज्य सरकार की संस्थाओं और स्वयंसेवी संस्थाओं को सलाह (consultancy), प्रदान करना।

इस संस्थान में अनेक प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। यहाँ बाहर से आने वाले मरीजों का इलाज होता है। विकलांगों की शल्य चिकित्सा करके उनकी विकलांगता को दूर करने के लिए एक अलग इकाई है। इनके पुनर्वास के लिए एक अलग वार्ड है। कृत्रिम अंग व कैलिपर आदि बनाने के लिए एक केंद्र है। यहाँ फिजियोथेरापी भी की जाती है। ऑक्यूपेशनल थेरापी का भी प्रबंध है। अस्थि विकलांगता के सामाजिक व आर्थिक पुनर्वास के लिए एक इकाई कार्य कर रही है। विकलांगता को रोकने के लिए भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। विकलांगता का पता लगाने के लिए जाँच आदि का कार्य भी किया जाता है। यहाँ पर अस्थि विकलांगता संबंधी व्यक्ति आवश्यक सलाह भी ले सकते हैं। अस्थि विकलांगता से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएँ यहाँ एकत्रित की जाती हैं और ये सूचनाएँ संबंधित लोगों को जानकारी के लिए हमेशा उपलब्ध रहती हैं।

यहाँ पर अस्थि विकलांगता की समस्या से निपटने के लिए अनेक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। ये पाठ्यक्रम कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम तीन वर्ष के हैं और पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद 6 महीने की अनिवार्य इंटरशिप होती है।

ये पाठ्यक्रम हैं :

- (1) बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी
- (2) बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरापी
- (3) बैचलर ऑफ प्रॉस्थेटिक व ऑर्थोटिक

इन सबके अतिरिक्त विकलांगता के लिए कार्य कर रहे लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए अल्प समय के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। ये कार्यक्रम दो दिन से लेकर चार हफ्ते के होते हैं। संस्थान समय-समय पर सेमीनार, वर्कशॉप सिंपोजियम और ग्रुप डिस्कशन आदि है इनमें सरकारी और गैरसरकारी संगठनों में

इस दिशा में कार्य कर रहे लोग भग लेते हैं।

टीगर बात यह है कि यहाँ निम्न आय वर्गों के विकलांग लोगों के लिए सहायक उपकरण आदि मुफ्त दिए जाते हैं। इन लोगों का इलाज भी मुफ्त होता है।

यह संस्थान कलकत्ता के उत्तरी इलाके में ब्री० टी० रोड बॉन हुगली में स्थित है। इसके बारे में अन्य जानकारियों के लिए निम्नलिखित पते पर लिखा जा सकता है :

निदेशक

नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड
बी० टी० रोड, बॉन हुगली, कलकत्ता-700090

4. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि मेंटली हैंडीकैप्ड (National Institute for the Mentally Handicapped) • मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड का गठन 1984 में हुआ था। इस संस्थान के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(1) मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों की देखभाल के तौर-तरीके विकसित करना।

(2) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार से सेवा करने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना।

(3) मानसिक अविकास के कारणों का पता लगाना और इस दिशा में सुधार हेतु शोध करना व शोध करने वाली संस्थाओं को सहायता देना और साथ में उनके बीच में समन्वय स्थापित करना।

(4) मानसिक रूप से विकलांगों के लिए जो स्वचंसेवी संस्थाएँ कार्य कर रही हैं उनको समय-समय पर सलाह देना और सहायता प्रदान करना।

(5) मानसिक विकलांगता के बारे में सूचनाएँ इकट्ठी करना, दस्तावेज बनाना और उन्हें संबद्ध लोगों को उपलब्ध कराना।

(6) देश में मानसिक विकलांगता की मात्रा, कारण, ग्रापीण व शहरी इलाकों में उसका प्रभाव, इससे संबंधित सामाजिक व आर्थिक मुद्दों के बारे में आँकड़े इकट्ठे करना।

(7) पूरे देश में मानसिक रूप से विकलांगों की सेवा आदि में गुणवत्ता बढ़ाना और इस प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखना

इस संस्था के बारे में और अधिक जानकारी के लिए निम्न पते पर पत्राचार किया जा सकता है :

निदेशक

नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टि मेटली हैंडीकैप्ड

मनोविकास नगर

सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश

इस संस्थान ने नई दिल्ली के लाजपतनगर इलाके में मानसिक रूप से अंगों के लिए एक मॉडल स्कूल की भी व्यवस्था की है। इस मॉडल स्कूल की स्थापना 1964 में हुई थी। यहाँ पर मानसिक रूप से अविकसित बच्चों और किशोरों को दैनिक कार्य करना, बोलचाल सिखाना, पढ़ना-लिखना सिखाना, आम समाज में घुलना-मिलना जैसे कार्य सिखाए जाते हैं।

स्कूल में जहाँ छात्रावास है, वहीं दिल्ली के बच्चों को लाने, ले जाने के लिए वाहन की भी व्यवस्था है। स्कूल में 6 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। छात्रावास में प्रवेश के लिए अधिकतम आयुसीमा लड़कियों के लिए 12 वर्ष और लड़कों के लिए 14 वर्ष है। गंभीर विकलांगता से पीड़ित बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाता है।

यहाँ अनेक प्रकार के विशेषज्ञ, डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, बाल रोग विशेषज्ञ, वाणी विशेषज्ञ, विशेष शिक्षक, समाज-सेवक आदि की सेवाएँ उपलब्ध हैं। ये बच्चों की जाँच करते हैं और माता-पिता को उचित सलाह देते हैं। गृह प्रबंध कार्यक्रम के जरिए माता-पिता को इन बच्चों को घर पर ही भलीभाँति रखने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

मानसिक रूप से अंग बच्चों के अभिभावक हर साल जनवरी से मई तक आवेदन फॉर्म लेकर भर सकते हैं। प्रवेश के लिए साक्षात्कार जून में होता है।

यहाँ पर बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप ही पढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें तरह-तरह के मनोरंजक खेल खिलाए जाते हैं और साथ में सृजनात्मक कार्य, जैसे चित्र बनाना, टिप्पणी करना, संगीत, नृत्य और नाटक आदि भी सिखाए जाते हैं। इन्हें बाहर पिकनिक पर भी ले जाया जाता है। यहाँ के बच्चे दूसरी जगह पर प्रतियोगिताओं में भी भाग लेते हैं। कई बार सामान्य स्कूल के बच्चों के साथ इन बच्चों को घुलने मिलने का अवसर भी दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त मानसिक रूप से अविकसित वयस्क लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। उन्हें बढ़ई का काम, लिफाफा बनाना, बुनना, ग्रीटिंग कार्ड बनाना, कढ़ाई करना आदि भी सिखाया जाता है।

स्कूल के सामाजिक कार्यकर्ता अभिभावकों के निरंतर संपर्क में रहते हैं। शिक्षकों और अभिभावकों की समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं। यहाँ का प्रशिक्षित और कुशल स्टाफ न सिर्फ स्कूल गतिविधियों में भाग लेता है वरन् दूसरे संस्थानों के छात्रों को विशेष शिक्षा, समाज-सेवा, ऑक्यूपेशनल थेरापी, मनो-विज्ञान आदि के क्षेत्र में प्रशिक्षण देता है। नेशनल सर्विस स्कीम में भाग लेने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र भी इस स्कूल में कार्य करते हैं।

इस स्कूल का पता है :

मॉडल स्कूल फॉर मेंटली डेफिसियट चिल्ड्रेन

कस्तूरबा निकेतन

लाजपतनगर-II, नई दिल्ली-110024

5. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च (National Institute of Rehabilitation, Training & Research): इस संस्थान का प्रारंभ 1975 में एलिम्को की एक शाखा के रूप में हुआ था। यह भुवनेश्वर/कटक से लगभग 35 कि०मी० दूर औलटपुर में स्थित है। यह ग्रामीण इलाका है। इस संस्थान को 1984 में भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने अपने हाथ में ले लिया।

इस संस्थान के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(1) एलिम्को द्वारा बनाए गए उत्पादों को इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ाना।

(2) अस्थि विकलांगों के पुनर्वास के लिए कार्य कर रहे लोगों को प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को सहायता देना और उनके बीच समन्वय स्थापित करना।

(3) अस्थि विकलांगों के लिए बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, सर्जिकल और मेडीकल विधियों में शोध करना और शोध करने वाली संस्थाओं को आर्थिक व अन्य प्रकार की सहायता देना तथा उनके बीच समन्वय स्थापित करना।

(4) अस्थि विकलांगों के इस्तेमाल में आने वाले सहायक उपकरणों के प्रोटोटाइप को निर्माण बढ़ावा देने वितरण करने व रियायती दरों पर वितरण कराने में मदद करना

(5) विकलांगों की सेवा हेतु कार्यक्रमों के विभिन्न मॉडल तैयार करना।

(6) अस्थि विकलांगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण रोजगार और पुनर्वास प्रदान करने के लिए प्रयास करना।

(7) विकलांगता और विकलांगों के पुनर्वास से संबंधित तमाम जानकारी एकत्रित करना, दस्तावेज तैयार करना और प्राप्त जानकारी को जरूरतमंद लोगों और सस्थओं तक पहुँचाना।

(8) भारत में और भारत के बहर विकलांगों के पुनर्वास कार्यक्रम में अन्य प्रकार की गतिविधियाँ प्रारंभ करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्थान में छह बड़े विभाग हैं। ये हैं - अकेडेमिक्स, जहाँ शिक्षा दी जाती है; बायो इंजीनियरिंग, जहाँ जैव अभियांत्रिकी का उपयोग करके उपकरण आदि बनाए जाते हैं। ऑक्वूपेशनल थेरापी व फिजियोथेरापी, इन दोनों में इलाज होता है। इनके अलावा पुनर्वास चिकित्सा और शल्य चिकित्सा विभाग हैं। साथ में सूचना और दस्तावेज तैयार करने वाला विभाग भी है।

संस्थान को चलाने के लिए प्रशासनिक व कार्मिक विभाग है। वित्त, भंडार, निर्माण, मरम्मत आदि के लिए अलग-अलग विभाग हैं और ये संस्थान की गतिविधियों को संचालित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षण-कार्य में लगभग 150 लोग लगे हैं और इतने ही लोग प्रशासनिक कार्य सँभाल रहे हैं।

विकलांगों के पुनर्वास के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह संस्थान 1987 से निम्न पाठ्यक्रम चला रहा है :

(1) स्नातक स्तर का फिजियोथेरापी और ऑक्वूपेशनल थेरापी का कोर्स: साढ़े तीन वर्ष का स्नातक स्तर का यह पाठ्यक्रम उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर द्वारा मान्यताप्राप्त है। इसमें बीस सीटें हैं। इसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष है। प्रवेशार्थियों के फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

(2) प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा स्तर का कोर्स: यह पाठ्यक्रम ढाई वर्ष का है और इसमें 20 सीटें हैं। यह राज्य सरकार की तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यताप्राप्त है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट (10+2) निर्धारित की गई है और प्रवेशार्थियों के फिजिक्स केमिस्ट्री और गणित में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

(3) **डिप्लोमा इन नेशनल बोर्ड एबजाग्निनेशन** : इसमें दो सीटें हैं और यह भौतिक चिकित्सा व पुनर्वास में एम० डी० के समकक्ष है।

(4) **अल्प अवधि के पाठ्यक्रम** : विकलांगों के कल्याण में लगे प्रशिक्षित व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए और उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, साथ में समुदाय आधारित पुनर्वास के लिए प्रशिक्षित करने हेतु यह संस्थान अल्प अवधि के पाठ्यक्रम भी चलाता है। साथ में चिकित्सा के बारे में भी जानकारी देने के लिए सेमिनार आदि आयोजित करता है। ये पाठ्यक्रम इस प्रकार के हैं :

(1) विकलांग बच्चों के लिए कार्य कर रहे और विकलांग बच्चों के माता-पिता को सलाह देने वाले प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए पाठ्यक्रम।

(2) विकलांगों के कल्याण के कार्यक्रम में लगे जिले और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(3) गैरसरकारी संगठनों में लगे प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम।

(4) सामान्य प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को विकलांगता के बारे में जानकारी देना।

इनके अतिरिक्त ऑर्थोपेडिक व सामान्य सर्जनों, बाल-रोग विशेषज्ञों, जन-स्वास्थ्य सेवा में लगे डॉक्टरों और आर्थोपेडिक्स के स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के लिए भी समय-समय पर अल्पकालिक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। साथ में ऑक्ज्यूपेशनल थेरापिस्टों, फिजियोथेरापिस्टों, प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक इंजीनियरों और तकनीशियनों के लिए भी इसी प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में काम कर रहे लोगों को नवीनतम जानकारी दी जाती है।

यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विकलांगों, जैसे अस्थि विकलांगों, जिनमें पोलियो सेरेब्रल पाल्सी व अन्य विकृतियों के शिकार, कुष्ठ रोग से पीड़ित शामिल हैं तथा श्रवणहीनों आदि का इलाज किया जाता है। उनको ऐसे सहायक उपकरण लग्गए जाते हैं, जिससे उनकी विकृति स्थायी विकलांगता में न परिवर्तित हो जाए और वे अपने रोजगारों के काम आसानी से करते रहें। इन सबके लिए यहाँ पर निम्न प्रकार की सुविधाएँ हैं :

(1) 100 बिस्तरों वाला अस्पताल।

(2) शल्य चिकित्सा के लिए पूर्ण सुसज्जित दो यूनिटें।

(3) मरीजों की विकलांगता का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों सहित क्लीनिक

- (4) रेडियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जाँच सुविधाएँ।
- (5) कुष्ठ रोग से पीड़ित नरीजों के लिए शल्य चिकित्सायुक्त क्लीनिक।
- (6) सूक्ष्म सर्जरी की सुविधा।
- (7) रेरेब्रल पार्ली के मरीजों के लिए अलग क्लीनिक।
- (8) स्पोन्डिलोलायसिस और श्रवण सहायक यंत्रों की सुविधा।
- (9) फिजियोथेरापी यूनिट।
- (10) ऑक्जुपेशनल थेरापी यूनिट।
- (11) ननोवैज्रनिक समस्याओं के लिए सलाह केंद्र।
- (12) व्यावसायिक सलाह केंद्र व प्रशिक्षण केंद्र।
- (13) आर्थोटिक और प्रोस्थेटिक सहायक यंत्रों के निर्माण के लिए बड़ी व सुविधासंपन्न वर्कशाप।

(14) उपर्युक्त कार्यों के लिए हर प्रकार के आधुनिक कंप्यूटरयुक्त उपकरण मौजूद हैं।

यह संस्थान सिर्फ अपने यहाँ आने वाले जरूरतमंदों का ही इलाज नहीं करता है, वरन् उड़ीसा, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, बिहार, जम्मू व कश्मीर आदि राज्यों के ग्रामीण, दूरदराज व आदिवासी इलाकों में पुनर्वास कैंप लगाकर मरीजों का इलाज और सहायक उपकरण बाँटने का कार्य करता है। ऐसे कैंप साल में 6-8 बार लगाए जाते हैं। ये जिला प्रशासन व स्वयंसेवी संस्थानों के सहयोग से चलाए जाते हैं।

संस्थान में अनुसंधान संबंधी गतिविधियाँ निरंतर चलती रहती हैं। इनमें शल्य चिकित्सा की नई-नई तकनीकें, उपचार के तरीके, सहायक उपकरणों में जरूरी बदलाव आदि किया जाता है। पिछले कई सालों में अनेक नए उपकरण विकसित किए गए हैं, जिनमें कम कीमत वाली शौचालय सहित व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिले आदि शामिल हैं। इनमें से लकवाग्रस्त बच्चों के लिए बहुदेशीय ऑर्थोसिस के लिए कल्याण मंत्रालय से राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी पुरस्कार भी मिल चुका है।

संस्थान में एक बड़ी लाइब्रेरी है, जिसमें चिकित्सा व तकनीक संबंधी नवीनतम पुस्तकें हैं। ये पुस्तकें विकलांगता और पुनर्वास संबंधी अनेक विषयों की हैं। यहाँ 90 से अधिक विदेशी जर्नल नियमित रूप से मंगाए जाते हैं। यहाँ ऑडियोविजुअल सहायक यंत्रों और शिक्षण यंत्रों का अच्छा संग्रह है। विकलांगता से संबंधित हर प्रकार की पुस्तकें यहाँ उपलब्ध हैं। कुष्ठ रोग से संबंधित आधुनिकतम पुस्तकें सा डी गन पा भी हैं इन सबके अनिश्चित नवीनतम विषयो पर डाक्यूमेंटरी

फिल्में भी उपलब्ध हैं। इनमें बचपन में विकलांगता और यूनिसेफ से आर्थिक सहायता मिलने की स्कीम पर बनी फिल्में भी शामिल हैं। संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट भी विस्तृत और जानकारीपरक होती है। समय-समय पर पुस्तिकाओं का प्रकाशन भी किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए निम्न पते पर लिखा जा सकता है :

निदेशक

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन, ट्रेनिंग और रिसर्च
 औलटपुर, पो० बेराय
 जिला कटक, उड़ीसा

6. इंस्टीट्यूट फॉर दि फिजीकली हैंडीकैप्ड : दिल्ली के बीचोबीच स्थित यह संस्थान केन्द्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इसका प्रबंधन एक समिति करती है, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि तथा विशेषज्ञ हैं। इस समिति का अध्यक्ष भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय का सचिव होता है।

यहाँ पर शारीरिक रूप से विकलांगों की नियमित रूप से जाँच होती है। उनका अनेक प्रकार से, जैसे फिजियो थेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी, स्पीच थेरापी आदि, इलाज किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार कृत्रिम अंग भी लगाए जाते हैं। ये अंग यहीं पर बनाए और जोड़े जाते हैं। इस वर्कशॉप में सिलाई, लकड़ी का काम और पेंटिंग आदि का काम भी होता है। जरूरतमंद विकलांगों को आवश्यकतानुसार कृत्रिम अंग मुफ्त या रियायती दरो पर (विकलांग व्यक्ति की आय के अनुसार) दिए जाते हैं।

इस संस्थान के परिसर में अस्थि विकलांगों के लिए प्राथमिक विद्यालय भी चल रहा है। ये अस्थि विकलांग बच्चे यहाँ न सिर्फ शिक्षा ग्रहण करते हैं वरन् अपने पैरों पर खड़ा होने की तैयारी करते हैं। इनका हर प्रकार का इलाज भी होता है और ये पेंटिंग, मॉडल बनाना, दस्तकारी करना जैसे काम भी करते हैं।

संस्थान में एक बड़ी लाइब्रेरी है, जिसमें लगभग 7000 पुस्तकें हैं। इसमें अनेक प्रकार की पत्रिकाएँ और अखबार आदि नियमित रूप से आते हैं। इसके साथ ही एक पूर्ण सुसज्जित प्रेस भी है, जिसमें अधिकतर विकलांग कर्मचारी हैं।

यहाँ साढ़े तीन वर्ष के दो

पाठ्यक्रम बी०एस सी० फिजियोथेरापी

न-थी बी०एस-सी० ऑब्ज्यूवेशनल थेरापी चलाए जाते हैं। ये पाठ्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त हैं। साथ में प्रोस्थेटिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (टाई वर्क) स्तर के पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं।

अधिक जानकारी के लिए निम्न पते पर पत्र लिखा जा सकता है •

निदेशक

इंस्टीट्यूट फॉर दि फिजिकली हैंडीकैड

4, विष्णु दिगंबर मार्ग

नई दिल्ली-110002

विकलांग व्यक्ति या उसके अभिभावक को रोजगार की तैयारी के लिए उपर्युक्त राष्ट्रीय संस्थानों से अवश्य संपर्क कर लेना चाहिए। ये संस्थान अपने-अपने क्षेत्र में नोडल एजेंसी के रूप में भी काम कर रहे हैं। इनकी अनेक शाखाएँ हैं। इनके सहारे बड़ी संख्या में अन्य अनेक संस्थाएँ विभिन्न राज्यों में कार्य कर रही हैं।

अपनी विकलांगता, योग्यता और रुचि के अनुसार रोजगार चुनने और रोजगार हेतु प्रशिक्षण पाने में ये संस्थान प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों को मान्यता देने का कार्य रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। पाठ्यक्रम मान्यताप्राप्त है या नहीं यह अवश्य पता कर लेना चाहिए। भविष्य में मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम करने वालों को ही काम करने का अवसर मिल पाएगा।

रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसी संस्थाओं की राज्यवार लंबी सूची बना रखी है, जो विकलांगों तथा विकलांगों के लिए कार्य करने वालों के लिए मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है। जो लोग बिना औपचारिक शिक्षा के पहले से ही इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए एक ब्रिज कोर्स चलाया जा रहा है। इसको पूरा करने के बाद उस व्यक्ति को कार्य करने के लिए लाइसेंस मिल जाता है।

आजकल दूरवर्ती शिक्षा (Distance Education) का भी प्रचलन बढ़ गया है। विकलांगता विशेष रूप से गंभीर विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह उत्तम है। इसमें घर बैठे शिक्षा मिल जाती है। छोटी हुई शिक्षा सामग्री डाक से घर पर आ जाती है। छात्र को गृह कार्य करके डाक से भेजना होता है। जगह

।

नी

वार

०ए०

ने

रिए

या

धमित

सा

।

द्वारा

बंधक

जगह पर शिक्षण केंद्र हैं, जहाँ पर जाकर पढाई में मदद ली जा सकती है। यदि जाना संभव न हो तो कोई बात नहीं। टी०वी० पर भी उपयोगी जानकारी मिल जाती है। सिर्फ परीक्षा देने जाना पड़ता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय इस प्रकार की शिक्षा का उत्तम उदाहरण है। इसने बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं और ये सब विकलांगों के लिए सुगम हैं। इस विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रम मान्यताप्राप्त हैं। विश्वविद्यालय उम्दा किस्म की शिक्षण-सामग्री भेजता है। इसकी शिक्षण-सामग्री दूरदर्शन पर नियमित रूप से प्रसारित होती है। इसमें अध्ययन केंद्र हिंदुस्तान के कोने-कोने में हैं और परीक्षा देने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर, तमिलनाडु तथा कोटा ओपन विश्वविद्यालय, स्टेशन रोड, कोटा भी काफी समय से घर बैठे लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। आजकल लगभग हर विश्वविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम चला रहे हैं। धीरे-धीरे दूरदर्शन के जरिए शिक्षा प्राप्त करना और आसान होता चला जाएगा।

देश में आज पॉलीटेक्नीक तथा आई०टी०आई० केंद्रों का जाल है। इस तंत्र का सदुपयोग करके विकलांग व्यक्ति बड़े पैमाने पर रोजगारपरक प्रशिक्षण पा सकते हैं।

हर प्रकार के विकलांगों ने हर प्रकार की शिक्षा हासिल करके तथा उस शिक्षा का अपने लिए तथा समाज के लिए समुचित उपयोग करके दिखा दिया है कि विकलांग व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। बहु विकलांगता और गंभीर विकलांगता के शिकार व्यक्तियों ने भी पहले खुद को शिक्षित करके तथा बाद में अपने जैसे अन्य व्यक्तियों को शिक्षित करके यह साबित कर दिया है कि शिक्षा असंभव नहीं हो सकती चाहे विकलांगता कितनी भी ज्यादा क्यों न हो।

शिक्षित और उच्च शिक्षित विकलांगों के लिए उपयुक्त रोजगार

1. वित्त लेखा और ऑडिट विभाग में रोजगार : इन विभागों में व्यावसायिक और वित्तीय विभाग के लेखा रजिस्टर और रिकॉर्ड अटि को तैयार करना और उनका रख-रखाव किया जाता है। निर्जा, सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों में विकलांग व्यक्ति एकाउंटेंट से लेकर फाइनेस मैनेजर तक के पद पर कार्य कर सकते हैं। यहाँ उन्हें एक ओर अपने अधीनस्थ कर्मचारी, जैसे लेखा लिपिकों आदि के काम की देखरेख करनी होती है तो दूसरी ओर बिलों प्राप्तियों भुगतानों अटि की जाँच करने पड़ती है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कैश-बुक, लेजर आदि समय पर और सही रूप में भरे जाएँ, साथ ही सभी टैक्स, लाइसेंस फीस आदि समय पर भरे जाएँ, ताकि संस्था को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे। उन्हें इन सभी भुगतानों का रिकॉर्ड भी रखना होता है। इन अधिकारियों को वार्षिक बजट बनवाना होता है और इस बजट को बोर्ड या उपयुक्त जिम्मेदार अधिकारी से मंजूर भी कराना होता है। साल के अंत में वार्षिक लेखा-जोखा, जिसमें प्राप्ति व भुगतान, लाभ-हानि, तुलन पत्र आदि शामिल होते हैं, तैयार करना होता है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि उस संस्था के लेखा संबंधी नियमों का कुशलता से पालन किया जा रहा है। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि जारी किए गए निर्देश पालन किए जा रहे हैं और दर्ज की जाने वाली आपत्तियाँ विचार-विमर्श के बाद निपटाई जा रही हैं। ये अधिकारी निश्चित अवधि में या कभी-कभी अचानक जाँच भी करते हैं। उपयुक्त उच्च अधिकारियों को वित्तीय मामलों में, जैसे प्राप्ति, खर्च, कच्चे माल की खरीद, मशीनों व अन्य साज-सामानों की खरीद, समय-समय पर अप्रयुक्त व बेकार पड़े माल की नीलामी आदि में राय देते हैं। किसी भी मशीन या भवन आदि के कुल उपयोगी जीवन का आकलन, हर साल उसके मूल्य में आने वाली कमी, किसी दावे को छोड़ना जैसे मामलों में इन अधिकारियों की राय अहम होती है।

जगह पर शिक्षण केंद्र हैं, जहाँ पर जाकर पढ़ाई में मदद ली जा सकती है। यदि जाना संभव न हो तो कोई बात नहीं! टी०वी० पर भी उपयोगी जानकारी मिल जानी है। सिर्फ परीक्षा देने जाना पड़ता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय इस प्रकार की शिक्षा का उत्तम उदाहरण है। इसमें बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं और ये सब विकलांगों के लिए सुगम हैं। इस विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रम मान्यताप्राप्त हैं। विश्वविद्यालय उम्दा किस्म की शिक्षण-सामग्री भेजता है। इसकी शिक्षण-सामग्री दूरदर्शन पर नियमित रूप से प्रसारित होती है। इसमें अध्ययन केंद्र हिंदुस्तान के कोने-कोने में हैं और परीक्षा देने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है।

इसके आतिरिक्त अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर, तमिलनाडु तथा कोटा ओपन विश्वविद्यालय, स्टेशन रोड, कोटा भी काफी समय से घर बैठे लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। आजकल लगभग हर विश्वविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम चला रहे हैं। धीरे-धीरे दूरदर्शन के जरिए शिक्षा प्राप्त करना और आसान होता चला जाएगा।

देश में आज पॉलीटेक्नीक तथा आई०टी०आई० केंद्रों का जाल है। इस तंत्र का सदुपयोग करके विकलांग व्यक्ति बड़े पैमाने पर रोजगारपरक प्रशिक्षण पा सकते हैं।

हर प्रकार के विकलांगों ने हर प्रकार की शिक्षा हासिल करके तथा उस शिक्षा का अपने लिए तथा समाज के लिए समुचित उपयोग करके दिखा दिया है कि विकलांग व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में पीछे नहीं है। बहु विकलांगता और गंभीर विकलांगता के शिकार व्यक्तियों ने भी पहले खुद को शिक्षित करके तथा बाद में अपने जैसे अन्य व्यक्तियों को शिक्षित करके यह साबित कर दिया है कि शिक्षा असंभव नहीं हो सकती चाहे विकलांगता कितनी भी ज्यादा क्यों न हो।

शिक्षित और उच्च शिक्षित विकलांगों के लिए उपयुक्त रोजगार

1. वित्त लेखा और ऑडिट विभाग में रोजगार : इन विभागों में व्यावसायिक और वित्तीय विभाग के लेखा रजिस्टर और रिकॉर्ड आदि का तैयार करना और उनका रख-रखाव किया जाता है। निजी, सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों में विकलांग व्यक्ति एकाउंटेंट से लेकर फाइनेंस मैनेजर तक के पद पर कार्य कर सकते हैं। यहाँ उन्हें एक ओर अपने अधीनस्थ कर्मचारी जैसे लेखा लिपिकों आदि के काम की देखरेख करनी होती है तो दूसरी ओर बिलों, प्राप्तियों, भुगतानों आदि की जाँच करनी पड़ती है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कैश-बुक लेजर आदि समय पर और सही रूप में भरे जाएँ, साथ ही सभी टैक्स, लाइसेंस फीस आदि समय पर भरे जाएँ, ताकि संस्था को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे। उन्हें इन सभी भुगतानों का रिकॉर्ड भी रखना होता है। इन अधिकारियों को वार्षिक बजट बनवाना होता है और इस बजट को बोर्ड या उपयुक्त जिम्मेदार अधिकारी से मंजूर भी कराना होता है। साल के अंत में वार्षिक लेखा-जोख, जिसमें प्राप्ति व भुगतान, लाभ-हानि, तुलन पत्र आदि शामिल होते हैं, तैयार करना होता है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि उस संस्था के लेखा संबंधी नियमों का कुशलता से पालन किया जा रहा है। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि जारी किए गए निर्देश पालन किए जा रहे हैं और दर्ज की जाने वाली आपत्तियाँ विचार-विमर्श के बाद निपटाई जा रही हैं। ये अधिकारी निश्चित अवधि में या कभी-कभी अचानक जाँच भी करते हैं। उपयुक्त उच्च अधिकारियों को वित्तीय मामलों में, जैसे प्राप्ति, खर्च, कच्चे माल की खरीद, मशीनों व अन्य साज-सामानों की खरीद, समय-समय पर अप्रयुक्त व बेकार पड़े माल की नीलामी आदि में राय देते हैं। किसी भी मशीन या भवन आदि के कुल उपयोगी जीवन का आकलन, हर साल उसके मूल्य में आने वाली कमी, किसी दावे को छोड़ना जैसे मामलों में इन अधिकारियों की राय अहम होती है।

इसी प्रकार ऑडिट से संबद्ध अधिकारियों को निजी प्रतिष्ठानों, सरकारी व अर्द्धसरकारी संस्थानों के लेखा संबंधी रिकॉर्ड जाँचने होते हैं। वे इन संस्थाओं के लेखा रजिस्ट्रों और वित्तीय दस्तावेजों की सत्यता और पूर्णता की जाँच करते हैं। वे खातों में विभिन्न सामानों की प्रविष्टि की जाँच करके सुनिश्चित करते हैं कि संस्थान की गतिविधियाँ लिखित दस्तावेजों में दर्ज हो रही हैं। वे बिल वाउचर आदि की कैंस रजिस्टर में प्रविष्टि की जाँच करते हैं। इन प्रविष्टियों के आधार पर कुल नकद प्राप्तियों की जाँच भी करते हैं। समय-समय पर रिकॉर्ड के अनुसार संस्थान के पास नकद प्राप्त है या नहीं, यह भी चेक किया जाता है।

संस्थान द्वारा निर्धारित की गई लेखा पद्धति का सही पालन हो रहा है या नहीं और सभी प्राप्तियाँ तथा खर्चे व भुगतान आदि उचित अधिकार-प्राप्त अधिकारी द्वारा मंजूर किए गए हैं और उनका लेखा रजिस्टर में उचित वर्गीकरण किया गया है या नहीं, यह भी जाँचा जाता है। यदि संस्थान को आर्थिक नुकसान हुआ है या गलत खर्चे हुए हैं तो इनका अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया जाता है। ये ऑडिटर कई बार स्वयं भी लाभ-हानि पत्र और तुलन पत्र आदि बनाते हैं।

उपर्युक्त काम आम तौर पर आरामदायक कमरे में किए जाते हैं। ज्यादातर कार्य अधिकारी स्वयं करते हैं, पर बीच-बीच में दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत व विचार-विमर्श भी किया जाता है। इसमें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होता है।

इसमें ज्यादातर काम बैठकर किया जाता है। कभी-कभी कागज, रजिस्टर आदि उठाने के लिए झुकना भी पड़ता है। दृष्टि की आवश्यकता काफी पड़ती है और थोड़ा-बहुत घूमना-फिरना भी पड़ता है।

उपर्युक्त काम श्रवणहीन भी कर सकते हैं। उन्हें उस स्थान पर दिक्कत आ सकती है, जहाँ बड़े पैमाने पर जनसामान्य से बातचीत करनी पड़ती है। आंशिक बधिर इस प्रकार के रोजगार बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक पैर खराब या एक बाँह खराब वाला व्यक्ति भी इस प्रकार की जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हैं। दोनों पैर अगर खराब हों तो भी व्यक्ति काम कर सकता है। यदि जोड़ों आदि में विकृति है और व्यक्ति सिर्फ एक ही मुद्रा में बैठा रह सकता है, तो भी काम कर सकता है। दरअसल इस प्रकार का काम दुहराने वाला होता है और काफी ध्यान से करने की आवश्यकता होती है। विकलांग व्यक्ति आम तौर पर एक जगह बैठे रहने में और इधर-उधर के मामलों में कम ध्यान देते हैं। अकसर देखा

ग्य है कि ऐसे लोग ज्यादा काम करते हैं। वे ईमानदार भी होते हैं। ऐसे पद पर ध्यान से काम करने से संस्था के टुकसान की गुंजाइश कम होती है।

शैक्षिक योग्यता : उपर्युक्त पदों पर प्रवेश के लिए वाणिज्य में स्नातक होना आवश्यक होता है और चार्टर्ड एकाउंटेंट या कास्ट एकाउंटेंट भी होना चाहिए। कई जगहों पर एम०बी०ए० (फाइनेंस) की डिग्री से भी काम चल जाता है।

इस प्रकार के पद सरकारी विभागों व सार्वजनिक क्षेत्रों में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार द्वारा भरे जाते हैं। इस प्रकार के पद बड़ी संख्या में हर वर्ष निकलते हैं और प्रत्याशियों को अपने विषयों के अलावा सामान्य ज्ञान व भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।

उपर्युक्त नौकरियाँ सरकारी विभागों व सार्वजनिक क्षेत्रों के अलावा बैंकों और बीमा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निकलती हैं। इनमें काम आसान होता है और वेतन के अलावा अनेक प्रकार की सुविधाएँ, मकान और वाहन आदि के लिए कम ब्याज दर कर्ज आदि मिल जाता है। बैंक और बीमा क्षेत्र का अभी और अधिक विस्तार होना बाकी है और नौकरी मिलने के बाद पदोन्नति आदि की अच्छी गुंजाइश है, अतः विकलांग व्यक्तियों को, खास तौर से छात्रों को, अपना लक्ष्य निर्धारित करके तैयारी पहले से भी प्रारंभ कर देनी चाहिए।

2. कार्मिक विभागों में रोजगार : इन विभागों में अनेक नीतियों का निर्माण और फालन किया जाता है। इन नीतियों में नियुक्ति, प्रशिक्षण, नियुक्ति से संबंधित शर्तों की समीक्षा, कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित व अन्य प्रकार के कल्याण कार्यक्रमों को चलाना, पूरी संस्था में काम कर रहे कर्मचारियों को बेहतर इस्तेमाल और आवश्यकता पड़ने पर निष्कासन आदि भी शामिल हैं। कार्मिक विभाग के अधिकारी संस्थान की प्रबंध शक्ति के विकास, नई भर्तियों के तरीकों को तय करने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, कर्मचारियों के कल्याण कार्यक्रमों की देखरेख करने, कर्मचारियों के बेहतर इस्तेमाल के लिए विभिन्न विभागों में वितरण, वेतन संबंधी समस्याओं का निपटारा, और अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हैं। वे अनुशासनहीनता और अकर्मण्यता संबंधी शिकायतों की जाँच करते हैं। वे समय-समय पर प्रबंध को ऐसे सुझाव देते हैं जिनसे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। नियोक्ता और मजदूर वर्ग में उचित समझ बनाए रखने के लिए और गलतफहमी न पैदा होने के लिए एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। अगर प्रबंध के ऊपर श्रम या अन्य में मुकदमा दायर

होना है तो प्रबंध का प्रतिनिधित्व अदालत में करने का दायित्व भी उन्हीं का होता है।

ये कार्य ज्यादातर आरामदायक कमरों में बैठकर किए जाते हैं। इनमें से ज्यादातर कार्य मिल-जुलकर किए जाते हैं और इनमें किसी दुर्घटना आदि का खतरा नहीं होता है। व्यक्ति को कुर्सी-मेज पर बैठकर रोगों की बातें सुननी होनी हैं। उन्हें काफी पढ़ना भी होता है और संस्थान के अंदर घूमना और बाहर भी कभी-कभी जाना पड़ता है।

इस कार्य को वे लोग बखूबी निपटा सकते हैं जिनका एक पैर नहीं हो। यदि दोनों पैर न हों तो भी व्यक्ति इस प्रकार के कार्य कर सकता है। एक हाथ नहीं हो तो भी यह कार्य किया जा सकता है। दृष्टिहीन और अल्पदृष्टिवान व्यक्ति इस प्रकार का कार्य कुछ कठिनाइयों के साथ कर सकते हैं। चूंकि इस प्रकार के काम में बातचीत की बहुत आवश्यकता होती है, अतः बधिर व्यक्तियों के लिए यह कार्य कठिन है।

शैक्षिक योग्यता : कार्मिक विभाग में अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए स्नातक उपाधि के साथ व्यवसाय प्रबंध में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। उन्हें कार्मिक प्रबंध में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए। इस प्रकार के पाठ्यक्रम हर जगह उपलब्ध हैं। एम०बी०ए० या मानव संसाधन विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा दो वर्ष का होता है।

इस प्रकार के पद लगभग हर बड़े प्रतिष्ठान में उपलब्ध होते हैं और सीधे भर्ती के द्वारा भरे जाते हैं। निजी क्षेत्रों में ऐसे पदों की संख्या काफी होती है। विकलांग विद्यार्थी इस व्यवसाय को लक्ष्य बनाकर पहले से तैयारी कर सकते हैं।

3. श्रमिक कल्याण अधिकारी : इन विभागों में काम कार्मिक विभाग के समान ही होता है। इन अधिकारियों को कर्मचारियों के काम करने के वातावरण संबंधी नीतियों का पालन करना और कराना पड़ता है। बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मजदूरों और प्रबंध के बीच मधुर संबंध बनाए रखना होता है। कर्मचारियों की शिकायतों को प्रबंध के सामने रखने के अलावा, समय-समय पर श्रम कानूनों से कर्मचारियों को अवगत कराने के अतिरिक्त प्रबंध को कार्मिकों के प्रति उनके दायित्वों के बारे में जानकारी व सलाह देना भी उनका दायित्व होता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए सद्भावपूर्ण नानान्यगण बनाने के अलावा कर्मचारियों को सहकारी भंडार व अन्य सस्थाएँ खोलने का काम भी श्रमिक अधिकारी

करते हैं। कार्मिकों के मनोरंजन, सफाई, बच्चों की शिक्षा आदि के मामलों में भी इनकी अहम भूमिका होती है। वे कार्मिक मामलों व नियुक्ति आदि में प्रबंध और नजदूरों के बीच आम सहमति बनाने का काम करते हैं और कार्मिक अधिकारियों के कामों में सहयोग देते हैं।

उपर्युक्त कार्य ज्यादातर कमरों के अंदर बैठकर होते हैं। इसमें किसी किस्म की दुर्घटना आदि की संभावना नहीं होती है। इसमें काम करने के लिए शारीरिक क्रियाओं की आवश्यकता उसी प्रकार होती है जिस प्रकार कार्मिक अधिकारियों के लिए होती है। इन पदों पर वे लोग आसानी से काम कर सकते हैं जिनके एक हाथ या एक पैर न हो। दोनों पैर न होने वाला आदमी भी काम कर सकता है। अल्पदृष्टिवान व्यक्ति भी काम कर सकता है। नेत्रहीन व्यक्ति कुछ कठिनाई के साथ काम कर सकता है।

शैक्षिक योग्यता : इसमें भी मानव संसाधन में विशेषज्ञता सहित व्यवसाय प्रबंध में स्नातकोत्तर उपाधि की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण में स्नातकोत्तर उपाधि वाले व्यक्ति भी इस कार्य को बखूबी कर सकते हैं। कानून में डिग्री वांछनीय माना जाता है और श्रम कानूनों का पर्याप्त ज्ञान अनिवार्य होना है।

इस प्रकार के पद हर बड़े प्रतिष्ठान में होते हैं। सरकारी कानूनों के अनुसार एक निश्चित संख्या से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान या फैक्टरी को श्रम कल्याण अधिकारी रखना अनिवार्य होता है। विकलांग विद्यार्थी इस व्यवसाय को लक्ष्य बनाकर अपने विषय आवश्यकतानुसार चुन सकते हैं।

4. कानूनी सलाह देने वाले अधिकारी : ये अधिकारी नथ्यो और उपलब्ध दस्तावेजों को पढ़कर कानूनी पहलुओं का अध्ययन करते हैं। इन्हीं के आधार पर वे सरकारी व अर्द्धसरकारी विभागों को परामर्श देते हैं। वे विभिन्न सरकारी नियमों और आदेशों की व्याख्या करके उच्चाधिकारियों को सलाह देते हैं। वे सेवा नियमों व प्रशासनिक आदेशों का विश्लेषण करके विभिन्न मामलों में राय देते हैं। आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाइयों, शिकायतों आदि में अपने मुवक्किल का पक्ष प्रस्तुत करते हैं और लिखित बयान व शपथ पत्र आदि तैयार करके जमा करते हैं। वे दीवानी व फौजदारी मामलों में अदालत में भी पेश होते हैं। साक्ष्य प्रस्तुत करने व दस्तावेज तैयार करने में अहम भूमिका निभाते हैं। गवाहों को पूरी सलाह देने से लेकर वरिष्ठ थकीलों के लिए पूरे मामले का सक्षिप्त ब्योरा तैयार

करने जैसे काम करते हैं।

इस प्रकार के काम श्रान्त कमरे और अच्छे वातावरण में होते हैं तथा काम के दौरान दुर्घटना आदि की कोई संभावना नहीं होती है। इनमें ज्यादातर काम बैठकर या खड़े रहकर किया जाता है। इसमें सुनने की जरूरत काफी होती है। थोड़ा-बहुत चलने-फिरने की भी आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति का एक हाथ या एक पैर न हो तो भी वह आरम्भ से काम कर सकता है। यदि दोनों पैर न हों या कमजोर हों तो भी काम चल सकता है। आंशिक नेत्रहीन और आंशिक बांधर व्यक्ति भी काम कर सकते हैं। अनेक नेत्रहीन वकील सफलतापूर्वक मुकदमा लड़ते हुए देखे गए हैं।

शैक्षिक योग्यता : इसमें कानून की डिग्री आवश्यक होती है। अदालत में पेश होने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इसमें लगातार अध्ययन और विभिन्न मामलों में राय देने के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।

विकलांग विद्यार्थी इस पेशे को लक्ष्य बनाकर पढ़ाई के दौरान अपने विषय चुन सकते हैं। यदि पढ़ाई पूरी करके वे वकालत में सफल हो जाते हैं तो उन्हें आर्थिक लाभ बहुत ज्यादा होगा। वे तरक्की करके पहले निचली अदालतों और फिर बड़ी अदालतों में मुकदमे ले सकते हैं। यदि वकालत नहीं चल पाती है तो वे कंपनियों और संगठनों में कानूनी सलाहकार का काम कर सकते हैं। कानूनी सलाहकार का काम स्थायी रूप से भी किया जा सकता है और इसमें अच्छा वेतन मिलता है। थोड़ा वरिष्ठ होने पर एक साथ कई कंपनियों के कानूनी सलाहकार का काम भी लिया जा सकता है। इसके कई फायदे हैं। यदि विकलांग विद्यार्थी जजों की नियुक्ति के इम्तहान में पास हो जाते हैं और जज के रूप में चुन लिये जाते हैं तो यह उनके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। उन्हें उन्नति का अच्छा अवसर, उच्च वेतन व सुख-सुविधाएँ मिलेंगी। विकलांगों के लिए रोजगार का यह अच्छा साधन है।

5. प्रशासनिक अधिकारी : हर संगठन में सामान्य प्रशासन की आवश्यकता होती है और इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी रखे जाते हैं। ये अधिकारी नीतियों व प्रशासन के मामलों में संस्थान के प्रमुख को सलाह देते हैं। वे स्टाफ को बढ़ाने, भवन और जमीन आदि को खरीदने या किराए पर लेने, फर्नीचर व ऑफिस के लिए साज-सामान आदि खरीदने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कार्यालय के विभिन्न हिस्सों के कार्य के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। कार्मिक विभाग द्वारा

न्यत्र किए गए कामों के तहत अनुशासनत्मक कार्यवाही भी वे अधिकारी कराने के प्रयासों में बंधे नौकरों बनने का कर्तव्य है। इन अधिकारियों का है

उपर्युक्त कार्यों के अलावा वरिष्ठ स्तर के कर्मचारियों के कामों की देखरेख करने वाली डायरेक्टरों और संबंधित व्यक्तियों को भेजना, स्टाफ की इयूटी लगाना, उनके कार्यों के बीच सन्तुलन बनाए रखना, और समय-समय पर निरीक्षण करना, अनुशासन संबंधी नियमों का पालन कराना, छुट्टियों का हिसाब रखना और एक ही अनुपस्थिति में दूसरे को काम पर लगाना आदि काम भी प्रशासनिक अधिकारियों को करने पड़ते हैं। अनेक मामलों में सक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करना, सम्मेलन में उठने वाले प्रश्नों का जवाब तैयार करना, विभागीय बैठकों में भाग लेने जैसे कार्य भी उनके जिम्मे होते हैं।

उपर्युक्त कार्य ज्यादातर कमरे में आराम से बैठकर होते हैं। इनमें सहयोगी से सहयोग लेकर काम करना होता है। किसी प्रकार की दुर्घटना का खतरा नहीं होता है। ज्यादातर काम बैठकर लिखने या पढ़ने का होता है।

उपर्युक्त कार्य एक पैर खराब होने या दोनों पैर खराब होने वाले आराम से कर सकते हैं। एक हाथ न होने वाले भी बखूबी कर सकते हैं। आशिक बधि या आशिक नेत्रहीन भी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। नेत्रहीन व्यक्ति कुछ मुश्किलों के साथ काम कर सकते हैं।

शैक्षिक योग्यता : उपर्युक्त पदों पर भर्ती दो प्रकार से होती है। एक तो सीधी भर्ती होती है। दूसरी पदोन्नति द्वारा पद भरे जाते हैं। सीधी भर्ती के लिए स्नातक की उपाधि के साथ व्यवसाय प्रबंध में डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए। सरकारी विभागों में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा होती है और सार्वजनिक क्षेत्र में सीधी भर्ती होती है। निजी प्रतिष्ठानों में भी सीधी भर्ती होती है।

उपर्युक्त नौकरियों में पदोन्नति की संभावना काफी होती है। ये अधिकारी वरिष्ठ होने पर नीतियाँ बनाने, योजनाओं को कार्यान्वित करने, विभागों के विस्तारीकरण आदि में अहम भूमिका निभाते हैं। वे खर्चों आदि पर नियंत्रण रखने से लेकर वार्षिक या त्रैमासिक रिपोर्ट आदि तैयार करते हैं। आम जनता मीडिया आदि को समय-समय पर जानकारी देना भी उन्हीं के जिम्मे होता है।

उपर्युक्त कैरियर विकलांगों के लिए अच्छा कैरियर है और अनेक विकलांग उच्च पदों पर अपना दायित्व पूरी कुशलता से निभा रहे हैं।

६. प्रशिक्षण अधिकारी : वे अधिकारी संस्थान में कार्य कर रहे हर स्तर के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन करते हैं। आकलन करने के पश्चात् प्रशिक्षण की योजना बनाना और कार्यान्वित करना उनका काम होता है। वे आवश्यकानुसार वे किसी संस्थान में भी प्रशिक्षण दिलाते हैं और कार्य करते हुए भी प्रशिक्षण का प्रयोजन करते हैं। कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, प्रशिक्षण सामग्री और उपकरणों का इंतजाम करना आदि भी उन्हीं के जिम्मे होता है। इस प्रक्रिया में वे विभिन्न स्तर के कर्मचारियों के काम, काम के तरीके, उनका दी जाने वाली हिदायतों आदि का गहन अध्ययन करके नोट्स और टिप्पणियाँ तैयार करते हैं और उनके काम में आने वाली दिक्कतों के मद्देनजर काम के तरीके में बदलाव के सुझाव तैयार करते हैं।

वे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण की देने के लिए प्रशिक्षकों की टीम तैयार करते हैं। गोष्ठियों के लिए वक्त तैयार करते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने पर प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन करते हैं। वे पूरे के पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी मूल्यांकन करते हैं, ताकि भविष्य में बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध हो सके। संबद्ध संस्थाओं, संगठनों से पत्र व्यवहार और प्रशिक्षण संबंधी डाटा का संकलन उनका प्रमुख काम होता है।

उपर्युक्त काम ज्यादातर कमरे के अंदर शांत और स्वच्छ वातावरण में होते हैं। बाहर-बीच में दूसरे संस्थानों में भी जाना पड़ता है। जहाँ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है वहाँ थोड़ा खतरा हो सकता है, उदाहरण के तौर पर चर्चा जहाज उड़ाने का प्रशिक्षण। ऐसी जगह पर विकलांग व्यक्ति काम नहीं कर सकते हैं। पर दूसरे स्थानों पर विकलांग व्यक्तियों का काम करना आसान है।

इनमें खड़े होकर, बैठकर, सुनकर और देखकर लिखना-पढ़ना और बोलना पड़ता है। एक हाथ वाला और एक पैर वाला व्यक्ति बहुत आराम से काम कर सकता है। आंशिक बधिर और अल्पदृष्टिवान् व्यक्ति भी काम कर सकते हैं। कहीं-कहीं पर नेत्रहीन व्यक्ति भी काम कर सकते हैं।

शैक्षिक योग्यता : प्रशिक्षण वही व्यक्ति दे सकता है जो उस क्षेत्र में विशेष योग्यता रखता है। इसलिए इस कार्य में सीधी भर्ती की संभावना कम होती है। आम तौर पर जिस क्षेत्र में काम होता है वहीं के प्रशिक्षित व अनुभवी व्यक्ति लिए जाते हैं। इस कार्य में काफी गौरव महसूस होता है। अतः विकलांग व्यक्तियों को अपने काय में शीघ्र अतिशीघ्र दक्षता हासिल करके इस दिशा में आना चाहिए

और औरों को प्रोत्साहित करके मिसल काम करना चाहिए।

7. जनसंपर्क अधिकारी : विकलांगों के लिए आदर्श नौकरियों में से एक नौकरी यह भी है। जनसंपर्क अधिकारी संगठन और आम जनता के बीच सद्भावना और बेहतर समझ स्थापित करने का काम करते हैं। वे प्रचार सामग्री तैयार करके और प्रेस विज्ञप्ति तैयार करके दौड़ने का काम करते हैं, ताकि संगठन का गतिविधियों ज्यादा-से-ज्यादा लोकप्रिय हो सकें। वे अखबार व पत्रिकाएँ बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और लोगों को संगठन की नीतियों एवं अधिकारियों को जनभावना तथा हो रही आलोचना के बारे में समझाते हैं। मीडिया और जनप्रतिनिधियों से मिलकर संगठन का पक्ष रखते हैं। वे फिल्में-शो आदि का आयोजन करके अपने संगठन के बारे में जानकारी वाले संकेत ढंग से जनता के सामने रखते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तियों का दौरा अपने संगठन में कराते हैं।

ये दूसरे स्थानों पर होने वाली प्रदर्शनीयों में भाग लेते हैं। वे पोस्टर चार्ट, नॉडल आदि का प्रदर्शन करते हैं। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में फीचर आदि लिखने के कार्य से लेकर अपनी पत्रिका निकालने तक का काम वे करते हैं। समय-समय पर दूरस्थ इलाकों में जनसमुदाय की जानकारी देने और सेवा का नमूना पेश करने के लिए कैंप भी लगाते हैं।

उपरोक्त कार्य कमरे के अंदर या बाहर आरामदायक वातावरण में होते हैं। उनमें किसी कार्य संबंधी दुर्घटना की संभावना नहीं होती है। ज्यादातर कार्य बैठकर और खड़े होकर करना पड़ता है। इसमें दखने-सुनने और लिखने-पढ़ने की काफी आवश्यकता होती है।

एक हाथ या एक पैर वाले व्यक्ति इन कामों को बखूबी कर सकते हैं। दोनों पैर खराब होने वाले भी कर सकते हैं, अगर वे थोड़ा-बहुत चलने का हौसला रखते हों।

शैक्षिक योग्यता : इस प्रकार के पद सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाते हैं। उम्मीदवार को स्नातक होने के अलावा जनसंपर्क या पत्रकारिता का मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में भी स्नातक होना चाहिए। आजकल मारु कम्युनिकेशन या पत्रकारिता के अनेक अच्छे पाठ्यक्रम चल रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक करने से विकलांग व्यक्ति पत्रकारिता में भी उतर सकते हैं और जनसंपर्क व प्रचार अधिकारी का काम भी कर सकते हैं। यह कार्य काफी प्रतिष्ठा दिलाता है और

व्यक्ति इसमें आने वाला चुनौतियुक्त व कष्ट मुकाबल करके अ

उत्तिहा का प्रदर्शन कर सकते हैं

१. शिक्षक (उच्च शिक्षा) : शिक्षक प्रदान करना सदियों से पवित्र व्यवसाय माना जात, है। विक्रमंग व्यक्ति ने लगभग हर विषय का उच्च अध्ययन करके और उसके जरिए दूसरे लोगों की सेवा करके दिखाया है।

विकलांग व्यक्ति बहुत आसानी से कला विषयों, जैसे—इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भारतीय भाषाएँ, हिंदी, संस्कृत आदि और विदेशी भाषाएँ जैसे—अंग्रेजी, रूसी आदि पढ़ा सकते हैं। वे वाणिज्य विषय भी बड़ी आसानी से पढ़ा सकते हैं। वे अच्छे व्याख्यान दे सकते हैं। मैनीफेस्ट तैयार कर सकते हैं, परीक्षापत्र सेट कर सकते हैं, उत्तर पुस्तिकाओं को जाँच सकते हैं, अपनी कक्षा का वार्षिकी रजिस्टर भर सकते हैं। वे रोध कर सकते हैं और दूसरे विद्यार्थियों को रोध करा भी सकते हैं।

विकलांग व्यक्ति विज्ञान विषय जैसे—भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, धनस्पतिशास्त्र, भूगर्भशास्त्र भी पढ़ा सकते हैं। वे व्याख्यान दे सकते हैं, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। वे परीक्षा पत्र पेट कर सकते हैं, इम्तहान ले सकते हैं और उच्च पुस्तिका भी जाँच सकते हैं। विज्ञान विषयों में भी रोध कर सकते हैं और कान भी सकते हैं।

उपर्युक्त काम ज्यादातर क्लास रूम में किए जाते हैं और विकलांग व्यक्ति आराम से कर सकते हैं। प्रयोगशाला में काम करते या करते समय थोड़ी कठिनाई आ सकती है पर अभ्यास हो जाने पर या किसी भी सहायता ले लेने से इस कठिनाई से मुक्ति पाई जा सकती है। आम तौर पर कार्य करते समय बड़ी दुर्घटना का खतरा नहीं होता है।

इनमें खड़े होकर, सुनकर, बोलकर, लिखकर तथा पढ़कर कार्य करना होता है। एक हाथ वाला एक पैर वाला व्यक्ति बड़े आराम से इन कामों को कर सकता है। आंशिक बर्धर या आंशिक नेत्रहीन भी बखूबी इस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। अनेक नेत्रहीनों ने शिक्षक के रूप में उत्कृष्ट भूमिका निभाई है। अनेक मामलों में दोनों पैर और दोनों हाथ न होने पर भी अपनी विद्वता से छात्रों को प्रभावगाली शिक्षा दी है। विज्ञान विषयों में प्रैक्टिकल करते या कराते समय व्यक्ति की गतिशीलता की आवश्यकता होती है।

शैक्षिक योग्यता : किसी भी विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि इस विषय का पठाने के लिए है साथ में पी एच०डी० या कम से

कम एन० फिल० होना भी आवश्यक है। आजकल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षका के लिए ऊँचे और कड़े मानदंड कायम किए हैं। कई जगह परीक्षा भी आयोजित की जाती है।

विकलांगों के लिए शिक्षक बनना बहुत आसान है। यह व्यवसाय सम्मान दिलाता है। शिक्षण के साथ शोध कराया जा सकता है। पुस्तकें, लेख आदि भी आसानी से लिखे जा सकते हैं। अच्छी आमदनी भी होती है। पदोन्नति की संभावनाएँ भी होती हैं। लेक्चरर के बाद रीडर और फिर प्रोफेसर बन सकते हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट और प्रिंसिपल के पद काफ़ी सम्मानित होते हैं।

विकलांग व्यक्ति कला, विज्ञान और वाणिज्य विषयों के अलावा इंजीनियरिंग व आर्किटेक्चर की पढ़ाई करके इन विषयों को पढ़ाने का काम भी कर सकते हैं। इनमें सिर्फ व्यावहारिक प्रयोग आदि कराने में दिक्कत आ सकती है। फील्ड स्टडी के दौरान उन्हें दुर्घटना आदि का सामना करना पड़ सकता है। अल्प विकलांगता के शिकार व्यक्ति इस प्रकार के व्यवसाय में जा सकते हैं।

हिंदी अधिकारी : गजभाषा के रूप में हिंदी में कामकाज बढ़ाने के लिए लगभग हर विभाग में हिंदी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। हिंदी अधिकारी हिन्दी में होने वाले कामकाज की देख-रेख करते हैं। वे अनुवाद का काम देखते हैं। दूसरे विभागों से सूचना इकट्ठी करके हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अपने विभाग में हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों की हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए होने वाली बैठको और विचार-गोष्ठी आदि में भाग लेते हैं।

उपर्युक्त कार्य बहुत आसान होता है और कमरे में बैठकर आसानी से किया जाता है। कभी-कभार लोगों से मिलना-जुलना पड़ता है। इसमें ज्यादातर काम बैठकर, देखकर और लिख-पढ़कर किया जाता है। इसे आंशिक बधिर, बधिर व्यक्ति आसानी से कर सकते हैं। एक हाथ न होने वाले, एक पैर न होने वाले व्यक्ति आसानी से कर सकते हैं। नेत्रहीन और आंशिक नेत्रहीन भी अच्छे हिंदी अधिकारी के रूप में काम करते हुए देखे गए हैं। अगर व्यक्ति के दोनों पैर न हो और एक हाथ न हो तो भी व्यक्ति काम कर सकते हैं, क्योंकि इस काम में गतिशीलता की बहुत कम जरूरत पड़ती है।

शैक्षिक योग्यता - इस पद के लिए हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। डॉक्टरेट की डिग्री हा तो बेहतर रहना है। हिंदी में लेखन क्षमता अच्छी

होनी चाहिए। यदि हिंदी, अंग्रेजी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं का ज्ञान हो तो लाभ मिल सकता है। अगर विदेशी भाषाओं जैसे—रूसी, फ्रेंच, जापानी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो तो व्यक्ति काफी उन्नति कर सकता है।

हिंदी अधिकारी पदोन्नति पाकर जनसंपर्क अदि का भी काम संभाल सकता है। कुल मिलाकर विकलांगों के लिए यह आकर्षक व्यवसाय है।

10. **संपादक** : विकलांग व्यक्ति सप्ताह पत्र, पत्रिका, पुस्तक आदि का संपादन कर सकते हैं। वे लिखित सामग्री को पढ़कर, छाँटकर, संपादन करके प्रकाशन योग्य बना सकते हैं। उनके अतिरिक्त वे महत्वपूर्ण रिपोर्ट आदि का संपादन भी कर सकते हैं। वे स्वयं भी प्रमुख लेख आदि लिख सकते हैं।

संपादक का कार्य ज्यादातर कमरे में आराम से किया जाता है। ये काम ज्यादातर अकेले किया जाता है। इसमें किसी प्रकार की दुर्घटना का खतरा नहीं होता है। इसमें देखने, कभी-कभी खड़े होकर काम करने और बैठकर लिखने-पढ़ने की आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति आंशिक बधिर या आंशिक नेत्रहीन है तो वह आराम से काम कर सकता है। एक हाथ वाला या एक पैर वाला व्यक्ति भी सफल हो सकता है। अनेक ऐसे व्यक्ति भी संपादक के रूप में सफल होते देखे गए हैं जिनके दोनों हाथ या दोनों पैर नहीं थे।

शैक्षिक योग्यता : पत्रकारिता के पेशे के लिए पत्रकारिता में डिग्री आवश्यक है। स्नातक को पढ़ाई करके पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की जा सकती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी अखबार या पत्रिका में काम किया जा सकता है। सरकारी प्रकाशन विभागों में नौकरी मिल सकती है। इसमें पदोन्नति की संभावनाएँ काफी होती हैं।

11. **लाइब्रेरियन** : हर प्रकार की पुस्तकों को योजनाबद्ध तरीके से संकलित करने और व्यवस्थित रूप से रखने का कार्य लाइब्रेरियन का होता है। पुस्तकों के अलावा पत्रिकाओं और अन्य प्रकार की पठन-सामग्री का संग्रह भी लाइब्रेरियन करते हैं।

लाइब्रेरियन खरीदी हुई और सौजन्यतावश प्राप्त की गई पुस्तकों, पत्रिकाओं और पठन सामग्रियों को प्राप्त करके उन्हें वर्गीकृत करके, इंडेक्स बनाकर आलमारियों में रखने और रखवाने का काम करते हैं। वे पाठकों को पुस्तकें देने और वापस लेने का काम करते हैं। किताबों का पूरा रिकॉर्ड रखने, लेखकों व प्रकाशकों की सूची तैयार करने आदि का काम भी लाइब्रेरियन करते हैं। वे

उत्तरत जड़ने पर पठकों को सहायता करने का कार्य भी करते हैं। विशेष रूप से शोध छात्रों को अच्छे लाइब्रेरियन की सहायता से बहुत लाभ होता है।

अनेक पुस्तकालयों में लाइब्रेरियन विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं से आवश्यक सूचनाएँ काटकर फाइल में लगाकर रखते हैं। उदाहरण के तौर पर संगीत नाटक अकादमी की लाइब्रेरी में विभिन्न कलाकारों, संगीतकारों जैसे रवींद्र जैन, सुधा-मदन आदि की पेंसलिंग काटकर फाइलें बनाना। शैक्षिक शोध और तर्कन की विषयों की पुस्तकों वाली लाइब्रेरियों में लाइब्रेरियन की योग्यता और अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होता है।

ज्यादातर बड़े पुस्तकालय वातानुकूलित होते हैं और इनमें कार्य करने विकलांगों के लिए बहुत आसान होता है। लाइब्रेरियन को ज्यादातर काम अकेले करना होता है। इस काम में दुर्घटना की कोई संभावना नहीं होती है। इसमें बैठकर कभी-कभी खड़े होकर, देखकर और लिख-पढ़कर कार्य करना होता है। इस प्रकार के काम एक हाथ या एक पैर वाले व्यक्ति तो कर ही सकते हैं, जिन लोगों को मांसपेशियाँ अकड़ी हुई हों या कमजोर हों वे भी इस प्रकार का काम कर सकते हैं। आंशिक बधिर व्यक्ति भी इस काम को कर सकते हैं।

शैक्षिक योग्यता : लाइब्रेरियन की नोकरी के लिए स्नातक डिग्री के बाद लाइब्रेरी विज्ञान में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री लेना आवश्यक होता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम अनेक विश्वविद्यालयों में उपलब्ध हैं। विकलांग विद्यार्थी इस पेशे को लक्ष्य बनाकर अपने विषय चुन सकते हैं।

आजकल लाइब्रेरियों में कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। पुस्तकों की सूची, लेखकों की सूची व प्रकाशकों की सूची कंप्यूटर में भरी रहती है और इस कारण वे विकलांग जिनकी गतिशीलता अत्यंत सीमित है, भी आसानी से काम कर सकते हैं। नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि में पुस्तकें, ऑडियो कैसेट भी पुस्तकालयों में उपलब्ध होने लगे हैं। अब पुस्तकें कॉम्पैक्ट डिस्क पर भी उपलब्ध होने लगी हैं। इससे नेत्रहीनों को काफी लाभ होने लगा है और नेत्रहीनों के लिए लाइब्रेरी के खंड में नेत्रहीन लोग आसानी से काम कर सकते हैं।

12. अनुसंधान अधिकारी : सही फैसले लेने के लिए प्रभावी रूप से ऑकड़े इकट्ठे करने, तालिका बनाने और उनका सही अर्थ निकालने के लिए हर क्षेत्र में सरकारी विभागों में अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। वे किसी भा का हल निकालने के लिए सूचनाओं का प्रकार और

मात्रा तय करने हैं। इन सूचनाओं को प्राप्त करने का तरीका निश्चित करने हैं और सूचनाएँ इकट्ठी करते हैं। प्राप्त सूचनाओं का आकायदा विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालने हैं। पूरी जाँच की लिखित रिपोर्ट तैयार करते हैं। वे अपनी रिपोर्ट में निष्कर्षों की व्याख्या करते हैं और इन निष्कर्षों में होने वाले संभावित परिवर्तन की संभावना के कारण भी बताते हैं। ये निष्कर्ष किन परिस्थितियों में बदल सकते हैं, यह भी स्पष्ट करते हैं। इस प्रक्रिया में वे निजी शोध संस्थाओं के साथ सहयोग करते व लेते हैं। इनके द्वारा किए जाने वाले शोध का दायरा अत्यंत विस्तृत होता है और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।

इस प्रकार का काम ज्यादातर कमरे के अंदर होता है, पर आँकड़े इकट्ठी करने या वस्तुस्थिति को देखने व समझने के लिए कई बार बाहर भी जाना पड़ता है। बाहर जाकर आँकड़े इकट्ठी करने व वास्तविक निरीक्षण आदि का काम समूह में किया जाता है। विश्लेषण आदि करने का काम अकेले ही किया जाता है। इस काम में दुर्घटना की संभावना नहीं होती है। ज्यादातर काम बैठकर किया जाता है। थोड़ा-बहुत चलना भी पड़ता है। खड़े होने, देखने और लिखने-पढ़ने की आवश्यकता होती है। एक हाथ या एक पैर वाले व्यक्ति बड़े आराम से काम कर सकते हैं। आंशिक बधिर या पूर्ण बधिर व्यक्ति भी काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम जनसंपर्क करना पड़ता है। आजकल शोध में कंप्यूटर का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है और यदि कंप्यूटर के साथ सहायक उपकरण लगा दिए जाएँ तो आंशिक नेत्रहीन और पूर्ण नेत्रहीन भी काम कर सकते हैं।

शैक्षिक योग्यता : शोध अधिकारी के पद के लिए सांख्यिकी का गहन अध्ययन आवश्यक है। आजकल उपलब्ध आँकड़ों का विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से किया जा रहा है। अतः इस व्यवसाय में प्रवेश से पूर्व कंप्यूटर और उपलब्ध सॉफ्टवेयर पैकेज का अध्ययन आवश्यक है। जिस विषय में शोध हो रहा हो उसका ज्ञान भी जरूरी है।

शोध अधिकारियों की आवश्यकता भविष्य में और बढ़ेगी, क्योंकि बढ़ती प्रतियोगिता, निर्णय लेने में आने वाली जटिलता और सही तथा सटीक निर्णय लेने की बढ़ती आवश्यकता के कारण उच्चाधिकारी शोध पर निर्भर करेंगे। सही योजना बनाने, योजना के अनुरूप कार्यान्वयन करने में शोध बहुत सहायक होगा, अतः विद्यार्थी इस काम को लक्ष्य बनाकर विषय चुन सकते हैं। गणित और सांख्यिकी अर्थशास्त्र जैसे विषय इस काम को चुनने में होंगे

स्नातकोत्तर डिग्री लेने के बाद नौकरी मिल सकती है।

13. कृषि वैज्ञानिक : कृषि वैज्ञानिक कृषि संबंधी आँकड़े इकट्ठे करके उनकी तालिका तैयार करके सही अर्थ निकालकर परिणाम निकालते हैं। वे जानवरो, फसल से संबंधित विज्ञान और नमूना सर्वेक्षण प्रणाली का अध्ययन करते हैं। फसल की भविष्यवाणी, कृषि संबंधी मौलिक शोध और प्रशिक्षण आदि की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अन्य शोध अधिकारियों की तरह आँकड़ों का विश्लेषण करके रिपोर्ट तैयार करते हैं। विभिन्न परिणामों का मूल्यांकन करके कृषि संबंधी जानकारी किसानों व अन्य संबंधित लोगों को देते हैं। वे अन्य प्रकार के संस्थानों के साथ तालमेल करके विभिन्न पहलुओं पर गहन शोध करते हैं।

उपर्युक्त प्रकार के कार्य प्रयोगशाला में भी होते हैं और बाहर क्षेत्र में भी होते हैं। बाहर होने वाला काम ज्यादातर समूह में होता है, अतः विकलांग वैज्ञानिक सहारा लेकर काम कर सकते हैं। दुर्घटना आदि की संभावना बहुत कम होती है।

इसमें ज्यादातर काम बैठकर, देखकर और लिख-पढ़कर होता है। थोड़ा-बहुत चलना भी पड़ता है। आंशिक बधिर व्यक्ति काम कर सकते हैं। यदि व्यक्ति का एक हाथ या एक पैर नहीं है तो भी वह काम कर सकता है।

शैक्षिक योग्यता : इसके लिए विकलांग व्यक्ति को स्नातकोत्तर उपाधि संबंधित विज्ञान विषय में हासिल करनी पड़ती है। कृषि विज्ञान और कृषि इंजीनियरिंग में डिग्री इस काम में प्रवेश में काफी सहायता करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि वैज्ञानिकों की बहुत आवश्यकता है। आजादी के बाद कृषि के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, पर अभी भी बहुत काम बाकी है और कृषि वैज्ञानिकों की तादाद बढ़ेगी। विकलांग विद्यार्थी इस काम को लक्ष्य बनाकर अपने विषय चुन सकते हैं।

इसी प्रकार फल उद्यान (Horticulture) के क्षेत्र में भी विकलांग व्यक्ति उतर सकते हैं। उद्यान शास्त्री भी विभिन्न प्रकार के फल, फूल, सब्जियों, सजावटी झाड़ियों, पेड़ आदि के बेहतर प्रकार को विकसित करने के लिए लगातार अनुसंधान करते हैं। वे फलों के भंडारण, ढुलाई, उनका उपयोगी रूपांतर (processing) और विक्रय आदि को आसान और उपयोगी बनाने के लिए भी निरंतर शोध करते हैं। जमीन के गुणों का अध्ययन इन गुणों के अनुरूप उचित प्रकार के पौधों की रापाई उचित प्रकार के बीजों का प्रयोग पौधों को एक स्थान

से दूसरे स्थान पर ले जाना, उद्यानों का रख-रखाव आदि का दायित्व भी उनके जिम्मे होता है। सब्जियों की गुणवत्ता और उत्पादन मात्रा बढ़ाने, बुआई का सही समय निश्चित करना, जमीन तैयार करना, फूलों, सब्जियों की प्रदर्शनी लगाने जैसे काम भी वे करते हैं।

उपर्युक्त कार्यों में शारीरिक जरूरतें लगभग वैसी हैं जैसी कृषि वैज्ञानिकों की हैं। जो विद्यार्थी कृषि वैज्ञानिक बनने की तैयारी कर रहे हैं वे एकाध विषय में परिवर्तन करके इस दिशा में भी कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिशा में असीम संभावनाएँ हैं।

14. भौतिक शास्त्री : भौतिक शास्त्री भौतिक विज्ञान में सैद्धांतिक शोध और व्यावहारिक शोध दोनों करते हैं। भौतिक विज्ञान एक व्यापक विषय है और इसकी अनेक शाखाएँ हैं। इनमें गुरुत्वाकर्षण, पदार्थ के गुण, उष्मा, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत्, चुंबकीय गुण, इलेक्ट्रॉनिक्स, परमाणु विज्ञान, जैव भौतिकशास्त्र, खगोल भौतिकशास्त्र, भूगर्भ भौतिकशास्त्र आदि शामिल हैं और हरेक खंड काफी विशाल है तथा शोध की अपार संभावनाएँ हरेक में काफी हैं।

औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्र में आने वाली दिक्कतों में से बहुत सी समस्याओं का समाधान भौतिकशास्त्री अपने शोध से कर सकते हैं। वे पदार्थ की गति के नियमों, विद्युत् गुणों, गुरुत्वाकर्षण केंद्र, दबाव आदि का अध्ययन करके पदार्थों के प्रकार आदि का पता लगाकर दूसरे पदार्थों के साथ मिलकर नए पदार्थ आदि तैयार कर सकते हैं। नए शोध परिणामों का लाभ उठाकर सामने आने वाली औद्योगिक क्षेत्र की समस्या का हल निकाल सकते हैं। वे बारीकी से नापने वाले यंत्र आदि का भी निर्माण करते हैं। सौरमंडल खगोल विद्या, जीव विज्ञान, भौतिकी का अध्ययन आदि करके, उपलब्ध आँकड़ों का विश्लेषण करके जनहित में उसका उपयोग करते हैं।

उपर्युक्त कार्य ज्यादातर प्रयोगशाला में होते हैं और इनमें मस्तिष्क की बहुत ज्यादा और शारीरिक अंगों की आवश्यकता बहुत कम होती है। जब बाहर क्षेत्र में शोध करना पड़ता है और आँकड़े आदि इकट्ठे करने होते हैं तो कष्ट हांता है, पर बाहर अकसर समूह में जाना होता है और विकलांग व्यक्ति बाहर का काम भी सहायक की सहायता से कर सकते हैं।

भौतिक शास्त्री ज्यादातर बैठकर खड़े होकर, देखकर थोड़ा बहुत चल फिरकर तथा लिख पढ़कर काम करते हैं आशिक बधिर एक हाथ या एक पैर

वाले व्यक्ति आसानी से इस प्रकार के काम कर सकते हैं।

शैक्षिक योग्यता : भौतिकशास्त्री बनने के लिए भौतिकशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य है। तरक्की करने के लिए भौतिकशास्त्र की किसी भी शाखा में डॉक्टरेट आवश्यक है। भारत सरकार की विभिन्न प्रयोगशालाओं जैसे सी०एस०आई०आर० आदि, रक्षा विभाग की प्रयोगशालाओं और निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में भौतिकशास्त्रियों की बड़ी भारी माँग है। विकलांग विद्यार्थी इस व्यवसाय को लक्ष्य बनाकर अपने विषय चुन सकते हैं।

15. डॉक्टर : डॉक्टर शरीर में होने वाली बीमारियों की जाँच करके उनके इलाज का प्रबंध करता है। वह मरीज को स्टेथेस्कोप से जाँचना है। उसके रक्त का दबाव नापता है। अन्य तरीकों से बीमारी के लक्षण जानने की कोशिश करता है। इसके लिए एक्स-रे आदि लेने की व्यवस्था भी करता है। वैज्ञानिक तरीके से जाँच कर वह दवा देता है। मुश्किल मामलों में वह अन्य डॉक्टरों/विशेषज्ञों से राय लेता है। मरीज को स्वस्थ रखने के लिए हर प्रकार के उपाय सुझाता है और मरीज के मर्ज व दी गई दवाओं का रिकॉर्ड भी रखता है। मरीजों को आवश्यकतानुसार छुट्टी से वापस ड्यूटी पर जाने के लिए प्रमाण-पत्र भी जारी करता है।

उपर्युक्त कार्य शांत और सुविधाजनक माहौल में करना पड़ता है। किसी बड़ी दुर्घटना या आपातकाल को छोड़कर ज्यादा भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ती है। इसमें किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना नहीं होती है। ज्यादातर काम बैठकर या खड़े होकर करना पड़ता है। देखने और सुनने की आवश्यकता पड़ती है। एक हाथ या एक पैर वाला व्यक्ति आराम से डॉक्टरी का पेशा अपना सकता है।

शैक्षिक योग्यता : इंटरमीडिएट के बाद प्रवेश परीक्षा द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश मिलता है। विकलांग व्यक्ति एलोपैथिक, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। ये पाठ्यक्रम काफी कठिन होते हैं और इनमें सैद्धांतिक विषयों के अलावा व्यावहारिक विषय भी पढ़ाए जाते हैं। पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद इंटरशिप भी करनी पड़ती है।

डॉक्टरों की भारत में बहुत माँग है। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में माँग बहुत ज्यादा है। डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में भी काम कर सकते हैं। वरिष्ठ होने पर निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इस व्यवसाय में तरक्की और पैसे के अलावा सम्मान भी खूब मिलता है।

करने का काम करते हैं। वे मशीन का आकार-प्रकार व सीमाएँ तय करते हैं। वे उसके कार्य करने के ढंग को तय करते हैं। मशीन की समय-समय पर जाँच करने, गलतियाँ दूर करने, उसकी देखभाल करने, उसमें निरंतर सुधार करने, नई तकनीक पर आधारित सुधार करने का काम करते हैं। ज्यादातर कंप्यूटर सेंटर में सिस्टम अधिकारी abtic इंजीनियर की आवश्यकता होती है और यह बड़ी जिम्मेदारी का काम है। इसमें कार्य करने वाले को प्रशिक्षण देने का कार्य भी सिस्टम अधिकारी का होता है।

उपर्युक्त कार्य ज्यादातर बंद कमरे में शांत व वातानुकूलित वातावरण में होते हैं। इसमें दुर्घटना की संभावना नहीं के बराबर होती है। ये कार्य बैठकर, खड़े होकर, थोड़ा-बहुत चल-फिरकर, लिख-पढ़कर काम करना होता है। एक हाथ वाले, एक पैर वाले, आंशिक बधिर व्यक्ति इस प्रकार के कार्य बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के दोनों हाथ या दोनों पैर नहीं हैं तो भी वह कार्य कर सकता है।

शैक्षिक योग्यता : सिस्टम अधिकारी को कंप्यूटर का पर्याप्त ज्ञान आवश्यक है। कंप्यूटर में स्नातक डिग्री और कंप्यूटर की देख-रेख का अनुभव प्राप्त करके व्यक्ति सिस्टम अधिकारी की जिम्मेदारी उठा सकता है। इसमें मशीन के हर पहलू की जानकारी होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की खराबी होने पर उसे ठीक किया जा सके। सिस्टम अधिकारी अनुभव प्राप्त करके बड़े-बड़े सिस्टम की देख-रेख कर सकते हैं। इसमें पदोन्नति की काफी संभावनाएँ होती हैं।

17. कंप्यूटर ऑपरेशन अधिकारी : जिस प्रकार सिस्टम अधिकारी पूरे कंप्यूटर सिस्टम की देखरेख करते हैं उसी प्रकार कंप्यूटर ऑपरेशन अधिकारी कंप्यूटर से ज्यादा-से-ज्यादा काम लेने का प्रयास करते हैं। वे बूटिंग, डिस्क, टेप और अन्य पुर्जों आदि का रख-रखाव करते हैं। वे कंप्यूटर के साथ सीधा संपर्क बनाए रखते हैं। कंप्यूटर पर चल रहे काम को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा करते हैं। मशीन को ठीक रखने के लिए आवश्यक एहतियात बरतते हैं। डिस्क और टेप आदि में जो आँकड़े व सूचनाएँ मौजूद हैं उनकी देखरेख और उन्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है।

उपर्युक्त कार्य भी वातानुकूलित कमरे के शांत वातावरण में होते हैं। ये कार्य व्यक्ति ज्यादातर अकेले ही करते हैं। आपस में बातचीत या संपर्क करने की कम ही पड़ती है। इसमें बैठकर खड़े होकर थोड़ा बहुत

चल-फिरकर करना पड़ता है। कभी-कभार झुकना या सुनना पड़ता है। एक हाथ वाले व्यक्ति, एक पैर वाले व्यक्ति, दोनों पैर या और एक हाथ न होने वाले व्यक्ति भी काम कर सकते हैं। आंशिक बधिर व्यक्ति बड़े आराम से काम कर सकते हैं। पूर्ण बधिर व्यक्ति भी काम कर सकते हैं।

शैक्षिक योग्यता : इस नौकरी में आने के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक डिग्री आवश्यक है। यदि स्नातकोत्तर डिग्री हो तो बेहतर है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम बहुत जगह उपलब्ध हैं। आजकल कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ता चला जा रहा है। इस प्रकार के पद लगभग हर विभाग में निकल रहे हैं। विकलांग विद्यार्थी इस पद को लक्ष्य बनाकर अपने विषय चुन सकते हैं और इस लाइन में पदोन्नति की संभावनाएँ काफी हैं।

18. प्रोग्रामर : प्रोग्रामर कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित करते, उन्हें टेस्ट करने और विकसित प्रोग्रामों की देखरेख करने और उनका पूरा लेखा-जोखा रखने का काम करते हैं। वे प्रोजेक्ट लीडर के निर्देशन में विश्लेषण करने, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और ऑपरेशन रिसर्च का उपयोग करने का काम भी करते हैं।

यह कार्य भी घातानुकूलित कमरे के शांत वातावरण में किया जाता है। ज्यादातर यह कार्य अकेले किया जाता है और इसमें किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना नहीं होती है। उसमें बैठकर, कभी-कभार खड़े होकर, देखकर, थोड़ा-चल-फिरकर काम करना होता है। कभी-कभार मुड़ना पड़ता है और थोड़ा-बहुत सुनने की भी आवश्यकता होती है। एक हाथ वाला व्यक्ति, एक पैर वाला व्यक्ति बड़े आराम से काम कर सकता है। अगर व्यक्ति के दोनो पैर खराब हैं और एक हाथ भी नहीं है तो भी वह काम कर सकता है। आंशिक बधिर के लिए यह काम आसान है। पूर्ण बधिर भी कुछ कठिनाइयों के साथ काम कर सकता है।

शैक्षिक योग्यता : इस नौकरी के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक डिग्री आवश्यक है। यह पाठ्यक्रम बहुत जगह उपलब्ध है। विकलांगों के लिए इस पाठ्यक्रम को करके इस नौकरी को पाना बहुत आसान है।

19. आर्टिस्ट : विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाओं, पुस्तकों, पोस्टरों, बोर्डों में चित्रों के लिए आर्टिस्ट कलाकारों की आवश्यकता होती है। ये कलाकार अन्य संबद्ध लोगों से सलाह-मशविरा करके डिजाइन व चित्र तैयार करते हैं ये तरह-तरह के डिजाइन तैयार करके रंग भरकर उन्हें छपने योग्य बनाते हैं यह काम बड़ा रोचक होता है

यह काम कमरे के अंदर शांत व स्वच्छ वातावरण में होता है और इसमें किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना नहीं होती है। इसमें बैठकर, खड़े होकर काम करना पड़ता है। कभी-कभी मुड़ना भी पड़ता है। देखने और कभी-कभी सुनने की भी आवश्यकता पड़ती है। कभी-कभी चलना-फिरना भी पड़ता है। आंशिक बधिर या पूर्ण बधिर व्यक्तियों के लिए यह कार्य बहुत आसान है। वे शोर-शराबे से विचलित हुए बगैर ध्यानमग्न होकर चित्रकारी कर सकते हैं। एक हाथ या एक पैर वाले व्यक्ति भी इस प्रकार के काम आसानी से कर सकते हैं।

शैक्षिक योग्यता : इस प्रकार के काम के लिए कला के प्राकृतिक गुण तो व्यक्ति में होने ही चाहिए। उसे साथ में कला विद्यालय से ललित कला में स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न कला विषयक पत्र-पत्रिकाओं का भी नियमित अध्ययन करना चाहिए।

आजकल कंप्यूटर द्वारा भी बहुत सारे स्केच, चित्र आदि बनाए जाते हैं। अतः कलाकार को कंप्यूटर द्वारा कार्य करने का ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए। कंप्यूटर पाठ्यक्रम पूरा करके ऐसे सॉफ्टवेयर पैकेज, जिनसे चित्र या स्केच बनाए जा सकते हैं, को इस्तेमाल करना सीख लेना चाहिए।

20. ड्राफ्टमैन : कलाकार की ही तरह विकलांग व्यक्ति ड्राफ्टमैन का भी व्यवसाय चुन सकते हैं। वे विभिन्न प्रकार के नक्शे आदि बनाने और उन नक्शों के अनुसार भवन, बाँधों या सड़कों में लगाने वाले सामानों की संख्या और मात्रा निकाल सकते हैं। वे इसके जरिए पूरी परियोजना की लागत तक निकाल सकते हैं। वे विस्तृत नक्शे, एक खंड का नक्शा आदि तैयार कर सकते हैं। साथ में कार्य करने के लिए विभिन्न स्तर पर आवश्यक नक्शे तैयार कर सकते हैं। विभिन्न स्तर पर विभिन्न प्रकार के श्रमिकों की संख्या का आकलन भी कर सकते हैं।

इस प्रकार का काम शांत व स्वच्छ कमरे में होता है और ज्यादातर काम स्वयं ही करना होता है। इसमें किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका नहीं होती है। इसमें बैठकर व खड़े होकर कार्य करना होता है। कभी-कभी मुड़ना भी पड़ता है। देखने की आवश्यकता पड़ती है। लिखने और पढ़ने की जरूरत हमेशा पड़ती है। आंशिक बधिर व्यक्तियों के लिए यह व्यवसाय बहुत अच्छा है। एक पैर वाला व्यक्ति भी काम कर सकता है। यदि व्यक्ति के दोनों पैर न हों और एक हाथ भी न हो तो भी वह काम कर सकता है।

शैक्षिक योग्यता आम तौर पर ड्राफ्टमैन के लिए आई०टी०आई० स्तर का

पाठ्यक्रम होता है। डिप्लोमा स्तर का पाठ्यक्रम कर लेने से आगे पदोन्नति की संभावना अच्छी होती है। विकलांगों के लिए यह अच्छा रोजगार है। यहाँ एक बात और है कि कंप्यूटर यहाँ भी प्रवेश कर गया है। अब ज्यादातर ड्राइंग कंप्यूटर की सहायता से बनती है। इससे विविधता भी आती है और विकलांग व्यक्ति को लंबे-चौड़े ड्राइंग बोर्ड पर हाथ नहीं चलाना पड़ता है। गलती होने पर मिटाने के लिए ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है। कंप्यूटर पर ड्राइंग या नक्शे तैयार करना विकलांग व्यक्तियों के लिए ज्यादा सरल है। अतः विकलांग व्यक्तियों को कंप्यूटर का पाठ्यक्रम अवश्य कर लेना चाहिए। आवश्यक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना सीख लेने से लागत वगैरह निकालने में बहुत आसानी हो जाती है।

21. पोस्टमास्टर : पोस्टमास्टर को पोस्ट ऑफिस की पूरी जिम्मेदारी सँभालनी होती है। वह पोस्ट ऑफिस में कार्य कर रहे कर्मचारियों को कार्यों में समन्वय स्थापित करता है और नियंत्रण रखता है। वह निर्धारित नियमों के तहत जनता को तमाम सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपना, सभी काउंटर्स पर जनता को सुविधा सुनिश्चित करना, सभी सुविधाओं की जानकारी जनता को उपलब्ध कराना सरकारी डाक व मनीऑर्डर आदि का वितरण, प्राप्तियों का लेखा-जोखा, बचत बैंकों के खातों का रख-रखाव, ऑडिट करवाना आदि की जिम्मेदारी पोस्टमास्टर की होती है। अनेक स्थानों पर साथ में टेलीग्राफ ऑफिस की जिम्मेदारी भी होती है। नकद रकम आदि का रख-रखाव और उन्हे संबंधित विभागों को सौंपना जैसे कार्य भी पोस्ट मास्टर को करने होते हैं।

उपर्युक्त कार्य कमरे में बैठकर किए जाते हैं और इनमें किसी प्रकार की शारीरिक दुर्घटना की संभावना नहीं होती है। इसमें बैठकर खड़े होकर, सुनकर, लिख-पढ़कर काम करना होता है। एक हाथ वाला और एक पैर वाला व्यक्ति बड़ी आसानी से कार्य कर सकता है। आंशिक बधिर व्यक्ति भी इस जिम्मेदारी को सँभाल सकते हैं।

शैक्षिक योग्यता : इस पद पर भर्ती लिखित प्रतियोगिता व साक्षात्कार के जरिए होती है। इसके लिए स्नातक होना आवश्यक होता है। पोस्ट ऑफिस लगभग हर गाँव में स्थापित हो चुके हैं और बड़ी संख्या में इस विभाग में भर्ती होती है इस विभाग में विकलांगों के लिए काम करना संभव है विकलांग

विद्यार्थी लिखित परीक्षा की तैयारी करके इस नौकरी को पा सकते हैं।

22. प्रिंटिंग प्रेस सुपरवाइजर : इस नौकरी में छपाई की प्रक्रिया की योजना बनाना, समन्वय स्थापित करना और नियंत्रण बनाए रखना होता है। छपाई की प्रक्रिया में तरह-तरह की गतिविधियाँ होती हैं और सुपरवाइजर को हर प्रकार की गतिविधि में लगे कर्मचारी पर नजर रखनी होती है। तरह-तरह की स्याहियों को मिलाने, रंगों का सम्मिश्रण, अंतिम प्रूफ को जाँचने और छपी हुई प्रति जाँचने जैसे काम उसे करने होते हैं। वह प्रेस का सामान्य प्रशासन भी सँभालता है और ग्राहकों के साथ बातचीत, लेन-देन भी करता है।

प्रेस में कार्य करते समय शोर और रंगों, स्याहियों की तीखी गंध का सामना करना पड़ता है। आम तौर पर दुर्घटना की संभावना कम होती है। इसमें बैठकर खड़े होकर, झुककर, लिख-पढ़कर काम करना होता है। एक हाथ वाले, एक पैर वाले व्यक्ति बड़ी आसानी से कार्य कर सकते हैं। शोरगुल वाले वातावरण में बधिर व्यक्ति आराम से काम कर सकते हैं। आंशिक बधिर व्यक्ति पूरे काम की देखरेख कर सकते हैं।

शैक्षिक योग्यता : इस प्रकार की नौकरी में जाने के लिए स्नातक डिग्री के अलावा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में डिग्री या डिप्लोमा भी कर लेना चाहिए। इस प्रकार की नौकरियाँ सरकारी प्रेसों में निकलती हैं। करेंसी नोट छापने वाली प्रेसों में बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है और वेतन भी अच्छा मिलता है। अल्प विकलांगता के शिकार व्यक्तियों के लिए यह नौकरी उत्तम है।

23. जॉब एनालिस्ट : इस नौकरी में विभिन्न प्रकार की नौकरियों का मूल्यांकन, मुख्य पदों का निर्धारण, विभिन्न पदों पर दी जा सकने वाली जिम्मेदारियों का निर्धारण, उनके लिए आवश्यक योग्यता और बुद्धिमत्ता का निर्धारण इन एनालिस्टों के जिम्मे होता है। वह इस समय चल रहे कार्यों और भविष्य में आने वाले कार्यों का विश्लेषण करके हाथ से काम करने वाले की आवश्यकता को कम करने और स्वचालित मशीनों के ज्यादा-से-ज्यादा इस्तेमाल के तरीके सुझाते हैं और कामगारों की स्थिति का अध्ययन और उत्पादकता को बढ़ाने के तरीके भी उच्चाधिकारियों को बताते हैं। वे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफल बनाने का काम भी करते हैं।

इस प्रकार के काम कमरे में बैठकर करने होते हैं। ज्यादातर समूह में काम करना होता है और आपस में बातचीत करनी होती है। दुर्घटना की संभावना नहीं

उपर्युक्त विभागों के अलावा भी बहुत से विभाग हैं जहाँ पर कुछ पदों पर विकलांग व्यक्ति आराम से काम कर सकते हैं। बढ़ते कंप्यूटराइजेशन से उनका काम आसान होता जा रहा है। कुल मिलाकर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि

(1) अस्थिर विकलांग व्यक्ति, जिनके एक हाथ या एक पैर न हों या कमजोर हों, लगभग सभी विभागों में तकनीकी और गैर तकनीकी कार्य कर सकते हैं।

(2) श्रवण-बाधित व्यक्ति उन सभी जगहों पर कार्य कर सकते हैं जहाँ वातचीत की आवश्यकता न हो या कम हो।

(3) नेत्रहीन व्यक्ति आधुनिक सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करके बहुत सारे काम कर सकते हैं। बुक स्कैनर, कंप्यूटर, वायस सिंथेसाइजर के इस्तेमाल से वे आसानी से पढ़-लिख सकते हैं।

कुछ विभागों जैसे स्कूल, कॉलेज, वित्त व लेखा विभाग, अनुवाद विभाग, पुस्तकालय, शोध विभाग में विकलांगों का कार्य बहुत आसान है और इनमें काफी संख्या में विकलांग व्यक्तियों को रखा जा सकता है। बैंकों और बीमा क्षेत्र तथा अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भी काम करना काफी सरल है और विकलांगों को इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है।

अल्पशिक्षित और अशिक्षित विकलांगों के लिए रोजगार के अवसर

यदि हम विभिन्न नौकरियों की कार्यप्रणाली का गहराई से अध्ययन करें तो पाएँगे कि अल्पशिक्षित, यहाँ तक कि अशिक्षित विकलांग व्यक्ति भी अनेक पदों पर कार्य कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए—हम सबसे पहले उन पदों की विवेचना करते हैं जहाँ नेत्रहीन व्यक्ति आराम से काम कर सकते हैं।

(1) रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और हवाई अड्डे पर उद्घोषक : इन जगहों पर टेलीफोन से लगातार सूचनाएँ आती रहती हैं। नेत्रहीन व्यक्ति फोन पर आई सूचना को सामान्य जनों के सूचनार्थ माइक्रोफोन पर आसानी से घोषणा कर सकता है। इसके लिए उद्घोषक का हाई स्कूल या इसके समकक्ष परीक्षा पास होना ही आवश्यक है।

(2) टेलीफोन ऑपरेटर : नेत्रहीन लड़के और लड़कियाँ टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए उनके इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक बीप और उभरे हुए अंक होने चाहिए, ताकि नेत्रहीन नंबर मिलाने में परेशानी न महसूस करे।

(3) शिक्षक : नेत्रहीन शिक्षक प्राइमरी स्तर पर हर विषय और ऊँची क्लासों में कला विषय बड़े आराम से पढ़ा सकते हैं। थोड़ा अनुभव होने के बाद उनमें काफी आत्मविश्वास आ जाता है और वे बच्चों का विश्वास भी जीत सकते हैं।

(4) संगीतकार और संगीत शिक्षक : संगीत नेत्रहीनों का प्रारंभ से ही प्रिय विषय रहा है। नेत्रहीन व्यक्ति संगीत सीख सकते हैं। वे सामान्य विद्यालयों में संगीत की शिक्षा दे सकते हैं और संगीत विद्यालयों में विशेष संगीत शिक्षा भी दे सकते हैं। वे रेडियो व दूरदर्शन पर संगीत का कार्यक्रम दे सकते हैं। वे संगीत रचना भी कर सकते हैं। वे विभिन्न प्रकार के वाद्य बजा सकते हैं। ऐसे कलाकारों

के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। संगीत के क्षेत्र में नेत्रहीनों के लिए प्रगति की कोई सीमा नहीं है।

(5) ऑफिस में नौकरी : नेत्रहीन ऑफिसों में विभिन्न प्रकार के दायित्व निभा सकते हैं। वे डिक्टाफोन और डिजीटल टाइपराइटर के सहारे स्टेनोग्राफर का काम बखूबी कर सकते हैं। थोड़े अनुभव के बाद वे ऑफिस सुपरिंटेंडेंट का कार्यभार भी संभाल सकते हैं।

अल्पदृष्टिवान व्यक्तियों के लिए रोजगार

प्रशासनिक विभागों में अल्पदृष्टिवान पुरुष और महिला अनेक प्रकार के पदों पर कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर—

स्वागती : अल्पदृष्टिवान व्यक्ति आने वाले व्यक्ति का नाम-पता पूछकर उससे संबंधित व्यक्ति से बात करवा सकता है और मिलवा भी सकता है। इस काम में बहुत मामूली लिखा-पढ़ी करनी पड़ती है जो अल्पदृष्टिवान व्यक्ति कर सकता है।

डिस्पैच क्लर्क : अल्पदृष्टिवान रोजाना की डाक को उचित पते पर टिकट लगाकर भेज सकता है। वह आवश्यकतानुसार कोरियर, स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक से पत्र व अन्य सामग्री भेज सकता है।

डाक संदेशवाहक, चपरासी, पानी पिलाने वाला : इन पदों पर भी अल्पदृष्टिवान व्यक्ति कार्य कर सकता है। इन पदों पर दृष्टि की आवश्यकता बहुत कम होती है।

रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम और रिटायरिंग रूम का अटेंडेंट : रेलवे स्टेशन पर स्थित विभिन्न दर्जों के प्रतीक्षालयों और विश्रामगृहों में देखभाल करने का काम अल्पदृष्टिवान व्यक्तियों के लिए बहुत आसान है। इस काम में लिखने-पढ़ने का काम बहुत कम होता है और इन जगहों पर विकलांग व्यक्ति बड़ी कुशलता से कार्य कर रहे हैं।

सामान्य औद्योगिक क्षेत्र में : नेत्रहीन व्यक्ति औद्योगिक क्षेत्र में भी अनेक पदों पर कुशलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, नेत्रहीन व्यक्ति ब्रश बनाने, केन बुनने, चेयर बुनने, चटाई बुनने, छेद करने, सामान पैक करने, प्रशिक्षण पाने के बाद लेथ मशीन चलाने, प्रेस चलाने जैसे काम भी कर सकते हैं। झोतलों में ढक्कन लगाने और निर्माता की मुहर लगाने जैसे कार्य तो वे बहुत

आसानी से कर सकते हैं।

इसी प्रकार अल्पदृष्टिवान व्यक्ति बहुमंजिली इमारतों में लिफ्टमैन का काम, प्रेस चलाने और सामान्य वायरिंग, तारों के गुच्छे आदि बनाने का काम बखूबी कर सकते हैं।

टेक्सटाइल मिलों, सिल्क मिलों आदि में रोजगार : नेत्रहीन व्यक्ति बॉबिन (जिसमें सूत लपेटा जाता है) साफ करने का काम कर सकते हैं। बोरे सिलने, पक करने, लेबल लगाने जैसे काम भी बखूबी कर सकते हैं।

भारी और हलके मशीन उद्योग : प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् नेत्रहीन लेथ ऑपरेटर के रूप में बखूबी कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार वे ड्रिलिंग मशीन, प्रेस आदि चला सकते हैं। हाथ से चलने वाली टेपिंग मशीन, प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन आदि चला सकते हैं। थ्रेडिंग मशीन चलाना, ट्यूब मोड़ने, लेमिनेशन करने जैसे काम भी कर सकते हैं। इन औद्योगिक परिसरों में स्थित भंडारगृह में वे सहायक के रूप में भी कार्य कर सकते हैं।

इसी प्रकार अल्पदृष्टिवान व्यक्ति भी लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन, शेपिंग मशीन, शियरिंग मशीन आदि चला सकते हैं। अल्पदृष्टिवान व्यक्तियों को दरअसल हर प्रकार की मशीन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। वे विभिन्न प्रकार के पुर्जे जोड़ने का काम भी कर सकते हैं।

दवा उद्योग : दवा उद्योग में नेत्रहीनों के लिए काफी संभावनाएँ हैं। वे बोतल धोने से लेकर बोतल में दवा भरने के बाद उसे सील करने का काम बखूबी कर सकते हैं। जिन दवाओं को बूँद-बूँद कर डाला जाता है उनमें ड्रॉपर लगाने का कार्य भी कर सकते हैं। दवा की बोतलों को गत्ते के डिब्बों में डालकर बंद करने का काम भी कर सकते हैं। इन गत्ते के डिब्बों को लकड़ी के डिब्बों में बंद करके कील ठोकने तक का काम कर सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित कार्यों में : नेत्रहीन व्यक्ति खुदाई करना, जमीन समतल करना, खाद डालना, बीज बोना, पानी डालने जैसे कार्य बखूबी कर सकते हैं। इसी प्रकार फल उद्योगों में अल्पदृष्टिवान व्यक्ति कलम तैयार करने से लेकर अनेक प्रकार के काम कर सकते हैं। नेत्रहीन व्यक्ति फूलों का गुलदस्ता तैयार करने, मालाएँ, वेणियाँ तैयार करने जैसे कार्य भी कर सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन और डेयरी उद्योग में पशुओं को नहलाने घुलाने दूध निकालने जैसे काम बखूबी कर सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों में : इन कुटीर उद्योगों में नेत्रहीन व्यक्ति बॉस से बनने वाले सामान, टोकरी आदि के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। वे बीड़ी बनाने, मोतियों की माला बनाने, ताड़ के पत्तों की चटाई बनाने, झाड़ू बनाने, रस्सी बनाने जैसे काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं।

व्यावसायिक कार्यों में : नेत्रहीन व्यक्तियों को विभिन्न व्यावसायिक कार्यों में रोजगार मिल सकता है। मोमबत्ती बनाने, उस्टर बनाने जैसे कार्यों में वे लग सकते हैं। दूकान या खोमचे पर भी वे काम कर सकते हैं।

इसी प्रकार अल्पदृष्टिवान व्यक्ति लॉटरी का टिकट बेचने, जन-सूचना केंद्र आदि चलाने का काम कर सकते हैं।

इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में नेत्रहीन व्यक्ति अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हैं। इस उद्योग में आजकल ज्यादातर कार्य स्वचालित और अर्धस्वचालित मशीनों द्वारा होता है। नेत्रहीन व्यक्ति थोड़ा प्रशिक्षण प्राप्त करके काफी सारे कार्य कर सकते हैं।

अल्पदृष्टिवान व्यक्ति अस्पतालों में चार्ज ब्वाय और आया का काम काफी हद तक कर सकते हैं।

मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए रोजगार

अब तक जितने भी प्रयास विकलांगों के रोजगार के लिए हुए हैं उनसे मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को नहीं के बराबर लाभ हुआ है। उसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि लगभग हर नौकरी के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (आठवीं पास या समकक्ष) रख दी जाती है, जो मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए लगभग असंभव होती है। फिर भी मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति अनेक प्रकार के कार्य सरकारी और गैरसरकारी विभागों में कर सकते हैं।

रेलवे विभाग में मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति निम्न पदों पर कार्य कर सकते हैं :

प्रशासनिक विभागों में

चपरासी : कम बुद्धि वाले व्यक्ति इन विभागों में चपरासी का काम बखूबी कर सकते हैं। वे फाइल देने लेने छोटा मोटा सामान लाने ले जाने पानी पिलाने

आदि कार्य कर सकते हैं। थोड़े अनुभव के बाद वे काम सीख जाते हैं और अपना काम काफी मन लगाकर कर सकते हैं।

संदेशवाहक : थोड़ा अनुभव होने के बाद मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति विभिन्न विभागों में लिखित संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम भी कर सकते हैं। प्रशासनिक विभागों में ऐसे संदेशवाहकों की जरूरत अभी भी पड़ती है।

रिकॉर्ड लिफ्टर : सरकारी विभागों में नए-पुराने रिकॉर्ड काफी सँभालकर रखे जाते हैं। बीच-बीच में इन रिकॉर्डों की आवश्यकता पड़ती है। मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति इन रिकॉर्डों के सिलसिलेवार ढंग से रखने और जरूरत पड़ने पर निकालने का काम कर सकते हैं।

सफाई बाला : सरकारी दफ्तरों में झाड़ू लगाने और सफाई आदि करने का काम भी विकलांग व्यक्ति आसानी से कर सकते हैं। इसमें बुद्धि की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है।

माली : सरकारी दफ्तरों के आसपास की जमीन की सफाई करना, क्यारियाँ बनाना और उनमें मौसम के अनुसार फूलों के पौधे रोपना, उनकी सिंचाई आदि करना मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए संभव है। थोड़ा-बहुत प्रशिक्षण के पश्चात् और उचित देखरेख के द्वारा ये व्यक्ति इस प्रकार का काम बहुत मन लगाकर कर सकते हैं।

वर्कशॉप आदि में

खलासी : रेलवे के संचालन विभाग, वर्कशॉप, संचार विभाग, टूलरूम आदि में बड़ी संख्या में खलासियों की नियुक्ति की जाती है। ये खलासी विभिन्न प्रकार के छोटे-बड़े काम (तकनीकी और गैर तकनीकी) करते हैं। इनमें ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है और वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा देखरेख की जाती है। फाउंड्री शॉप, पेंट शॉप, कैरेज शॉप, वेल्डिंग शॉप, साँ मिल, प्रिंटिंग प्रेस आदि में भी इन खलासियों की जरूरत होती है। प्रारंभ में मानसिक रूप से अविकसित खलासी को पुराने अनुभवी खलासी के साथ लगाया जा सकता है। बाद में ये खलासी अपने आप भी काम करने लगेंगे। दोहराने वाले काम करने में इन व्यक्तियों को काफी आनंद आता है और ये बोर नहीं होते हैं। काम के नतीजे को देखकर इन्हें काफी आनंद आता है।

हालाँकि अब रेलवे में भी स्वचालित यंत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग होने लगा है, पर फिर भी बड़ी संख्या में मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति खलासी के रूप में खप सकते हैं।

इसके अलावा रेलवे के केटरिंग विभाग में बर्तन धोने से लेकर खाना परोसने आदि के काम में इस प्रकार के व्यक्ति नियुक्त किए जा सकते हैं।

हर रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षालय और विश्रामालय होते हैं, जहाँ यात्री प्रतीक्षा या विश्राम करते हैं। इन जगहों पर एक व्यक्ति की जरूरत होती है जो वहाँ की देखरेख कर सके और यात्रियों की थोड़ी-बहुत मदद कर सके। मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति भी इन जगहों पर लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा सामान घर, पार्सल विभाग में लोगों को सामान रखने-निकालने का काम वरिष्ठ कर्मचारी की देखरेख में कर सकते हैं। इस काम में बुद्धि की आवश्यकता बहुत कम होती है।

गरमियों के दिनों में रेल विभाग लोगों को ठंडा पानी पिलाने के लिए भी बड़ी संख्या में कर्मचारी भर्ती करता है। इस काम के लिए भी मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को भर्ती किया जा सकता है।

इसके अलावा लोकोशेड, ट्रेन की जाँच करने वाले गैंग, अन्य इंजीनियरिंग कार्यों के लिए बनाए गए गैंग में भी मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को खपाया जा सकता है। ये लोग रेलवे स्टेशन पर कुली के रूप में भी काम कर सकते हैं।

अतः हम देख सकते हैं कि जो मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और आम बोलचाल की भाषा बोलते और समझते हैं वे इस विभाग में अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हैं।

पोस्ट और टेलीग्राफ विभाग : इसी प्रकार पोस्ट और टेलीग्राफ विभाग में भी प्रशासनिक विभागों में मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति चपरासी, संदेशवाहक, अर्दली, रिकॉर्ड लिफ्टर, पैकर आदि पदों पर कार्य कर सकते हैं। वे सफाई का काम भी कर सकते हैं। पानी आदि भी पिला सकते हैं।

इसी प्रकार लगभग हर प्रकार के दफ्तरों में ये लोग खप सकते हैं, सिर्फ हिम्मत और शुरुआत की आवश्यकता है। दफ्तरों के अलावा अन्य क्षेत्रों में मानसिक रूप से अविकसित लोगों को लगाया जा सकता है; जैसे—

डेयरी उद्योग जानवरो को खुले में चराने बाँधकर चारा देने उन्हें नहलाने

गेवर आदि इकट्ठा करने, सफाई करने जैसे काम मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति किसी की देखरेख में भली प्रकार कर सकते हैं।

डेयरी उद्योग की तरह ही अन्य ग्रामीण उद्योगों जैसे, मुर्गीपालन, सुअर-पालन आदि से भी मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति छोटे-बड़े कामों को करके अपनी जीविका कमा सकते हैं।

बड़ी-बड़ी दूकानों में : खास तौर पर थोक व्यापारियों के यहाँ सामान निकालने, तौलने में मदद करने और गाड़ी में लादने आदि में मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति रोजगार पा सकते हैं।

खेती में : बुआई के समय, कटाई के समय बड़ी संख्या में गैर कुशल मजदूरों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ये लोग घास काटने, जानवरों का चारा आदि इकट्ठा करने, बेकार उत्पादों को अलग करने जैसे काम में उपयोगी साबित होते हैं।

टिंबर उद्योग, गुड़-खांडसारी उद्योग : इन उद्योगों में भी गैर कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। ये लोग लकड़ी के कटने समय उसे पकड़े रखने, गन्ने के रस निकालते समय ध्यान रखने आदि का काम कर सकते हैं।

इसी प्रकार तेल मिलों, तंबाकू उद्योग, लकड़ी के फर्नीचर उद्योग में भी ये लोग खप सकते हैं। ये लोग दर्जी, मोची आदि के कामों में सहायक का काम कर सकते हैं।

किताबों के बाइंडर, पेपर, बास्केट बनाने वालों के कामों में ये लोग सहायक की भूमिका निभा सकते हैं। चल रहे भवन निर्माण कार्य में भी मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति कुली के रूप में काम कर सकते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पागल-से दीखने वाले ये लोग भी समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकते हैं। अतः विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही संस्थाओं को चाहिए कि अपने इलाके में जो रोजगार उपलब्ध हों उनमें जहाँ-जहाँ मंदबुद्धि व्यक्ति काम कर सकें, उन्हें लगाने का प्रयत्न करें। अत्यंत मंदबुद्धि व्यक्तियों को छोड़कर शेष व्यक्ति रोजगार में लग सकते हैं।

अल्पशिक्षित विकलांगों (सभी प्रकार के) के लिए रोजगार

जो विकलांग व्यक्ति स्नातक स्तर की शिक्षा न हासिल कर पाए हों, पर इटरमीडिएट स्तर तक शिक्षित हो या आई०टी०आई० पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हों

वे इस प्रकार के रोजगार कर सकते हैं:

लेबोरेटरी असिस्टेंट : इस प्रकार के पद लगभग हर प्रकार की प्रयोगशालाओं में होते हैं। इसमें व्यक्ति नियमित रूप से होने वाले प्रयोगों को स्वयं भी करता है और दूसरे लोगों की सहायता भी करता है। वह प्रयोगों के लिए आवश्यक उपकरणों को उचित जगह पर लगा देता है। आवश्यकता पड़ने पर बिजली के कनेक्शन आदि जोड़ देता है। प्रयोग पूरा होने के बाद उपकरणों को साफ करके अपनी जगह पर रख देता है। वह इन उपकरणों की उचित देखरेख भी करता है। आवश्यकता पड़ने पर इनकी छोटी-मोटी मरम्मत भी करता है।

इस प्रकार के कार्य में ज्यादातर बैठकर, खड़े होकर हलका-फुलका सामान इधर से उधर रखकर काम करना होता है। इसमें कभी-कभार झुकना भी पड़ता है। विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड आदि भरने और सँभालकर रखने पड़ते हैं। एक पैर वाला व्यक्ति आराम से काम कर सकता है। आंशिक बधिर या पूर्ण बधिर व्यक्ति भी काम कर सकता है। कुछ मामलों में दोनों पैर खराब होने वाला व्यक्ति भी कार्य कर सकता है। एक बार नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद यदि शैक्षिक योग्यता बढ़ा ली जाए तो पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है।

डाफ्टमैन : इस पद पर काम करने वाले व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के और विभिन्न आकार के नक्शे आदि तैयार करने पड़ते हैं। आजकल कंप्यूटर के आ जाने से यह कार्य और सरल हो गया है तथा विकलांगों के लिए काम करना और आसान हो गया है। इसमें बैठकर, देखकर और कभी-कभार मुड़कर काम करना पड़ता है। एक पैर वाला व्यक्ति बड़े आराम से कर सकता है। आंशिक बधिर और बधिर व्यक्ति भी कार्य कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता बढ़ाने जैसे डिप्लोमा आदि कर लेने से या अनुभव प्राप्त कर लेने से पदोन्नति की अच्छी संभावनाएँ हो जाती हैं।

अनुवादक : विश्व में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। भारत में भी 13-14 भाषाएँ बोली और लिखी जाती हैं। एक भाषा के साहित्य को दूसरी भाषा में अनुवाद करने के लिए अनुवादक की आवश्यकता होती है और इसके लिए जिस भाषा के साहित्य का अनुवाद किया जा रहा है और जिस भाषा में अनुवाद किया जा रहा है—दोनों में स्नातक स्तर की योग्यता होना और थोड़ा अनुभव होना आवश्यक है।

इसमें सिर्फ बैठकर और देखकर कार्य करना पड़ता है अतः गंभीर विकलांगता

के शिकार भी कार्य कर सकते हैं। विदेशी भाषा का ज्ञान होने से पदोन्नति की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। अनुवादक का कार्य करने वाला व्यक्ति दुभाषिए के रूप में ब्राह्मण में भी उपयोगी भूमिका निभाता है।

कार्टूननिस्ट : हर अखबार और पत्रिका में कार्टूननिस्ट की अहम भूमिका होती है। कार्टूननिस्ट के लिए कुशल मस्तिष्क की आवश्यकता होती है और बिना अधिक शारीरिक श्रम किए कार्टून बनाए जा सकते हैं। हालाँकि इस कार्य के लिए कोई निश्चिन्त शैक्षिक योग्यता तो नहीं निर्धारित की जा सकती है, पर व्यक्ति को अच्छा सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समझ होनी चाहिए।

इसमें भी देखकर तथा बैठकर काम करना होता है और एक पैर वाले, यहाँ तक कि बिना पैरों वाले व्यक्ति भी, इस काम को कर सकते हैं। बधिर व्यक्ति और अंशिक बधिर व्यक्ति भी अच्छे कार्टूननिस्ट बनते देखे गए हैं।

हैंडराइटिंग/फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट : बढ़ते अपराधों के मद्देनजर हैंडराइटिंग या फिंगर एक्सपर्ट की माँग भी बढ़ती चली जा रही है। ये लोग लिखावट या अंगुलियों के निशानों के आधार पर मुजरिम को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह विज्ञान आजकल काफी प्रगति कर गया है और लिखावट आदि पहचानना आसान भी हो गया है। उचित प्रशिक्षण के पश्चात् व्यक्ति नौकरी पा सकता है और इसमें देखकर कार्य करना होता है। अतः एक हाथ वाला या एक पैर वाला व्यक्ति आसानी से कार्य कर सकता है। जिसके दोनों पैर नहीं हैं वह भी कार्य कर सकता है।

क्लैरिकल सेवा : प्रशासनिक विभागों में बड़ी संख्या में क्लर्कों, टाइपिस्टों, स्टेनोग्राफरों, दस्तावेज संभालने वालों, हिसाब-किताब करने वालों, भुगतान लेने और करने वालों की आवश्यकता पड़ती है।

हाई स्कूल से लेकर स्नातक स्तर के विकलांग व्यक्ति इस प्रकार का कार्य बखूबी कर सकते हैं। इसमें बैठकर, लिखकर, सुनकर और देखकर कार्य करना पड़ता है। गतिशीलता की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। अतः एक हाथ वाले, एक पैर वाले, यहाँ तक कि दोनों पैर के बिना भी, लोग काम कर सकते हैं। जहाँ पर जनसंपर्क नहीं करना पड़ता है वहाँ पर बधिर व्यक्ति भी काम कर सकते हैं।

आजकल कंप्यूटर का प्रयोग बहुत बढ़ गया है। इसका प्रत्यक्ष फायदा विकलांगों को हुआ है। जो सूचनाएँ पहले मोटे और भारी दस्तावेजों, रजिस्ट्रों और खातों में दर्ज की जाती थीं वे अब हलकी-फुलकी फ्लॉपी में दर्ज हो जाती हैं।

अतः गंभीर विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति भी उपयोगी कार्य कर सकते हैं।

इस प्रकार की नौकरियाँ सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र, बैंक, बीम और अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्ध हैं।

टेलीफोन ऑपरेटर/टेलीग्राफ ऑपरेटर और संबंधित संचार मशीनों के ऑपरेटर : आज के युग में सूचना का महत्त्व अत्यंत बढ़ गया है। हर व्यक्ति, हर कार्यालय नवीनतम सूचना के आधार पर ही निर्णय और उसका कार्यान्वयन करना चाहता है।

कार्यालयों में पी०बी०एक्स० आधारित टेलीफोन एक्सचेंज होना आम बात हो गई है। फैक्स और ई-मेल की सुविधा भी बहुत सस्ती होती जा रही है। इन सारे संचार माध्यमों को एक जगह रखकर सारी सूचनाएँ प्राप्त करके संबंधित व्यक्तियों और अधिकारियों तक तत्काल पहुँचाना आवश्यक हो गया है। इनके संचालन का दायित्व विकलांग व्यक्ति बखूबी कर सकता है।

इसमें बैठकर और सुनकर कार्य करना होता है। इसमें से कुछ कार्य नेत्रहीन और अल्पदृष्टिवान व्यक्ति भी कर सकते हैं। शेष कार्य अस्थि विकलांग व्यक्ति, जिसका एक हाथ या एक पैर न हो, या दोनों पैर न हों या जिसे मुड़ने आदि में परेशानी होती हो, कर सकता है।

इस प्रकार का काम लगभग हर दफ्तर में उपलब्ध होता है। हाई स्कूल पास व्यक्ति भी यह काम कर सकता है। कंप्यूटर पर ई-मेल आदि भेजना भी आसान है और व्यक्ति एक हफ्ते में यह काम भी सीख जाता है।

वस्त्र उद्योग में रोजगार : वस्त्र उद्योग में विकलांग व्यक्ति वस्त्र डिजाइन करने, कपड़ा काटने, स्वचालित और अर्धस्वचालित मशीनों द्वारा सिलने का काम बखूबी कर सकते हैं।

इसके अलावा कढ़ाई आदि का कार्य अस्थि विकलांग और मूक-बधिर बखूबी कर सकते हैं। भारत में जरी की कामदार साड़ियों, लहंगों, दुपट्टे, कुर्तों आदि की भारी माँग है और यह काम अभी भी हाथ से किया जाता है। विकलांगों को इस दिशा में आगे बढ़ने और प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किए जाने की आवश्यकता है। गंभीर विकलांगता के शिकार व्यक्तियों में भी अगर हुनर विकसित हो जाए तो वे भी उपयोगी कार्य कर सकते हैं।

चर्म उद्योग में रोजगार : आज भी भारत में चमड़े का कार्य ज्यादातर हाथों से या छोटी मशीनों से होता है। विकलांग व्यक्ति चमड़ा काटने, सिलने, तल्ल

आदि लगाने जैसे काम कर सकते हैं। वे छोटी मशीनों का उपयोग करके ज्यादा उत्पादन भी दे सकते हैं। प्रशिक्षण पाकर वे चमड़े का सामान डिजाइन करने से लेकर गुणवत्ता नियंत्रण तक का कार्य संभाल सकते हैं। चमड़े की अटैची, बटुआ, बेल्ट आदि की काफी माँग है और ये वस्तुएँ निर्यात भी होती हैं। अस्थि विकलांग व्यक्ति और मूक-बधिर व्यक्तियों के लिए यह अच्छा रोजगार है। एक हाथ वाले या एक पैर वाले व्यक्ति बड़ी आसानी से कार्य कर सकते हैं।

लकड़ी उद्योग : आम जीवन में लकड़ी और उससे बनी वस्तुओं का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। एक ओर लकड़ी से बने हुए फर्नीचर इस्तेमाल किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर लकड़ी का बना नक्काशीदार सजावटी सामान इस्तेमाल होता है। विकलांग व्यक्ति फर्नीचर उद्योग में भी रोजगार पा सकते हैं और नक्काशीदार सजावटी सामान बनाने वाले व्यवसाय में भी। नक्काशीदार सामान बनाने वाले उद्योग में अस्थि विकलांग और मूक-बधिर व्यक्ति पूरी एकाग्रता के साथ कार्य कर सकते हैं। इस दिशा में इन्हें प्रेरित करने और प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है।

घड़ी और सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के निर्माण उद्योग : घड़ी और इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के निर्माण उद्योग में तैयार पुर्जों को जोड़ा जाता है। हलके पुर्जे होने के कारण विकलांगों को कार्य करने में कतई परेशानी नहीं होती है। अस्थि विकलांग और मूक-बधिर व्यक्ति इस क्षेत्र में रोजगार पा सकते हैं। यदि आई०टी०आई० स्तर का प्रशिक्षण मिल जाए तो विकलांग व्यक्ति अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण बखूबी कर सकते हैं।

शीशा उद्योग में रोजगार : शीशा उद्योग में सफाई के काम की आवश्यकता होती है। शीशे को ढालना, काटना, ग्राइंड करना, पालिश करना जैसे कामों में कुशलता की काफी जरूरत होती है और शारीरिक श्रम की आवश्यकता काफी कम होती है।

शीशे से बने सामानों की भारी माँग है और शीशे के उपकरणों, चश्मों और सजावटी सामान का निर्माण मशीनों पर किया जाता है। विकलांग व्यक्तियों को ग्लास टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण दिलाकर इस उद्योग में उपयोगी कार्य करने लायक बनाया जा सकता है। अस्थि विकलांग व्यक्तियों और मूक-बधिरों के लिए यह आसान व्यवसाय है।

पर होता है। प्रशिक्षण पाने के बाद विकलांग व्यक्ति इनमें बखूबी कार्य कर सकते हैं। एक हाथ वाले या एक पैर वाले व्यक्ति के लिए मशीन चलाना कठिन नहीं है। रबर के पदार्थों और टायरों की भारी माँग है और यह माँग बनी रहेगी।

छपाई उद्योग : छपाई उद्योग में भी काफी विविधताएँ हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग और ब्लॉक प्रिंटिंग का काम हाथ से होता है और विकलांगों के लिए सुगम है। इस कार्य में अत्यंत विकलांगता के शिकार व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जा सकता है।

इसके अलावा ऑफसेट प्रिंटिंग का कार्य स्वचालित मशीनों पर होता है, जहाँ उसमें कुछ कार्य जैसे टाइपसेटिंग, फोटोपेंस्टिंग आदि विकलांगों के लिए सुगम हैं। अल्प विकलांगता के शिकार व्यक्ति मशीनों पर भी काम कर सकते हैं।

छपाई उद्योग में रोजगार संभावनाएँ काफी प्रबल हैं। कागज के अलावा गन्ने कपड़े (रेशमी और सादा) आदि पर भी छपाई की जाती है।

पेंटिंग : पेंटिंग के द्वारा तैयार माल की न सिर्फ सुरक्षा की जाती है, बल्कि उसे खूबसूरती भी प्रदान की जाती है। पेंटिंग हाथ से भी की जाती है और मशीन द्वारा सज्जे करके भी की जाती है। विकलांगों के लिए यह कार्य सुगम है। इसमें बैठकर, खड़े होकर और देखकर कार्य किया जाता है। एक पैर वाले व्यक्ति आसानी से यह कार्य कर सकते हैं। बधिर और आंशिक बधिर व्यक्तियों के लिए यह कार्य उत्तम है।

संगीत साज निर्माण उद्योग : भारत में संगीत साज सामानों की माँग लंबे समय से रही है और आगे भी रहेगी। हारमोनियम, तबला, पियानो आदि घर-घर में प्रयोग किए जाते हैं।

इन साजों के बनाने में बारीकी की आवश्यकता होती है और शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता बहुत कम होती है। अतः विकलांगों के लिए यह कार्य खासा सरल है। चूँकि यह कार्य ध्यानमग्न होकर किया जाता है और जनसंपर्क की कोई जरूरत नहीं होती है, अतः गंभीर विकलांगता के शिकार व्यक्ति भी इस प्रकार के रोजगार से लग सकते हैं।

अगरबत्ती उद्योग, आतिशबाजी उद्योग, योमबत्ती उद्योग और खिलौना उद्योग : उपर्युक्त उद्योग लगातार चलने वाले हैं, क्योंकि इन सामानों की माँग सदा बनी रहती है। इन उद्योगों में ज्यादातर काम हाथों से या छोटी मशीनों से होता है जो विकलांगों के लिए है सिर्फ उद्योग है और

इसमें दुर्घटना की संभावना काफी होती है। अन्य उद्योग सुरक्षित हैं और इनमें नेत्रहीन भी अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हैं। गंभीर विकलांगता के शिकार और विकलांग महिलाओं के लिए भी यहाँ काम करना आसान है। मूक-बधिर व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर अपने हुनर का प्रदर्शन कर सकते हैं।

कृत्रिम अंग निर्माण उद्योग : सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रही कंपनी एलिम्फो बड़े पैमाने पर कृत्रिम अंगों का निर्माण कर रही है। इस कंपनी में बड़ी संख्या में विकलांग व्यक्ति कार्य करते हैं। इसके अलावा देश में डेढ़ सौ से अधिक जगहों पर विकलांगों के लिए कृत्रिम अंगों की आवश्यकता:नुसार फिटिंग की जाती है। यह काम ज्यादातर स्वयंसेवी संस्थाओं या सरकारी माध्यमों से किया जाता है। इन जगहों पर विकलांगों को लगाया जा सकता है। सही नाप लेना, नाप के अनुसार मोल्ड बनाना या कैलीपर बनाना विकलांगों के लिए आसान है। इसके लिए उन्हें आर्थोटिक्स या प्रॉस्थेटिक्स में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अनेक जगह विकलांग व्यक्ति कुशलतापूर्वक कार्य कर भी रहे हैं। यह भी देखा गया है कि जब विकलांग व्यक्ति नव विकलांग को कैलीपर लगाकर अभ्यास कराते हैं तो नव विकलांग का मनोबल बढ़ता है और वह जल्दी अभ्यास करता है।

स्वर्ण उद्योग, हीरा कटाई उद्योग : ये उद्योग भी विकलांगों के लिए सुगम हैं। इनमें शारीरिक श्रम के बजाय बारीकी के काम की आवश्यकता होती है। इनमें बैठकर और देखकर काम करना होता है। जनसंपर्क की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। अतः बधिर या आंशिक बधिर व्यक्ति यहाँ काफी सफल होते हैं। गंभीर विकलांगता के शिकार, जिनके दोनों पैर कटे हों, वे भी आसानी से काम कर सकते हैं।

भारत में ये उद्योग लगातार प्रगति कर रहे हैं, अतः विकलांग व्यक्तियों को योजनाबद्ध तरीके से प्रशिक्षित करके इन उद्योगों में लगाया जा सकता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अप्रशिक्षित व्यक्ति भी थोड़ा-बहुत प्रशिक्षण पाकर अच्छा रोजगार पा सकते हैं और अपने साथ अपने परिवार का भी भरण-पोषण कर सकते हैं।

अशिक्षित और अकुशल विकलांगों के लिए रोजगार

उपर्युक्त के अलावा ऐसे भी विकलांग व्यक्ति होते हैं जो बिल्कुल अशिक्षित हैं और उन्हें प्रशिक्षण आदि देना संभव नहीं होता है। पर ऐसे लोग भी काफी हद तक उपयोगी रोजगार में लग सकते हैं।

सरकारी दफ्तरों में : चपरासी, दफ्तरी, सफाई बाला आदि पदों पर बैठकर, चल-फिरकर, देखकर काम करना होता है। अतः इन पदों पर अस्थिर विकलांग व्यक्ति, जिनके एक हाथ या एक पैर न हो या आंशिक बधिर व्यक्ति काम कर सकते हैं।

इनमें से कुछ विकलांग, जिन्हें थोड़ी समझ आ जाए, फोटो कॉपी मशीन चलाने या ऐसे काम में लगाए जा सकते हैं।

डाक-तार विभाग में : लेटर बॉक्सों से डाक लाने का काम अशिक्षित विकलांग कर सकते हैं। नाम, पता आदि पढ़ने की योग्यता रखने वाले विकलांगों को डाक छाँटने पर लगाया जा सकता है। ये लोग तार छाँटने का काम भी कर सकते हैं और उन्हें पहुँचाने का काम भी कर सकते हैं।

खाना बनाने का काम : विभिन्न विभागों की कैटीनो में, पेंटी में विकलांग को नियुक्त किया जा सकता है। यहाँ पर अल्प विकलांगता के शिकार व्यक्ति काम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक पैर कमजोर या निष्क्रिय बाला व्यक्ति काम कर सकता है। आंशिक बधिर या बधिर व्यक्ति भी काम कर सकते हैं।

ऐतिहासिक वस्तुओं, इमारतों की देखरेख : भारत में बड़ी तादाद में ऐतिहासिक इमारतें हैं। इनकी देखरेख पुरातत्व विभाग के जिम्मे होती है। इन जगहों पर आंशिक बधिर या बधिर कर्मचारी रखे जा सकते हैं, जो इन इमारतों की साफ-सफाई और देखरेख कर सकते हैं।

कपड़ों की धुलाई और ड्राइक्लीनिंग उद्योग में रोजगार : यह उद्योग निरंतर चलने वाला उद्योग है और इसकी माँग लगातार बनी रहती है। आजकल हाथ के अलावा मशीन से धुलाई भी होने लगी है और इस कारण अल्प विकलांगता के शिकार व्यक्तियों का इसमें लगना आसान हो गया है। आंशिक बधिरों और बधिरों के लिए यह आदर्श रोजगार है।

इसके अलावा अनेक उद्योगों में अशिक्षित विकलांग व्यक्ति कारीगर की मदद करने का कार्य कर सकते हैं। इनमें से कुछ लोग अपना हुनर विकसित करके कुशल कारीगर बन सकते हैं और शेष अपने गुजारे लायक कमा सकते हैं।

भारत में कुछ ऐसे आदर्श उद्योग कायम करने की आवश्यकता है जहाँ ज्यादातर कर्मचारी विकलांग हों। यदि उद्योग जगत् स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर आगे बढ़े तो ऐसे आदर्श उद्योग कायम हो सकते हैं और प्रारंभिक सहारे के बाद अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं।

विकलांगों के लिए स्वरोजगार

वर्तमान युग में सरकारी नोकरियों की तादाद कम हो रही है। नई सरकारी भर्ती पर जगह-जगह रोक लगी है। सार्वजनिक क्षेत्र में नई यूनिटें नहीं लगाई जा रही हैं। पुरानी यूनिटों में नई भर्ती नहीं के बराबर है। पुराने लोगों को कहीं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के जरिए तो कहीं जबरन निकाला जा रहा है। आर्थिक उदारीकरण के इस दौर में यह माना जा रहा है कि व्यापार करना सरकार का काम नहीं है! व्यापार निजी क्षेत्र में होना चाहिए, अतः सरकारी नौकरियों में आरक्षण के सहारे विकलांगों की बड़ी संख्या रोजगार नहीं पा सकती है।

ऐसी परिस्थिति में विकलांगों को स्वरोजगार की ओर बढ़ना लाजिमी हो जाता है। स्वरोजगार के लिए निम्न आवश्यकताएँ होती हैं—

- (1) जगह
- (2) पूँजी
- (3) श्रमिक
- (4) प्रबंध
- (5) नफा-नुकसान सहन करने की शक्ति।

विकलांग व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अंतिम तीन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है और पहली दो को पूरा करने के लिए अनेक साधन हैं तथा ये भी उसकी योग्यता और आवश्यकता के अनुसार पूरे किए जा सकते हैं। अतः सबसे पहले स्वरोजगार तय करने से पहले व्यक्ति को अपनी योग्यता का आकलन कर लेना चाहिए।

योग्यता में पहला पहलू शिक्षा है और दूसरा अनुभव है। सबसे पहले शिक्षा के आधार पर निर्धारण करना चाहिए कि किस प्रकार का व्यवसाय प्रारंभ किया जाए।

शिक्षा के आधार पर विकलांग व्यक्तियों को चार वर्गों में बाँटा जा सकता है

(1) उच्च शिक्षित विकलांग व्यक्ति : इनमें डॉक्टर, इंजिनियर, कर्मील चाटर्ड एकाउंटेंट और विशेष प्रशिक्षित व्यक्ति आते हैं। इनके पास व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक या उससे ऊँची डिग्री होती है।

(2) शिक्षित व्यक्ति : इनमें सामान्य विषयों में स्नातक या व्यावसायिक शिक्षा में डिप्लोमा आदि वाले विकलांग व्यक्ति आते हैं। ये लोग डीलरशिप प्रेंचइज स्कूल चलाने जैसे काम कर सकते हैं।

(3) अल्पशिक्षित विकलांग व्यक्ति : ये हाई स्कूल, इंटरमीडिएट पास या आई०टी०आई० प्रशिक्षित होते हैं। ये लोग कंप्यूटर जॉब वर्क, स्टूडियो, फोटोग्राफी, मैकेजिंग आदि काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं।

(4) अशिक्षित विकलांग व्यक्ति : मिडिल पास या इसके समकक्ष व्यक्ति इस श्रेणी में आते हैं और ये व्यक्ति अपने हुनर के आधार पर टेलरिंग, बुक बाइंडिंग, मुर्गी पालन, डेरी चलायना, कृषि पर आधारित छोटे-छोटे उद्योग, जैसे खांडनारी बनाना आदि आसानी से कर सकते हैं।

विकलांग व्यक्ति अपनी शिक्षा और अनुभव के आधार पर अपना व्यवसाय चुन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अलग-अलग प्रकार की शिक्षा के आधार पर व्यवसायों और इनमें पढ़ने वाली जरूरतों का ब्योरा दिया जा रहा है, ताकि व्यवसाय चुनने में आसानी हो।

1. उच्च शिक्षित विकलांग व्यक्तियों के लिए

(1) डॉक्टर : यदि विकलांग व्यक्ति के पास मेडिकल डिग्री है तो वह अपना क्लिनिक खोल सकता है। इसके लिए एक दुकान या सड़क के किनारे घर की आवश्यकता होती है। व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए ज्यादा पूँजी की आवश्यकता नहीं होती है। धीरे-धीरे सुविधाएँ बढ़ाई जा सकती हैं। साथ में दवाएँ भी रखी जा सकती हैं। आवश्यक पैथोलॉजिकल टेस्ट का प्रबंध स्वयं भी किया जा सकता है और किसी लैबोरेटरी के साथ तालमेल करके भी किया जा सकता है। एलोपैथिक डॉक्टर (स्नातकोत्तर डिग्री वाले) आम तौर पर जल्दी सफल हो जाते हैं और उनके पास मरीजों की लाइन लगी रहती है। आजकल आयुर्वेदिक चिकित्सा खास तौर पर हेम्योपैथिक चिकित्सा में लोगों का विश्वास काफी बढ़ रहा है ये भी काफी सफल हो रहे हैं

यदि डॉक्टर का क्लीनिक सफल हो जाता है तो अनेक डॉक्टर जितकर पॉलीक्लीनिक खोल लेते हैं। ये पॉलीक्लीनिक ज्यादा सफल होते हैं। इनका विस्तार करके पहले छोटे पैमाने पर और फिर बड़े पैमाने पर नर्सिंग होम खोले जा सकते हैं। इन्हें खोलने के लिए पूँजी का इंतजाम करना पड़ता है।

विकलांगों के लिए डॉक्टर के रूप में व्यवसाय मुद्रिधाजनक है। इनमें बैठकर, खड़े होकर, देखकर और लिख-पढ़कर काम करना होता है। एक हाथ वाला या एक पैर वाला व्यक्ति बड़ी आसानी से इस काम को कर सकता है। अनेक ऐसे डॉक्टर देखे गए हैं जो स्वयं तो व्हील चेयर पर होते हैं, पर मरीजों का सफल ऑपरेशन करते हैं। इनमें केरल की डॉक्टर नेरी वर्गीस प्रमुख हैं।

12। इंजीनियर : इंजीनियरिंग पास करने के पश्चात् नौकरी के दौरान अनुभव और विशेषज्ञता हासिल करके व्यक्ति एक इंजीनियर के रूप में स्वरोजगार प्रारंभ कर सकता है।

एक इंजीनियर के रूप में स्वरोजगार करना डॉक्टर के मुकाबले कठिन है। विकलांग व्यक्ति ने अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में विशेषज्ञता हासिल कर रखी है तो वह आसानी से सॉफ्टवेयर पैकेज बनाने का काम प्रारंभ कर सकता है।

यदि विकलांग इंजीनियर ने सिविल डिजाइन या स्ट्रक्चरल डिजाइन में विशेषज्ञता हासिल कर रखी है तो वह बड़ी-बड़ी इमारतों को डिजाइन बनाने का काम ठेके पर ले सकता है।

अन्य प्रकार के इंजीनियर काफी अनुभव प्राप्त करके निजी व्यवसाय कर सकते हैं। इनमें से ज्यादातर काम किसी बड़ी कंपनी या विदेश कंपनी के सामान बेचने, उनकी एजेंसी लेने, पूरे प्रोसेस को समझकर आवश्यकता निर्धारित करने और उस आवश्यकता के अनुसार समाधान सुझाने का काम होता है। इस प्रकार के व्यवसाय विकलांग इंजीनियर काफी अनुभूज और अच्छे संपर्क होने के बाद ही प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रकार के काम में काफी भागदौड़ की आवश्यकता होती है। ग्राहक की फैक्टरी के हर काम को बारीकी से समझना पड़ता है। समझने के बाद ग्राहक को क्या-क्या मशीनें व अन्य सुविधाएँ लगानी हैं, यह निर्धारित करना पड़ता है। ग्राहक को यह भी बताना पड़ता है कि वह अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से सामान खरीदकर और कितनी पूँजी निवेश करके कर सकता है।

साफ्टवेयर डिजाइन करने का काम हर प्रकार के विकलांग कर सकते हैं

पर अन्य प्रकार के काम सिर्फ अल्प विकलांग ही कर पते हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए कंप्यूटर, एक अच्छा सुसज्जित कार्यालय और जर्मचारियों का आवश्यकता होती है।

विकलांग इंजीनियर बड़ी कंपनियों में इस्तेमाल होने वाले छोटे-छोटे पुर्जों के निर्माण के लिए एसिलरी उद्योग खड़ा कर सकते हैं। जापान में सरकार ने बड़ा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी छोटी-छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति लघु उद्योगों से करे जिन्हें विकलांग व्यक्ति चला रहे हों। वहाँ इस प्रकार के छोटे-छोटे उद्योग कार्ना खड़े हो गए हैं। ये उद्योग आवश्यकतानुसार प्रारंभ किए जा सकते हैं। इन्हें प्रारंभ करने से पूर्व अनुभव प्राप्त कर लेना आवश्यक है। एसिलरी उद्योग प्रारंभ करने से पूर्व उस उत्पाद की दीर्घकालिक माँग का आकलन आवश्यक है अगर माँग बंद हो जाए तो क्या किया जाए यह भी निर्धारित किया जा सके। मजदूरी ऐसी लगाना चाहिए कि उससे अन्य प्रकार के उत्पाद भी बनाए जा सकें। धीरे-धीरे ग्राहकों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए।

भारत सरकार लघु उद्योगों को अनेक प्रकार की रियायतें देती है। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व इन रियायतों की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। लघु उद्योगों को टैडर फार्म निःशुल्क मिलते हैं और उन्हें धरोहर राशि नहीं जमा करनी पड़ती है।

(3) वकील : विकलांग व्यक्ति वकालत बहुत आराम से कर सकते हैं। अस्थि विकलांग, जिनका एक हाथ या एक पैर खराब हो, वकालत कर सकते हैं। नेत्रहीनता के बावजूद अनेक वकीलों ने लगातार कुशलतापूर्वक मुकदमों में लड़कर दिखाए हैं और अदालत ने अपने फैसलों में उनकी तारीफ में टिप्पणी की है। वकालत में प्रारंभ में बहुत थोड़ी पूँजी की आवश्यकता होती है। नेत्रहीन वकील एक कंप्यूटर जिसमें वायस सिंथेसाइजर लगा हो, लेकर और एक बुक स्कैनर लेकर अपना काम प्रारंभ कर सकते हैं। आजकल बड़ी-बड़ी किताबें और फैसलों का संकलन कॉम्पैक्ट डिस्क में आने लगा है। बधिर व्यक्तियों के लिए वकालत का पेशा कठिन है, पर आंशिक बधिर इन पेशों को अपना सकते हैं।

(4) चार्टर्ड एकाउंटेंट : विकलांगों के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट का व्यवसाय भी बहुत आसान है। इसके लिए ज्यादा पूँजी नहीं लगती है। छोटे संगठनों का पूरा काम जिसमें एकाउंटिंग करना और ऑडिट करना दोनों शामिल है लिया जा सकता है। इसमें आय भी अच्छी होती है। काम को धीरे-धीरे बढ़ाया जा सकता

है। प्रारंभ में किसी स्थापित चार्टर्ड एकाडेंट के साथ मिलकर काम करना बेहतर रहेगा। बाद में अपना काम अकेले प्रारंभ करना लाभदायक रहेगा।

(5) फूड प्रोसेसिंग व हीरों की कटाई पॉलिश आदि : इस प्रकार के काम शिक्षा, विशेषज्ञता और विशेष अनुभव प्राप्त करके प्रारंभ किए जा सकते हैं। इनमें कार्पा पूंजी की आवश्यकता होती है। अच्छी मशीनों और साथ में कुराल कारीगरों की जरूरत होती है। यदि विकलांग व्यक्ति को पूरा ज्ञान हो तो ही प्रारंभ करना चाहिए।

2. फिजियो थेरापी

शिक्षित विकलांगों के लिए रोजगार

(1) कंप्यूटर सेंटर : यदि विकलांग व्यक्ति स्नातक है और उसने कंप्यूटर में डिप्लोमा स्तर का कोर्स कर रखा है तो वह अपना कंप्यूटर सेंटर चला सकता है। इस सेंटर में वह बच्चों और बड़ों को कंप्यूटर से संबंधित शिक्षा भी दे सकता है और जॉब वर्क भी कर सकता है। जॉब वर्क में टाइपिंग, ले-आउट तैयार करना आदि शामिल है।

कंप्यूटर छोटी-सी जगह में यहाँ तक कि घर में भी लगाया जा सकता है। यह एक फेज के घरेलू बिजली के कनेक्शन से चल जाता है। यदि ए०सी० लगा लिया जाए तो बेहतर है, अन्यथा बिना ए०सी० के भी काम चल सकता है। एक यू०पी०एस० लगाना बेहतर होता है। इससे बिजली आने-जाने से काम रुकता नहीं है।

विकलांग व्यक्ति कंप्यूटर शिक्षा के अनेक पाठ्यक्रम चला सकते हैं। विकलांग व्यक्ति विकलांगों को भी कंप्यूटर सिखा सकते हैं। अल्पकालिक पाठ्यक्रम से कंप्यूटर का सामान्य काम-काज सिखाया जा सकता है। कंप्यूटर को बेहतर टाइपराइटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। दीर्घकालिक पाठ्यक्रम (6 महीने से अधिक) के द्वारा बहुत सारे काम सिखाए जा सकते हैं।

कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त करना और देना दोनों ही विकलांगों के लिए बहुत आसान है। इसमें ज्यादातर बैठकर और देखकर काम करना पड़ता है। यदि व्यक्ति अल्पदृष्टिवान है तो थोड़ा एडजस्टमेंट करके काम कर सकता है। यदि व्यक्ति नेत्रहीन है तो वह वायस सिंथेसाइजर साथ में लगाकर काम कर सकता है।

बधिर व्यक्तियों के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है।

यदि विकलांग व्यक्ति कंप्यूटर में स्नातक स्तर या उससे अधिक का पाठ्यक्रम कर लेता है अर्थात् बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन को डिग्री ले लेता है तो वह कंप्यूटर शिक्षा के दीर्घकालिक पाठ्यक्रम चला सकता है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश 10+2 के बाद हो जाता है और अनेक सरकारी व गैरसरकारी संस्थान ये पाठ्यक्रम चलाते हैं।

यदि विकलांग व्यक्ति किन्हीं कार्यों से ज्यादा नहीं पढ़ पाए है तो वे तीन महीने या छह महीने का पाठ्यक्रम कर सकते हैं और टाइपिंग, पेज मेकिंग, डिजाइनिंग, चित्रांकन आदि काम कर सकते हैं। ज्यों-ज्यों उनका काम बढ़ता रहे वे अधिक-से-अधिक सॉफ्टवेयर पैकेज खरीदकर अपने काम की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। कंप्यूटरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और सहायक रखे जा सकते हैं। लेजर प्रिंटर लेकर पुस्तकें आदि छापने के लिए पेज तैयार किए जा सकते हैं। ज्यों-ज्यों अभ्यास और अनुभव बढ़ेगा त्यो-त्यो कार्य-कुशलता बढ़ती चली जाएगी।

आजकल छोटी-छोटी कंपनियाँ अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज दूसरो से डिजाइन करवा लेती हैं। इस काम में काफी रोचकता है और अच्छी आय तथा संतुष्टि मिलती है।

(2) फ्रेंचाइज : बड़े-बड़े शिक्षण संस्थानों ने कंप्यूटर शिक्षा से लेकर केश-सज्जा तक की बहुत अच्छी तकनीके विकसित की हैं। ये संस्थान अपने द्वारा विकसित तकनीकों को लोगों तक पहुँचाने और लाभ कमाने के लिए फ्रेंचाइज विकसित करते हैं।

इसके तहत बड़ी संस्था फ्रेंचाइज को योग्यता और आवश्यकतानुसार चुनती है। वह यह देखती है कि उसके पास आवश्यकतानुसार जगह, फर्नीचर व उपकरण हैं। वह एक अनुबंध करती है कि बड़ी संस्था अपना साहित्य, अपनी तकनीक फ्रेंचाइज को देगी। कुछ प्रचार सामग्री बड़ी संस्था देगी और कुछ फ्रेंचाइज खुद तैयार करेगा। फ्रेंचाइज जब फीस लेकर आगे शिक्षा प्रदान करेगा तो वह कमीशन के रूप में मूल संस्था को लाभ का हिस्सा देगा। इस तरीके के जरिए कंप्यूटर शिक्षा, मैनेजमेंट शिक्षा, पाक कला, केश-सज्जा की शिक्षा आदि दिए जाते हैं। एन०आई०आई०टी० जैसी संस्थाएँ हर शहर में फ्रेंचाइज विकसित कर रही हैं। इनसे फ्रेंचाइज को रोजगार मिलता है और बड़ी संस्था को नाम और धन

देंगे मिलता है।

इसके लिए बड़ी संस्था द्वारा निर्धारित की गई शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता होती है। हर प्रकार के विकलांग व्यक्ति फ्रेंचाइज बनकर शिक्षा देने का काम कर सकते हैं। कुछ दिनों तक फ्रेंचाइज के रूप में काम करने के बाद अपने काम का दायरा बढ़ाया जा सकता है और स्वतंत्र रूप से भी काम प्रारंभ किया जा सकता है।

(3) कंप्यूटर हार्डवेयर डीलरशिप : कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग के मद्देनजर कंप्यूटरों की माँग बढ़ती चली जा रही है। लोग अपने घरों में कंप्यूटर लगा रहे हैं। कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियाँ कंप्यूटर के हिस्से अलग-अलग बना रही हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अलग-अलग हिस्सों पर कर जैसे कस्टम ड्यूटी आदि कम होती हैं और बने बनाए कंप्यूटर पर ड्यूटी बहुत ज्यादा होती है। इस बात के मद्देनजर कंप्यूटर के अलग-अलग हिस्सों को खरीदकर आपस में जोड़ लेना आसान होता है और सस्ता भी पड़ता है। तैयार कंप्यूटर की गुणवत्ता बने बनाए कंप्यूटर से खास कम नहीं होती है।

विकलांग व्यक्ति कंप्यूटर के हिस्सों को खरीदकर इनको असेंबल (जोड़) करके और फिर आगे बेचने का काम प्रारंभ कर सकते हैं। यदि व्यक्ति ने कंप्यूटर में स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर ली है तो वह अनुभव प्राप्त करके यह काम प्रारंभ कर सकता है।

कंप्यूटर को असेंबल करना आसान होता है, पर इसको बेचना, बेचकर पैसा वसूल करना और उसकी समय-समय पर देखरेख कर ग्राहक को संतुष्ट करना कठिन होता है। काम प्रारंभ करने से पहले बेचने का इंतजाम करना आवश्यक होता है, अन्यथा पूँजी फँस सकती है। असेंबली का काम करने के साथ-साथ इसके सालाना रख-रखाव का ठेका लेने का काम भी करना चाहिए। कंप्यूटर के साथ लगने वाले प्रिंटर यू०पी०एस० आदि के रख-रखाव का भी ठेका लेने का इंतजाम कर लेना चाहिए। इसमें इस्तेमाल होने वाले कंप्यूट्रीमेबल जैसे रिबन वगैरह का भी स्टॉक रखना चाहिए ताकि ग्राहक को कहीं जाना न पड़े।

यह कार्य काफी बढ़ाया जा सकता है। सहायक रखकर हर प्रकार के विकलांग व्यक्ति इस कार्य को कर सकते हैं। एक हाथ या एक पैर वाले व्यक्ति तो बिना सहायक के भी काम कर सकते हैं।

हार्डवेयर डीलरशिप और कंप्यूटर सेंटर या फ्रेंचाइज का काम एक साथ भी

किया जा सकता है।

(4) प्रिंटिंग प्रेस : आजकल विजिटिंग कार्ड, बिल बुक, प्लेट से लेकर कैटलॉग, पत्र-पत्रिकाओं, किताबों, पैकेजिंग आदि पर प्रिंटिंग आदि की बड़ी माँग है। प्रिंटिंग कई प्रकार की होती है। आजकल स्क्रीन प्रिंटिंग और ऑफसेट प्रिंटिंग की माँग बहुत ज्यादा है।

स्क्रीन प्रिंटिंग में पहले स्क्रीन तैयार की जाती है। यह स्क्रीन कंप्यूटर पर डिजाइन की जाती है। विकलांग व्यक्ति के लिए कंप्यूटर पर स्क्रीन डिजाइन करना सरल है। एक बार स्क्रीन तैयार हो जाए तो फिर उसकी सहायता से कागज या गत्ते पर छपाई की जाती है। इस कार्य में धैर्य और सफाई की आवश्यकता होती है। विकलांग व्यक्ति (अस्थि विकलांगता के शिकार, मूक-बधिर) इस काम को बड़ी आसानी से कर लेते हैं।

ऑफसेट प्रिंटिंग का काम बड़ा होता है। इसमें पहले कंप्यूटर पर कंपोजिंग होती है। उसके बाद प्लेट आदि बनती है। अंत में छपाई और बाइंडिंग आदि होती है। विकलांग व्यक्ति की यदि गतिशीलता पर्याप्त है तो वह इस कार्य को कर सकता है। इस कार्य की जटिलता को देखकर पहले थोड़ी पूँजी लगाकर काम प्रारंभ करना चाहिए। पहले कंप्यूटर लगाकर कंपोजिंग करनी चाहिए। जब काम काफी इकट्ठा होने लगे तब प्रेस लगानी चाहिए।

स्क्रीन प्रिंटिंग या सिर्फ कंप्यूटर लगाने के लिए छोटा कमरा पर्याप्त होता है। यह कार्य घर में भी किया जा सकता है। बड़ी प्रेस के लिए बड़ी जगह और बिजली का व्यावसायिक कनेक्शन आवश्यक होता है। बड़ी प्रेस लगाने के लिए सहायकों की भी आवश्यकता होती है।

यदि प्रेस स्थापित हो जाए तो एक पत्रिका आसानी से निकाली जा सकती है। पत्रिका से प्रेस का प्रचार तो होगा ही, दूसरों का विज्ञापन भी लिया जा सकता है। पत्रिका को पंजीकृत करा लेने से सरकारी कोटे से भी कागज लिया जा सकता है। अपनी प्रेस में किताबें या पत्रिका छापना आसान और सस्ता होता है।

(5) विकलांगों के लिए विशेष स्कूल : विकलांगों के लिए शिक्षा हेतु विशेष स्कूलों की आवश्यकता होती है। यदि विकलांग व्यक्ति उन्हें शिक्षा देने के लिए आगे आए तो शिक्षा बेहतर तरीके से दी जा सकती है।

इस कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व किसी स्वयंसेवी संस्था से तालमेल कर लेना बेहतर होता है। एक स्वयंसेवी संस्थाएँ आर्थिक रूप से सपन्न होती हैं और

वे इस प्रकार के जरूरतमंद बच्चों के लिए स्कूल चलाना चाहती हैं। ऐसी परिस्थिति में स्कूल स्वयंसेवी संस्था के नाम से चल सकता है और प्रबंध व परिश्रम विकलांग व्यक्ति की ओर से हो सकता है।

विकलांगों के लिए विशेष स्कूल या क्रेच उनकी विकलांगता के प्रकार के अनुरूप खोले जा सकते हैं। नेत्रहीनों के लिए शिक्षा अलग प्रकार की होती है। श्रवणहीनों के लिए अलग प्रकार की होती है। अस्थि विकलांग आम तौर पर सामान्य स्कूलों में पढ़ लेते हैं। मानसिक रूप से अविकसित विकलांग बच्चों के लिए अलग प्रकार की शिक्षा का प्रबंध करना पड़ता है।

अलग-अलग प्रकार की शिक्षा देने के लिए अलग-अलग प्रकार का प्रशिक्षण लेना पड़ता है। प्रशिक्षण लेने के पश्चात् ही स्कूल खोला जा सकता है। इन स्कूलों में विशेष प्रकार के साज-सामान की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के तौर पर नेत्रहीनों के लिए ब्रेल स्लेटें आवश्यक हैं। श्रवणहीनों के लिए सामूहिक श्रवण यंत्र आदि की आवश्यकता होती है। मानसिक रूप से विकलांगों के लिए विशेष खिलौनों व उपकरणों की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार के विद्यालय खोलने में पूर्व इसी प्रकार के पहले से चल रहे विद्यालयों का अध्ययन कर लेना बहुत आवश्यक होता है और विशेषज्ञों से परामर्श भी जरूरी है।

एक बार किसी स्वयंसेवी संस्था की सहायता से स्कूल चल जाए तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं के तहत सहायता भी प्राप्त की जा सकती है।

इस कार्य में अनेक कठिनाइयाँ आ सकती हैं और इनसे बचने के लिए योजनाबद्ध तरीके से ही काम करना चाहिए। एक बार काम चल निकलेगा तो आगे बढ़ना आसान हो जाएगा।

(6) संगीत विद्यालय : संगीत विकलांगों के लिए, विशेष रूप से नेत्रहीनों का, प्रिय विषय रहा है। सबसे पहले विकलांगों को जो रोजगार मिलना प्रारंभ हुआ वह संगीत ही था। अनेक नेत्रहीनों ने संगीत के क्षेत्र में अपने बंजोड़ प्रदर्शन से सम्मान पाया।

संगीत का महत्त्व प्राचीनकाल में भी था और आज भी है। पहले संगीत राजों, महाराजों और अमीरों द्वारा ज्यादा सराहा जाता था, पर अब उच्च वर्गीय ही नहीं मध्य-वर्गीय परिवार भी अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा दिला रहे हैं। आज के भग-दौड़ भरे तनावग्रस्त जीवन में संगीत विलासिता की नहीं वरन् आवश्यकता

की वस्तु बन गया है।

संगीत अस्थि विकलांगों और नेत्रहीनों के लिए बहुत सरल है। विकलांग व्यक्ति संगीत की शिक्षा हासिल करके बड़ी आसानी से दूसरों को दे सकते हैं। सबसे पहले यह शिक्षा ट्यूशन के रूप में दी जा सकती है। काम बढ़ने पर छोटा विद्यालय चलाया जा सकता है। एक-एक करके साज खरीदे जा सकते हैं। सहायक भी रखे जा सकते हैं।

संगीत अभ्यास करने से निखरता है। विकलांग व्यक्ति संगीत की जितनी शिक्षा औरों को देंगे उतनी ही उनकी महारत बढ़ेगी। वे संगीत की शिक्षा देने के साथ स्टेज पर और रेडियो, टी०वी० पर अपने कार्यक्रम दे सकते हैं। इस कार्य में बहुत थोड़ी जगह तथा पूँजी लगती है और सफलता मिलने पर तमाम सम्मान एवं पैसा हासिल होता है। विकलांग व्यक्ति गायन और वादन दोनों की शिक्षा दे सकते हैं। एक बार अगर विद्यालय चल जाए तो नृत्य की शिक्षा का भी इंतजाम कर लेना चाहिए और प्रशिक्षक रखकर इसे भी किया जा सकता है।

(7) मिले-सिलाए वस्त्र तैयार करना : विकलांग व्यक्ति यदि फैशन टेक्नोलॉजी का पाठ्यक्रम पूरा कर लें और व्यापार का ज्ञान हासिल कर लें तो वे मिले-सिलाए वस्त्र तैयार करने और बेचने का काम एक लघु उद्योग के रूप में कर सकते हैं। यह काम घर में या रिहायशी इलाके में छोटी जगह में प्रारंभ किया जा सकता है और इसमें प्रदूषण या किसी अन्य प्रकार की समस्या नहीं होती है।

पूँजी लगाने से पूर्व जिस प्रकार के रेडीमेड कपड़े बनाने की योजना हो उनका अल्पकालिक और दीर्घकालिक माँग का आकलन कर लेना चाहिए। साथ में कच्चे माल, जिसमें सस्ता और टिकाऊ कपड़ा शामिल है, का दीर्घकालिक इंतजाम भी कर लेना चाहिए। सिलाई के लिए स्वचालित या अर्धचालित मशीनों का भी चयन सोच-समझकर करना चाहिए। यह कार्य विकलांग पुरुषों के अलावा विकलांग महिलाओं के लिए भी उपयुक्त है।

(8) बर्तन बनाने का काम : आजकल चीनी मिट्टी या न टूटने वाले सामान के बर्तनों जैसे कप-प्लेट, मगों, कटोरों आदि की काफी माँग है। यह माँग भविष्य में और बढ़ेगी। इन बर्तनों को मशीनों द्वारा बनाया जाता है। यदि विकलांग व्यक्ति संगमिक टेक्नोलॉजी या संबंधित विषय का ज्ञान व अनुभव रखता है तो वह इन बर्तनों व सामानों को बनाने का काम प्रारंभ कर सकता है। यह आवश्यक है कि बर्तन मजबूत होने के साथ सुंदर भी हो। अतः उनका अच्छी डिजाइन तैयार करने

के लिए लगातार प्रयासरत रहना चाहिए। इस काम में सफल होने के लिए यह आवश्यक है कि निरंतर कच्चे माल की गुणवत्ता में सुधार हो और माल तैयार करने की पद्धति में विकास हो ताकि तैयार उत्पाद सस्ता, सुंदर और टिकाऊ हो।

इस काम को प्रारंभ करने से पहले आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर लेना चाहिए, अन्यथा पूँजी मारी जा सकती है।

(9) फर्नीचर निर्माण : लकड़ी के उम्दा फर्नीचर की काफी माँग है। साथ में बेंत आदि के फर्नीचर की भी माँग है। यह काम विकलांग व्यक्ति के लिए आसान है और यदि विकलांग व्यक्ति के पास कला व पर्याप्त अनुभव है तो वह सफल हो सकता है।

इस काम को प्रारंभ करने से पूर्व विभिन्न डिजाइनों के फर्नीचर बनाने की कला का पूरा अध्ययन कर लेना चाहिए। यदि साथ में अच्छा और विश्वसनीय कारीगर है तो भी काम चल सकता है। इस काम में अपने उत्पाद की डिजाइन में निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को फर्नीचरों की प्रदर्शनी लगातार और ध्यान से देखनी चाहिए। फर्नीचरों की पत्रिकाओं का भी अध्ययन करना चाहिए।

इस काम को पहले लघु स्तर पर प्रारंभ करना चाहिए। बाद में इसे बढ़ाया जाना चाहिए। लकड़ी काटने के लिए अच्छी मशीनें खरीदी जानी चाहिए।

(10) मोल्डेड फर्नीचर व प्लास्टिक के सामान का निर्माण : आजकल प्लास्टिक के फर्नीचर जैसे कुर्सियाँ, स्टूल आदि और अन्य सामान जैसे बाल्टी, रेक आदि की बड़ी माँग है। ये फर्नीचर सस्ते भी होते हैं और ज्यादा चलते हैं। इनको दीमक या सीलन से खतरा भी नहीं होता है।

यह फर्नीचर मोल्डेड मशीन लगाकर बनाया जा सकता है। ये मशीनें महँगी होती हैं और तेजी से बड़े पैमाने पर फर्नीचर व अन्य सामान तैयार कर देती हैं। इसलिए इन मशीनों का चुनाव व खरीद पूरी समझदारी से करना चाहिए। चूँकि पूँजी निवेश ज्यादा होता है इसलिए मशीनें लगाने से पूर्व बिक्री की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इस प्रकार के फर्नीचर में भी डिजाइन का बड़ा महत्त्व है। लोगों की रुचि के अनुसार विभिन्न रंगों के अलग-अलग डिजाइन वाले फर्नीचर तैयार करने चाहिए।

दूसरी ओर प्लास्टिक के छोटे सामान बना आसान है और ये सस्ता मशीनों द्वारा बनाए जा सकते हैं। बड़ी कंपनियाँ इस प्रकार के छोटे छोटे पुर्जे छापी

कंपनियों से बनवाती है। यदि विकलांग व्यक्ति किसी बड़ी कंपनी के साथ करर कर ले तो वह छोटी मशीनें लगाकर छोटे-छोटे आइटम बड़े पैमाने पर बना सकता है। छोटी मशीनें छोटी जगह में और घर में भी लगाई जा सकती हैं। काम बढ़ने पर ज्यादा मशीनें लगाई जा सकती हैं।

(11) कृषि आधारित उद्योग : जो विकलांग व्यक्ति पढ़े-लिखे हैं और उनके पास खेती योग्य जमीन है वे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योग आसानी से लगा सकते हैं। इनमें गन्ने का रस पेर कर गुड़ या खाँडसरी बनाने वाली मशीन, क्रेशर, धान कूटकर चावल बनाने वाली मशीनें, तेल निकालने वाली मशीनें आदि शामिल हैं।

ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत लाभदायक हैं। इनके लिए खेतों के पास जगह भी होती है। कच्चा माल अपने खेत व आमपास के खेतों से फसल के सन्वय सस्ते में मिल जाता है। यदि किसान अपनी फसल कटने के तुरंत बाद बेचेगा तो उसे सस्ते में बेचना पड़ेगा। यदि रोककर रखेगा तो रखने की समस्या होती है। बेहतर यह है कि उसे अपने उद्योग में ही इस्तेमाल किया जाए और तैयार माल को रखा जाए जो कम जगह लेता है। बाद में अच्छे दाम पर बेचने में आसानी होती है।

अपना उद्योग लगाने में सबसे ज्यादा सावधानी मशीन खरीदने में रखनी चाहिए। ये मशीनें यांत्रिक होती हैं और इनमें टूटने-फूटने की समस्या लगातार बनी रहती है। जो पुर्जे काटते हैं या पीसते हैं वे समय-समय पर विसर्जित रहते हैं और उन्हें बदलना पड़ता है। इनके बेल्ट आदि भी बदलने पड़ते हैं। मशीन विक्रेता मशीन बेचने में तो इच्छुक रहते हैं, पर एक बार मशीन बेचकर पैसे लेने के बाद मरम्मत आदि के लिए ग्रामीण इलाके में मैकेनिक भेजने को तैयार नहीं होते हैं। अतः मशीन ऐसी खरीदनी चाहिए जो कम खराब हो और उसके पुर्जे आसानी से मिल जाएँ।

विकलांग उद्यमी को मशीन खरीदते समय उसकी छोटी-छोटी मरम्मत और पुर्जे बदलना सीख लेना चाहिए ताकि काम आसानी से चलता रहे। इससे मिस्त्री को अनावश्यक पैसा देने से भी बचा जा सकता है।

तैयार माल की बिक्री और जब तक बिक्री न हो तब तक उचित भंडारण का इंतजाम भी आवश्यक है। इस प्रकार के काम में पूरे परिवार को रोजगार मिल जाता है। इसमें मुनाफा भी काफी होता है।

(12) आयुर्वेदिक औषधियाँ तैयार करना : आयुर्वेद प्राचीनतम विज्ञानों में से एक है। अनेक प्रकार की कठिन-से-कठिन बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में है। धीरे-धीरे लोगों का विश्वास एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में कम हो रहा है और आयुर्वेदिक पद्धति में बढ़ रहा है। इसके अलावा सौंदर्य रक्षा का चलन भी जोरो पर है और लोग सिंथेटिक पदार्थों के बजाय प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करके अपने सौंदर्य की रक्षा करना चाहते हैं। इस कारण भी आयुर्वेदिक पद्धति का इस्तेमाल बढ़ा है।

आज देश में आँवला, नीम, हल्दी, तुलसी, जामुन जैसी चीजों का इस्तेमाल बढ़ा है। आयुर्वेद का अध्ययन करके उपर्युक्त पदार्थों और अन्य जड़ों-बूटियों को एकत्रित करके तथा उनका उचित सम्मिश्रण करके अनेक प्रकार की औषधियाँ और सौंदर्य प्रसाधन तैयार किए जा सकते हैं। यह कार्य कुटीर उद्योग या लघु उद्योग लगाकर किया जा सकता है। शिक्षित विकलांग व्यक्ति, विशेष रूप से महिलाएँ, इस काम को बड़े आराम से कर सकती हैं। इसमें सभी पदार्थों को कूटना, पीसना, उचित मात्रा में मिलाना, आवश्यकतानुसार गरम करना, शीशियों में डालना, पैक करना जैसे कार्य करने पड़ते हैं।

इस कार्य को पहले छोटे स्तर पर करना चाहिए। यह प्रयास करना चाहिए कि किसी बड़ी दवा निर्माता कंपनी से ठेके पर कार्य मिल जाए। इससे काम जमाने में आसानी होगी। इस प्रक्रिया में लगानार शोध भी करते रहना चाहिए। इससे नया फॉर्मूला विकसित करने में आसानी होगी और यदि नया फॉर्मूला विकसित हो जाएगा तो काम बहुत तेजी से चल निकलेगा। नए फॉर्मूले को पेटेंट कराने में देर नहीं करनी चाहिए।

आयुर्वेदिक दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों को बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि लोग अब अपने उपभोक्ता अधिकारों के प्रति पूरी तरह सजग हैं और जरूरी लापरवाही से यदि लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा तो वे उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं और दवा निर्माता परेशानी में पड़ सकता है। अतः गुणवत्ता का ध्यान निरंतर रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई और व्यक्ति उत्पाद की नकल करके बेचना न प्रारंभ कर दें इसका भी ध्यान रखना चाहिए।

है। अनेक संस्थान पैकेजिंग की नई-नई तकनीकें विकसित कर रहे हैं। ये पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले नए-नए पदार्थ विकसित कर रहे हैं। पैकेजिंग अब सिर्फ पदार्थ को सुरक्षित रखने का साधन ही नहीं है, वरन् यह विज्ञापन का एक माध्यम भी है। पैकेजिंग देखकर पदार्थ खरीदने का मन हो जाए, यह प्रयास किया जाता है।

अब लगभग हर प्रकार का सामान पैकेटों में आने लगा है। 10 किलो या 20 किलो वजन के पैकेट से लेकर 50 मिली लीटर के शैंपू के पैकेट आ रहे हैं। पान मसाला आदि छोटे-छोटे पाउच में आ रहा है।

बढ़ती माँग को देखकर पैकेजिंग के लिए अनेक स्वचालित मशीनें बनने लगी हैं। ये मशीन चलाने में आसान होती हैं और इनके जरिये सामान नप-तुलकर अपने आप पैकेट में बंद तैयार हो जाता है। विकलांग व्यक्ति इस प्रकार की मशीनें लगा सकते हैं। प्रारंभ में किसी बड़े उत्पाद निर्माता से अनुबंध करके मशीन लगानी चाहिए।

बड़े निर्माता तैयार पदार्थ और पैकेजिंग सामग्री दे देते हैं और पैकेजिंग करने के लिए लेबर रेट पर भुगतान करते हैं। बाद में अनुभव प्राप्त करने के बाद पैकेजिंग सामग्री स्वयं विकसित की जा सकती है और बड़े पैमाने पर खुद बनवाने से सस्ती भी पड़ती है। एक प्रकार की मशीन से काम प्रारंभ किया जा सकता है और बाद में मशीनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

यहाँ पर भी मशीन खरीदने से पूर्व उसकी गुणवत्ता तथा बाद में मरम्मत की आवश्यकता, जरूरी पुर्जों आदि के बारे में भी सोच लेना चाहिए। इस प्रकार की मशीनों में भी घिसने-टूटने की काफी समस्या रहती है। मशीन की मरम्मत का काम भी सीख लेना चाहिए।

स्वचालित मशीनों के अलावा बहुत सा सामान अभी भी हाथ से ही पैक किया जाता है। ये सामान गत्ते के डिब्बों में पैक किए जाते हैं। गंभीर विकलांगता के शिकार व्यक्ति इस प्रकार के काम में लग सकते हैं।

3. अल्पशिक्षित, हाई स्कूल या समकक्ष विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार

(1) छोटी दूकान मामूली पढा लिखा विकलांग व्यक्ति परचून छोटा माटा दैनिक जरूरत का सामान बेचने के लिए छोटी दूकान बड़े आराम से चला

सकता है। अस्थि विकलांग व्यक्ति बिना सहायक के भी दूकान चला सकते हैं और नेत्रहीन व्यक्ति एक सहायक की मदद से दूकान चला सकते हैं। दूकान के लिए जगह ढूँढ़ते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह सड़क के किनारे हो और लोग आसानी से दूकान तक पहुँच सकें।

दूकान के लिए बिजली के एक फेज के कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इस कनेक्शन में फ्रिज भी चलाया जा सकता है और कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्री, आइसक्रीम आदि भी बेची जा सकती हैं। इन सामानों की माँग भी काफी होती है और इनमें मुनाफा भी अच्छा होता है।

यदि व्यक्ति के पास फार्मैसी की शैक्षिक योग्यता है तो वह दवा की दूकान चला सकता है। आजकल टेलीफोन पर माल के ऑर्डर दिए और लिए जाते हैं। टेली शॉपिंग का चलन भी प्रारंभ हो चुका है। अतः विकलांग व्यक्ति के लिए दूकान खोलकर जीविका चलाना आसान है और बहुत बड़ी संख्या में विकलांग व्यक्ति ऐसा कर भी रहे हैं। इस काम में पूरा परिवार लग सकता है।

(2) वर्कशॉप, रिपेयर शॉप, सर्विस सेंटर : आजकल हर घर में रेडियो, टी०वी०, टू-इन-वन, वाशिंग मशीन, मिक्सी, फ्रिज जैसे सामान होते हैं। उनमें से अनेक पुराने होने के बाद खराब भी होते हैं और इनकी मरम्मत की आवश्यकता भी होती है।

सौभाग्यवश इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छोटे आकार के और हलके होते जा रहे हैं। विकलांग व्यक्ति के लिए इन उपकरणों को खोलना और रिपेयर करना आसान है। इस काम को हाई स्कूल व आई०टी०आई० पास विकलांग व्यक्ति बड़े आराम से कर सकता है। इसके लिए एक पावर सप्लाय, एक मल्टी मीटर, सोल्डरिंग आयरन और पेचकस आदि की आवश्यकता होती है। ये सारा सामान 3-4 हजार रुपए में आ जाता है। काम बढ़ने पर उपकरणों की संख्या में इजाफा किया जा सकता है। मरम्मत आदि का काम एक फेज के बिजली के कनेक्शन से बखूबी हो सकता है। इस प्रकार के काम में किसी किस्म का शोर-शराबा व प्रदूषण आदि नहीं होता है और घर पर या रिहायशी इलाके में भी यह काम किया जा सकता है।

एक बार काम चल निकलने पर सहायक रखे जा सकते हैं। ये सहायक आई०टी०आई० पास टेक्नीशियन ही रखे जाने चाहिए। काम की जानकारी हो जाने के बाद असेंबलिंग का काम भी प्रारंभ किया जा सकता है। बड़ी कंपनियाँ

अक्सर छोटे व्यवसायियों से असेंबलिंग करवाती है। कई बार वे कच्चा माल खुद खरीदकर दे देती हैं। कभी-कभी वे निर्धारित ब्रांड के पुर्जे खरीदने और असेंबल करने के लिए भी कह देती हैं। इस प्रकार के काम में अच्छा मुनाफा भी होता है। और निरंतर काम भी मिलता रहता है।

(3) ब्यूटी पार्लर व हेल्थ सेंटर : ब्यूटी पार्लर की माँग आजकल शहरों में ही नहीं, गाँवों में भी बढ़ गई है। पुरुष व स्त्री दोनों अपने स्वास्थ्य व सौंदर्य के प्रति ख्यासे जागरूक हो चले हैं और अपने आपको चुस्त-दुरुस्त व आकर्षक रखना चाहते हैं। आजकल शादी के समय और नौकरी के समय इन चीजों का महत्त्व और बढ़ गया है।

ब्यूटी पार्लर का काम विकलांग महिलाओं के लिए बहुत आसान है। बाल काटने, भौंहें नुकीली करने, चेहरे की मालिश (फेसियल) जैसे कार्य विकलांग लड़कियाँ बड़े आराम से कर सकती हैं। इनमें न तो ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है और न ही ज्यादा मूवमेंट करना पड़ता है। इसी प्रकार पुरुषों की केश-सज्जा, फेसियल, बाल रँगने जैसे कार्य विकलांग लड़के आराम से कर सकते हैं। उस काम में इस्तेमाल होने वाले उपकरण कुछ सौ रुपए में आ जाते हैं। साथ में तरह-तरह की क्रीमों लगती हैं वे भी महँगी नहीं होती है। ये कार्य घर में ही प्रारंभ किया जा सकता है और काम बढ़ने पर जगह ली जा सकती है। इससे किसी प्रकार के प्रदूषण या शोर-शराबे की समस्या नहीं होती है। बिजली का सामान्य एक फेज का कनेक्शन ही पर्याप्त होता है।

ब्यूटी पार्लर की तरह हेल्थ सेंटर की भी काफी माँग है। आजकल तनाव के माहौल में लोग कुछ देर हेल्थ सेंटर में आकर व्यायाम करना चाहते हैं। इससे उनका स्वास्थ्य भी सुधरता है और तनाव से भी मुक्ति मिलती है। इस प्रकार के हेल्थ सेंटर खोलने के लिए कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। एक बड़े हवादार कमरे में यदि ये उपकरण लगा दिए जाएँ तो लोग आकर खुद व्यायाम करेंगे। उन्हें बीच-बीच में सलाह दी जा सकती है। आजकल स्वास्थ्य रक्षा संबंधी लेख बड़े-छोटे अखबारों बहुतायत से छप रहे हैं। इनसे जानकारी हासिल की जा सकती है। इस विषय पर अनेक किताबें भी छप चुकी हैं। इसके अलावा अनेक अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी जगह-जगह चलाए जा रहे हैं। इनकी भी फीस कुछ हजार होती है। विकलांग लड़के और लड़कियाँ इन पाठ्यक्रमों को करके वह काम प्रारंभ कर सकते हैं। इन कामों में ज्यादा भागदौड़ की नहीं

होनी है।

पहले-पहल छोटे पैमाने पर यह काम शुरू किया जा सकता है। बाद में इसे बढ़ाया जा सकता है। व्यूटी पार्सर, हैल्थ सेंटर, योगाश्रम तीनों काम एक साथ भी प्रारंभ किए जा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सहायक भी रखे जा सकते हैं। हलकी विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह अत्यंत उपयुक्त व्यवसाय है।

(4) स्टूडियो फोटोग्राफी : कला विकलांगों के लिए उपयुक्त और आसान व्यवसाय रहा है। अनेक अस्थि विकलांग व्यक्ति इनडोर फोटोग्राफी का काम कुशलतापूर्वक करते रहे हैं। ये लोग फोटो खींचने, डेवलप करने जैसे काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। अनेक श्रवणहीन व मूक व्यक्ति बाहर घूम-घूमकर, फोटो खींचने का काम करते रहे हैं। शोर-शराबे से बेखबर ये लोग यह काम पूरी तन्मयता से करते हैं और अपनी कलात्मक प्रतिभा से इन लोगों ने बड़ा नाम कमाया है।

इस काम के लिए एक दूकान/कमरा, एक फेज का बिजली का सामान्य कनेक्शन, अच्छा कैमरा आदि की जरूरत होती है। यदि साथ में वीडियो फिल्म बनाने का भी काम किया जाए तो एक वीडियो कैमरा, टी०वी०-वी०सी०आर० व अन्य छोटे-मोटे सामानों की जरूरत होती है। फोटोग्राफी के साथ आइडेंटिटी कार्ड आदि बनाने का काम भी किया जा सकता है। कार्ड बाहर से छपवाए जा सकते हैं। लैमिनेशन के लिए मशीन खरीदी जा सकती है।

फोटो स्टूडियो के साथ चित्रकारी का कार्य भी किया जा सकता है। किसी पत्र-पत्रिका या पुस्तक प्रकाशक के साथ तालमेल करके कवर डिजाइन, अन्य डिजाइन, चित्र आदि बनाए जा सकते हैं। आजकल चित्र हाथ से भी बनाए जाते हैं और कंप्यूटर द्वारा भी बनाए जाते हैं। कंप्यूटर के चित्रकारी वाले सॉफ्टवेयर पैकेज अधिक महँगे नहीं होते हैं। इन पैकेजों में अनेक प्रकार के बने-बनाए डिजाइन होते हैं। इन डिजाइनों को थोड़ा-बहुत परिवर्तन करके और डिजाइनों का उचित सम्मिश्रण करके नई-नई डिजाइने बनाई जा सकती हैं। कंप्यूटर के प्रयोग से काम काफी आसान हो जाता है और कठिन से कठिन डिजाइन भी कम मेहनत से बन जाते हैं। कंप्यूटर की सहायता से रंगों का उचित सम्मिश्रण भी किया जा सकता है। कई बार चित्र बार बार बनाकर किसी से पास कराना पड़ता है। ऐसे में कंप्यूटर द्वारा चित्र बनाना होता है क्योंकि इससे तीन चार प्रकार की

डिजाइन बनाकर मंजूरी ली जा सकती है।

उपर्युक्त कार्य प्रारंभ करने से पहले उचित प्रशिक्षण ले लेना जरूरी होता है। आजकल अनेक आर्ट स्कूल हैं और अनेक प्रकार के डिप्लोमा व डिग्री कोर्स चल रहे हैं। कई जगह अल्पकालिक कोर्स भी चलते हैं। इनमें नई-नई बातें व तकनीकें सिखाई जाती हैं। अनेक कला पत्रिकाएँ भी आती हैं, जो नवीनतम जानकारी प्रदान करती हैं। व्यवसाय में ज्यादा लागत लगाने से पूर्व तमाम जानकारी हासिल करना आवश्यक है।

चित्रकला, फोटोग्राफी, स्टूडियो आदि का काम मूक-बधिर व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा है। गंभीर अस्थि विकलांगता के शिकार व्यक्ति भी इसे कर सकते हैं। कला स्कूलों और पाठ्यक्रमों में विकलांग छात्र-छात्रों को प्रवेश के लिए हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

(5) टेलीफोन, फैक्स, फोटोकॉपी, ई-मेल, इंटरनेट बूथ : दूरसंचार क्रांति के पश्चात् इन चीजों की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। इस प्रकार के काम अस्थि विकलांगों के लिए बहुत आसान हैं और सरकार तथा स्थानीय प्रशासन अब तक विकलांगों को इस कार्य को करने में अनेक प्रकार की सहायता देते रहे हैं।

इस प्रकार का कार्य प्रारंभ करने के लिए एक छोटी दूकान की जरूरत होती है। यदि सिर्फ टेलीफोन बूथ चलाना हो तो वह सड़क के किनारे खोखे में भी चलाया जा सकता है। अगर फैक्स, फोटोकॉपी, ई-मेल आदि सभी चलाना हो तो दूकान सुरक्षित जगह पर होनी चाहिए। दूकान ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ लोग आसानी से आ-जा सकें। एक बार जगह तय हो जाए तो एस०टी०डी० बूथ के लिए महानगरों में महानगर टेलीफोन निगम तथा अन्य स्थानों पर दूरसंचार विभाग में आवेदन करना पड़ता है। टेलीफोन विभाग को सिक्वोरिटी राशि (जमानत राशि) जमा करनी होती है जो आम तौर पर प्रति टेलीफोन 5,000 रुपए होती है। एक बार जब कनेक्शन मिल जाता है तो एक मशीन खरीदनी पड़ती है जो एस०टी०डी० कॉल में लगे समय के अनुसार खुद-ब-खुद बिल बनाकर छाप कर देती है। यह मशीन लगभग 15,000 से 20,000 रुपए तक की होती है। एस०टी०डी० बूथ के साथ फैक्स मशीन भी लगाई जा सकती है। इस मशीन के लिए टेलीफोन कनेक्शन अलग से ले लेना चाहिए, ताकि फैक्स करने के अलावा बाहर से फैक्स आ भी सके यदि एक ही नंबर होगा तो वह व्यस्त रहेगा

ओर बाहर से फैंक्स नहीं आ पाएगा। आजकल फैंक्स की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। सभी लोग अपनी फैंक्स मशीन नहीं लगा पाते हैं और वे इस प्रकार के बूथों के फैंक्स नंबर दे देते हैं। इस बूथ पर आने वाले फैंक्सों को संबंधित लोगो तक पहुँचा दिया जाता है। आम तौर पर इसके एवज में 10 रुपए प्रति पेज लिया जाता है। फैंक्स करने का भी रेट 10 रुपए प्रति पेज है। शहरी इलाकों और व्यावसायिक इलाकों में यह काम बहुत अच्छा चलता है। यदि आसपास में दो-चार फेक्ट्रियों या व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं तो यह काम आसानी से चल सकता है। फैंक्स मशीन की कीमत 20-25 हजार होती है। एक विकलांग व्यक्ति एक साथ एस०टी०डी० और फैंक्स दोनों सँभाल सकता है। विकलांग दंपती या भाई-बहन भी इस काम को मिलकर आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आम तौर पर इन बूथों को प्रातः 4-5 बजे से रात 11-12 बजे तक खोलना पड़ता है। जब कॉल की दूरी कम होती है तब भीड़ ज्यादा होती है। विदेशों में कॉल भी रात में ही की जाती है।

यदि इलाका शहरी और सभ्रांत है तथा आसपास शैक्षणिक संस्थान हैं तो इस काम को और बढ़ाया जा सकता है। आजकल फैंक्स के अलावा ई-मेल का प्रचलन भी बहुत बढ़ गया है। ई-मेल के लिए कंप्यूटर, लेजर प्रिंटर, कलर मोनिटर सहित पूर्ण सिस्टम तथा इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है।

इंटरनेट का कनेक्शन घंटे के हिसाब से मिलता है। 500 घंटे के कनेक्शन के लिए 9,000 रुपए देने पड़ते हैं। 100 घंटे के कनेक्शन के 2,200 रुपए देने पड़ते हैं। ग्राहक आम तौर पर एक पेज ई-मेल करने के 25 रुपए देता है। इसमें बूथ के मालिक को टाइप करके खुद देना होता है। यह काम भी विकलांग व्यक्ति के लिए आसान है। ग्राहक के पास अगर फ्लोपी हो तो पूरी फ्लोपी बहुत कम खर्च में ई-मेल हो सकती है, पर कई बार इसमें वाइरस संक्रमण का खतरा रहता है। इसके साथ ही इंटरनेट सिखाने का काम भी किया जा सकता है। आम तौर पर छात्र 20 रुपए घंटे के हिसाब से इंटरनेट पर काम करने के एवज में भुगतान करते हैं।

यदि एस०टी०डी० बूथ पर जगह हो और आसपास में काम की गुंजाइश हो तो फोटोकॉपी की मशीन भी लगाई जा सकती है। फोटोकॉपी का काम भी अस्थि विकलांग व्यक्ति आसानी से कर सकता है। काम बढ़ जाने पर विकलांग व्यक्ति एक भी रख सकता है। की मशीन खरीदने में एकमशत

ज्यादा रकम लगती है। नई मशीन की कीमत आम तौर पर 80-90 हजार रुपए की होती है। पर इसमें मरम्मत या पुर्जे बदलने की आवश्यकता नहीं के बराबर होती है। पुरानी मशीन सस्ती होती है। यह 15 हजार से 50 हजार तक में आ जाती है। पर इसमें मरम्मत की जरूरत ज्यादा होती है। आजकल ऐसी फोटोकॉपी की मशीनें भी आ गई हैं जो बड़े साइज की फोटोकॉपी भी निकाल लेती हैं। फोटोकॉपी की मशीन बहुत सोंच-समझकर ही लगानी चाहिए।

यह काम अस्थि विकलांगों के लिए उत्तम है। नेत्रहीन किसी की महायत्ना लेकर यह काम कर सकते हैं। काम बढ़ने पर पूरा परिवार इसमें लग सकता है।

(6) ट्रेवल एजेंसी : समाज दिन-प्रतिदिन गतिशील होता जा रहा है। लोगों का आवागमन भी लगातार बढ़ रहा है। कम समय में ज्यादा स्थानों पर आना-जाना पड़ता है। लोग सुविधाजनक यात्रा करना चाहते हैं और सुविधा के एवज में शुल्क देने के लिए भी तैयार हैं। इन कारणों से ट्रेवल एजेंसियों की संख्या और कारोबार दोनों बढ़ रहा है।

जहाँ लोग रेल के टिकट और रिजर्वेशन की लाइन में लगने से बचने के लिए ट्रेवल एजेंसियों पर निर्भर रहते हैं, वही एयर इंडिया और विदेशी एयरलाइंस बड़े पैमाने पर ट्रेवल एजेंटों को प्रोत्साहित करती है। यहाँ एक बात दीगर है कि विश्व की सभी एयरलाइंस की एक एसोसिएशन है जो दूरी के हिसाब से किराया तय करती है। पर इन एयरलाइंस में कड़ी प्रतियोगिता रहती है। एसोसिएशन द्वारा निर्धारित किराया टिकट पर लिखा होता है; पर ये एयरलाइंस अपनी सुविधानुसार डिस्काउंट देती हैं। कई बार डिस्काउंट के बजाय सुविधाएँ भी देती हैं। ये सुविधाएँ ट्रेवल एजेंसियों के माध्यम से दी जाती हैं। इन एजेंसियों को अच्छा कमीशन भी मिलता है। यह धंधा अच्छा चल जाता है।

ट्रेवल एजेंसी में एक या दो आदमियों को लगातार ऑफिस में बैठना पड़ता है। उन्हें फोन पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करते रहना पड़ता है। विकलांग व्यक्ति यह काम बखूबी कर सकते हैं। विकलांग लड़कियों के लिए भी यह काम सुविधाजनक है। यदि अच्छा साझीदार मिल जाए तो विकलांग व्यक्ति बड़े आराम से अपनी ट्रेवल एजेंसी चला सकते हैं। दफ्तर में बैठने, रुपए का हिसाब-किताब करने का काम विकलांग साझीदार कर सकता है। इधर-उधर आने-जाने का काम सामान्य व्यक्ति कर सकता है। यदि विकलांग व्यक्ति के पास पूर्व अनुभव हो तो कर्मचारी रखकर अकेले भी यह कार्य किया जा सकता है।

इस काम को प्रारंभ करने के लिए एक कार्यालय की जरूरत होती है। कार्यालय ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ आराम से पहुँचा जा सके। साथ में फोन और फैंक्स की सुविधाएँ आवश्यक हैं। इयरलाइंस तथा हॉटलो से जान-पहचान बढ़ानी पड़ती है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है। यात्रा के लिए आवश्यक जानकारियाँ, नक्शे आदि संग्रहित करके रखने पड़ते हैं। हर जगह के हॉटलों, भ्रमण स्थलों आदि की जानकारी रखनी पड़ती है।

एक बार जब यह व्यवसाय जम जाता है तो हॉटल वाले, ट्रांसपोर्ट वाले स्वयं अच्छा कामिशन देते हैं। वे चाहेगे कि ट्रैवल एजेंसी ग्राहक को उनकी सेवाओं के बारे में अपनी अच्छी राय दे। प्रारंभ में प्रचार-प्रसार के लिए विज्ञापन आदि देने पड़ते हैं। बाद में अच्छी सेवा के जरिए एजेंसी का प्रचार-प्रसार खुद-ब-खुद हो जाता है।

इस व्यवसाय के जरिये विकलांग व्यक्ति और लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। यह काम महानगरों और बड़े शहरों में अच्छा चल सकता है। जहाँ पर बड़े शिक्षण संस्थान हैं और वहाँ के लोग पढ़ाई व अन्य कार्यों के लिए अक्सर विदेश जाते हैं वहाँ पर भी यह काम अच्छा चल जाता है।

(7) ट्रांसपोर्ट सेवा : इसमें भी एक या दो आदमियों को दफ्तर सँभालना होता है और एक-दो लोगों को भागदौड़ वाला काम करना पड़ता है। दफ्तर सँभालने का काम विकलांग व्यक्ति आराम से अपने हाथ में ले सकते हैं। यदि सही साझेदार मिल जाए तो पूरा-का-पूरा व्यवसाय भी विकलांग व्यक्ति अपने हाथ में ले सकता है।

इस व्यवसाय के लिए भी सबसे पहले एक कार्यालय की आवश्यकता होती है। एक से अधिक टेलीफोनो की भी जरूरत होती है। प्रारंभ में अगर अपना वाहन न हो तो भी काम प्रारंभ किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट का काम माल ढुलाई के ट्रकों, टैंपो आदि से भी प्रारंभ किया जा सकता है और यात्री ले जाने वाली बसों और मेटाडोरों से भी। जब व्यवसाय जम जाए तो अपना वाहन भी लिया जा सकता है। वाहनों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ाई भी जा सकती है।

ट्रांसपोर्ट का काम जोखिमभरा होता है। गाड़ी अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो काफी परेशानी हो जाती है। यात्रियों को अगर असुविधा हो जाए या वाहन समय पर न पहुँच तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट वाले के

परमिट बनवाने, बीमा करवाने जैसे काम भी करने पड़ते हैं। ट्रांसपोर्ट का काम काफी जिम्मेदारी का काम है। माल पकड़े जाने पर अनेक प्रकार की कानूनी उलझनों का सामना करना पड़ता है। अतः विकलांग व्यक्ति यदि इस प्रकार की स्थिति का सामना करने का अभ्यस्त हो या यह उसका पारिवारिक व्यवसाय हो और पुरानी साख हो तभी इस क्षेत्र में उतरना चाहिए। अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस व्यवसाय में उन्नति भी बहुत तेजी से होती है और नुकसान भी कई बार भयानक होता है।

(8) मछली पालन : यह व्यवसाय ग्रामीण इलाकों, नदी या समुद्र के तट के आसपास रहने वालों के लिए उपयुक्त है। ग्रामीण इलाकों में यदि विकलांग व्यक्ति के पास अपना तालाब है तो यह काम कम पूँजी में शुरू किया जा सकता है। अन्यथा किसी और व्यक्ति का तालाब किराए पर लिया जा सकता है।

मछली एक प्रमुख खाद्य पदार्थ है तथा इस पर काफी शोध किया जा चुका है और अभी भी किया जा रहा है। इस व्यवसाय से संबंधित काफी साहित्य उपलब्ध है। अतः इस काम को हाथ में लेने से पूर्व तमाम साहित्य पढ़ लेना चाहिए। मछली पालन पर अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी चलते रहते हैं। काम प्रारंभ करने से पूर्व यदि पाठ्यक्रम कर लिया जाए तो बेहतर है। इससे अनेक मछलियों की जानकारी, उनकी खपत का अंदाज, किस प्रकार की मछली का उत्पादन किया जाए आदि का ज्ञान मिल जाता है।

तालाब में मछली पालन के लिए नाव की आवश्यकता नहीं है। नदी में मछली पालन के लिए छोटी नाव की आवश्यकता पड़ सकती है। समुद्र में मछली पकड़ने के लिए बड़ी नाव की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार जाल आदि की आवश्यकता भी स्थान के अनुसार पड़ती है। काम प्रारंभ करने से पूर्व उपयुक्त नाव और जाल हेतु आवश्यक पूँजी का इंतजाम करना पड़ता है।

मछली पानी से निकलने के बाद बहुत जल्दी सड़ने लगती है और बेकार हो जाती है। अतः पकड़ने के बाद उसे सावधानी से पैक करना और वाहनों द्वारा शीघ्र-आतेशीघ्र भेजना भी एक कला है और इससे संबंधित जानकारियाँ समय-समय पर प्राप्त करना आवश्यक है। अतः इस व्यवसाय में लगे लोगों को पत्र-पत्रिकाओं के जरिये जानकारी हासिल करते रहना चाहिए।

कई बार तूफान आदि के कारण गंभीर स्थिति खड़ी हो जाती है। अतः अल्प विकलांग व्यक्तियों का ही समुद्र में मछली पालन के मे उतरना चाहिए

शेष विकलांगों को तालाब और ज्यादा-से-ज्यादा नदी में इस काम को करना चाहिए। अपने साथ सहायक रखने का प्रयास करना चाहिए।

कुल मिलाकर यह काम जेखिम भरा है और यथासंभव उपयुक्त साझीदार या परिवारजनों के साथ ही इस व्यवसाय में उतरना चाहिए।

(9) डेयरी चलाना : यह कार्य भी ग्रामीण क्षेत्रों या शहर के बाहरी क्षेत्र में रहने वालों के लिए उपयुक्त है। किसानों के लिए भी यह उपयुक्त है, क्योंकि कृषि कार्य और पशुपालन एक-दूसरे के पूरक हैं। खेती में पैदा होने वाला चारा आदि जानवरों के खाने में काम जाता है और जानवरों का गोबर आदि खेती के लिए खाद का काम करता है।

पश्चिम बंगाल स्थित नरेंद्रपुर के रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित नेत्रहीन अकादमी में नेत्रहीनों को पशुपालन और मुर्गी पालन सिखाया जाता है। अस्थि विकलांगों के लिए भी यह कार्य संभव है। बधिर व्यक्तियों के लिए यह कार्य सुगम है।

दूध भी जल्दी खराब हो जाने वाला पदार्थ है। अतः इसके उत्पादन से पूर्व ही इसकी बिक्री का इंतजाम कर लेना चाहिए। महानगरों में मदर डेयरी और बड़ी सहकारी संस्थाएँ बड़े पैमाने पर दूध खरीद लेती हैं और यहाँ से भुगतान भी नियमित रूप से मिलता रहता है। इसके अतिरिक्त होटलों आदि में भी बड़े पैमाने पर दूध सप्लाई होता है। छोटे शहरों में जाकर बेचना पड़ता है। यदि थोक व्यापारी से खरीद तय हो जाए तो विकलांग व्यक्ति के लिए आसानी हो जाएगी।

इसके अतिरिक्त दूध से बने पदार्थ जैसे दही, मक्खन, घी, पनीर, मट्ठा आदि की भी लगातार खूब माँग रहती है। यदि व्यवसायी के पास अपनी दूकान हो तो वह दूध के साथ इन पदार्थों को भी बेच सकता है।

डेयरी का व्यवसाय एक आकर्षक व्यवसाय है। इसको सिखाने के लिए अनेक अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं। व्यवसायी को गायों-भैंसों की बीमारियों, उनसे बचाव और उपचार की पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक बार व्यवसाय जम जाए तो पूरा परिवार इसमें लग सकता है। थोड़ी पूँजी हो जाए तो ऋजुर और अन्य मशीनें ली जा सकती हैं तथा दूध से बने पदार्थों का काम बड़े पैमाने पर किया जा सकता है।

4. अशिक्षित विकलांगों के लिए स्वरोजगार (आठवीं कक्षा या इससे कम शिक्षित लोगों के लिए)

(1) टेलरिंग : सिलाई का काम विकलांग व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत आसान है। आम तौर पर सिलाई की मशीन पैरों से चलाई जाती है, पर यदि व्यक्ति के पैर निष्क्रिय हों तो हस्तचालित मशीन भी ली जा सकती है। इस कार्य में कपड़ा काटना एक प्रमुख कार्य होता है। यदि इस कार्य का प्रशिक्षण पहले ले लिया जाए तो आसानी होगी। सिलाई का प्रशिक्षण औपचारिक रूप से भी लिया जाता है और किसी जमे-जमाए दर्जी के पास भी लिया जा सकता है। प्रशिक्षण संस्थान में किताबों के जरिये तथा अन्य तरह से कपड़ा काटना सिखाया जाता है। साथ में सिलाई का अभ्यास कराया जाता है। इसी प्रकार दर्जी के यहाँ दर्जी कपड़ा काट कर देता है। सीखने वाले को सिर्फ सिलना होता है। बाद में वह धीरे-धीरे स्वयं कपड़ा काटना भी सीख जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद काम अच्छा चल निकलता है।

यह काम घर में भी किया जा सकता है। बाजार में दूकान भी ली जा सकती है। काम का अनुमान लगाने के बाद जगह का चुनाव किया जाना चाहिए। काम एक मशीन से प्रारंभ किया जा सकता है। काम बढ़ जाने के बाद मशीनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसी के अनुपात में कारीगर भी रखे जा सकते हैं। एक बार व्यक्ति कपड़ा काटने में महारत हासिल कर ले तो सस्ते कारीगर सिर्फ सिलने के लिए रखे जा सकते हैं।

आजकल पत्र-पत्रिकाएँ नए डिजाइनों के परिधानों का विवरण समय-समय पर प्रकाशित करती हैं। अनेक संस्थान अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित करते हैं। यदि इनमें समय-समय पर प्रशिक्षण लिया जाए तो व्यवसायी को बदलती फैशन के अनुसार नए-नए वस्त्रों को बनाने का ज्ञान हो जाएगा।

टेलरिंग का काम फुटकर रूप में भी किया जा सकता है और थोक पैमाने पर भी किया जा सकता है। आजकल सिले-सिलाए वस्त्रों का अच्छा कारोबार चल रहा है। एक बार काम जम जाए और कई मशीनें और कारीगर साथ हों तो किसी सिले-सिलाए वस्त्रों के बड़े व्यापारी या निर्यातक के साथ अनुबंध किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में स्वचालित मशीनें भी खरीदी जा सकती हैं। ये

दर्शनों एक बार सेट कर देने के बाद एक प्रकार के वस्त्र कम समय में सिल देती हैं। धीरे-धीरे कारोबार बढ़ने के बाद खुद भी निर्यात का काम लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में व्यवसायी बिचौलियों से बच जाता है।

टेलरिंग का काम विकलांग दंपतियों के लिए आकर्षक है। अस्थि विकलांग, मूक-बधिर इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं।

(2) मुर्गीपालन : ग्रामीण क्षेत्र के अत्यल्प शिक्षित लोगों और शहर के बाहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह व्यवसाय सुविधाजनक भी है और आकर्षक भी है। आजकल अंडा मांसाहार नहीं माना जाता है और इसकी खपत बहुत बढ़ गई है। यदि विकलांग व्यक्ति के पास ग्रामीण इलाके या शहर के बाहरी इलाके में थोड़ी-बहुत जमीन हो या घर के आस-पास छोटा बगीचा भी हो तो यह काम आसानी से प्रारंभ किया जा सकता है। आजकल मुर्गीपालन के लिए बने-बनाए जाली के बाड़े आते हैं। इन्हें खरीदकर जोड़ा जा सकता है। मुर्गियाँ खरीदकर इनमें रखी जाती हैं। समयानुसार इन्हें दाना डाला जाता है और इनके प्रजनन की व्यवस्था की जाती है। मुर्गियों को तरह-तरह की बीमारियाँ बहुत जल्दी लग जाती हैं, अतः इनसे बचाने के उपाय करना भी आवश्यक है।

व्यवसायी अंडे भी बेच सकता है और मुर्गे भी। माँग के अनुसार ही अंडे और चूजों का उत्पादन करना चाहिए। काम प्रारंभ करने से पूर्व ही थोक व्यापारियों से तय कर लेना चाहिए ताकि वे रोज अपने वाहन में अंडे और मुर्गे आदि ले जाएँ।

आजकल अनेक विभाग और संस्थान मुर्गीपालन का प्रशिक्षण देते हैं। ये पाठ्यक्रम अल्पकालिक और सस्ते होते हैं। कई बार ये मुफ्त भी होते हैं। अस्थि विकलांग और मूक-बधिर तो इस काम को कर ही सकते हैं। पश्चिम बंगाल स्थित नरेंद्रपुर की रामकृष्ण मिशन नेत्रहीन अकादमी ने नेत्रहीनों को मुर्गीपालन का प्रशिक्षण देकर साबित कर दिया है कि नेत्रहीन भी इस व्यवसाय को कर सकते हैं।

एक बार व्यवसाय जम जाए तो इस काम को और बढ़ाया जा सकता है। यदि शहरी इलाके में दुकान मिल जाए तो मुर्गा काटकर भी बेचा जा सकता है।

(3) दस्तकारी : दस्तकारी का कार्य हुनरमंद लोग बेहतर कर सकते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि विकलांग व्यक्तियों के पास सोचने के लिए समय काफी होता है, क्योंकि वे ज्यादा चल-फिर नहीं पाते हैं। इनमें से अनेक अपनी एकाग्रता का लाभ स्वयं हुनरमंद हो जाते हैं और दस्तकारी करने लगते

है। कुछ को प्रशिक्षण देकर दस्तकार बनाया जा सकता है। बधिर व्यक्ति आमतौर पर अच्छे कलाकार होते हैं और सुंदर पेंटिंग, सजाने की वस्तुएँ, मूर्तियाँ आदि बना लेते हैं। दस्तकारी का व्यवसाय घर से भी प्रारंभ किया जा सकता है। बाद में अगर काम चल जाए तो दुकान या दफ्तर लिया जा सकता है।

इसी प्रकार दस्तकारी के काम में काम के हिसाब से पूँजी लगती है। कुछ कामों जैसे मिट्टी की मूर्तियाँ, जूट के सामान, सजावट के सामान आदि बनाने में थोड़ी पूँजी लगती है। ये सामान आजकल खूब बिकते हैं। मध्य वर्ग के लोग इन्हें अपने घर की सजावट के लिए खरीदते हैं।

कौन-सा सामान बनाना चाहिए, यह तय करने के लिए कुछ मध्य वर्ग और उच्च वर्ग के व्यक्तियों के ड्राइंगरूमों में सजाए गए सामानों का अध्ययन करना आवश्यक है। आजकल इंटीरियर डेकोरेटर का व्यवसाय भी खूब चल रहा है। किसी भी डेकोरेटर से राय लेकर काम प्रारंभ किया जा सकता है। साथ में इस प्रकार के सामानों के थोक व्यापारी से भी अनुबंध किया जा सकता है। इस प्रकार के अनेक व्यापारी उपलब्ध होते हैं और उनके पास शोरूम भी होते हैं। जब ऐसे थोक ग्राहक मिल जाएँ तो बड़े पैमाने पर उत्पादन करना चाहिए। अपने सामान के सैंपल हमेशा तैयार रखने चाहिए।

सजावट का फैशन भी कपड़ों के फैशन की तरह बदलता रहता है। अतः बदलते फैशन के अनुसार अपने सामान में परिवर्तन करते रहना चाहिए। रंगों का उचित तालमेल भी जरूरी है।

अगर काम अच्छा चल निकले तो अपना शोरूम ले लेना चाहिए। कर्मचारी भी आवश्यकतानुसार रखने चाहिए। दस्तकारी के सामान की विदेशों में भी बड़ी माँग है, अतः यदि व्यक्ति निर्यात के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ले तो खुद भी वह निर्यात कर सकता है।

(4) ब्रासवैयर (पीतल का सामान बनाना) : सजावट के लिए पीतल के सामानों का प्रयोग लंबे समय से चला आ रहा है। आम मध्यमवर्गीय व्यक्ति के घर में भी पीतल के अच्छे लैप शेड, वाल हैंगिंग और शीलडें आदि सर्जा रहती हैं।

पीतल के सामान नक्काशी करने के बाद ज्यादा सुंदर लगते हैं। सुंदर नक्काशी और उसके बाद अच्छी पॉलिश पीतल को सोने जैसा सुंदर और चमकदार बना देती है। करना अस्थि विकलांगों के लिए सुगम है और बधिर

व्यक्ति इसे पूरी एकाग्रता से करते हुए देखे गए हैं।

पीतल के ढले हुए सामान किसी भी फैक्टरी से प्राप्त किए जा सकते हैं। विकलांग व्यक्ति उन पर नक्काशी और पॉलिश करके बेचने का इंतजाम कर सकता है। इसके लिए पहले कुछ सैंपल तैयार कर लेने चाहिए। इन सैंपलों को थोक व्यापारियों को दिखाकर ऑर्डर प्राप्त किए जा सकते हैं।

यदि काम अच्छा चल निकले तो शोरूम भी खोला जा सकता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के बाद निर्यात भी किया जा सकता है।

(5) बुनाई : सिलाई की तरह बुनाई भी विकलांगों के लिए सुगम है। आवश्यकतानुसार और पूँजी के अनुसार छोटा हथकरघा या बिजली से चलने वाला करघा लिया जा सकता है। यदि पैतृक व्यवसाय बुनाई है तो और ज्यादा आसानी होगी, अन्यथा हथकरघा लगाने से पूर्व उसे चलाने का प्रशिक्षण ले लेना चाहिए। बुने हुए माल के खरीदार भी पहले से ही तलाश लेने चाहिए। विभिन्न राज्यों में हैंडलूम कॉरपोरेशन हैं। अनेक सहकारी समितियाँ भी हैं। ये लोग बुनकरों को प्रशिक्षण देते हैं। साथ में इनका बना हुआ माल या तो खुद खरीद लेते हैं या बिकवाने में मदद करते हैं। बुनकर अपने राज्य की को-ऑपरेटिव सोसायटियों के सदस्य भी बन सकते हैं। इससे इस क्षेत्र की गतिविधियों की ताजा जानकारी समय-समय पर मिल जाती है। समय-समय पर बुनाई से संबंधित साहित्य भी पढ़ते रहना चाहिए।

कपड़ा आदि बुनने में आजकल इतना मुनाफा नहीं होता है क्योंकि बड़ी मिलें सस्ता कपड़ा बड़े पैमाने पर तैयार करती हैं। यदि व्यक्ति कालीन बुनने का प्रशिक्षण ले ले तो यह अत्यंत लाभदायक हो सकता है। आम तौर पर विकलांग व्यक्तियों में दस्तकारी का हुनर होता है, यह हुनर कालीन बुनने में बहुत काम आता है। कालीन और गलीचा आदि बनाने के लिए करघे का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। काम प्रारंभ करने से पूर्व थोक व्यापारी से भी तय कर लेना चाहिए ताकि तैयार माल बिकने में परेशानी न हो।

इस काम में धीरे-धीरे पूरा परिवार लग सकता है। काम अच्छा चल निकले तो अपनी दूकान या शोरूम भी ले लेना चाहिए। इस काम में निर्यात की अच्छी संभावनाएँ हैं।

(6) स्वेटर बुनाई : स्वेटरों की माँग सदियों से चली आई है और आगे भी रहेगी। पहले घर की महिलाएँ खुद अपने घर के सभी सदस्यों के लिए स्वेटर बुन

लेती थीं। अब धीरे-धीरे महिलाओं में खुद स्वेटर बुनने का चलन कम हो रहा है व्यस्तता के कारण लोग बना-बनाया स्वेटर लेना पसंद करते हैं।

विकलांग महिलाओं के लिए यह व्यवसाय आसान है। ये लोग इस कार्य को बहुत कुशलता से कर लेती हैं। प्रारंभ में यह काम हाथ से किया जा सकता है। महिला ग्राहक से पसंद की ऊन या ऊन का खर्च ले सकती हैं और स्वेटर तैयार हो जाने पर बुनाई का मेहनताना ले सकती हैं। जब काम बढ़ जाए तो स्वेटर बुनने वाली मशीन भी ले सकती हैं। इस मशीन में एक बार सेट कर देने के बाद एक प्रकार के स्वेटर बड़ी संख्या में कम समय में तैयार हो जाते हैं। इस मशीन को चलाने में परिश्रम भी कम करना होता है।

स्वेटर बुनाई का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अनेक स्थानों पर उपलब्ध है और यह अल्पकालिक तथा सस्ता होता है। यदि कर लिया जाए तो बेहतर है। इसके अतिरिक्त अनेक महिला पत्रिकाएँ जैसे 'सरिता', 'गृहशोभा' आदि भी समय-समय पर नवीनतम डिजाइनों प्रकाशित करती रहती हैं। इन डिजाइनों के आधार पर नवीनतम फैशन के स्वेटर तैयार किए जा सकते हैं। अनुभव बढ़ने पर इन डिजाइनों के आधार पर नई और बेहतर डिजाइनें भी तैयार की जा सकती हैं। यदि विकलांग महिला पढ़ी-लिखी हैं तो फैशन टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा कर सकती हैं। इससे काम को बढ़ाने में आसानी होती है।

इस व्यवसाय में तैयार माल के व्यापारियों से निरंतर संपर्क रखना आवश्यक होता है। उन के चुनावों में सावधानी बरतना भी उतना ही आवश्यक होता है। काम बढ़ने पर एक से अधिक मशीनें भी लगाई जा सकती हैं। सहायक भी रखे जा सकते हैं। हालाँकि आम तौर पर महिलाएँ इस काम को करती हैं, पर एक बार काम चल निकलने पर पूरा परिवार इसमें लग सकता है।

(7) किताबों की बाइंडिंग : यह कार्य अभी भी ज्यादातर हाथ से ही किया जाता है और विकलांगों के लिए आसान है। इस काम की भारी माँग भी है। भारतवर्ष में लगभग 11,000 प्रकाशक हैं। हर साल लगभग एक लाख शीर्षक वाली किताबें छपती हैं। लाइब्रेरियों में हार्ड बाउंड किताबें ही ली जाती हैं। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षण संस्थान के पास भी इस कार्य की भारी माँग होती है, क्योंकि परास्नातक स्तर, डॉक्टरेट स्तर पर जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होती हैं वे भी हार्ड बाउंड ही होती हैं। इसके अतिरिक्त मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट तथा अन्य व्यावसायिक संस्थान भी अपने छात्रों से डिग्री या डिप्लोमा देने से पूर्व रिपोर्ट तैयार करवाते हैं।

और ये रिपोर्ट भी अकसर बाउंड ही होती हैं।

अतः विकलांग व्यक्ति किसी प्रकाशन या शिक्षण संस्थान के साथ तालमेल करके इस कार्य को प्रारंभ कर सकता है। इस कार्य को प्रारंभ करने में बहुत कम सम्मान की आवश्यकता होती है। आम तौर पर कागज, गत्ता, गोंद, रेक्सीन आदि की आवश्यकता होती है। यह कार्य गंभीर विकलांगता के शिकार व्यक्ति बहुत आसानी से कर सकते हैं।

आजकल इस काम के लिए अर्ध स्वचालित मशीनें भी आ गई हैं। इनसे काम आसान हो जाता है और काम में एकरूपता भी आ जाती है। किताब के बाउंड होने के बाद स्क्रीन प्रिंटिंग की आवश्यकता होती है। यह काम भी विकलांग व्यक्ति के लिए आसान होता है और ग्राहक को साग काम एक जगह से तैयार मिलने से आसानी होती है। आवश्यक स्क्रीन किसी स्क्रीन बनानेवाले से बनवाई जा सकती है। पहले यह काम घर पर प्रारंभ किया जा सकता है और बाद में छोटी दूकान भी ली जा सकती है।

(8) **चमड़े का काम :** चमड़े की वस्तुओं जैसे जूते, चप्पल, सैंडल, बटुओ आदि की माँग बहुत पहले से रही है और आगे भी रहेगी। जिन इलाकों में सर्दी ज्यादा पड़ती है वहाँ पर कपड़े भी चमड़े के पहने जाते हैं। इनके अलावा अनेक वस्तुओं में चमड़ा लगता है।

प्रारंभ में भारत में चमड़े का काम छोटा माना जाता रहा है। इस काम को कुछ निश्चित जातियाँ ही करती रही हैं, पर अब धारणा काफी बदल चुकी है। हालाँकि मरे हुए जानवरों की खाल उतारना और उसे पकाकर चमड़ा तैयार करना आदि कार्य अभी भी समाज का एक छोटा वर्ग ही करता है, पर इससे जुड़े शेष कार्य अर्थात् चमड़े का उपयोग करके तैयार माल बनाना और आगे बेचना आदि समाज के अन्य लोग भी करने लगे हैं।

चमड़े का काम अनेक तरह से और अनेक पैमाने पर किया जाता है। बहुत सारा काम हाथ से अथवा छोटे फरमे द्वारा किया जाता है। इससे पूँजी कम लगती है और हुनरमंद विकलांग व्यक्ति आसानी से कर सकते हैं। यदि विकलांग व्यक्ति का यह पारिवारिक व्यवसाय है तो वह बेहिचक काम प्रारंभ कर सकता है। अन्यथा उसे प्रशिक्षण लेकर काम शुरू करना चाहिए। यह प्रशिक्षण किसी अनुभवी व्यवसायी के पास रहकर भी प्राप्त किया जा सकता है। आजकल लेदर टेक्नोलाजी में आई०टी०आई० डिप्लोमा यहाँ तक कि डिग्री स्तर के भी

चल रहे हैं। यदि विकलांग व्यक्ति पढ़ा-लिखा है तो अपनी योग्यतानुसार वह किसी कार्यक्रम को कर सकता है। इससे उसे काम मिलने में आसानी होगी और उसके काम का स्तर भी बढ़ेगा।

काम की सफलता के अनुसार काम बढ़ाया भी जा सकता है और कारीगर भी रखे जा सकते हैं। प्रारंभ में छोटी-सी जगह में, यहाँ तक कि घर पर भी, यह व्यवसाय किया जा सकता है। बाद में बड़ी और बेहतर जगह ली जा सकती है। यदि थोड़ी पूँजा हाथ में आ जाए तो तैयार माल स्टॉक किया जा सकता है। इससे कारीगरों को खाली बैठकर वेतन नहीं देना पड़ेगा और ऑर्डर आने पर माल तत्काल सप्लाई किया जा सकता है।

आजकल जूते, सैंडलें आदि बनाने वाली बड़ी कंपनियाँ छोटे व्यवसायियों से ठेके पर काम करवाती हैं और तैयार माल की गुणवत्ता परखकर उस पर अपनी सील लगाकर बेच देती हैं। विकलांग व्यवसायी ऐसी कंपनियों से ठेके पर काम लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कई जगह कच्चा माल, खास तौर से चमड़ा, बड़ी कंपनियाँ थोक में खरीदकर दे देती हैं। इससे छोटे व्यवसायी को कच्चा माल खरीदने का झंझट भी नहीं उठाना पड़ता है।

यह भी देखा गया है कि बड़ी कंपनियों के जूते, चप्पल बहुत महँगे होते हैं। इसका कारण है इन कंपनियों का बड़ा ओवरहैड, जिसमें ऊँची तनखाहें, बढ़ते महँगे विज्ञापन और अन्य खर्चे शामिल हैं। कई बार इनके माल में गुणवत्ता लगभग उतनी ही होती है जितनी छोटे निर्माता की, पर छोटे निर्माता का माल का दाम बहुत कम होता है। चूँकि चमड़े का बना हुआ सामान समाज के सभी वर्गों द्वारा अनिवार्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है, अतः सस्ते सामान की माँग बहुत ज्यादा है। यह भारत के गरीब और मध्य वर्ग के भी हित में है कि चमड़े का व्यवसाय लघु और मध्यम स्तर पर ज्यादा चले, ताकि पहनने को जूते, चप्पल सस्ते मिले। अतः विकलांग व्यक्तियों के लिए इस क्षेत्र में आसार अच्छे हैं।

इसके अतिरिक्त भारत में लगभग डेढ़ सौ स्थानों पर विकलांगों के लिए कैलीपर और अन्य कृत्रिम अंग तैयार किए जाते हैं। इनके साथ विशेष जूते भी तैयार करने पड़ते हैं जिन्हें तकनीकी भाषा में 'सर्जिकल शू' कहते हैं। आम तौर पर विकलांग व्यक्ति के पैर छोटे-बड़े होने के कारण या टेढ़े-मेढ़े होने के कारण जूते कैलीपर में फिट नहीं हो पाते हैं। विकलांग व्यवसायी इस काम को हाथ में ले सकते हैं। यह एक आदर्श स्थिति होगी क्योंकि इस प्रकार विकलांग

व्यक्तियों को विकलांग व्यक्तियों की सेवा का अवसर मिलेगा। यदि इस प्रकार का इंतजाम हर जिले में हो जाए तो विकलांग व्यक्तियों को कैलीपर और जूतों के लिए इधर-उधर नहीं भागना पड़ेगा।

(०) मोमबत्ती/चाक बनाना : विकलांग व्यक्तियों द्वारा यह काम एक लंबे समय से किया जा रहा है। यह काम वे विकलांग व्यक्ति भी कर सकते हैं जो बिलकुल अशिक्षित हों और आगे शिक्षा ग्रहण करने की भी कोई संभावना नहीं हो। मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति भी इस काम को कर सकते हैं। मोमबत्ती या चाक बनाने में कच्चे माल, जैसे मोम या खड़िया आदि, की आवश्यकता होती है। साथ में साँचे आदि की भी जरूरत होती है। उनकी सहायता से नेत्रहीन, मानसिक रूप से अविकसित या गंभीर विकलांगता के शिकार व्यक्ति यह कार्य कर सकते हैं। व्यावसायिक रूप से इस कार्य के सफल होने की संभावना कम होती है। पर इस कार्य को करते रहने से विकलांग व्यक्ति के आत्मविश्वास में गजब की वृद्धि होती है। खास तौर से मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति काम करके बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी बनाई हुई मोमबत्ती को जलते देखकर या चाक से लिखते देखकर उन्हें अपार खुशी होती है। अंदर-ही-अंदर टूट चुके व्यक्ति को यह लगता है कि उसका भी जीवन सार्थक हो सकता है। बाद में ऐसे व्यक्तियों को लाभवाले कामों में लगाया जा सकता है। यदि लाभवाले कामों में न भी लगाया जाए तो भी उनके रहन-सहन का ढंग बदल जाता है। इससे उनके परिवारवालों की परेशानी काफी कम हो जाती है।

अनेक स्वयंसेवी संस्थाएँ नेत्रहीनों या अन्य विकलांग व्यक्तियों द्वारा बनाई गई मोमबत्तियाँ और चाक आदि खरीद लेती हैं और दीवाली तथा अन्य अवसरों पर उनकी प्रदर्शनी लगाती हैं और बिक्री भी करती हैं। यदि विकलांग व्यक्ति इस काम को प्रारंभ करना चाहते हैं तो काम शुरू करने से पूर्व ऐसी संस्थाओं से रेट आदि तय कर लेना बेहतर है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के विशेष अवसर

भारतवर्ष की 70 प्रतिशत जनता गाँवों में रहती है और इनमें से बड़ी आबादी विकलांगों की है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वरोजगार के अवसर आवश्यक हैं, ताकि ये विकलांग जन अपने घर पर रहकर ही रोजगार कर सकें और उन्हें शहरे में या अन्यत्र भटकना न पड़े।

यहाँ कुछ ऐसे स्वरोजगारों के अवसरों का वर्णन किया जा रहा है जो कृषि आधारित हैं और ग्रामीण इलाकों में तथा शहरों के बाहरी इलाकों में आसानी से किए जा सकते हैं।

गुलाब की खेती : गुलाब एक फूल मात्र नहीं है वरन् इसके अन्य उपयोग भी हैं। गुलाब के फूलों से जल आसवन द्वारा तेल निकाला जाता है, जो विभिन्न प्रकार की उत्तम सुगंध तैयार करने में काम आता है। गुलाब जल का उपयोग शरबतों, मिठाइयों और तंबाकू उद्योग में भी किया जाता है।

गुलाब की खेती शीतोष्ण और समशीतोष्ण वातावरण में होती है। कम आर्द्रता और साफ मौसम उपयोगी होता है। जमीन तैयार करने के बाद इसकी कलम लगाई जाती है। एक हेक्टेयर जमीन में दस हजार पौधे लगाए जा सकते हैं। गोबर की खाद डालने से इसमें दीमक और अन्य फफूँदी नहीं लगती है। आवश्यकतानुसार सिंचाई करनी चाहिए।

दूसरे साल इन पौधों की छँटाई की जाती है। इस छँटाई से ही आगे के लिए फलमें तैयार की जाती हैं। गुलाब के फूल फरवरी के मध्य से लेकर मार्च के अंत तक आते हैं। प्रति हेक्टेयर 30-35 क्विंटल तक गुलाब की पैदावार हो जाती है।

यह रोजगार लाभदायक है। दूसरे वर्ष से इसमें आमदनी प्रारंभ हो जाती है और 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक आय हो जाती है।

गुलाब की ही तरह अन्य फूलों की खेती भी

की जा

सकती है। आजकल उद्यान शास्त्र काफी उन्नत हो चुका है और फलों-फूलों की खेती के सभी पहलुओं की जानकारी उपलब्ध है। इनमें होने वाली विभिन्न बीमारियों और उनके इलाज की जानकारी भी उपलब्ध है। इनका अध्ययन व्यवसायी को अवश्य कर लेना चाहिए।

यह कार्य अस्थि विकलांगों, मूक-बधिरों के लिए सुगम है।

पपेन (पपीते के दूध) का उत्पादन : पपीते का सुखाया हुआ दूध पपेन कहलाता है और यह सफेद या हलके क्रीम कलर का होता है। बाजार में इसे पथायोटिन, पपायड, कैरायड के नाम से जाना जाता है। इसका घरो, भोजनालयों, उद्योगों और औषधियों में उपयोग होता है। सख्त सब्जियों और मांस को मुलायम बनाने, मछली का तेल निकालने आदि में इसका उपयोग होता है। यू०एस०ए० में जौ की चिल प्रूफ बियर बनाने में इसका उपयोग होता है। कपडा धुलाई उद्योग में यह काम आता है और इसके प्रयोग से मूल्यवान कपडों में धूल, जमा हुआ मैल, चिकनाई, धब्बे आदि साफ हो जाते हैं। यह रेशम और ऊन को सिकुड़ने से बचाता है और चमक-दमक बनाए रखता है। पपेन का उपयोग चर्म उद्योग में भी होता है और इससे अनावश्यक बाल उड़ा दिए जाते हैं। दूध और कन्फेक्शनरी में बढ़िया पनीर बनाने और अन्य कार्यों में उपयोग होता है। च्युइंगम बनाने में भी इसका उपयोग होता है। यह कृमिनाशक भी होता है और इसलिए अनेक रोगों की दवा के निर्माण में भी काम आता है। अतः इसकी माँग काफी है।

पपेन तैयार करने की विधि : पपीते के पेड़ में जड़ों के अलावा हर भाग में दूध होता है। पपेन के उत्पादन के लिए हरे पपीते के फलों से दूध निकालते हैं। बड़े आकार के पूर्ण विकसित हरे फलों में ढाई से तीन मिलीमीटर चीरा लगाते हैं। ज्यादा गहरा चीरा लगाने से फल में फफूँदी लग जाएगी और फल खराब हो जाएगा। चीरा लगाते ही दूध आने लगता है, अतः विशेष प्रकार का प्लास्टिक का छता फल के नीचे सूत की डोरी से बाँध दिया जाता है। एक फल पर सप्ताह में दो बार दूध निकाला जाता है और एक बार में लम्बाई में तीन से चार-चीरे लगाए जाते हैं। यह कार्य प्रातःकाल में किया जाए तो बेहतर है। दूध निकालने से पहले जमीन की सिंचाई भी की जानी चाहिए।

छतरी में जमे दूध को प्लास्टिक की बाल्टी में इकट्ठा करके कार्य कक्ष में पहुँचाया जाता है इसमें 6 प्रतिशत सोडियम बाई सल्फाइड मिलाया जाता है और फिर विशेष ओवन में 50° पर सुखाया जाता है बाद में इसे पीसकर

बारीक चूर्ण बनाया जाता है। पूरी प्रक्रिया में धातु के चाकू, बर्तनों और उपकरणों का प्रयोग कतई नहीं किया जाता है। बाट में इसे वायुरुद्ध (Airtight) डिब्बे में जमा किया जाता है। डिब्बों का आकार पाँच के अनुरूप होना चाहिए।

यह कार्य विकलांगों के लिए सुगम और आकर्षक है। पपीते की खेती में फल के साथ पपेन का उत्पादन एक साथ किया जा सकता है। अस्थि विकलांग, मूक-बधिर लोगों के लिए यह अत्यंत सुगम है। पूरा परिवार मिलकर इसे अत्यंत आसानी से कर सकता है। इस कार्य को करने से पहले इस विधि को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। किसी उद्योग शास्त्री की मदद भी ली जा सकती है।

मशरूम की खेती : खुंब या मशरूम कुकुरमुत्ता, छतरी या खुंबी के नाम से भी जाने जाने हैं। इस खाद्य पदार्थ में वसा व कार्बोहाइड्रेट निम्न मात्रा में और प्रोटीन, लवण तथा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। पौष्टिकता अधिक होने के कारण यह हृदय रोग, चर्म रोग, एनीमिया, बच्चों को होने वाले सूखा रोग, मधुमेह आदि से बचने के लिए उत्तम भोजन है। इसकी खेती के लिए खेत की जरूरत नहीं होती। इसे कमरे में ही उपजाया जा सकता है।

दुनिया में खुंब की 120 किस्में खाने के काम आती हैं। भारत में तीन प्रकार के खुंब की खेती प्रचुरता से होती है। यहाँ हम उदाहरण के तौर पर सफेद बटन खुंब की खेती का तरीका बता रहे हैं। अन्य प्रकार के खुंब भी विधि में थोड़ा-बहुत परिवर्तन करके उपजाए जा सकते हैं। सफेद खुंब की खेती के लिए ठंडे मौसम (14-25° C) की आवश्यकता होती है और वातावरण में 80 प्रतिशत से ज्यादा नमी होनी चाहिए। मैदानी इलाकों में इसे नवंबर-फरवरी के बीच में उगाया जा सकता है।

इसके लिए खाद आदि कृषि कार्यों में निकले उत्पादों से ही तैयार की जाती है। यह गेहूँ के ताजे भूसे, गेहूँ के चोकर आदि से बनाई जाती है।

गेहूँ के भूसे को पक्के फर्श पर 48 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद गेहूँ का चोकर और कुछ रसायन जैसे कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया आदि मिलाए जाते हैं। इसके बाद इसका चट्टा बनाया जाता है।

इसके बाद इसमें खुंब के बीज डाले जाते हैं। कमरे का तापमान 22°-25° डिग्री रखा जाता है। दिन में एक-दो बार आवश्यकतानुसार पानी छिड़का जाता है। बीच-बीच में ताजा हवा प्रवेश कराई जाती है।

कमरे में हवा देने के बाद चार पाँच दिन में सफेद खुंबी दानों के रूप में

टिखाई देने लगती है। एक हफ्ते बाद में खुंब तोड़ने लायक हो जाते हैं। यह फसल 50-60 दिनों तक निकलती रहती है।

खुंब की तुड़ाई सुबह की जानी चाहिए। खुंब की टोपी खुलने से पहले उसे सावधानीपूर्वक हाथ के अँगूठे और दो उँगलियों से उखाड़ना चाहिए। उस जगह पर ताजा मिट्टी भर देना चाहिए। अलग-अलग प्रकार के खुंबों को 200 ग्राम या 500 ग्राम पॉलीथीन की थैलियों में बंद करके मंडी में भेजा जा सकता है। दूर की मंडियों में भेजने के लिए कंटेनर का तापमान 4° C से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस अवस्था में खुंब 7 दिन तक ताजा बना रहता है।

लगभग आधे वर्गमीटर स्थान में 4-5 किलो खुंब उगाए जा सकते हैं। इसके उत्पादन में 5-7 रुपए प्रति किलो खर्च आता है, जबकि बाजार में यह 25-30 रुपए किलो के भाव से आराम से बिक जाता है।

जिन विकलांग किसानों के पास खेती योग्य जमीन बहुत कम है वे भी इसकी खेती कर सकते हैं। इसमें शारीरिक परिश्रम और भाग-दौड़ बहुत कम होती है। स्थानीय प्रशासन खुंब की खेती के लिए लोगों को प्रेरित कर सकता है और किसानों को अल्पकालिक प्रशिक्षण दे सकता है।

ताजे मशरूम के अलावा सुखाए हुए मशरूम और अचार के रूप में प्रयोग किए गए मशरूम भी प्रयोग में लाए जाते हैं। विकलांग व्यक्ति उचित प्रशिक्षण लेकर इसके विभिन्न व्यंजन जैसे बिस्कुट, चिप्स, अचार, केचप, सॉस आदि बना सकते हैं।

इस कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व प्रशिक्षण अत्यावश्यक है। इससे विषैले खुंब पहचानने में आसानी होगी। साथ ही खुंब की खेती में लगने वाली बीमारियों का भी पता चलता है।

रेशम कीट पालन : भारत में शहतूत का रेशम कोट ज्यादा पाला जाता है। इसके कोए का रंग सफेद होता है और रेशम उच्च कोटि का होता है। मादा रात में 300-400 अंडे पत्तियों पर देती है जो 12-20 दिन में फूटते हैं। अंडे से सूँड़ियाँ निकलती हैं, जो शहतूत की पत्तियाँ खाना शुरू कर देती हैं। प्रत्येक 6-7 दिन बाद सूँड़ियाँ 5 बार खाल बदल देती हैं। 30-35 दिन में पूर्ण विकसित हो जाती हैं। विकसित सूँड़ी अपनी लार से 24 घंटे में अपने ऊपर कोया बना लेती हैं और कोयों में ही प्यूपा में परिवर्तित होती हैं। कोया एक ही धागे का बना होता है। सूँड़ी 3-4 दिन में 1000 मीटर धागा बुनती है 6-7 दिन की होती है जब

प्रौढ़ावस्था आ जाती है तो वह बाहर की ओर जाने के लिए मुँह से क्षारीय पदार्थ निकालता है, जिससे कोये का अगला भाग गल जाता है और प्रौढ़ बाहर आ जाता है। लेकिन धागा टूट जाता है। अतः प्रौढ़ के निकलने से पहले ही कोयों को गरम पानी में उबालकर धागा निकाल लेना चाहिए। लगभग 2500 कोयों से एक पोड रेशम प्राप्त हो जाता है।

जो विकलांग रेशम कीट पालना चाहता है उसे इन कीड़ों के खाद्य पदार्थ जैसे शहतूत के पेड़ की खेती करना आवश्यक है। शहतूत बीज द्वारा भी उपजाया जाता है और कटिंग लगाकर भी। एक हेक्टेयर जमीन में 7.5 लाख कटिंग लगाई जा सकती है। वर्ष में दो बार पौधे की छँटाई करनी पड़ती है। कीड़े पालने के इच्छुक व्यक्ति को अंडे से निकले और दस दिन के पले कीड़े रेशम विभाग से मिल जाते हैं। जिस ट्रे में कीड़े पालने हैं उसके एक भाग को एक घोल में डुबोया जाता है। इस घोल में एक हिस्सा फार्मलीन और 19 हिस्सा पानी होता है। कच्चे मकान, जहाँ कीड़े पाले जाने हैं, की गोबर की लिपाई करनी चाहिए और 100 ग्राम फार्मलीन अंगारे पर जलाकर 15 घंटे तक धुआँ करना चाहिए।

जिस कमरे में कीड़े पाले जा रहे हैं वहाँ 3-3 मीटर के बाँस के मचान जमीन से 15 से०मी० ऊँचाई पर बाँध देना चाहिए। इन पर कीड़े पालनेवाली ट्रे रख दी जाती हैं।

कीड़े लाकर उन्हें तुरंत फैलाकर रख देना चाहिए और पत्तियाँ देना चाहिए। हरी पत्तियाँ नियमित रूप से दिन में चार बार देते रहना चाहिए। कीड़ा 20-25 ग्राम पत्तियाँ खाता है और एक औंस कीड़े कुल 1100 किलोग्राम पत्ती खाते हैं। इनसे 50 किलोग्राम कोये मिल जाते हैं।

अपनी पॉचर्वी अवस्था में कीड़े पत्तियाँ खाना बंद कर देते हैं और मुँह से रेशम निकालना शुरू कर देते हैं। इस समय इनका रंग पारदर्शी पीला हो जाता है। वे कोया बनाने के लिए जगह ढूँढ़ने लगते हैं। ऐसे में इन्हें माउंटिंग ट्रे पर डाला जाता है।

इस स्थिति में दिनों का हिसाब अवश्य रखना चाहिए और छूटे या सानवें दिन कोयों को गरम पानी में उबाल लेना चाहिए। उसके बाद उन्हें बिक्री केंद्र पर ले जाकर बेच देना चाहिए।

विकलांगों के लिए यह कार्य सुगम है। इस कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पास

में रेशम विभाग का केंद्र हो और तैयार माल का विक्रय केंद्र भी हो। इस कार्य को अन्य व्यवसायों के साथ भी किया जा सकता है।

मधुमक्खीपालन : शहद प्राचीन काल से ही उच्च कोटि का पौष्टिक आहार माना जाता है। यह रक्तवर्धक, रक्तशोधक और आयुवर्धक है। तमाम आयुर्वेदिक औषधियों के साथ इसका सेवन किया जाता है। इसका उपयोग धार्मिक क्रियाकलापों में भी किया जाता है।

भारत में विभिन्न प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। इनमें से इटालियन मधुमक्खी पालना सरल भी है और सबसे लाभदायक भी है। भारतवर्ष के अनेक राज्यों में मधुमक्खीपालन का काम बड़े पैमाने पर होता है।

मधुमक्खीपालन के लिए समतल स्थान उपयोगी रहता है और इस जगह पर पर्याप्त छाया, हवा, शुद्ध पानी और धूप उपलब्ध होना चाहिए। मधुवाटिका के चारों ओर निम्न प्रकार की खेती लाभदायक होती है—जैसे फूलों की खेती, फलों के वृक्ष, सब्जियाँ, खेती की फसलें, जंगली पेड़ और झाड़ियाँ आदि।

मधुमक्खीपालन के लिए हाइव (मधु बक्सा), स्टैंड, हाइव टूल, मुँह रक्षक जाली, दस्ताने, धुआँदानी आदि की आवश्यकता होती है। इसके अलावा समय-समय पर पोलिथीन शीट, मक्खियों को कृत्रिम भोजन देने के लिए फीडर, शहद निकालने की मशीन, चाकू जैसी चीजों की भी आवश्यकता पड़ती है।

व्यवसायी को मधुमक्खियाँ भी खरीदनी पड़ती हैं। आरंभ में चार से छह फ्रेम की तैयार कालोनी खरीदना उचित होता है। रानी मक्खी युवा होनी चाहिए। फ्रेमों में लगे छत्ते में पर्याप्त शहद होना चाहिए। आम तौर पर मधुमक्खियों को रात में स्थानांतरित किया जाता है। मक्खियाँ बाहर न निकलें, इसके लिए जाली लगा देते हैं। आवागमन में झटके नहीं लगाने चाहिए।

वसंत ऋतु मधुमक्खियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। गरमियों में इनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। बरसात में चीनी की चाशनी का इंतजाम करना पड़ता है।

मधुमक्खियों को छिपकलियों, बर्र, चींटी आदि से खतरा होता है; पर जब इनकी संख्या काफी हो जाती है तो ये अपनी सुरक्षा खुद कर लेती हैं।

समय-समय पर इनकी जाँच करनी पड़ती है। शहद निकालने के लिए धुआँ छोड़कर फ्रेम से मक्खियों को भगा दिया जाता है। फिर चाकू को पानी में गरम करके कपड़े से पोछकर मोम का टोपियाँ उतारते हैं। इसके बाद मशीन से

शहद निकाला जाता है। यह ध्यान रखा जाता है कि छाना सुरक्षित बना रहे।

ग्राफ़ शहद को 50 घंटे तक वर्तन में रखते हैं, ताकि अशुद्धियाँ नीचे तली में पहुँच जाएँ। उसके बाद छानकर बोतल में भरते हैं। पहले साल एक छत्ते से 20 किलो शहद निकल आता है। बाद में यह मात्रा बढ़ जाती है :

भेड़पालन : अन्य पशुओं की अपेक्षा भेड़पालन में जगह कम लगती है। यह व्यवसाय सस्ता भी है, क्योंकि ये अपना भरण-पोषण चरागाह से कर लेती हैं। यह दरअसल घास के ऊन और मांस में बदलने की मशीन है। ये हर प्रकार के खरपतवार को खा जाती हैं और अन्य पौधों को कम नुकसान पहुँचाती हैं। इनसे ऊन के अलावा अच्छी खाद भी मिलती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अच्छी नस्ल की भेड़ों को तैयार करना प्रारंभ किया है, जो अच्छे किस्म का ऊन और मांस देती हैं।

भेड़ का जीवन काल 10-12 वर्ष का होता है। ये साल में कम-से-कम एक मेमना जनती हैं। इन्हें चराने के लिए ले जाना पड़ता है। घास-पत्तों के अलावा भेड़ को रोज़ डेढ़ किलो भूसा भी देना चाहिए। इसके बदले में 50-100 ग्राम खली भी दी जा सकती है। भेड़ के लिए चार-पाँच लीटर पानी की भी जरूरत पड़ती है। इस प्रकार भेड़ को पालने में कम खर्च और परिश्रम करना पड़ता है।

आम तौर पर सर्दी के तुरंत बाद ऊन उतारना चाहिए। इन दिनों घास अच्छी होती है और भेड़ का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दूसरी बार ऊन वर्षा के तुरंत बाद उतारी जा सकती है।

भेड़पालन का कार्य अस्थि विकलांगों और मूक-बधिरों के लिए सुगम है। नेत्रहीन व्यक्ति भी अपने परिवारजन की सहायता से इस व्यवसाय में योगदान कर सकता है। सरकार ने भी इस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों में प्रजनन फार्म खोल रखे हैं।

बकरीपालन : हर प्रकार की जमीन और जलवायु में रहनेवाली बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। भारत में विश्व की कुल बकरियों का 18 प्रतिशत वास करती हैं। इसका दूध गाय की अपेक्षा क्षारीय होता है और कमजोर आमाशय वाले भी इसे पचा जाते हैं। बच्चों के लिए इसका दूध ज्यादा पौष्टिक माना जाता है। मरीजों के लिए भी यह फायदेमंद होता है।

बकरी घास के अलावा सब्जी के पत्ते छिलके आदि खाती है। यह सूखा भूसा भी खा लेती है। अच्छी नस्ल वाली दुधारू बकरियों को अच्छा भोजन दिया

ज्ञाना चाहिए। दूध के अलावा मांस के लिए भी बकरियों को पाला जाता है। विकलांगों के लिए यह व्यवसाय भी आसान है।

सूअरपालन : भारत में विश्व के सिर्फ 1 प्रतिशत सूअर पाले जाते हैं। सूअरपालन में सबसे कम पूँजी लगती है। मनुष्य के लिए व्यर्थ खाद्य पदार्थ इसके आहार हैं। इसके मांस में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। सूअरों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है और इन्हें बीमारी नहीं के बराबर लगती हैं। आम तौर पर यदि एक व्यवसायी 5 सूअरियाँ और 1 सूअर पालना शुरू करे तो साल में 80 बिक्री योग्य सूअर तैयार किए जा सकते हैं और 15-20 हजार रुपए आराम से कमाए जा सकते हैं। इसके अलावा सूअर के शरीर का हर अंग—जैसे खाल आदि सभी के अच्छे दाम मिल जाते हैं।

सूअरपालन भी अस्थिर विकलांगों और मूक-बधिरों के लिए सुगम है। अत्यंत गरीब व्यक्ति भी इस व्यवसाय को कर सकता है।

उपर्युक्त व्यवसायों के अलावा मुर्गीपालन, डेयरी, मछलीपालन आदि का ब्योरा पिछले अध्याय में दिया जा चुका है। यहाँ विशेष बात यह है कि इनमें से अनेक व्यवसाय एक साथ भी किए जा सकते हैं और इनमें काफी बचत होती है।

उदाहरण के तौर पर मछलीपालन में होने वाले कुल व्यय का आधा मछलियों की भोजन व्यवस्था पर होता है। अगर मछलीपालन के साथ गाय या भैंस पाली जाए तो प्राप्त गोबर को तालाब में डाला जाता है। मछलियाँ इसे खाती हैं और उनकी संख्या और वजन में भी वृद्धि होती है। इसी प्रकार मछलीपालन के साथ सूअरपालन, बतखपालन, मुर्गीपालन फायदेमंद रहता है। इनका मल मछलियों के लिए भोजन का काम करता है। सफाई की समस्या भी नहीं रहती है।

इनके अलावा अनेक प्रकार की घास भी उपयोगी होती है और उन्हें उष्णकर उनका तेल निकाला जा सकता है। साथ में औषधियाँ और अन्य कैमिकल तैयार किए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर—जावा घास, रोशा घास, नीबू घास, खस, ज़ापानी पोदीना आदि की खेती की जा सकती है और प्राप्त वनस्पति का आसवन (Distillation) करके सुगंधित तेल व अन्य कैमिकल प्राप्त किए जा सकते हैं।

यदि विकलांग व्यवसायी के पास जमीन है तो वह उसमें पौधारोपण कर

सकता है। यदि जमीन ऊसर भी है तो भी इसमें अनेक उपयोगी पौधे रोपे जा सकते हैं। आजकल विभिन्न सरकारी विभाग और वन विभाग पौधारोपण के लिए अनेक प्रकार के प्रोत्साहन देते हैं। पौधे मुफ्त मिलते हैं। यदि आसपास में माँग है तो व्यवसायी नर्सरी खोलकर गमले में पौधे उगाकर भी बेच सकता है।

इस प्रकार थोड़े से प्रयासों से विकलांग व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में लग सकते हैं और उन्हें व्यवसाय के लिए शहरों और दूर-दराज के इलाकों में भटकने की आवश्यकता नहीं है।

पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएँ

अर्ज़ीका के बाद भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी है। 1991 की जनगणना के अनुसार देश की 8 प्रतिशत आबादी जनजातियों की है। इसका 87 प्रतिशत हिस्सा 8 प्रदेशों—मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में रहता है। लगभग 10 प्रतिशत आबादी उत्तर-पूर्व में और मात्र 3 प्रतिशत दूसरे इलाकों में है।

ये जनजातियाँ ज्यादातर पहाड़ी और तराई वाले इलाकों में रहती हैं। इनकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि और जंगल में होने वाली उपज पर आधारित है। जनजातीय इलाकों में हो रहे जमीन पर अवैध कब्जे और जंगल का उपयोग करने की मनाही के कारण इनकी हालत बहुत खराब होती जा रही है। आजादी के 54 साल बाद भी ये साक्षरता से काफी दूर हैं और भयंकर शोषण के शिकार हैं। इन्हें शराब पिलाकर और कर्ज देकर इनका हर प्रकार का शोषण किया जाता है। कई बार इनका शोषण उतना ज्यादा हो जाता है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और विद्रोह कर बैठते हैं तथा इस प्रक्रिया में और पिछड़ जाते हैं।

इन जनजातियों में विकलांगता का प्रतिशत आम लोगों से ज्यादा है। इसके प्रमुख कारण हैं भयंकर गरीबी, कठिन जीवन, शराब का बेतहाशा सेवन, भयंकर अशिक्षा, नगण्य स्वास्थ्य सुविधाएँ, समय-समय पर होने वाला असंतोष, आपसी झगड़े, हथियारों का प्रयोग आदि। इन कारणों से जो लोग घायल हो जाते हैं उनका इलाज नहीं हो पाता है और वे विकलांग हो जाते हैं।

प्रारंभ में जनजातियाँ आत्म-निर्भर हुआ करती थीं। उनकी जरूरतें सीमित थीं। जो कुछ भी वे कमाते थे, अपने ऊपर खर्च कर लेते थे। वे संयुक्त परिवारों में रहते थे और वृद्ध तथा विकलांग लोगों का गुजारा आसानी से हो जाता है। अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। गैर जनजातीय लोग जनजातीय इलाकों में घुस रहे हैं दूसरी ओर जनजातीय लोगों में भी बाहरी

चमक-दमक का असर पड़ रहा है। इन सब कारणों से उनकी जरूरतें बढ़ती जा रही हैं।

आज जनजातीय आबादी के प्रमुख व्यवसाय हैं :

(1) जंगलों से खाद्य पदार्थ चुनना।

(2) सीमित भूमि, जो आम तौर पर कम उपजाऊ होती है, पर खेती।

(3) बड़े किसानों की जमीनों पर खेतिहर मजदूर के रूप में काम करना

उपर्युक्त तीनों प्रकार के काम आम विकलांगों के लिए कठिन हैं। अस्थि विकलांग और नेत्रहीनों के लिए तो लगभग असंभव हैं।

पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि जंगलों में अपार संपदा मौजूद है। इस संपदा को इकट्ठा करने और उससे अर्ध तैयार या तैयार माल बनाने का काम अगर योजनाबद्ध तरीके से किया जाए तो सामान्य आबादी के साथ विकलांगों की बड़ी संख्या रोजगार में लग सकती है।

ये संपदा है :

(1) **विभिन्न प्रकार के पत्ते** : ये पत्ते बहुत सारे कामों में प्रयोग किए जाते हैं। बीड़ी बनाने से लेकर पत्तल बनाने और पीसकर औषधियों के निर्माण तक में इनका प्रयोग किया जाता है। यदि ये पत्ते एक जगह पर इकट्ठे कर दिए जाएँ तो बीड़ी बनाने, पत्तल बनाने, पीसने जैसे काम विकलांग व्यक्ति आसानी से कर सकते हैं।

(2) **इमली** : जंगलों में इमली के पेड़ बहुतायत से पाए जाते हैं। इमली का बड़े पैमाने पर उपयोग खाद्य पदार्थों में होता है। इमली इकट्ठा करना, फिर उसे छीलकर उसके पैकेट बनाना जैसे काम योजनाबद्ध तरीके से किए जा सकते हैं और विकलांग दंपती इस पेशे को अपना सकते हैं।

(3) **गोंद** : जंगलों में ऐसे बहुत से पेड़ हैं जिनसे गोंद निकलता है। इन पेड़ों में छेद करके गोंद निकालने, इकट्ठा करने का काम किया जा सकता है। इस गोंद को उसकी गुणवत्ता के आधार पर अलग-अलग कर पैक करके आगे बेचा जा सकता है।

(4) **महुआ** : महुआ का उपयोग शराब बनाने और अन्य कार्यों में होता है और यह जंगलों में बहुतायत से पाया जाता है। विकलांग व्यक्ति इसे चुनने और पैक करने का कार्य कर सकते हैं।

(5) **शहद** : जंगलों में भ्रममक्खियों के छत्ते बहुतायत से पाए जाते हैं। इन

छत्तों को तोड़ने और शहद इकट्ठा करने का काम हलकी विकलांगता से पीड़ित आदिवासी कर सकते हैं। इसके साथ ही इन इलाकों में कृत्रिम छत्ते लगाकर मधुमक्खी पालन भी बड़े पैमाने पर हो सकता है।

(6) विभिन्न प्रकार के फल और उनके बीज : जंगलों में विभिन्न फल जैसे आँवला आदि जिनका काफी उपयोग होता है और उनके बीज जैसे नीम के बीज, कुसुम के बीज आदि को एकत्रित करने का काम विकलांग व्यक्ति कर सकते हैं।

इसके अलावा जंगलों में मोम, लाख, अरारोट जिसे पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है, चिरोजी जो मेवा के रूप में प्रयुक्त होती है, तरह-तरह की घास, वनस्पतियाँ, जो औषधियों के रूप में प्रयुक्त होती हैं आदि बहुतायत से प्राप्त होते हैं। विकलांग व्यक्ति इन्हें चुनने और इनसे तैयार या अर्ध तैयार माल बना सकते हैं।

उपर्युक्त उदाहरण सिर्फ समझाने के लिए दिए गए हैं। पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार की अपार संभावनाएँ हैं; पर साथ ही इस दिशा में शोध की गुंजाइश भी काफी है। यदि सरकार की ओर से सार्थक प्रयास हों तो इस राष्ट्रीय सपना का भी उपयोग होगा तथा विकलांगों को रोजगार भी मिलेगा।

हालाँकि सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक उद्यमों की सेवाओं में 7.5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर रखा है, पर इसका ज्यादातर लाभ जनजातियों में अगड़े वर्गों को ही मिल पा रहा है। दूर-दराज में रहने वाली जनजातियों को यह लाभ नहीं मिल पा रहा है।

आज के युग में सरकारी नौकरियों की तादाद कम होती चली जा रही है। नए सरकारी उद्यम नहीं खुल रहे हैं। पुराने उद्यम निजी हाथों में जा रहे हैं। ऐसे में निजी क्षेत्र को भी इन जनजातीय क्षेत्रों में आगे लाने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है। अब तक निजी क्षेत्र छोटे-मोटे पदों पर और मामूली तनख्वाह पर ही जनजातीय उम्मीदवारों को नौकरी देता है और विकलांगों को तो नहीं के बराबर ही अवसर मिल पाता है।

उपर्युक्त प्रशिक्षण के अभाव में जनजातीय व्यक्ति स्वरोजगार को लिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इस वजह से सरकारी योजनाएँ और जनजातीय व्यक्तियों को आसान कर्ज देने के प्रावधान भी अक्सर बेकार चले जाते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर एक ऐसी काय योजना की है

जिसके तहत जनजातीय क्षेत्र के विकलांगों को रोजगार के लिए तैयार किया जाए और उन्हें रोजगार दिया जाए। साथ में उन्हें स्वरोजगार के लिए भी आकर्षक मदद दी जाए।

यदि 5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक विकलांगों को निःशुल्क व्यावसायिक शिक्षा दी जाए तो इस वर्ग को काफी लाभ होगा। शिक्षा देते समय उनके सामाजिक-सांस्कृतिक आधार का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान भाषा का भी उचित ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि भाषा छात्रों पर बोझ न बन जाए। विकलांग छात्रों की पढ़ाई में रुचि बनी रहे, इसका भी प्रयास करना आवश्यक है, ताकि उनकी उपस्थिति बनी रहे।

पढ़ाई पूरी करते ही उनके लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें इस बात के लिए तैयार किया जाना आवश्यक है कि जंगल से प्राप्त सामग्री को ज्यों-का-त्यों व्यापारियों को बेचने के बजाय वे तैयार या अर्ध तैयार माल व्यापारियों को अच्छे मूल्य पर बेचें।

स्वरोजगार हेतु आवश्यक सुझाव

स्वरोजगार प्रारंभ करने और सुचारु रूप से चलाने हेतु निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है :

(1) उत्पाद निर्माण करना अपेक्षाकृत आसान होता है। उसे बेचना कठिन होता है और बेचने के बाद पैसा वसूल करना और कठिन होता है।

(2) आम तौर पर पहले ट्रेडिंग (खरीदकर बेचना) करना चाहिए। एक बार बाजार में साख बन जाए तभी निर्माण कार्य प्रारंभ करना चाहिए।

(3) निर्माण कार्य में पूँजी अधिक लगती है। जगह, भवन, मशीनें आदि में पैसा लगाने से पूर्व यह ध्यान रखना चाहिए कि इतना पैसा अवश्य हन्ध में रहे कि आगे का खर्च चलता रहे।

(4) पैसे का आना और जाना इस प्रकार चलना चाहिए, ताकि कान आसानी से चलता रहे और पैसा न तो अनावश्यक रूप से पास में पड़ा रहे और न ही उसकी कमी से काम बंद हो।

(5) काम प्रारंभ करने से पूर्व इस बात का आकलन कर लेना चाहिए कि लगाया गया पैसा कितने दिन में वापस मिल जाएगा। किसी काम में पैसा अनावश्यक रूप से लंबे समय तक फँसेगा तो नुकसान होने या पैसे के डूब जाने की संभावना ज्यादा होती है।

(6) यह प्रयास होना चाहिए कि एक ही उत्पाद पर निर्भर न किया जाए। एक उत्पाद पर निर्भर होने से यदि उस उत्पाद की माँग कम या खत्म हो जाए तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसलिए एक से अधिक उत्पाद विकसित कर लेना चाहिए।

(7) अपने उत्पाद में निरंतर सुधार करते रहना चाहिए। उत्पाद की गुणवत्ता बढ़नी चाहिए और उसकी कीमत घटनी चाहिए। इससे बाजार में दूसरा प्रतिद्वंद्वी जल्दी खड़ा नहीं होगा। कोई प्रयास करेगा भी तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा।

(8) बढ़ती प्रतिद्वंद्विता के दौर में अच्छी गुणवत्ता ही दीर्घकालिक समाधान है। विदेशी उत्पादों की गुणवत्ता आम तौर पर बेहतर होती है और इसलिए उनकी

माँग ज्यादा होती है।

(9) कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रशिक्षण लेना बहुत आवश्यक है। प्रत्येक व्यवसाय में पूँजी लगती है। विकलांग व्यक्ति के परिवारजन और शुभचिंतक भी सहयोग करते हैं। यदि उसका लगाया व्यवसाय असफल हो जाएगा तो उसे तो नुकसान होगा ही, उसके सहयोगीगण भी निराश हो जाएँगे। इस धारणा को भी बल मिलेगा कि विकलांग व्यक्ति अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते हैं। यदि व्यक्ति पहले आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर ले तो उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है और उसके सहयोगियों की संख्या और उनसे मिलने वाली मदद भी बढ़ जाती है।

देश में आई०टी०आई० स्तर का प्रशिक्षण हर जिले में उपलब्ध है। इन संस्थानों में शिक्षक और प्रशिक्षण तंत्र दोनों उपलब्ध होते हैं। उसको इस्तेमाल करते हुए विकलांग व्यक्तियों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में विकलांग व्यक्ति सामान्य उद्यमियों के साथ घुल-मिल सकेंगे और एकीकृत हो सकेंगे। बड़े व्यवसायों को करने से पहले डिप्लोमा स्तर का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कर लेना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट भी विशेष प्रशिक्षण देने में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।

(10) हालाँकि अभी तक सरकारी विभागों को इस प्रकार का कोई निर्देश नहीं दिया गया है कि ये विभाग अपने यहाँ लगनेवाले सापान की खरीद के समय ऐसे विकलांगों को प्राथमिकता देंगे, पर देर-सबेर ज्यों-ज्यों विकलांगों में जागरूकता बढ़ेगी त्यों-त्यों ज्यादा-से-ज्यादा विकलांग व्यक्ति अपना व्यवसाय स्थापित करेंगे तो सरकार सरकारी विभागों को अवश्य निर्देश देगी।

(11) विकलांग व्यक्ति अपने उद्यम में तैयार सामान को बेचने के लिए सरकारी विभागों से संपर्क कर सकते हैं। देश में सरकारी विभाग सबसे बड़े खरीदार हैं। सरकारी विभागों में डी०जी०एस० एंड डी० के माध्यम से खरीदारी होती है। यह विभाग बहुत बड़े पैमाने पर खरीदारी करता है। यहाँ सामान खरीदने की एक निर्धारित पद्धति है। विकलांग उद्यमी को यहाँ अपना सामान बेचने से पूर्व इस निर्धारित पद्धति का गहन अध्ययन कर लेना चाहिए। इसमें गुणवत्ता के निर्धारण और उसकी जाँच संबंधी नियम और भुगतान के तौर-तरीके की जानकारी अत्यावश्यक है। अक्सर माल नामंजूर होने पर रद्द माल वापस लेना और उसकी जगह दुबारा माल आपूर्ति कराने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

देश में रक्षा विभाग और रेल विभाग बहुत बड़े खरीदार हैं पर यहाँ माल

सप्लाई करने से पूर्व आपूर्तिकर्ता को अनेक औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है। इनमें इन विभागों द्वारा निर्धारित एजेंसियों जैसे आर०डी०एस०ओ० आदि से नए उत्पाद की मंजूरी आवश्यक होती है। एक बार मंजूरी मिल जाने के बाद सामान बेचना आसान हो जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भी बहुत बड़े खरीदार हैं। ये उद्यम स्वयं खरीदारी करते हैं। इनके यहाँ खरीदने के लिए अलग विभाग होता है। यह विभाग खरीदने की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाता है। पर इस प्रक्रिया में वह अकेला नहीं होता है और सामान को इस्तेमाल करने वाला विभाग तथा वित्त विभाग भी इसमें शामिल होते हैं। इसलिए पूरी प्रक्रिया से जुड़े लोगों की भूमिका को समझ लेना आवश्यक होता है। इन उद्यमों में आपूर्तिकर्ता को पहले अपना पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। ज्यादातर विभाग आजकल अपने आपूर्तिकर्ता के आई०एस०ओ० प्रमाणपत्रधारी होने पर जोर देने हैं। इसलिए काम शुरू करने के बाद जल्दी-से-जल्दी यह प्रमाणपत्र ले लेना चाहिए। यह प्रमाणपत्र सिर्फ दिखावे के लिए आवश्यक नहीं है। इसमें निर्धारित प्रक्रिया को अमान्य करने के बाद हर स्तर पर गुणवत्ता बढ़ती है, जो भविष्य में बहुत काम आती है।

काम के भुगतान के कई तरीके होते हैं। कुछ खरीदार ऑर्डर के साथ अग्रिम भुगतान भी करते हैं; पर ऐसा बहुत कम होता है। ज्यादातर ग्राहक माल लेने के 30/60 दिन बाद भुगतान करते हैं। प्रयास यह होना चाहिए कि कम-से-कम माल देते समय पूरा नहीं तो 90 प्रतिशत भुगतान अवश्य प्राप्त हो जाए। एक बार भुगतान के फंस जाने से न सिर्फ अपना काम रुकता है, बल्कि फँसा हुआ भुगतान निकालना बहुत कठिन हो जाता है। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जितनी मात्रा में माल का ऑर्डर मिला है उतना ही सप्लाई करना चाहिए। कम सप्लाई करने से भी दिक्कत हो सकती है। खरीदार ऑर्डर रद्द कर सकता है, क्योंकि आधा या कम माल कई बार उसके काम का नहीं होता है। वह दूसरे आपूर्तिकर्ता के पास जाएगा और उससे पूरा माल लेगा।

दूसरी ओर ऑर्डर से अधिक सामान सप्लाई करने से भी परेशानी खड़ी होती है। माल की गुणवत्ता की जाँच करने वाला विभाग माल को स्वीकार कर लेता है और इस्तेमाल करने वाला विभाग उसे इस्तेमाल भी कर लेता है। जब वित्त विभाग के पास भुगतान के लिए आते हैं तब वह पूरा भुगतान रोक देता है और जब तक सशोधित मात्रा का सशोधन आदेश नहीं आ जाता है तब तक भुगतान नहीं

होता है और इस प्रक्रिया में कई बार खरीदार के ही विभाग आपस में एक-दूसरे से सवाल-जवाब करने लगते हैं और भुगतान लटक जाता है।

माल सप्लाय करने के समय अनेक कागजातों की आवश्यकता होती है। माल के साथ डिलीवरी चालान होना आवश्यक होता है, अन्यथा माल पकड़ा जा सकता है और चुंगी आदि पर परेशानी खड़ी हो सकती है। यदि माल एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है तो उसके साथ रोड परमिट होना आवश्यक होता है। ये कागज स्टोर विभाग, जो माल प्राप्त करता है, में दिए जाते हैं।

माल को इस्तेमाल करने वाले विभाग के लिए पैकिंग लिस्ट आवश्यक होती है, जो माल के साथ देना आवश्यक होता है। एक लिस्ट पैकिंग पर चिपका देना बेहतर होता है। माल के भुगतान के लिए वित्त विभाग को बिल की दो प्रतियाँ देनी जरूरी होती हैं। यदि माल पर एक्साइज ड्यूटी दी जा रही हो तो ट्रांसपोर्टर कॉपी भी देनी पड़ती है।

इन जरूरी कागजातों को ठीक प्रकार न देना या एक जगह के कागज दूसरी जगह दे देने से परेशानी खड़ी हो जाती है और भुगतान रुक जाता है। ये विभाग रियायती बिक्री कर के लिए सी फॉर्म या 3 बी फॉर्म देते हैं, जो माल पास होने के बाद दिए जाते हैं। इन फॉर्मों को बाद में याद से ले लेना चाहिए, अन्यथा बकाया बिक्री कर अपने पास से देना पड़ता है।

तैयार उत्पाद की पैकिंग भी अपने आप में एक कला है। अच्छी पैकिंग माल की सुरक्षा करती है और यदि दुर्घटना हो जाए तो बीमा का भुगतान करते समय दावे की रकम मिलने में सहायता करती है। अतः पैकिंग को हलके तरीके से नहीं लेना चाहिए और अच्छे तथा वैज्ञानिक तरीके से पैकिंग करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

माल अपने परिसर से ले जाकर खरीदार के स्टोर तक पहुँचाना आम तौर पर विक्रेता की ही जिम्मेदारी होती है, अतः बीमा अवश्य करा लेना चाहिए, ताकि माल पहुँचाने में कोई दुर्घटना हो जाए तो नुकसान कम-से-कम हो।

स्वरोजगार हेतु पूँजी

अपना व्यवसाय करने के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है। व्यवसायी को कुछ पैसा अपने पास से लगाना पड़ता है और शेष कर्ज लेना पड़ता है। व्यावसायिक बैंक कर्ज देते हैं, पर उनकी ब्याज दरें ज्यादा होती हैं। कर्ज मंजूर कराने की पद्धति भी लंबी होती है और समय ज्यादा लगता है।

अतः भारत सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगो को अपना रोजगार करने के लिए कर्ज आदि देने की व्यवस्था समय-समय पर की है। अनुसूचित जातियो, जनजातियो के लिए वित्तीय निगम बनाया गया है। यह निगम इस वर्ग के लोगो को कम ब्याज और आसान शर्तो पर कर्ज देता है। इस तर्ज पर विकलांगो के लिए नेशनल हैंडीकैप्ड फ़ाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया गया। 1997 में गठित इस कारपोरेशन का मुख्यालय फरीदाबाद में है। इसके मूल उद्देश्यों में न सिर्फ व्यवसाय के लिए कर्ज देना वरन् विकलांगो को व्यवसाय करने के लिए प्रशिक्षण देना, उनकी गुणवत्ता बढ़ाना भी है। यह कॉरपोरेशन राज्य-स्तर के विकलांगो के लिए बने कॉरपोरेशनों के लिए अपेक्स संस्था के रूप में काम करेगा। यह विकलांगो के रोजगार के लिए आवश्यक जानकारी एकत्रित करके उपयोगी दस्तावेज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि भी तैयार करेगा।

फिलहाल यह कॉरपोरेशन कर्ज देने का काम कर रहा है और अब तक एक हजार से अधिक विकलांग व्यक्ति इससे कर्ज ल चुके हैं। इससे कर्ज लेने वालों की न्यूनतम पात्रता इस प्रकार है :

- (1) विकलांग व्यक्ति भारतीय नागरिक हो और उसकी विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए।
- (2) उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- (3) उसकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा के अंदर होनी चाहिए। यह निर्धारित सीमा बढाई-घटाई जाती है।
- (4) आवेदक के पास सबधित शैक्षिक/तकनीकी योग्यता और

अनुभव होना चाहिए।

(5) जिस राज्य में आवेदक अपना व्यवसाय लगा रहा है या लगे हुए व्यवसाय को बढ़ा रहा है उसे उसी राज्य का निवासी होना चाहिए।

(6) उसे दिवारिया आदि नहीं होना चाहिए और व्यवसाय करने के बाद कर्ज लौटाने के लिए सक्षम होना चाहिए।

आवेदक द्वारा अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसी के जरिये भेजे जा सकते हैं।

इस कॉरपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले कर्ज की ब्याज दरें इस प्रकार हैं :

(1) 50,000 रुपए से कम परियोजना लागत पर ब्याज की दर 5 प्रतिशत है। इसमें पूरी-की-पूरी राशि कर्ज के रूप में मिल जाती है और आवेदक को कुछ नहीं लगाना पड़ता है।

(2) 50,000 रुपए से लेकर एक लाख रुपए तक परियोजना लागत वाले काम में ब्याज दर 6 प्रतिशत है और 95 प्रतिशत कर्ज नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन से मिल जाता है। 5 प्रतिशत राज्य सरकार की एजेंसी दे देती है। विकलांग व्यवसायी को कुछ नहीं लगाना पड़ता है।

(3) 1,00,000 से 5,00,000 लाख रुपए की परियोजना लागत वाले व्यवसाय में ब्याज दर 9 प्रतिशत है। उसमें 90 प्रतिशत राशि नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन कर्ज के रूप में देता है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसी 5 प्रतिशत हिस्सा देती है। विकलांग व्यक्ति को 5 प्रतिशत अर्थात् अधिकतम 25,000 रुपए लगाना पड़ता है।

(4) 5,00,000 रुपए से अधिक लागत वाली परियोजना में 85 प्रतिशत हिस्सा कर्ज के रूप में एन०एच०एफ०डी०सी० से मिलता है। 5 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार की चैनल एजेंसी देती है और विकलांग व्यक्ति को 10 प्रतिशत लगाना पड़ता है। इस पर ब्याज दर 10 प्रतिशत होती है।

उपर्युक्त कर्ज 7 वर्ष तक की अवधि में लौटाए जा सकते हैं। विकलांग व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक किस्तों में भुगतान कर सकता है। महिला उद्यमियों को ब्याज में 2 प्रतिशत की रियायत दी जाती है और उनके लिए ब्याज दर इस प्रकार अत्यंत कम हो जाती है। यदि विकलांग उद्यमी अपना व्यवसाय मेहनत एवं लगन से करता है और समय से पहले पूरा कर्ज चुका देता है तो उसे ब्याज पर 5 प्रतिशत की छूट मिलती है। इस प्रकार ब्याज की शर्तें

बहुत आसान हैं और अपनी सुविधानुसार व्यवसाय चुनकर किया जा सकता है।

कॉर्पोरेशन ने विभिन्न प्रकार के कामों के लिए अधिकतम कर्ज-सीमा तय कर रखी है। छोटे काम-धंधों को करने के लिए अधिकतम कर्ज-सीमा ढाई लाख रुपए है। विकलांग व्यक्ति इस कार्य को स्वयं करेगा और जो कर्मचारी रखेगा उनमें 15 प्रतिशत विकलांग होंगे।

यदि विकलांग व्यक्ति खेती संबंधी कार्य, जैसे अनाज उत्पादन, सिंचाई और कृषि के उत्पादन के लिए मशीन-खरीद, उद्यान कृषि (फल उत्पादन), रेशम का उत्पादन आदि करेंगे या कृषि उत्पादों का विक्रय करेंगे, खेती के लिए जमीन खरीदेगे, कृषि उत्पादों का मंडी में व्यापार आदि करेंगे या खाद, कीटनाशक आदि का विपणन खुदरा दूकानों के द्वारा करेंगे, तो उन्हें 5 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जा सकता है। ये सब कार्य ग्रामीण इलाकों के लिए उत्तम हैं।

यदि विकलांग व्यक्ति पढ़ा-लिखा है या इतना अनुभवी है कि वह बड़ा व्यवसाय चला सकता है और निर्माण उद्योग लगाकर उत्पादन करना चाहता है तो उसे 20 लाख रुपए तक कर्ज दिया जा सकता है। इस उद्योग को लगाने वाला विकलांग होना चाहिए और रखे गए कर्मचारियों में 15 प्रतिशत विकलांग होने चाहिए।

विकलांग व्यक्ति मिलकर एक सहकारी समिति या एसोसिएशन बनाकर बड़ा काम प्रारंभ कर सकते हैं। वे मिलकर फर्म भी स्थापित कर सकते हैं। ऐसी समितियों या फर्म को 25 लाख रुपए तक कर्ज मिल सकता है। समिति या फर्म का हर सदस्य विकलांग होना चाहिए और गठन कानूनी रूप से होना चाहिए अर्थात् समिति सोसायटी एक्ट के तहत पंजीकृत होनी चाहिए और फर्म कंपनी कानून के तहत गठित होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त विकलांग व्यक्तियों की योग्यता बढ़ाने और उन्हें अपना रोजगार कायम करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संबंधित एजेसियों, ख्यातिप्राप्त गैरसरकारी संगठनों और प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों को भी कर्ज प्रदान किया जाता है। ये संस्थाएँ कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र सहित अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र खोल सकती हैं। विकलांग व्यक्ति भी इस प्रकार की संस्थाएँ स्थापित कर सकते हैं।

इसी प्रकार विकलांग व्यक्ति उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए या तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कर्ज ले सकता है। यह शिक्षा उसकी योग्यता को बढ़ाने या उसकी रोजगार कुशलता को बढ़ाने वाली होनी चाहिए।

यदि विकलांग व्यक्ति विकलांगों के लिए

बनाने का काम

करना चाहते हैं तो वे सरकार या शैक्षणिक संस्थान द्वारा चलाए जा रहे अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के तहत उत्पादन इकाई लगा सकते हैं। इसके लिए उन्हें 25 लाख रुपए तक कर्ज मिल सकता है। इस प्रकार की इकाइयों में नियोक्ता को विकलांग कर्मचारी ही रखने चाहिए।

अत्यंत छोटे विकलांग व्यवसायियों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए कॉरपोरेशन ने हाल में एक माइक्रो फाइनेंसिंग योजना प्रारंभ की है। इसमें 6,000 रुपए तक का ऋण मात्र 5 प्रतिशत ब्याज दर पर गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से दिया जाता है।

कॉरपोरेशन इस अनोखी योजना को प्रारंभ करने के लिए कर्ज लेने के इच्छुक लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए, कर्ज लेने वालों को आगे कर्ज देने के लिए स्वयंसेवी समूहों को तैयार करने के लिए दस हजार रुपए का अनुदान भी देता है। ये स्वयंसेवी समूह ऐसे छोटे कर्जदारों को आगे कर्ज देते हैं। उनके कारबार में मदद भी करते हैं और कर्ज की वसूली भी करते हैं।

कर्ज दिलाने वाली स्वयंसेवी संस्था इस कर्ज को लौटाने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होती है और हर तीन माह पर कर्ज लौटाती है।

इस प्रकार की योजना दूर-दराज के ग्रामीण लोगों, जो पढ़े-लिखे नहीं हैं और कर्ज आदि औपचारिकताएँ पूरी नहीं कर सकते हैं, के लिए उपयोगी है। स्वयंसेवी संस्थाएँ जो लोगों को रोजगार में मदद करना चाहती हैं, इस योजना के जरिए मदद कर सकती हैं। ऐसी संस्थाओं को आवेदन करने से पूर्व पिछले दो वर्ष की बैलेंस शीट और तीन वर्ष का ऑडिट किया गया लेखा-जोखा जमा करना पड़ता है। पूरी जाँच करने के बाद संस्था को इस योजना में शामिल होने की अनुमति दी जाती है।

मानसिक रोगी, पक्षाघात से पीड़ित व्यक्तियों के लिए एक अनूठी योजना है। ऐसे व्यक्ति के माता-पिता, जिन पर ये व्यक्ति आश्रित हैं या पति अथवा पत्नी जिस पर वे आश्रित हों, ऐसा रोजगार करने के लिए, जिसका लाभ विकलांग व्यक्ति को मिले, 2.5 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। आश्रयदाता व्यक्ति रोजगार करके मानसिक विकलांग व्यक्ति का भरण-पोषण करने में बोझ महसूस नहीं करेंगे।

जो विकलांग व्यक्ति पहले से ही रोजगार कर रहे हैं और उन्होंने राज्य वितीय निगमों या अन्य विनीय संस्थानों से आवधिक कर्ज ले रखे हों या ले रहे हों तो कर्जदाता संस्थाओं द्वारा निर्धारित अपना इक्विटी अंश भरने के लिए वे 80 प्रतिशत इक्विटी सीमा या 30 लाख रुपए, जो भी कम हो कर्ज ले सकते हैं यह राशि उन्हें

एन०एच०एफ०डी०सी० से मिल सकती है।

आवेदक को आवेदन पत्र की दो प्रतियाँ ठीक तरह से भरकर और आवश्यक दस्तावेज लगाकर राज्य की एजेंसी के माध्यम से भेजना चाहिए। साथ में विकलांगता का वैध प्रमाणपत्र, आय घोषणापत्र, आयु का प्रमाणपत्र, शिक्षा प्रमाणपत्र जाति प्रमाणपत्र (यदि अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़े वर्ग का है), फोटो शपथपत्र, जिसमें यह घोषणा की गई हो कि किसी अन्य सरकारी एजेंसी में इसी काम के लिए कर्ज नहीं लिया गया है, अवश्य जमा करना चाहिए। इसके अलावा राज्य की विभिन्न एजेंसियों जैसे प्रदूषण नियंत्रण आदि से भी अनापत्ति प्रमाणपत्र ले लेना चाहिए।

उपर्युक्त योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी हेतु निम्न पते पर संपर्क किया जा सकता है :

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम
रेडक्रॉस भवन, सेक्टर 12
(सामने मिनी सेक्रेटेरियट)
फरीदाबाद-121002

विकलांग व्यक्ति हर काम कर सकते हैं

किसी जमाने में समाज पर बोझ माने जानेवाले विकलांग व्यक्ति आज समाज के कमजोर, पर उपयोगी हो सकनेवाले व्यक्ति माने जाने लगे हैं। इस नई धारणा का एक प्रमुख कारण है कि हर काल में, विश्व के हर भाग में विकलांग व्यक्तियों ने हर क्षेत्र में असाधारण कार्य करके समाज में सम्मानित स्थान पाया है। उनके कारण समाज के अन्य विकलांगों को तो प्रेरणा मिली ही है, आम व्यक्ति की विकलांगता के बारे में भी धारणा बदली है। आज विश्व में कोई ऐसा कार्य नहीं बचा है जहाँ किसी-न-किसी विकलांग विभूतियों ने अपने असाधारण कृतित्व से अमिट छाप न छोड़ी हो।

साहित्य : ब्रिटेन के मिल्टन, बायरन, वाल्टर स्कॉट; यूनान के होमर, अमेरिका के हेलेन कीलर, वेद मेहता; रूस में निकोलाई आस्त्रोवस्की; भारत में सूरदास, जायसी, रघुवंश, राजेंद्र यादव ने अपने-अपने तरीके से मनोरंजक और ज्ञानवर्धक साहित्य की रचना की है। नेत्रहीनता प्राचीन काल में होमर को, मध्यकाल में सूरदास, मिल्टन को और आधुनिक काल में वेद मेहता को, साहित्य रचना से नहीं रोक पाई। वल्लतोल ने बिना सुने ही समाज की हर गतिविधियाँ एवं भावनाएँ समझ लीं और उनका सुंदर चित्रण अपने गद्य तथा पद्य में किया। बिना हाथों के रघुवंश पेरों से ही एक के बाद एक रचनाएँ लिखते चले गए।

संगीत : श्रवणहीन बीथोवन और नेत्रहीन मारिया थेरैसा वान पैराडी ने मध्य काल में यूरोप में अपने संगीत की धूम मचाई। नेत्रहीन विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने संगीत को समाज में सम्मानित स्थान दिलाया। कृष्णचंद्र डे और रवींद्र जैन ने संगीत की अनेक विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

कला : चित्रकला, मूर्तिकला में नेत्रहीन विनोद बिहारी मुखोपाध्याय ने अपनी अभूतपूर्व प्रतिभा का प्रदर्शन किया। श्रवणहीन सतीश गुजराल ने चित्रकारी और मूर्तिकला के अलावा वास्तुकला में भी असाधारण प्रदर्शन किया। मूक-बधिर प्रभा शाह ने भी चित्रकला गजब की ख्याति पाई।

अभिनय, नृत्य, मॉडलिंग आदि : सुधा चंद्रन और रिंतु रावल ने अस्थि विकलांगता के बावजूद उत्कृष्ट अभिनय कर दिखाया। नेत्रहीन कृष्णचंद्र डे ने थिएटर तथा सिनेमा में अभिनय करके दिखा दिया। श्रवणहीन बीथोवन ने भी रंगमंच पर अभिनय कुछ समय तक किया।

खेलकूद : मूक-बधिर अंजन भट्टाचार्य और पोलियोग्रस्त चंद्रशेखर ने क्रिकेट में नाम कमाया। टॉम व्हाइटकर एक टॉंग कटने के बावजूद एवरेस्ट पर चढ़ गए। प्रख्यात उद्योगपति अरविंद वर्मा तैराकी में महारत रखते हैं। अल्प दृष्टिवान जॉर्ज अब्राहम ने नेत्रहीन क्रिकेट के विश्व कप का सफल आयोजन करके दिखा दिया है कि विकलांग न सिर्फ बेहतर खेल सकते हैं वरन् खेल आयोजित भी कर सकते हैं।

संघर्ष : आम आदमी की अपेक्षा विकलांग व्यक्ति को अपने जीवन में ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है और अंततः संघर्ष ही उसका जीवन बन जाता है। बायरन इंग्लैंड के रहने वाले थे और बाद में जाकर ग्रीस में रहने लगे थे। उन्हें वहाँ की मिट्टी से इस कदर प्रेम हो गया था कि उन्होंने अपनी सारी कमाई, समय और स्वास्थ्य ग्रीस की आजादी के लिए दाँव पर लगा दिया। उन्होंने पूर्वी ग्रीस और पश्चिमी ग्रीस के बीच चल रहे विवादों को हल करने के लिए एकता के प्रयास किए। अस्थि विकलांगता के बावजूद तोपची नियुक्त करने, हथियार पहुँचाने जैसे कार्य कर दिखाए। इसी प्रकार वाल्टर स्कॉट ने अपने देश की रक्षा के लिए आम आदमी से ज्यादा सजगता दिखाई। नेत्रहीन मेटकाफ को जब पता चला कि उनकी प्रेमिका का विवाह उनकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है तो छोड़े पर चढ़कर आए और शादी के मंडप से अपनी प्रेमिका को उठाकर ले गए। नेत्रहीन ब्रिटिश सांसद हेनरी फासेट आजीवन गरीब मजदूरों और अन्य गरीबों के हक में अपनी आवाज बुलंद करते रहे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतवासियों के शोषण के खिलाफ भी आवाज उठाई।

राजनीति : रुजवेल्ट ने चार बार अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर देश को हर संकट से बचाया। एक बार भयानक मंदी से उबारा तो दूसरी बार विश्वयुद्ध में अपने देश तथा मित्र राष्ट्रों का सफल नेतृत्व किया। जयपाल रेड्डी ने मंत्री के अपने छोटे से कार्यकाल में कुशलतापूर्वक काम करके दिखाए। ओमप्रकाश कोहली ने अपनी पार्टी के मे तमाम निभाई

हेनरी फासेट ने ब्रिटेन के पोस्ट मास्टर जनरल का दायित्व निभाया। राणा सांगा और महाराजा रणजीत सिंह ने अन्य राजाओं से बेहतर राज्य संचालन कर दिखाया।

वीरता, रणकुशलता, देश की रक्षा : द्वितीय विश्वयुद्ध में दोनों पैरों के कटने के बाद भी नकली टाँगों के सहारे विमान उड़ाकर नरैस्येव ने 7-8 उड़ानों में अनेक शत्रु विमानों को मार गिराया। राणा सांगा और महाराजा रणजीत सिंह की वीरता जगजाहिर है।

विज्ञान, आविष्कार आदि : श्रवणहीन थॉमस एडिसन दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारक माने जाते हैं। उन्होंने 1300 से अधिक आविष्कार दुनिया को दिए। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि ईजाद की। उन्होंने रैफीग्राफी भी विकसित की, जो टाइपराइटर के आविष्कार के बाद प्रासंगिक हो गई। अस्थि विकलांग स्टीफन हॉकिंग्स ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और भविष्य से संबंधित एक-एक रहस्य दुनिया के सामने बिलकुल सरल और सीधे शब्दों में रख दिया। नेत्रहीनता निकोलस सैंडरसन को गणित में महारत हासिल करने से नहीं रोक पाई। हेनरी फासेट ने अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया। वे अर्थशास्त्र पर पुस्तकें लिखने के अलावा बड़ी-बड़ी कमेटियों में आँकड़े इतनी सरलता से पेश करते थे कि दृष्टिवान चमत्कृत हो जाते थे।

व्यापार और व्यापार प्रबंध, प्रशासन : अस्थि विकलांग अरविंद वर्मा ने अपनी कंपनी के हर विभाग में काम किया और अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में आज के आर्थिक उदारीकरण के युग में अपनी कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं। वाल्टर स्कॉट और राजेंद्र यादव ने लेखन के अलावा प्रकाशन का व्यवसाय भी किया। नेत्रहीन लाल आडवानी ने भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग में अनेक पदों पर कुशलतापूर्वक काम करके अपनी योग्यता साबित कर दी।

शिक्षा : विकलांग विभूतियों ने पहले स्वयं शिक्षित होकर और फिर अपने विकलांग बंधुओं को शिक्षा देकर मिसाल कायम की है। नेत्रहीन, श्रवणहीन और मूक लारा ब्रिजमैन ने यह साबित कर दिया कि स्पर्श और घ्राण के माध्यम से भी शिक्षा हासिल की जा सकती है। लारा ने एक अनाथ नेत्रहीन लड़की एनी सलीवान को शिक्षित और प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। एनी ने नेत्रहीन श्रवणहीन और प्रारंभ में मूक हेलेन कीलर को न सिर्फ शिक्षित किया

वरन् उसको एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व बनाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। लाल बिहारी शाह, सर क्लूथा मैकेंजी, अमेरिका के रॉबर्ट बेंजामिन इरविन ने विकलांगों की शिक्षा के लिए असाधारण और सफल प्रयास किए। इन विभूतियों के प्रयासों के फलस्वरूप आज हर विकलांग शिक्षा को आवश्यक मानने लगा है। विकलांगों के लिए चल रहे विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की नींव में किसी न किसी विकलांग व्यक्ति का खून-पसीना लगा है।

वकालत : नेत्रहीनों के लिए असंभव माने जाने वाले वकालत के क्षेत्र में एक के बाद एक नेत्रहीन वकील उतरते चले गए। विद्वान् वकील एस०के० रूंगटा ने नेत्रहीनों को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अवसर दिलाने के लिए सफल मुकदमा लड़ा और सर्वोच्च न्यायालय को खासा प्रभावित किया। साधन गुप्ता ने संसद के अलावा अदालत में भी अपनी प्रतिभा दिखाई। महिला वकील अंजलि अरोड़ा अदालत में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। अस्थि विकलांग वाल्टर स्कॉट एक अच्छे साहित्यकार होने के अलावा एक कुशल वकील भी थे।

पत्रकारिता : नेत्रहीनता के बावजूद वेद मेहता विश्व के जाने-माने पत्रकार माने जाते हैं। चमन प्रकाश शर्मा का अखबार 'समर्थ चेतना' विकलांगों द्वारा बड़े पैमाने पर पढ़ा और सराहा जाता रहा। बिस्तर पर पड़े-पड़े डॉ० राजेंद्र जौहर एक खूबसूरत और रोचक अंग्रेजी पत्रिका विकलांगों के लिए निकाल रहे हैं। जावेद आबिदी के विचारोत्तेजक लेख अकसर बड़े अखबारों में छपते रहते हैं। अनेक विकलांग लेखक व पत्रकार न सिर्फ विकलांगों वरन् आम आदमी को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विकलांग व्यक्ति हर उस पेशे, जो आम आदमी कर सकता है, में आगे रहे हैं। यही नहीं, हर पेशे को लगभग हर प्रकार की विकलांगता के शिकार व्यक्ति ने अपवाद के रूप में नहीं वरन् बखूबी किया है।

विकलांग विभूतियों ने अपने पेशे में ही नहीं वरन् समाज सेवा में असाधारण कार्य किया। हेलेन कीलर द्वारा विकलांगों के लिए किया प्रयास, शांति प्रयास, रुजवेल्ट द्वारा अमेरिका को भंडी से निकालना, संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन में प्रमुख भूमिका, हेनरी फासेट द्वारा विकलांगों सहित समाज के सभी कमजोर वर्गों के लिए कार्य करना आदि ऐसे कार्य हैं, जिनकी तुलना संसार के श्रेष्ठ मानव सेवा प्रयासों से की जा सकती है।

विकलांग विभूतियों ने अपने निजी जीवन में आम आदमियों की तरह ही सफलता पाई। उन्होंने प्रेम भी किए और प्रेम विवाह भी। जब किसी ने उनका विकलांगता का लाभ उठाकर उनकी प्रेमिका को छीनने का प्रयास किया तो उन्होंने मुकाबला भी किया।

गंभीर विकलांगता के शिकार व्यक्तियों ने भी अपना दांपत्य जीवन सुखपूर्वक पूरी जिम्मेदारी से निभाया।

अतः यह साबित हो जाता है कि विकलांग व्यक्ति जीवन में हर प्रकार का काम कर सकते हैं।

विकलांगता के क्षेत्र में रोजगार

भारत में विकलांगों की बड़ी संख्या के मद्देनजर उनके पुनर्वास हेतु बड़ी तादाद में प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता है। प्रशिक्षित मानव संसाधन को गुणवत्ता और संख्या के अनुसार सरकारी और गैरसरकारी क्षेत्र में पुनर्वास हेतु योजनाएँ बनाई जा सकती हैं।

प्रारंभ में विकलांगों के परिवारजनों और सहानुभूति रखने वालों ने विकलांग कल्याण और पुनर्वास के क्षेत्र में कदम रखा था। उनके मन में दयाभाव और धर्मार्थ कार्य करने का इरादा ज्यादा था। औपचारिक प्रशिक्षण न तो उपलब्ध था और न ही उसे हासिल करने की प्रेरणा थी। जब भी जितना भी कार्य संभव हो सकता था, किया गया। इस तरह जो भी कार्य हुआ वह जहाँ-तहाँ और थोड़ा-बहुत हुआ। विकलांगता के क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से बड़े पैमाने पर काम इम्प तरह संभव भी नहीं था और हो भी नहीं पाया। आज परिस्थिति दूसरी है! आज विकलांगता के क्षेत्र में समग्र विकास कार्य करने के लिए बड़े पैमाने पर और विविध प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की टीम की आवश्यकता है। इस मानव संसाधन में चिकित्सक, पैरा चिकित्सक, शिक्षक, समाज सेवक, इंजीनियर, तकनीशियन आदि की आवश्यकता है।

मुख्य रूप से निम्न प्रकार के प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है:

1. अलग-अलग प्रकार के विकलांगों को शिक्षित करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक,
2. फिजिकल मेडीसन और रिहैबिलिटेशन में स्नातकोत्तर उपाधि धारक डॉक्टर,
3. फिजियोथेरापिस्ट और आक्यूपेशनल थेरापिस्ट,
4. प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक टेक्नोशियन और पुनर्वास इंजीनियर,
5. और स्पीच थेरापिस्ट
6. और संबंधित उपकरणों के टेक्नोशियन

7. नव विकलांगों को चलना-फिरना सिखाने वाले मार्गदर्शक,
8. व्यावसायिक सलाहकार, सेवायोजन अधिकारी,
9. सामाजिक कार्यकर्ता,
10. मनोचिकित्सक,
11. बहूदेशीय पुनर्वास कार्यकर्ता।

उपर्युक्त कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार की योग्यता और प्रशिक्षण की आवश्यकता इस प्रकार है :

शिक्षक : अलग-अलग प्रकार के विकलांगों को पढ़ाने के लिए अलग-अलग तरीकों और तकनीकों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर नेत्रहीन देख नहीं पाते हैं अतः उन्हें स्पर्श विधि से पढ़ाना पड़ता है। शिक्षक को ब्रेल का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही नवीन तकनीकों पर आधारित उपकरणों जैसे बुक स्कैनर, वायस सिंथेसाइजर आदि का ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार श्रवणहीन छात्र सुन नहीं सकते हैं। वे सामान्य लिखावट पढ़ तो सकते हैं, पर सामान्य बोली सुन नहीं सकते हैं। अतः शिक्षक के लिए इशारों की भाषा अर्थात् मैन्वल अल्फाबेट सीखना आवश्यक है। अस्थि विकलांगों को पढ़ाने के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है, पर मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को सिखाने-पढ़ाने के लिए अधिक प्रशिक्षण और परिश्रम की आवश्यकता होती है।

जो व्यक्ति एक से अधिक विकलांगता के शिकार होते हैं उन्हें शिक्षित करने के लिए बहुत ज्यादा शोध, प्रशिक्षण, प्रयोग और परिश्रम की आवश्यकता होती है।

भारत में इस प्रकार के विशेष शिक्षक तैयार करने की व्यवस्था जगह-जगह पर की गई है। यह व्यवस्था राष्ट्रीय संस्थानों और सरकारी क्षेत्र में भी है और निजी क्षेत्र में भी है।

नेत्रहीनों के लिए विशेष शिक्षक : इस प्रकार के शिक्षकों को तैयार करने के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्राथमिक स्तर के शिक्षकों और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को अलग-अलग तैयार किया जाता है। डिप्लोमा स्तर और स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम आमतौर पर एक शैक्षिक वर्ष के होते हैं। वही एम० एड० स्तर का दो वर्ष का होता है स्तर का पाठ्यक्रम

6 महीने के होते हैं।

जो लोग पहले से ही नेत्रहीनों को पढ़ा रहे हैं और औपचारिक प्रशिक्षण से वंचित रहे हैं, उनके लिए जहाँ एक ओर रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से एक मास के ब्रिजकोर्स की सुविधा उपलब्ध है वहीं 18 महीने का पत्राचार व संपर्क पाठ्यक्रम उपलब्ध है, जो रामकृष्ण मिशन, नरेंद्रपुर और मद्रास स्थित राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र द्वारा चलाया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त होलीक्रॉस कालेज तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु द्वारा दो वर्ष का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम Master of Rehabilitation of the Visually Handicapped चलाया जा रहा है। इसके बाद व्यक्ति पढ़ाने के अलावा उनके पुनर्वास संबंधित गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं।

वाणी और श्रवण-दोष से पीड़ितों के लिए : इस वर्ग के छात्रों को पढ़ाने के लिए देश में स्थानों पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। डिप्लोमा और स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम एक वर्ष के हैं, जबकि सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रम अलग-अलग अवधि के हैं। कहीं-कहीं पर तीन महीनों का कोर्स करके भी पढ़ाने का अधिकार मिल जाता है।

मानसिक रूप से अविकसित बच्चों और वयस्कों को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम : मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को पढ़ाना अत्यंत कठिन होता है। उन्हें ज्यादातर खेल के जरिए पढ़ाया जाता है और पढ़ाते समय उनका निजी ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। इस प्रकार के शिक्षकों को तैयार करने के लिए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। यहाँ पर भी डिप्लोमा और स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम एक शैक्षिक वर्ष के होते हैं। स्नातकोत्तर स्तर का पाठ्यक्रम 2 वर्ष का होता है। जबकि सर्टिफिकेट स्तर का पाठ्यक्रम 3 महीने से लेकर 1 वर्ष तक का होता है।

इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड ने एक वर्ष का पाठ्यक्रम चलाया है, जिसे डिप्लोमा इन मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। इस पाठ्यक्रम को कराने के बाद व्यक्ति न सिर्फ मानसिक अविकसित बच्चों को पढ़ा सकता है बल्कि अन्य प्रकार की सेवाएँ भी कर सकता है। इसी प्रकार एन०आई०एम०एच० ने हैदराबाद और कोलकाता में स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है। ये पाठ्यक्रम स्थानीय विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

स्पास्टिक बच्चों के प्रशिक्षण हेतु शिक्षक स्पास्टिक बच्चों के प्रशिक्षण

सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में कम समय और अलग-अलग पाठ्यक्रम के कारण प्रशिक्षित शिक्षक की योग्यता पर प्रश्नचिह्न लगता है।

विकलांग बच्चों को स्कूल की औपचारिक शिक्षा देने से पूर्व की शिक्षा के लिए शिक्षकों की आवश्यकता है, जो उन्हें नर्सरी के लिए तैयार कर सकें।

आजकल अल्पदृष्टिवान, ऑटिस्टिक, पढाई में विकलांगता, मानसिक रूप से अविकसित बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन वर्गों के बच्चों के लिए और अधिक शिक्षकों को तैयार किए जाने की आवश्यकता है।

शिक्षकों के प्रशिक्षण में एकरूपता लाने का दायित्व रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को दे दिया गया। उसके बाद इस दिशा में पर्याप्त सुधार आया है। इसके अलावा एन०सी०ई०आर०टी० ने विकलांग बच्चों के लिए शिक्षक तैयार करने का काम अपने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रारंभ किया। दूसरी ओर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी उन शिक्षण संस्थाओं को 100 प्रतिशत सहायता देना प्रारंभ किया जो विकलांगों के लिए विशेष रूप से शिक्षक तैयार करती हैं।

इसके लिए संबंधित कॉलेज विश्वविद्यालय को शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुमति लेना आवश्यक है। कॉलेज के लिए यह भी आवश्यक होगा कि वह संबंधित विकलांगता वाले बच्चों के लिए एक मॉडल स्कूल अपने परिसर में खोले। यदि ऐसा करना संभव न हो तो पास के किसी वैसे ही मॉडल स्कूल को स्वीकार करके प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए वहाँ भेजे।

रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों का मानकीकरण कर दिया है। अब ये पाठ्यक्रम अच्छे स्तर के हो गए हैं। स्नातक स्तर के इस पाठ्यक्रम, जो B Ed (Special Education) कहलाता है, में विज्ञान या कला में स्नातक उपाधि वाले और कम-से-कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वालों को प्रवेश दिया जाता है। एक वर्ष के पाठ्यक्रम 360 घंटे की व्यावहारिक ट्रेनिंग भी उन्हें दी जाती है।

स्नातकोत्तर स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्हीं को प्रवेश मिलता है जिनके पास विशेष शिक्षा में बी०एड० डिग्री है। एम०एड० इन स्पेशल एजुकेशन में पढाई व्यावहारिक शिक्षा के अलावा प्रोजेक्ट वर्क भी करना पड़ता है।

इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की

ओं से पीडित बच्चों की शिक्षा के

लिए शिक्षकों को तैयार करने का काम किया जा रहा है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने इन संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की सूची तैयार की है। जो साथ में दर्शाई गई है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु व्यक्ति संबंधित संस्था से संपर्क कर सकते हैं।

विकलांगों के पुनर्वास हेतु अन्य विशेषज्ञ : विकलांग व्यक्तियों की सही शारीरिक जाँच करना और सही कारण पता लगाना, उसके अनुरूप इलाज कराना विकलांगों के पुनर्वास का प्रमुख अंग है। इसके लिए एम०बी०बी०एस० के बाद फिजिकल मेडीसिन और रिहैबिलिटेशन में स्नातकोत्तर उपाधि की आवश्यकता होती है और यह एम०डी० के समकक्ष होती है। भारतवर्ष में यह पाठ्यक्रम चंद मेडिकल कॉलेजों में ही उपलब्ध है, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे कोर्स ज्यादा-से-ज्यादा प्रारंभ किए जाएँ।

फिजियोथेरापी और ऑक्यूपेशनलथेरापी : फिजियोथेरापी और ऑक्यूपेशनलथेरापी में भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री स्तर तक के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। मुंबई स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडीसिन एंड रिहैबिलिटेशन तो स्नातकोत्तर स्तर का पाठ्यक्रम भी चलाता है।

जहाँ स्नातक स्तर का फिजियोथेरापी और ऑक्यूपेशनलथेरापी का पाठ्यक्रम 2.5 वर्ष का है वहीं सर्टिफिकेट स्तर का पाठ्यक्रम 5 हफ्ते से लेकर 13 हफ्ते तक का ही है। डिग्री और डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में एकरूपता है, वहीं सर्टिफिकेट स्तर पर पाठ्यक्रमों में एकरूपता बिलकुल नहीं है।

एक ओर फिजियोथेरापी और ऑक्यूपेशनलथेरापी की भारत में भारी माँग है और माँग से काफी कम विशेषज्ञ तैयार हो रहे हैं। दूसरी ओर विडंबना यह है कि इनमें से काफी को देश में नौकरी नहीं मिल पाती है और वे विदेशों में बेहतर वेतन पर चले जाते हैं।

प्रोस्थेटिक और ऑर्थोलाटिक विशेषज्ञ : अस्थि विकलांगों के लिए कृत्रिम अंग, कैलीपर आदि बनाने में प्रोस्थेटिक और ऑर्थोलाटिक विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें इंजीनियर से लेकर टेक्नीशियनों तक की जरूरत पड़ती है और सर्टिफिकेट, डिप्लोमा तथा डिग्री स्तर तक के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। जहाँ सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रम कुछ हफ्तों के होते हैं वहीं डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम 2.5-3 वर्ष के होते हैं।

इन विशेषज्ञ की भी भारी माँग है और

से कम विशेषज्ञ तैयार हो

रहे हैं।

स्पीच थेरापिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, इयर मोल्ड टेक्नीशियन : वाणी दोष से पीड़ित बच्चों की जाँच करके उनका इलाज करने के लिए स्पीच थेरापिस्ट की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार बधिरता की सही जाँच करके उसका बेहतर निदान करने के लिए ऑडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है।

इसी प्रकार बधिरता के अनुरूप सही श्रवण यंत्र फिट करने के लिए इयर मोल्ड टेक्नीशियनों की आवश्यकता होती है।

स्पीच थेरापिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट तैयार करने के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बातचीत में विकार दूर करने के लिए डिप्लोमा स्तर के भी पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस पाठ्यक्रम को डी० सी०डी० (डिप्लोमा इन कम्यूनिकेशन डिऑर्डर) कहते हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को पूरा करने वालों की भारी माँग है, जबकि डिप्लोमा धारकों को कभी-कभी दिक्कत हो जाती है नौकरी प्राप्त करने में।

देश में लगभग 150 कार्यशालाएँ हैं, जो इयर मोल्ड तैयार करती हैं। उनके लिए प्रशिक्षित तकनीशियनों की भी आवश्यकता होती है।

लगातार हो रहे इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास के मद्देनजर इस दिशा में काफी शोध की भी आवश्यकता है।

नव नेत्रहीनों को चलना-फिरना आदि सिखाने के लिए प्रशिक्षक : अचानक हो गए नेत्रहीनों को अपने प्रारंभिक जीवन काल में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाने तथा उन्हें चलना-फिरना सिखाने, घरेलू कामकाज करना सिखाने के लिए भी प्रशिक्षकों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के प्रशिक्षक तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि विजुअली हैंडीकैप्ड, देहरादून; नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड जैसी संस्थाएँ चलाती हैं। यह 6 महीने का पाठ्यक्रम होता है। इस पाठ्यक्रम के और विकास करने तथा इसे और उपयोगी बनाए जाने की आवश्यकता है।

व्यवसाय सलाहकार, नियोजन अधिकारी : यह कार्य अवकाश प्राप्त या अनुभवी व्यक्तियों के लिए अधिक उपयोगी है। इस कार्य को करने के लिए व्यक्ति को अनुभव और विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ होनी चाहिए। इसके लिए दीर्घकालीन नहीं है पर राष्ट्रीय संस्थान समय-समय पर छोटे पाठ्यक्रम चलाते रहते हैं इन पाठ्यक्रमों को करने के बाद व्यक्ति आसानी से

लिए शिक्षकों को तैयार करने का काम किया जा रहा है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने इन संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की सूची तैयार की है। जो साथ में दर्शाई गई है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु व्यक्ति संबंधित संस्था से संपर्क कर सकते हैं।

विकलांगों के पुनर्वास हेतु अन्य विशेषज्ञ : विकलांग व्यक्तियों की सही शारीरिक जाँच करना और सही कारण पता लगाना, उसके अनुरूप इलाज कराना विकलांगों के पुनर्वास का प्रमुख अंग है। इसके लिए एम०बी०बी०एस० के बाद फिजीकल मेडीसिन और रिहैबिलिटेशन में स्नातकोत्तर उपाधि की आवश्यकता होती है और यह एम०डी० के समकक्ष होती है। भारतवर्ष में यह पाठ्यक्रम चंद मेडिकल कॉलेजों में ही उपलब्ध है, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे कोर्स ज्यादा-से-ज्यादा प्रारंभ किए जाएँ।

फिजियोथेरापी और ऑक्यूपेशनलथेरापी : फिजियोथेरापी और ऑक्यूपेशनलथेरापी में भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री स्तर तक के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। मुंबई स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजीकल मेडीसिन एंड रिहैबिलिटेशन तो स्नातकोत्तर स्तर का पाठ्यक्रम भी चलाता है।

जहाँ स्नातक स्तर का फिजियोथेरापी और ऑक्यूपेशनलथेरापी का पाठ्यक्रम 2-5 वर्ष का है वहीं सर्टिफिकेट स्तर का पाठ्यक्रम 5 हफ्ते से लेकर 13 हफ्ते तक का ही है। डिग्री और डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में एकरूपता है, वहीं सर्टिफिकेट स्तर पर पाठ्यक्रमों में एकरूपता बिल्कुल नहीं है।

एक ओर फिजियोथेरापी और ऑक्यूपेशनलथेरापी की भारत में भारी माँग है और माँग से काफी कम विशेषज्ञ तैयार हो रहे हैं। दूसरी ओर विडंबना यह है कि इनमें से काफी को देश में नौकरी नहीं मिल पाती है और वे विदेशों में बेहतर वेतन पर चले जाते हैं।

प्रोस्थेटिक और ऑर्थोलाॅटिक विशेषज्ञ : अस्थि विकलांगों के लिए कृत्रिम अंग, कैलीपर आदि बनाने में प्रोस्थेटिक और ऑर्थोलाॅटिक विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें इंजीनियर से लेकर टेक्नीशियनों तक की जरूरत पड़ती है और सर्टिफिकेट, डिप्लोमा तथा डिग्री स्तर तक के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। जहाँ सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रम कुछ हफ्तों के होते हैं वहीं डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम 2.5-3 वर्ष के होते हैं।

इन विशेषज्ञ की भी भारी माँग है और

से कम विशेषज्ञ तैयार हो

रहे हैं।

स्पीच थेरापिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, इयर मोल्ड टेक्नीशियन : वाणी दोष से पीड़ित बच्चों की जाँच करके उनका इलाज करने के लिए स्पीच थेरापिस्ट की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार बधिरता की सही जाँच करके उसका बेहतर निदान करने के लिए ऑडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है।

इसी प्रकार बधिरता के अनुरूप सही श्रवण यंत्र फिट करने के लिए इंग्लैण्ड मोल्ड टेक्नीशियनों की आवश्यकता होती है।

स्पीच थेरापिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट तैयार करने के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बातचीत में विकार दूर करने के लिए डिप्लोमा स्तर के भी पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस पाठ्यक्रम को डी० सी०डी० (डिप्लोमा इन कम्यूनिकेशन डिऑर्डर) कहते हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को पूरा करने वालों की भारी माँग है, जबकि डिप्लोमा धारकों को कभी-कभी दिक्कत हो जाती है नौकरी प्राप्त करने में।

देश में लगभग 150 कार्यशालाएँ हैं, जो इयर मोल्ड तैयार करती हैं। उनके लिए प्रशिक्षित तकनीशियनों की भी आवश्यकता होती है।

लगातार हो रहे इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास के मद्देनजर इस दिशा में काफी शोध की भी आवश्यकता है।

नव नेत्रहीनों को चलना-फिरना आदि सिखाने के लिए प्रशिक्षक : अचानक हो गए नेत्रहीनों को अपने प्रारंभिक जीवन काल में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाने तथा उन्हें चलना-फिरना सिखाने, घरेलू कामकाज करना सिखाने के लिए भी प्रशिक्षकों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के प्रशिक्षक तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि विजुअली हैंडीकैप्ड, देहरादून; नेशनल एंजोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड जैसी संस्थाएँ चलाती हैं। यह 6 महीने का पाठ्यक्रम होता है। इस पाठ्यक्रम के और विकास करने तथा इसे और उपयोगी बनाए जाने की आवश्यकता है।

व्यवसाय सलाहकार, नियोजन अधिकारी : यह कार्य अवकाश प्राप्त या अनुभवी व्यक्तियों के लिए अधिक उपयोगी है। इस कार्य को करने के लिए व्यक्ति को अनुभव और विभिन्न प्रकार की जानकारीयाँ होनी चाहिए। इसके लिए दीर्घकालीन पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है पर राष्ट्रीय संस्थान समय-समय पर छोटे पाठ्यक्रम चलाते रहते हैं इन पाठ्यक्रमों को करने के बाद व्यक्ति आसानी से

सलाह आदि दे सकता है।

मनोवैज्ञानिक : मानसिक रोगियों और मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए मनोवैज्ञानिकों की बड़ी आवश्यकता है। हालाँकि मनोविज्ञान विषय, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाया जाता है, पर छात्रों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही दिया जाता है। इस ज्ञान का उपयोग करके मनोरोगियों को किस प्रकार राहत दी जा सके, इसका प्रबंध गिने-चुने संस्थानों में ही है। इस समय निमहंस, बंगलौर, केंद्रीय मनोरोग संस्थान, राँची तथा एक-दो जगह अच्छे पाठ्यक्रम की व्यवस्था है।

इस प्रकार के पाठ्यक्रमों को बढ़ाए जाने और उन्हें खासा उपयोगी बनाए जाने की आवश्यकता है। सी०बी०आर० (सामुदायिक आधारित पुनर्वास) कार्यक्रम में बड़ी तादाद में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। सरकार तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के परस्पर सहयोग से चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में विभिन्न स्तर के स्थानीय प्रशिक्षण कार्यकर्ता कार्य करने हैं। चूँकि सरकार तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से मिलनेवाला भत्ता कम होता है, अतः इन्हें सही प्रशिक्षण और प्रेरणा की आवश्यकता होती है, ताकि ये अपने ग्रामीण क्षेत्र में अपने रोजगार करते हुए साथ नें इन परियोजनाओं में भी काम कर सकें।

इसमें विशेष बात यह है कि कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण की आवश्यकता जगह के अनुसार होती है। अलग-अलग प्रोजेक्ट में जरूरतें और ढाँचा अलग-अलग प्रकार का होता है। इस समय कुछ मैनुअल उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला पुनर्वास केंद्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि ने अपने-अपने मैनुअल बना रखे हैं जिनके आधार पर कुछ जानकारियाँ कार्यकर्ताओं को समय-समय पर दी जाती हैं।

दरअसल इन कार्यकर्ताओं, स्थानीय आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारियों को एक साथ प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, ताकि विकलांग कल्याण का काम उन इलाकों में भी फैल सके जहाँ राष्ट्रीय संस्थान और बड़ी स्वयंसेवी संस्थाएँ नहीं पहुँच पाती हैं।

इसके अलावा विशेष बात यह है कि विकलांगता के क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञों का कार्य विकलांग व्यक्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अस्थि विकलांग व्यक्ति एक अच्छा शिक्षक भी हो सकता है और फिजियोथेरेपिस्ट भी। वह नेत्रहीन बच्चों को पढ़ा भी सकता है और नव नेत्रहीन व्यक्तियों को चलना फिरना भी सिखा सकता है यह बधिर बच्चों को भी पढ़ा सकता है तथा उनके

इंटरमोल्ड बनाने वाली कार्यशालाओं में भी बखूबी कार्य कर सकता है।

जहाँ अस्थि विकलांग व्यक्ति के लिए कोई सीमा नहीं है वहीं नेत्रहीन व्यक्ति भी काफी सारे कार्य कर लेते हैं। नेत्रहीन व्यक्ति एक अच्छे शिक्षक की भूमिका निभाते हुए देखे गए हैं। वे कुछ अन्य पदों पर भी कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार जहाँ बातचीत की आवश्यकता कम होती है वहाँ पर बधिर व्यक्ति भी पूरी तन्मयता से कार्य कर सकते हैं।

यदि विकलांगता के क्षेत्र में उत्पन्न रोजगार विकलांगों को दिए जाएँ तो न सिर्फ विकलांग बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, वरन् इस कार्य में चुस्ती-फुर्ती आएगी। आम विकलांग व्यक्ति परेशान व निराश होने के साथ हीनभावना से भी ग्रस्त होता है। वह अपनी परेशानी सामान्य व्यक्तियों को बताते हुए हिचकता है और उसे लगता है कि उसका दर्द कभी नहीं मिट पाएगा।

पर वह जब अपने जैसे शिक्षक या फिजियोथेरापिस्ट को देखेगा तो उसका आत्मविश्वास काफी हद तक खुद-ब-खुद बहाल हो जाएगा। वह अपनी परेशानी बेहतर तरीके से बता पाएगा।

दूसरी ओर विकलांग विशेषज्ञ भी विकलांग मरीज की समस्या ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएगा। सिखाते या व्यायाम कराते समय वह ज्यादा धैर्य और सावधानी रखेगा। विकलांग विशेषज्ञ निश्चित रूप से सामान्य विशेषज्ञ की अपेक्षा बेहतर परिणाम देगा।

रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम और उन्हें चलाने वाली संस्थाएँ—

आंध्रप्रदेश

- | | |
|--|---|
| 1. ठाकुर हरिप्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, विवेकानंद नगर, दिलसुख नगर, हैदराबाद-500660 | पी०जी०डी०डी०आर०
डी०एस०ई०
(एम०आर०) |
| 2. सरल प्रोजेक्ट ऑफ ठाकुर हरिप्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड हाउस नं० 4/186 लाला चेरुवु राजामुदरी 533106 | डी०एस०ई०
(एम०आर०) |

सलाह आदि दे सकता है।

मनोवैज्ञानिक : मानसिक रोगियों और मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए मनोवैज्ञानिकों की बड़ी आवश्यकता है। हालाँकि मनोविज्ञान विषय, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाया जाता है, पर छात्रों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही दिया जाता है। इस ज्ञान का उपयोग करके मनोरोगियों को किस प्रकार राहत दी जा सके, इसका प्रबंध गिने-चुने संस्थानों में ही है। इस समय निमहंस, बंगलोर; केंद्रीय मनोरोग संस्थान, राँची तथा एक-दो जगह अच्छे पाठ्यक्रम की व्यवस्था है।

इस प्रकार के पाठ्यक्रमों को बढ़ाए जाने और उन्हें खासा उपयोगी बनाए जाने की आवश्यकता है। सी०बी०आर० (सामुदायिक आधारित पुनर्वास) कार्यक्रम में बड़ा तादाद में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। सरकार तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के परस्पर सहयोग से चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में विभिन्न स्तर के स्थानीय प्रशिक्षण कार्यकर्ता कार्य करने हैं। चूँकि सरकार तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से मिलनेवाला भत्ता कम होता है, अतः इन्हें सही प्रशिक्षण और प्रेरणा की आवश्यकता होती है, ताकि ये अपने ग्रामीण क्षेत्र में अपने रोजगार करते हुए साथ में इन परियोजनाओं में भी काम कर सकें।

इसमें विशेष बात यह है कि कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण की आवश्यकता जगह के अनुसार होती है। अलग-अलग प्रोजेक्ट में जरूरतें और ढाँचा अलग-अलग प्रकार का होता है। इस समय कुछ मैनुअल उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला पुनर्वास केंद्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि ने अपने-अपने मैनुअल बना रखे हैं जिनके आधार पर कुछ जानकारियाँ कार्यकर्ताओं को समय-समय पर दी जाती हैं।

दरअसल इन कार्यकर्ताओं, स्थानीय आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारियों को एक साथ प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, ताकि विकलांग कल्याण का काम उन इलाकों में भी फैल सक जहाँ राष्ट्रीय संस्थान और बड़ी स्वयंसेवी संस्थाएँ नहीं पहुँच पाती हैं।

इसके अलावा विशेष बात यह है कि विकलांगता के क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञों का कार्य विकलांग व्यक्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अस्थि विकलांग व्यक्ति एक अच्छा शिक्षक भी हो सकता है और फिजियोथेरापिस्ट भी। वह नेत्रहीन बच्चों को पढ़ा भी सकता है और नव नेत्रहीन व्यक्तियों को चलना-फिरना भी सिखा सकता है वह बधिर बच्चों को भाँ पढ़ा सकता है तथा उनके

इंटरमोस्टड बनाने वाली कार्यशालाओं में भी बखूबी कार्य कर सकता है।

जहाँ अस्थि विकलांग व्यक्ति के लिए कोई सीमा नहीं है वही नेत्रहीन व्यक्ति भी काफी सारे कार्य कर लेते हैं। नेत्रहीन व्यक्ति एक अच्छे शिक्षक की भूमिका निभाते हुए देखे गए हैं। वे कुछ अन्य पदों पर भी कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार जहाँ बातचीत की आवश्यकता कम होती है वहाँ पर बधिर व्यक्ति भी पूरी तन्मयता से कार्य कर सकते हैं।

यदि विकलांगता के क्षेत्र में उत्पन्न रोजगार विकलांगों को दिए जाएँ तो न सिर्फ विकलांग बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, वरन् इस कार्य में चुस्ती-फुर्ती आएगी। आम विकलांग व्यक्ति परेशान व निराश होने के साथ हीनभावना से भी ग्रस्त होता है। वह अपनी परेशानी सामान्य व्यक्तियों को बताते हुए हिचकता है और उसे लगता है कि उसका दर्द कभी नहीं मिट पाएगा।

पर वह जब अपने जैसे शिक्षक या फिजियोथेरापिस्ट को देखेगा तो उसका आत्मविश्वास काफी हद तक खुद-ब-खुद बहाल हो जाएगा। वह अपनी परेशानी बेहतर तरीके से बता पाएगा।

दूसरी ओर विकलांग विशेषज्ञ भी विकलांग मरीज की समस्या ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएगा। सिखाते या व्यायाम कराते समय वह ज्यादा धैर्य और सावधानी रखेगा। विकलांग विशेषज्ञ निश्चित रूप से सामान्य विशेषज्ञ की अपेक्षा बेहतर परिणाम देगा।

रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम और उन्हें चलाने वाली संस्थाएँ—

आंध्रप्रदेश

- | | |
|---|---|
| 1. ठाकुर हरिप्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड,
विवेकानंद नगर, दिलसुख नगर,
हैदराबाद-500660 | पी०जी०डी०डी०आर०
डी०एस०ई०
(एम०आर०) |
| 2. सरल प्रोजेक्ट ऑफ ठाकुर हरिप्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड हाउस नं० 4/186 लाला चेरुवु, राजामुदरी 533106 | डी०एस०ई०
(एम०आर०) |

- | | | |
|-----|---|---|
| 3. | नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, मनोविकास नगर
पो० बोंवनपल्ली, सिकंदराबाद | बी०आर०एस० (एम०आर०)
डी०एस०ई० (एम०आर०)
डी०वी०टी०ई० (एम०आर०)
बी०एड० (स्पे०एजु०) |
| 4. | रायलसीमा सेवा समिति, नं० 9 ओल्ड हजूर
ऑफिस बिल्डिंग, तिरुपति-517501 | डी०एस०ई०
(एम०आर०) |
| 5. | स्वीकार रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप्ड, उपकार सर्कल, पिकेट,
सिकंदराबाद-500003 | डी०एस०ई० (हि०इंपे०)
बी०एस-सी० (एच०एल०एस०) |
| 6. | हेलेन कीलर्स स्कूल फॉर द डेफ,
10/72 निकट शिवलिंगम, बीड़ी फैक्टरी,
बलारी रोड, कुदापाह-516001 | डी०एस०ई०
(हि०इंपे०) |
| 7. | ट्रेनिंग सेंटर फॉर टीचर्स ऑफ
विजुअली हैंडीकैप्ड 1-10-242,
अशोक नगर, हैदराबाद-500020 | डी०एस०ई०
(वी०एच०)
प्राइमरी लेवल |
| 8. | डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन
आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम | बी०एड० (स्पे०एजु०) |
| 9. | ए०वाई०जे०एन०आई०एच०एच०, रीजनल
सेंटर, एन०आई०एम०एच० कैंपस
मनोविकास नगर, पो० बोंवनपल्ली
सिकंदराबाद | डी०एस०ई० (हि०इंपे०)
बी०एड० (हि०इंपे०)
बी०एस-सी०
(एच०एल०एस०) |
| 10. | कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन आंध्र महिला
सभा, दुर्गाबाई देशमुख विद्यापीठम्, उस्मानिया
विश्वविद्यालय कैंपस, हैदराबाद-500007 | बी०एड०
(ईय० इंपेयर्ड) |

आसाम

- | | | |
|-----|---|----------------------|
| 11. | नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, मनोविकास केंद्र,
काहिली पाछ गुवाहाटी | डी०एस०ई०
(एम०आर०) |
|-----|---|----------------------|

बिहार

12. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, बी०एस-सी०
हेल्थ इंस्टीट्यूट रोड, नियर सेंट्रल जेल, (प्रोस्थे० व आर्थो०)
बेऊर, पटना बी०एस-सी० (एच०एल०एस०)
13. जे०एम० इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड डी०एस०ई० (एच०आई०)
हियरिंग, इंदरपुरी, पो० केशरी नगर, डी०एच०एल०एस०
पटना-800023
14. ट्रेनिंग सेंटर फॉर टीचर्स ऑफ द विजुअली डी०एस०ई० (वी०
हैंडीकैप्ड, कदमकुआँ, पटना-800023 एच०) प्राइमरी लेवल
15. दीपशिखा इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट डी०एस०ई०
एंड मेंटल हेल्थ, आर्यसमाज मंदिर, (एम०आर०)
शरद चंद रोड, राँची-834001
16. आयुर्वेदिक व मैग्नेटोथेरापी रिसर्च इंस्टीट्यूट, डी०एस०ई०
पंचशील, कुम्हारार, पटना-800020 (एम०आर०)

चंडीगढ़

17. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल बी०एस-सी०
एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़-160012 (एच०एल०एस०)

दिल्ली

18. डिपार्टमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन, सफदरजंग डिप्लोमा इन प्रोस्थेटिक
हस्पताल, अंसारी नगर, नई दिल्ली-110016 व ऑर्थोटिक इंजी०
19. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल बी०एस-सी०
साइंसेज, अंसारी नगर, नई दिल्ली-110016 (स्पी० एंड हिय०)
20. ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, डी०एस०ई० (वी०एच०
लालबहादुर शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली-110003 (सेकेंडरी लेवल

- | | |
|--|--|
| 21. एन०आई०एम०एच० रीजनल ट्रेनिंग सेंटर,
कस्तूरबा निकेतन, लाजपतनगर,
नई दिल्ली-110024 | डी०एस०ई०
(एम०आर०) |
| 22. तमन्ना स्पेशल स्कूल, डी-6 स्ट्रीट
जसंत विहार, नई दिल्ली-110057 | डी०एस०ई०
(एम०आर०) |
| 23. स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ नॉर्दन इंडिया,
बलबीर सम्सेना मार्ग, हौज खास,
नई दिल्ली-110016 | बी०डी०टी०
(फॉर सैरेब्रल पाल्सी) |
| 24. इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल एजुकेशन, वाई०एम०
सी०ए०, निजामुद्दीन, नई दिल्ली-110013 | डी०एस०ई०
(एम०आर०) |
| 25. अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर,
कड़कड़डूया, विकास मार्ग, दिल्ली-110092 | डी०एस०ई०
(एम०आर०) |
| 26. दिल्ली सोसाइटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द
मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, ओखला सेंटर,
ओखला मार्ग, नई दिल्ली | डी०एस०ई०
(एम०आर०) |
| 27. ए०वाई०जे०एन०आई०एच०एच० रीजनल
सेंटर, कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर-II
नई दिल्ली-110024 | डी०एस०ई०
(हि०इ०पे०)
डी०एच०एल०एस० |

गुजरात

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 28. बी०एम० इंस्टीट्यूट ऑफ नेंटली हेल्थ,
आश्रम रोड, न्यू नेहरू ब्रिज, नवरंगपुरा,
अहमदाबाद- 380009 | डी०एस०ई०
(एम०आर०) |
| 29. ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन,
डॉ० विक्रम साराभाई रोड वस्त्रपुर,
अहमदाबाद-380015 | डी०एस०ई० (वी०एच०)
सकेंडरी लेवल |
| 30. श्री के०एल० इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ
51 विद्यानगर 364002 | डी०एस०ई०
(हि०इ०पे०) |



31. मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट, चिल्ड्रेन हॉस्पिटल,
करेली बाग, बड़ौदा-390018 डी०एस०ई०
(एम०आर०)
32. ट्रेनिंग कालेज फॉर टीचर्स ऑफ द डेज एंड ब्लाइंड, नवरंगपुरा, आश्रम रोड,
अहमदाबाद-380009 डी०एस०ई० (एच०आई०)
डी०एस०ई० (वी०एच०)
प्राइमरी लेवल
33. अक्षर ट्रस्ट मेघदूत,
आर०सी० दत्त रोड, बड़ौदा डी०एस०ई०
(एच०आई०)

हरियाणा

34. अर्षण इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली
हैंडीकैप्ड, गांधी नगर, रोहतक-124001 डी०एस०ई०
(एम०आर०)
35. डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन कुरुक्षेत्र
विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, हरियाणा बी०एड० (स्पे०एजु०)
एम०एड० (स्पे०एजु०)

कर्नाटक

36. इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग,
हेन्नूर रोड, बंगलौर-560084 बी०एस-सी० (एच०एच०एस०)
एम०एस-सी० (एच०एल०एस०)
37. दिव्य शांति स्पेशल स्कूल 'सिलास हाउस'
फर्स्ट क्रॉस रोड, रॉबर्ट सोनपेट
के०जी०एफ० 563122 डी०एस०ई०
(एम०आर०)
38. डॉ०टी०एम०ए० पाई कॉलेज ऑफ
स्पेशल एजुकेशन, कुंजीबेट्ट, उडुपी-576102 डी०एस०ई०
(एम०आर०)
39. सेंट अग्नेस स्पेशल स्कूल बेदौर,
मंगलौर-575002 डी०एस०ई०
(एम०आर०)
40. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड
हियरिंग, मानस गंगोत्री,
मैसूर-570006 बी०एस-सी० (एस० एंड एच०)
एम०एस-सी०
(एस० एंड एच०)

41. इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, ए०बी०
शेट्टी सर्कल, मंगलौर-575001 बी०एस-सी०
(एच०एल०एस०)
42. कर्नाटक हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन
जीवन बीमा नगर, बंगलौर-560075 डी०एस०ई०
(हिय० इंपे०)
43. कर्नाटक पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर द
मेंटली रिटार्डेड सिटीजन, ए०एम०एच०
कंपाउंड ऑफीसर्स हाउस रोड, निकट
किदवई मेमोरियल हॉस्पिटल, बंगलौर-560029 डी०एस०ई०
(एम०आर०)
44. मनीपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन,
कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मनीपाल-576119 (क्लीकल साइकोलॉजी) एम०फिल०
45. द रिचमंड फैलोशिप सोसायटी (इंडिया)
आशा, 501, 47वाँ क्रॉस, 9वाँ मेन जयनगर
5वाँ ब्लॉक, बंगलौर-560041 (साइको सोशल
रिहैबिलिटेशन) एम०एस-सी०
46. शीला कोतवाल, इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ,
रुस्तम बाग, एस०ए०एल० रोड,
बंगलौर-560017 डी०एस०ई०
(एच०आई०)
47. श्री रमन महर्षि अकादमी, फॉर द
ब्लाइंड (पंजी०), 3वाँ क्रॉस, 3वाँ फेज
(नजदीक रागी गुडडा), जे०पी० नगर, बंगलौर-78 डी०एस०ई०
(वी०एच०)
48. डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ डिसेबल्ड,
कर्नाटक सरकार, पोडियम ब्लॉक, टी०वी० टावर,
डॉ० अंबेडकर रोड, बंगलौर-560001 डी०एस०ई०
(विजु०हैंडी०)
49. कॉलेज ऑफ अलाइड हैल्थ साइंस
मनीपाल-576119 (कर्नाटक) बी०एस-सी०
(एच०एल०एस०)

केरल

50. ए०डब्ल्यू०एच० इंस्टीट्यूट फॉर
द मेंटली हैंडीकैप्ड रहमानिया स्पेशल स्कूल डी०एस०ई०
(एम०आर०)

- 69 माईड्स कालेज ऑफ एजुकेशन रिसर्च बी०एड०
सोसायटी फॉर द केयर ट्रीटमेंट एंड ट्रेनिंग (स्पे०एजु०)
ऑफ चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ सोशल केयर डी०एस०ई०
सेवड़ी हिल्स, सेवड़ी रोड, मुंबई-400023 (एम०आर०)
- 70 द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ऑफ द डी०एस०ई०
डेफ, 3वाँ फ्लोर, म्युनिसिपल स्कूल बिल्डिंग, (एच०आई०)
सामने वाई०एम०सी०ए० स्विमिंग पूल, फरूक
एस० उमरभाय पथ अग्नीपद, मुंबई-400011
- 71 जीवन विकास प्रतिष्ठान मूक-बधिर विद्यालय, डी०एस०ई०
सिग्नल कैंप, लातूर-413539 (एच०आई०)
- 72 प्रबोधिनी ट्रस्ट, ओल्ड पंडित कॉलोनी डी०एस०ई०
शरणपुर रोड, नासिक-422002 (एम०आर०)
- 73 सोसायटी फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ द डी०एस०ई०
हैडोकैण्ड, निकट सरकारी दूध डेयरी, मिरज-416410 (एच०आई०)
- 74 ले०बी०एन० सावजी अकादमी, मेहर प्रसाद डी०एस०ई०
कांप्लेक्स, 22ए सेंट्रल बाजार रोड, रामदास पेठ, नागपुर (एच०आई०)
- 75 माताश्री, स्व० जानकी देवी अरकार स्पेशल डी०एस०ई०
टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर, जिंगाबाई तकली रोड, (एम०आर०)
गीता नगर, वार्ड नं० 1, नागपुर-440010
- 76 डेफ एंड डंब इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट डी०एस०ई०
नॉर्थ अंबाजारी रोड, शंकर नगर, नागपुर-440010 (एच०आई०)
- 77 द पूना स्कूल एंड होम फॉर द ब्लाइंड, डी०एस०ई०
टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर 14-17 केरेगाँव पार्क, (वी०एच०)
डॉ० एस०आर० माचवे रोड, पूना-411001 प्राइमरी लेवल
- 78 वी०आर० रुइया मूक-बधिर विद्यालय, डी०एस०ई०
पूना-411030 (एच०आई०)
- 79 तिलक कॉलेज ऑफ एजुकेशन डी०एस०ई०
पूना 411030 (एच०आई०)

- | | |
|--|---|
| 41. इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, ए०बी०
शेट्टी सर्कल, मंगलौर-575001 | बी०एस-सी०
(एच०एल०एस०) |
| 42. कर्नाटक हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन
जीवन बीमा नगर, बंगलौर-560075 | डी०एस०ई०
(हिय० इंपे०) |
| 43. कर्नाटक पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर द
मेंटली रिटार्डेड सिटीजन, ए०एम०एच०
कंपाउंड ऑफीसर्स हाउस रोड, निकट
क्विटवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, बंगलौर-560029 | डी०एस०ई०
(एम०आर०) |
| 44. मनीपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन,
कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मनीपाल-576119 | एम०फिल०
(क्लीकल साइकोलॉजी) |
| 45. द रिचमंड फैलोशिप सोसायटी (इंडिया)
आशा, 501, 47वाँ क्रॉस, 9वाँ मेन जयनगर
5वाँ ब्लॉक, बंगलौर-560041 | एम०एस-सी०
(साइको सोशल
रिहैबिलिटेशन) |
| 46. शीला कोतवाल, इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ,
रुस्तम बाग, एस०ए०एल० रोड,
बंगलौर-560017 | डी०एस०ई०
(एच०आई०) |
| 47. श्री रमन महर्षि अकादमी, फॉर द
ब्लाइंड (पंजी०), 3वाँ क्रॉस, 3वाँ फेज
(नजदीक रागी गुडडा), जे०पी० नगर, बंगलौर-78 | डी०एस०ई०
(वी०एच०) |
| 48. डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ डिसेबल्ड,
कर्नाटक सरकार, पोडियम ब्लॉक, टी०वी० टावर,
डॉ० अंबेडकर रोड, बंगलौर-560001 | डी०एस०ई०
(विजु०हैंडी०) |
| 49. कॉलेज ऑफ अलाइड हैल्थ साइंस
मनीपाल-576119 (कर्नाटक) | बी०एस-सी०
(एच०एल०एस०) |

केरल

- | | |
|--|----------------------|
| 50. ए०डब्ल्यू०एच० इंस्टीट्यूट फॉर
द मेंटली हैंडीकैप्ड रहमानिया स्पेशल स्कूल | डी०एस०ई०
(एम०आर०) |
|--|----------------------|

- फॉर द हैडीकैप्ड, कालीकट बी०एड०
 मेडिकल कॉलेज, पो० कालीकट-673008 (एच०आई०)
51. मेडिकल ट्रस्ट हॉस्पिटल, डी०एच०एल०एस०
 एम०जी रोड, कोचीन-582016
52. निर्मला सदन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर, डी०एस०ई०
 एर्नाकुलम (जिला) मुवाट्टा पुजा, केरल-686661 (एम०आर०)
53. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल डी०एस०ई०
 रिटार्डेशन, जगती, तिरुअनंतपुरम-695014 (एम०आर०)
54. सी०एस०आई० ट्रेनिंग सेंटर, फॉर टीचर्स डी०एस०ई०
 ऑफ द हियरिंग इंपेयर्ड, पो० वालेकम, (एच०आई०)
 कोल्लाम- 691332
55. केरल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड डी०एस०ई०
 ट्रेनिंग सेंटर फॉर द टीचर्स ऑफ विजुअली (वि०है०)
 हैंडीकैप्ड, पो० करीमपुजा, पलक्काड, प्राइमरी लेवल
 केरल-679513
56. बाल विकास टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर, बाल डी०एस०ई०
 विकास सोसायटी, बाल विकास बिल्डिंग, (एम०आर०)
 पो० पेरुरकडा, तिरुअनंतपुरम-695005
57. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, डी०एस०ई०
 पैलेस रोड, पूजप्पुरा, त्रिवेंद्रम-695012 (एच०आई०)
58. द स्कूल फॉर द डेफ, एनाथु, डी०एस०ई०
 पो० अदूर, केरल-691526 (एच०आई०)
59. फेथ इंडिया, फेथ इंडिया भवन, डी०एस०ई०
 पो० पुयेनक्कूज, जिला एर्नाकुलम-682308 (एम०आर०)
60. मर्सी होम एम०आर०डब्ल्यू०
 चेथीपुञ्जा चंगाना सिटी सर्टिफिकेट कोर्स फॉर मल्टीपरपज
 केरल-686104 रिहैबिलिटेशन वर्कर

मध्य प्रदेश

61. दिग्दर्शिका इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रिहैबिलिटेशन
एंड रिसर्च, रेडक्रॉस भवन, शिवाजी नगर,
भोपाल-462016 डी०एस०ई०
(एम०आर०)
62. लायंस क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट,
सेक्टर 2, भिलाई-490001 डी०एस०ई०
(एच०आई०)
63. महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ
स्कीम नं० 54, पीछे सत्य साई विद्यालय,
बिहार, ए०बी० रोड, इंदौर डी०एस०ई०
(वी०एच०)
प्राइमरी लेबल
64. नेशनल एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर
ऑफ द फिजीकली हैंडीकेप्ड, निकट अमरावती
विश्वविद्यालय, गेट नं० 3, मारदी रोड, अमरावती
कैंपस, अमरावती-444602 डी०एस०ई०
(वी०एच०)

महाराष्ट्र

65. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजीकल
मेडीसीन एंड रिहैबिलिटेशन, हाजी अली
पार्क, खाद्य मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई-400034 बी०एस-सी०
(प्रोस्थे० व ऑर्थो०)
66. अली यावर जंग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम०एस-सी० (एस० व एच०)
द हियरिंग हैंडीकेप्ड, किशनचंद मार्ग, बी०एस-सी० (एच०एल०एस०)
बांद्रा (पश्चिम), मुंबई-4000050 एम०एड० (एच०आई०)
67. टोलीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड
बी०वाई०एल० नायर चैरिटेबल
अस्पताल, डॉ० ए०एल० नायर रोड,
मुंबई-400008 बी०एस-सी०
(एच०एल०एस०)
एम०एस-सी०
(एच०एल०एस०)
68. एन०आई०एम०एच० वेस्टर्न रीजनल
ट्रेनिंग सेंटर, ए०वाई०जे०एन०आई०एच०
एच० कैंपस, के०सी० मार्ग, बांद्रा,
रिक्लेमेशन बांद्रा (पश्चिम) मुंबई 400050 डी०एस०ई०
(एम०आर०)



69. माइंड्स कालेज ऑफ एजुकेशन रिसर्च बी०एड०
सोसायटी फॉर द केयर ट्रीटमेंट एंड ट्रेनिंग (स्पे०एजु०)
ऑफ चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ सोशल केयर डी०एस०ई०
सेवड़ी हिल्स, सेवड़ी रोड, मुंबई-400023 (एम०आर०)
70. द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ऑफ द डी०एस०ई०
डेफ, 3वाँ फ्लोर, म्युनिसिपल स्कूल बिल्डिंग, (एच०आई०)
सामने वाई०एम०सी०ए० स्विमिंग पूल, फरुक
एस० उमरभाय पथ अग्रीपद, मुंबई-400011
71. जीवन विकास प्रतिष्ठान मूक-बधिर विद्यालय, डी०एस०ई०
सिग्नल कैंप, लातूर-413539 (एच०आई०)
72. प्रबोधिनी ट्रस्ट, ओल्ड पंडित कॉलोनी डी०एस०ई०
शरणपुर रोड, नासिक-422002 (एम०आर०)
73. सोसायटी फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ द डी०एस०ई०
हैंडीकैप्ड, निकट सरकारी दूध डेयरी, मिरज-416410 (एच०आई०)
74. ले०बी०एन० सावजी अकादमी, मेहर प्रसाद डी०एस०ई०
कांप्लेक्स, 22ए सेंट्रल बाजार रोड, रामदास पेट, नागपुर (एच०आई०)
75. माताश्री. स्व० जानकी देवी अरकार स्पेशल डी०एस०ई०
टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर, जिंगाबाई तकली रोड. (एम०आर०)
गीता नगर, वार्ड नं० 1, नागपुर-440010
76. डेफ एंड डंब इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट डी०एस०ई०
नॉर्थ अंबाजारी रोड, शंकर नगर, नागपुर-440010 (एच०आई०)
77. द पूना स्कूल एंड होम फॉर द ब्लाइंड, डी०एस०ई०
टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर 14-17 केरेगाँव पार्क, (वी०एच०)
डॉ० एस०आर० माचवे रोड, पूना-411001 प्राइमरी लेवल
78. वी०आर० रुइया मूक-बधिर विद्यालय, डी०एस०ई०
पूना-411030 (एच०आई०)
79. तिलक कॉलेज ऑफ एजुकेशन डी०एस०ई०
पूना 411030 (एच०आई०)

- | | |
|--|--|
| 80. वाई० अक्षर इस्टीट्यूट, 401, गणपति अली,
वाई० जिला सतारा-412803 | डी०एस०ई०
(एम०आर०) |
| 81. कामायनी प्रशिक्षण एंड संशोधन सोसायटी,
270/ बी, गोखले नगर, पूना-16 | डी०एस०ई०
(एम०आर०) |
| 82. महाराष्ट्र समाज सेवा संघ C/O रचना
विद्यालय, सारणपुर, नासिक-2 (महाराष्ट्र) | डी०एस०ई०
(एच०आई०) |
| 83. एस०एन०डी०टी० वुमेंस विश्वविद्यालय
डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, सर
विठ्ठलदास विद्या विहार, जुहू रोड,
शांताक्रुज, पश्चिम मुंबई-400049 | एम०एड० (स्पे०एजु०)
बी०एड० (स्पे०एजु०)
पी०जी०डी० इन
एल०डी० |
| 84. दिलकुश टीचर्स ट्रेनिंग इन स्पेशल
एजुकेशन, चर्च रोड, जुहू, मुंबई-400049 | डी०एस०ई०
(एम०आर०) |
| 85. हाशु आडवानी कॉलेज ऑफ स्पेशल
एजुकेशन, 64-65 कलेक्टरस कालोनी,
चेंबूर, मुंबई- 400764 | बी०एड०
(एच०आई०) |
| 86. सूद बी०एड० (एच०आई०) कॉलेज
805, स्मृति भंडारकर रोड, पूना-4 | बी०एड० (स्पे०एजु०)
(एच०आई०) |
| 87. अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट, निकट एस०
आर०पी०, गेट नं० 2, विकास नगर,
वहोवादी विलेज, पूना-411040 | डी०एस०ई०
(एच०आई०) |
| 88. हेलेन कीलर इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ,
डेफ ब्लाईंड, म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल
साउथ विंग ग्राउंड फ्लोर एस० ब्रिज,
एन०एम० जोशी मार्ग, मुंबई-400011 | टीचर्स ट्रेनिंग डिप्लोमा
कोर्स इन डेफ ब्लाईंड |
| 89. नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाईंड
खान अब्दुल गफ्फार खान रोड, वरली
सी फेस, मुंबई-25 | डी०एस०ई०
(वी०एच०)
प्राइमरी लेवल |



मेघालय

90. माॅण्टफोर्ट सेंटर ऑफ एजुकेशन, डी०एस०ई० (एच०आई०)
दानावग्रे, तुरा, मेघालय-794101 डी०एस०ई० (वी०एच०)

उड़ीसा

91. ट्रेनिंग सेंटर फॉर टीचर्स ऑफ द विजुअली डी०एस०ई०
हैंडीकैप्ड, एस०आई०आर०डी० कैंपस, (वी०एच०)
यूनिट-7, भुवनेश्वर-12 प्राइमरी लेवल
92. चेतना इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, डी०एस०ई०
टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर, ए/3 नयापल्ली, भुवनेश्वर (एम०आर०)
93. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन वी०एस०सी०
ट्रेनिंग एंड रिसर्च, औलटपुर, पो० बेराय, (प्रोस्थे० एंड ऑर्थो०)
जिला कटक-754010
94. ट्रेनिंग सेंटर फॉर द टीचर्स ऑफ द डेफ डी०एस०ई०
(राज्य सरकार और अली यावर जिन्ना नेशनल (एच०आई०)
इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप्ड का संयुक्त उद्यम)
एस०आई०आर०डी० कैंपस, यूनिट-8
भुवनेश्वर-751012
95. ओपन लर्निंग सिस्टम, 275/ए पी०जी०डिप्लोमा इन
शहीद नगर, भुवनेश्वर-751007 स्पे०एजु० मल्टीपल
डिसेबिलिटीज फिजिकल
एंड न्यूरोलॉजिकल

राजस्थान

96. रीजनल ट्रेनिंग सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ डी०एस०ई०
सोशल वेल्फेयर सरकार (एम०आर०)
मेती कालोनी

98. राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग टीचर्स
ऑफ द डेफ रनबाई बधिर बाल कल्याण
विकास समिति, कुवाडा रोड, सांगानेर कॉलोनी,
भीलवाड़ा-331001
- डी०एस०ई०
(एच०आई०)

तमिलनाडु

99. शिफलीन सेप्रोसी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर,
कारीगरी, एस०एल०आर०सेनाटोरियम,
पो० नार्थ आर्कर, तमिलनाडु-632106
- डिप्लोमा इन
प्रो० और ओर्थो
100. दि क्लार्क स्कूल फॉर द डेफ साधना
नं० 3, 3वाँ स्ट्रीट, डॉ० राधाकृष्ण रोड,
मायलापुर, चेन्नई-600004
- डी०एम०ई०
(एम०आर०)
डी०एस०ई० (एच०आई०)
101. श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय कॉलेज
ऑफ एजुकेशन. श्री रामकृष्णन विद्यालय
पो० कोयंबटूर-641020
- बी०एड०(वी०एम०)
स्पे० एजु० एम०एड०
(स्पे०एजु० मल्टी कैटेगरी)
102. लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी
स्कूल, फॉर द डेफ, 127 जी०एन०
चेट्टी रोड कैथेड्रल, पो० चेन्नई-600006
1. जूनियर डिप्लोमा इन
टीचिंग द डेफ, 2.सीनियर
डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ
103. रीजनल ट्रेनिंग सेंटर गवर्नमेंट हायर
सेकेंडरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड,
पूनमल्ली, चेन्नई-600056
- डी०एस०ई०
(वी०एच०)
प्राइमरी लेवल
104. स्पास्टिक सोसायटी ऑफ तमिलनाडु
सामने टी०टी०टी०आई० तारामणि
रोड, चेन्नई-600113
- बी०डी०टी० कोर्स
फॉर चिल्ड्रेन विथ सेरेब्रल
पाल्सी एंड न्यूरोलॉजिकल हैंडीकैप्ड
105. मद्रास इंस्टीट्यूट टू रिहैबिलिटेड रिटार्डेड
एफिलिएटेड, 802, आर०वी० नगर,
अन्ना नगर, चेन्नई-600010
- एम०आर०डब्ल्यू०
106. बाल बिहार ट्रेनिंग स्कूल हास्स रोड
किलपाक गार्डन चेन्नई 600010
- डी०एस०ई०
(एम०आर०)

107. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन
मेडिसिन, के०के० नगर, चेन्नई-600083 डि० इन प्रोस्थे०
एंड आर्थो०
108. नवज्योति ट्रस्ट, ए-916 पूनमल्ली,
हाई रोड, चेन्नई-600084 डी०वी०टी०ई०
(एम०आर०)
109. एस०बी०टी०टी० कॉलेज, अंबगम
इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन,
अंबगम एक्सटेंशन, डी०आर०ओ० कॉलोनी,
मदुराई-625007 बी०एड(स्पे०एजु०)
एम०आर०
110. डिपार्टमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस
होली क्रॉस कॉलेज,
तिरुचिरापल्ली-620002 बी०आर०एस-सी०
एम०आर०एस-सी०
डी०एस०ई० (एम०आर०)
111. क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज,
पो० थोरापुडी, वेल्लोर-632002 डिप्लोमा इन प्रोस्थे एंड
प्रोस्थे० इंजी०
112. अविनाशलिंगम डीम्ड यूनिवर्सिटी,
इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस एंड
हायर एजुकेशन फॉर वुमैन,
कोर्यंबटूर-641043 एम०एड० (स्पे०एजु०)
बी०एड० (स्पे०एजु०)
बी०एस-सी० (स्पे०एजु०)
रिहैबिलिटेशन
113. श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च
इंस्टीट्यूट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्रोरूर,
चेन्नई-600116 बी०एस-सी०
(एच०एल०ईस०)
114. द वाई०एम०सी०ए० कॉलेज ऑफ
फिजिकल एजुकेशन, नंदम, चेन्नई-600035 बैचलर इन मोबिलिटी
साइंस

उत्तर प्रदेश

115. विकलांग केंद्र 13, लूकर गंज, इलाहाबाद एम०आर०डब्ल्यू०
116. यू०पी० इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग
हैंडीकैप्ड 4-7, मालवीय रोड,
जॉर्ज टाउन 211002 डी०एस०ई०
(एच०आई०)

117. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली
हैंडीकैप्ड, 116, राजपुर रोड, देहरादून-248001 डी०एस०ई०(वी०एच०)
सेके० लेवल
118. चेतना (सोसायटी ऑफ द वेल्फेयर ऑफ
हैंडीकैप्ड) सेक्टर-सी० अलीगंज,
लखनऊ-226020 डी०एस०ई०
(एम०आर०)
119. ट्रेनिंग कॉलेज फॉर टीचर्स ऑफ द
डेफ ऐशबाग (तिलक नगर) लखनऊ-226004 डी०एस०ई०
(एच०आई०)
120. इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन
एजुकेशन, एम०जे०पी० रोहिलखंड बी०एड(स्पे०एजु०)
विश्वविद्यालय, बरेली-243006 एम०एड० (स्पे०एजु०)
एम०एड० (एल०डी०)
121. नववाणी स्कूल फॉर द डेफ, विलेज
कोई राजपुर, पोस्ट हराहुआ, वाराणसी-221105 डी०एस०ई०
(एच०आई०)
122. गवर्नमेंट इंटर कॉलेज फॉर द ब्लाईंड
मोहन रोड, लखनऊ डी०एस०ई०(वी०एच०)
प्राइमरी लेवल
123. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय,
अलीगढ़ पी०जी० डिप्लोमा इन
रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी

पश्चिम बंगाल

124. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि ऑर्थोपेडिकली
हैंडीकैप्ड, बॉन हुगली, बी०टी० रोड,
कोलकाता-700090 बी०एस-सी०
(प्रोस्थे० एंड
आर्थो०)
125. सोसायटी फॉर मेंटल हेल्थ केयर,
पो० व ग्राम खुरदीही वाया कटवा, वर्द्धमान डी०एस०ई०
(एम०आर०)
126. अलकेंदु बोध निकेतन रेसीडेंशियल,
एफ-114-1, सी०आई०टी० स्कीम,
वी०आई०आई०एम०वी०आई०पी०रोड,
कांकुरगाछी कोलकाता 700054 डी०एस०ई०
(एम०आर०)

127. एन०आई०एम०एच० रीजनल ट्रेनिंग
सेंटर एन०आई०ओ०एच० कैंपस
बॉन हुगली, बी०टी० रोड, कोलकाता-700090
डी०एस०ई०
(एम०आर०)
128. ए०वाई०जे०एन०आई०एच०एच० रीजनल
ट्रेनिंग सेंटर, एन०आई०ओ०एच० कैंपस
बॉन हुगली, बी०टी० रोड,
कोलकाता-700090
बी०एड०(एच०आई०)
डी०एस०ई०(एच०आई०)
बी०एस-सी०
(ए०एस०आर०)
129. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी
स्पास्टिक सोसायटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया,
पी० 35/1, ताराटोला रोड,
कोलकाता-770099
पी०जी० डिप्लोमा इन
स्पेशल एजु० मल्टीपल
डिसेबिलिटीशन एंड
न्यूरोलॉजिकल
130. रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड व्वायज
अकादमी, नरेंद्रपुर-743508
डी०एस०ई० (वी०एच०)
सेकेंडरी लेवल
131. मनोविकास केंद्र रिहेबिलिटेशन एंड
रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द हैंडीकैप्ड
482, मदूदाह, प्लॉट 1/24, सेक्टर-जे
ईस्टर्न मेट्रोपोलिटन बाई पास, कोलकाता-700078
डी०एस०ई०
(एम०आर०)
132. विवेकानंद मिशन आश्रम मिदनापुर,
पश्चिम बंगाल
डी०एस०ई०
(वी०एच०)
133. ट्रेनिंग कालेज फॉर द टीचर्स ऑफ द डेफ
293, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रोड, कोलकाता-09
डी०एस०ई०
(एच०आई०)

शब्द संकेत

- डी०एस०ई० - डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन
बी०एच० - दृष्टिहीन (विजुअली हैंडीकैप्ड)
एच०आई० या एच०एच० - श्रवणहीन (हियरिंग इम्पेयर्ड या हैंडीकैप्ड)
एम०आर० - मंदबुद्धि (मेंटली रिटार्डेड)
पी०जी०डी०आर० - पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन

117. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली
हैंडीकैप्ड, 116, राजपुर रोड, देहरादून-248001
डी०एस०ई०(वी०एच०)
सेकें० लेवल
118. चेतना (सोसायटी ऑफ द वेलफेयर ऑफ
हैंडीकैप्ड) सेक्टर-सी० अलीगंज,
लखनऊ-226020
डी०एस०ई०
(एम०आर०)
119. ट्रेनिंग कॉलेज फॉर टीचर्स ऑफ द
डेफ ऐशबाग (तिलक नगर) लखनऊ-226004
डी०एस०ई०
(एच०आई०)
120. इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन
एजुकेशन, एम०जे०पी० रोहिलखंड
विश्वविद्यालय, बरेली-243006
बी०एड(स्पे०एजु०)
एम०एड० (स्पे०एजु०)
एम०एड० (एल०डी०)
121. नववाणी स्कूल फॉर द डेफ, विलेज
कोई राजपुर, पोस्ट हराहुआ, वाराणसी-221105
डी०एस०ई०
(एच०आई०)
122. गवर्नमेंट इंटर कॉलेज फॉर द ब्लाइंड
मोहन रोड, लखनऊ
डी०एस०ई०(वी०एच०)
प्राइमरी लेवल
123. अलोगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय,
अलीगढ़
पी०जी० डिप्लोमा इन
रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी

पश्चिम बंगाल

124. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि ऑर्थोपेडिकली
हैंडीकैप्ड, बॉन हुगली, बी०टी० रोड,
कोलकाता-700090
बी०एस-सी०
(प्रोस्थे० एंड
आर्थो०)
125. सोसायटी फॉर मेंटल हेल्थ केयर,
पो० व ग्राम खुरदीही चाया कटवा, वर्द्धमान
डी०एस०ई०
(एम०आर०)
126. अलकेंदु बोध निकेतन रेसीडेंशियल,
एफ-114-1, सी०आई०टी० स्कीम,
वी०आई०आई०एम०वी०आई०पी०रोड,
कांकरगाछी कोलकाता 700054
डी०एस०ई०
(एम०आर०)

127. एन०आई०एम०एच० रीजनल ट्रेनिंग
सेंटर एन०आई०ओ०एच० कैंपस
बॉन हुगली, बी०टी० रोड, कोलकाता-700090
डी०एस०ई०
(एन०आर०)
128. ए०वाई०जे०एन०आई०एच०एच० रीजनल
ट्रेनिंग सेंटर, एन०आई०ओ०एच० कैंपस
बॉन हुगली, बी०टी० रोड,
कोलकाता-700090
बी०एड०(एच०आई०)
डी०एस०ई०(एच०आई०)
बी०एस-सी०
(ए०एस०आर०)
129. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी
स्पास्टिक सोसायटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया,
पी० 35/1, ताराटोला रोड,
कोलकाता-770099
पी०जी० डिप्लोमा इन
स्पेशल एजु० मल्टीपल
डिसेबिलिटीशन एंड
न्यूरोलॉजिकल
130. रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड ब्वॉयज
अकादमी, नरेंद्रपुर-743508
डी०एस०ई० (वी०एच०)
सेकेंडरी लेवल
131. मनोविकास केंद्र रिहैबिलिटेशन एंड
रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द हैंडीकैप्ड
482, मद्दूदाह, प्लॉट 1/24, सेक्टर-जे
ईस्टर्न मेट्रोपोलिटन बाई पास, कोलकाता-700078
डी०एस०ई०
(एम०आर०)
132. विवेकानंद मिशन आश्रम मिदनापुर,
पश्चिम बंगाल
डी०एस०ई०
(वी०एच०)
133. ट्रेनिंग कालेज फॉर द टीचर्स ऑफ द डेफ
293, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रोड, कोलकाता-09
डी०एस०ई०
(एच०आई०)

शब्द संकेत

- डी०एस०ई० -- डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन
वी०एच० -- दृष्टिहीन (विजुअली हैंडीकैप्ड)
एच०आई० या एच०एच० -- श्रवणहीन (हियरिंग इम्पेयर्ड या हैंडीकैप्ड)
एम०आर० -- मंदबुद्धि (मेंटली रिटार्डेड)
पी०जी०सी०आर० -- पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन

परिशिष्ट

विकलांगों को मिलने वाली सुविधाओं को हासिल करने के लिए निम्न अधिकारियों/कार्यालयों में संपर्क किया जा सकता है :

1. शिक्षा संबंधी/छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी/कार्यवाही हेतु

- (1) जिला विद्यालय निरीक्षक
- (2) जिला शिक्षा अधिकारी
- (3) जिला समाज कल्याण अधिकारी
- (4) शिक्षा निदेशालय
- (5) अधीक्षक, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए)

2. प्रशिक्षण संबंधी जानकारी/कार्यवाही हेतु

- (1) प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
- (2) अधीक्षक वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए)
- (3) रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय
- (4) व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (विकलांगों के लिए)
- (5) निदेशालय, तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय
- (6) स्थानीय उद्योग प्रसार अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी
- (7) परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अधिकारी
- (8) प्रबंधक (कुटीर उद्योग), जिला उद्योग केंद्र
- (9) प्रमुख सरकारी प्रशिक्षण संस्थान

3. रोजगार संबंधी जानकारी हेतु

- (1) अधीक्षक, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र
- (2) राज्य के विशेष रोजगार केंद्र (विकलांगों के लिए) के रोजगार अधिकारी
- (3) जिला रोजगार केंद्र (विकलांगों के लिए नियुक्ति सेल) के प्रभारी रोजगार अधिकारी

(4) जिले में विकलांगों के लिए रोजगार हेतु कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्था के रोजगार अधिकारी ;

(5) समय-समय पर जारी होने वाले कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, डाक-तार विभाग, राज्य लोक सेवा आयोग के विज्ञापन जिनमें विकलांगों के लिए आरक्षित पदों और चयन का तरीका बताया जाता है ।

(6) निदेशक, रोजगार निदेशालय ।

4. स्वरोजगार संबंधी जानकारी हेतु

(1) अधीक्षक, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र

(2) निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय

(3) जिला समाज कल्याण अधिकारी

(4) परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी

(5) प्रबंधक (कुटीर उद्योग), जिला विभाग उद्योग

(6) सभी राष्ट्रीयकृत बैंक

(7) अवर मंडलीय अधिकारी, स्थानीय टेलीफोन डिवीजन

(8) छोटी दूकानों, कियोस्क, विक्रय आउटलेट, लाइसेंस आदि के लिए चेयरमैन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगरपालिका, नोटीफाइड एरिया ।

(9) अध्यक्ष लायंस क्लब, रोटरी क्लब, युवक क्लब तथा अन्य सामाजिक क्लब व सोसायटियाँ ।

वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्रों की इस दिशा में अहम भूमिका होती है । सरकार ने देश के विभिन्न भागों में 17 ऐसे केंद्र खोल रखे हैं । विकलांग व्यक्ति अपने नजदीक के केंद्र में संपर्क कर सकता है । इनके पते इस प्रकार हैं :

(1) अधीक्षक

वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए)

आई०टी०आई० कैम्पस, कुबेर नगर, अहमदाबाद-382240

(2) वरिष्ठ अधीक्षक

वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए)

ए०टी०आई० कैम्पस

चना भट्ठी रोड सायन म्बई 22

- (3) वरिष्ठ अधीक्षक
वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए)
22/1 होसुर रोड, बंगलौर
- (4) वरिष्ठ अधीक्षक
वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए)
38 बदान राय लेन, बेलियाघाट, कोलकाता
- (5) अधीक्षक
वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए)
आई०टी०आई० कैंपस पूसा, नई दिल्ली-12
- (6) अधीक्षक
वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए)
4 एस०ए० जवाहर नगर, जयपुर-302004
- (7) अधीक्षक
वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए)
ए०टी०आई० कैंपस, विद्या नगर, हैदराबाद-7
- (8) वरिष्ठ अधीक्षक
वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए)
म्युनिसिपल मार्केट, नेपियर टाउन, जबलपुर-1
- (9) वरिष्ठ अधीक्षक
वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए)
सी०टी०आई० कैंपस, उद्योग नगर
नजदीक गोविंद नगर, कानपुर
- (10) अधीक्षक
वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए)
ए०टी०आई० कैंपस, गिल रोड,
सुधियाना 414003

(11) अधीक्षक

वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए)
सी०टी०आई० कैंपस, गुइंडी, चेन्नई-600032

(12) अधीक्षक

वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए)
रिहबरी, गुवाहाटी-781008

(13) अधीक्षक

वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए)
नलनचीरा, त्रिवेंद्रम-695015

(14) अधीक्षक

वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए)
एस०आई०आर०डी० कैंपस, यूनिट-8, भुवनेश्वर-751012

(15) अधीक्षक

वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए)
महावीर इंडस्ट्रियल एस्टेट
बहुचाराजी रोड, करेलीबाग, बड़ौदा-390018

(16) अधीक्षक

वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए)
ए-84 गांधी विहार,
पुलिस कॉलोनी, अनीसाबाद, पटना-800002

(17) अधीक्षक

वोकेशनल रिहैबिलिटेशन केंद्र (विकलांगों के लिए)
अभय नगर, अगरतला, त्रिपुरा पश्चिम-790005

विकलांगों के लिए कार्य कर रहे राष्ट्रीय संस्थान और उनके क्षेत्र

1. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड
पो० बबानली मनोविकास नगर

क्षेत्रीय केंद्र

- (1) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड
C/o एन०आई०एच०एच०, किशनचंद मार्ग,
बांद्रा पश्चिम, मुंबई
 - (2) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड
कस्तूरबा निकेतन, लाजपतनगर, नई दिल्ली- 110024
2. अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड
किशनचंद मार्ग, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई-400050

क्षेत्रीय केंद्र

- (1) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड
C/o एन०आई०एम०एच०, पो० बवानपल्ली,
मनोविकास नगर, सिकंदराबाद-500011
 - (2) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड
C/o एन०आई०ओ०एच०, बी०टी० रोड,
बॉन हुगली, पश्चिम बंगाल
 - (3) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड
कस्तूरबा निकेतन, लाजपतनगर, नई दिल्ली-24
3. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि विजुअली हैंडीकैप्ड
116 राजपुर रोड, देहरादून-248001

क्षेत्रीय केंद्र

- (1) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि विजुअली हैंडीकैप्ड
पूनमल्ली, चेन्नई-600056
4. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड
बी०टी० रोड, बॉन हुगली, पश्चिम बंगाल
5. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च
बेराय कटक 754010

6 टि इंस्टीट्यूट फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड
4 विष्णु दिगंबर मार्ग, नई दिल्ली-110002

इनके अलावा सरकार ने 11 जिला पुनर्वास केंद्र भी खोले हैं। वे इस प्रकार हैं :

- (1) जिला पुनर्वास केंद्र
कैपिटल हॉस्पिटल कैंपस, यूनिट-6
भुवनेश्वर-751001
- (2) जिला पुनर्वास केंद्र
खड़गपुर जनरल हॉस्पिटल
पो० खड़गपुर, जिला मिदनापुर,
पश्चिम बंगाल-721301
- (3) जिला पुनर्वास केंद्र
मेडिकल कॉलेज कैंपस
चेंगलपट्टूर, मद्रास
- (4) जिला पुनर्वास केंद्र
पुलिकेसो रोड, सरकारी
नेत्रहीन स्कूल, चिल्ड्रेन प्रेमिसेस
थिलक नगर, मैसूर-570021
- (5) जिला पुनर्वास केंद्र
लालबाग, निकट राजा कॉलेज फील्ड
शाहजहाँपुर रोड, सीतापुर, उत्तर प्रदेश
- (6) जिला पुनर्वास केंद्र
देवली पादा, खारोदी नाका बोलिंग,
अगाशी रोड तालुका वसई, जिला-थाने
- (7) जिला पुनर्वास केंद्र
एम०बी०एम० हॉस्पिटल कांप्लेक्स
कोटा 324001

- (8) जिला पुनर्वास केंद्र
सामने नर्सिंग हॉस्टल, सरदार पटेल हॉस्पिटल कैम्पस
बिलासपुर-495001
- (9) जिला पुनर्वास केंद्र
मकान नं० 29-28-39 सूर्य भवन,
देसारिवरी रोड, सूर्यरावपेट,
विजयवाडा-520002
- (10) जिला पुनर्वास केंद्र
प्रथम तल, लाउंड्री विभाग,
सिविल अस्पताल, भिवानी-125021
- (11) जिला पुनर्वास केंद्र
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कैम्पस
जगदीशपुर (सुल्तानपुर), उत्तर प्रदेश-227809

अभी हाल में सरकार ने चार क्षेत्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण केंद्र खोले हैं। वे इस प्रकार हैं :

- (1) क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केंद्र
C/o ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल
मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन
हाजी अली पार्क, महालक्ष्मी भवन, मुंबई-400034
- (2) क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केंद्र
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन मेडिसिन
के०के० नगर, चेन्नई-600083
- (3) क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केंद्र
C/o निरतार, बेराय, कटक-754010
- (4) क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केंद्र
लिब्र सेटर सामने हाथी पार्क
226018

विनोद कुमार मिश्र

जन्म

12 जनवरी, 1960

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में

साढ़े तीन वर्ष की आयु में पोलियोग्रस्त

शिक्षा

स्कूली शिक्षा राँची में । 1983 में रुड़की विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स व दूरसंचार इंजीनियरिंग में स्नातक, तत्पश्चात् एम०बी०ए०

समाज-सेवा में प्रारंभ से ही रुचि

विकलांग व्यक्तियों के लिए कानून बनाने हेतु लंबा संघर्ष

1994 में तत्कालीन सांसद श्री प्रेम के जरिए लोकसभा में व्यक्तिगत विधेयक पेश कराया

10 मुस्तकें प्रकाशित । पत्र-पत्रिकाओं में नियमित लेखन तथा दूरदर्शन पर कार्यक्रम में हिस्सा

सम्मान

1996 में राष्ट्रपति पदक

2001 में हिंदी अकादमी, दिल्ली द्वारा साहित्यिक कृति सम्मान

2001 में योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा कौटिल्य पुरस्कार

संप्रति

भारत सरकार के उद्यम में वरिष्ठ तकनीकी प्रबंधक

विनोद कुमार मिश्र



प्रमुख प्रकाशित रचनाएँ

- विकलांग विभूतियों की जीवनगाथाएँ
- विकलांगता : समस्याएँ व समाधान
- कमजोर तन, मजबूत मन
- अपंगता से मुकाबला
- भारत में विकलांगों की स्थिति व विकलांग कानून-95
- Eminent Disabled Persons of the World
- Career Opportunities for the Disabled

आगामी कृतियाँ

- साधारण आविष्कारों की असाधारण सफलताएँ
- सौर ऊर्जा
- विकलांगों के लिए खेल
- विकलांगों के लिए शिक्षा
- विकलांगता : कारण, बचाव व निदान
- महान तत्त्वज्ञानी अष्टावक्र
- व्हील चेयर पर राष्ट्रपति (रूजवेल्ट की जीवनी)
- राणा सांगा
- अँधेरे और सन्नाटे से बाहर (हेलेन कीलर की जीवनी)
- मन की जीत (कहानी-संग्रह)
- मजबूत इरादे (बाल कहानी-संग्रह)
- आशा की किरण
- Disability : Causes, Prevention and Remedies

Project Reports

- Assessing Market Opportunities of Mobile Communication in India.
- Solar Energy & its Economic Viability
- Study of Impact of Globalisation & Recession in South Asian Countries on Indian Export Market
- Assessment of Impact of Advertisement on Tataphone Page of Products